राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] ग्यारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 2

मंगलवार,

31 अक्टूबर, 2000

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। प्रो. सांवर लाल।

पंचायत समिति अराई (अजमेर) के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

1. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गांव मांडयावड कलां व मांडयावड खुर्द पंचायत समिति अराई जिला अजमेर में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा?

(2) क्या उक्त विद्यालय अभी चल रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक चालू करा दिये जायेंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी, हां। पंचायत समिति अराई जिला अजमेर के गांव मांडयावड कलां के शिक्षाकर्मी विद्यालय को आदेश क्रमांक प.13(1)शि-1/94 दिनांक 21-4-95 द्वारा एवं मांडयावड खुर्द के प्राथमिक विद्यालय को आदेश क्रमांक प: 13 (1) शिक्षा-1/94 दिनांक 17-12-94 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने के आदेश जारी किए गए।

(2) मांडयावड कलां में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र संख्या कम होने के कारण उक्त विद्यालय का विलय मांडयावड खुर्द के उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 28-2-2000 के आदेश द्वारा कर दिया गया है।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं एक तो यह जानकारी चाहता हूं कि जिस तारीख को इस विद्यालय का आपने उच्च प्राथमिक स्तर खतम किया उस समय वहां की छात्र संख्या क्या थी और उस तारीख को राजस्थान के और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितनी-कितनी छात्र संख्या थी? क्या उस छात्र संख्या के बराबर जहां छात्र संख्या थी राजस्थान में, वहां भी आपने बंद किया?

दूसरा आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि मांडयावड कलां के उच्च प्राथमिक विद्यालय का आपने मांडयावड खुर्द के उच्च प्राथमिक विद्यालय में विलय कर

(श्री सांवर लाल)

दिया। विलय का मतलब होता है अमालगमेशन, इस विलय से क्या तात्पर्य है आपका? क्या आपकी मंशा यह है कि मांडयावड कलां के विद्यार्थी मांडयावड खुर्द में ही पढ़ सकेंगे? उस कार्यक्षेत्र को आपने उसमें मिला दिया? इस विलय का क्या तात्पर्य है, यह भी हमें बता दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि मांडयावड कलां के छात्रों की संख्या क्या थी। 1 से 5 तक थे 56 विद्यार्थी और कक्षा 6 में 9 विद्यार्थी, कक्षा 7 में 9 विद्यार्थी, कक्षा 8 में 12 विद्यार्थी। यह निर्णय किया गया था कि ऐसे विद्यालय जो अनार्थिक विद्यालय हैं उनका दूसरे विद्यालय के साथ विलय करके उन विद्यालयों का मैक्सिमम उपयोग किया जाए। इस विद्यालय में हमने दो अध्यापक लगा रखे थे, उन दो अध्यापकों की तनख्वाह एक साल की दो लाख रुपये आती है और प्रति व्यक्ति जो खर्चा आता है वह है 6666 रुपये। उस पंचायत में एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल आलरेडी है और सरकार की मंशा यह है कि एक पंचायत में कम से कम एक मिडल स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो। इस पंचायत में एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की सुविधा आलरेडी उपलब्ध है और यह एक मिडल स्कूल यहां और हो जाएगी उस दृष्टि से सरकार ने उचित समझा कि इसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है इसलिए इस स्कूल का इसके साथ विलय किया है।

श्री सांवर लाल : मेरा जो दूसरा सवाल है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि राजस्थान में उस तारीख को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छठी, सातवीं और आठवीं में इस विद्यालय के बराबर छात्र संख्या थी या नहीं? अगर थी तो उनको बंद कर दिया कि नहीं किया? दूसरा मैंने यह पूछा था कि आपने विलय शब्द इस्तेमाल किया है इसका क्या तात्पर्य है? इन दो सवालों का जवाब दीजिये, स्पष्ट सवाल हैं।

श्री सी. पी. जोशी : विलय का मतलब यह है कि वहां दो स्कूल, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी जानकारी सदन के सामने आ जाए कि मांडयावड कलां जो प्राथमिक विद्यालय है इसको 1994 में क्रमोन्नत किया गया था मिडल स्कूल में।

श्री सांवर लाल : 1995 में।

श्री सी. पी. जोशी : मैं दुबारा करैक्ट कर रहा हूं, 1994 में मांडयावड कलां को प्रमोट किया गया था। तत्कालीन सरकार ने मांडयावड कलां की जगह मांडयावड खुर्द को कर दिया। यह संशोधन आपकी सरकार ने किया है उस स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए। 1995 में जाडोल पंचायत समिति की एक स्कूल को बंद करके उसकी जगह पर मांडयावड कलां की स्कूल खोलने का 1995 में आदेश दिया। यह जो स्कूल 1994 और 1995 में मांडयावड कलां और मांडयावड खुर्द है इसके पीछे इतिहास यह है कि मांडयावड कलां में यह स्कूल वह स्कूल है जो डिफंक्ट स्कूल था, टीचर्स का

(श्री सी. पी. जोशी)

एब्सेंटीज्म था और इसलिए शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत स्कूल को लिया गया था। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि उस स्कूल में सरकार ने 1994-95 में जो परिवर्तन किया उस स्थिति के अनुसार आज भी विद्यार्थियों की संख्या यही है। जो मापदंड पिछली सरकार ने बनाये उन मापदंडों में लिखा हुआ था कि कम से कम उस गांव की संख्या...... ये मापदंड मैंने नहीं बनाये, उस सरकार ने बनाये थे कि ग्राम संख्या 1 हजार व्यक्ति (व्यवधान).....

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो जानकारी चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय को पिछली सरकार से क्या मतलब है?

श्री सी. पी. जोशी : वही जानकारी दे रहा हूं मैं.... (व्यवधान).....

श्री सांवर लाल : आप अपनी सरकार की बताइये। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, वह बताइये। (व्यवधान) हमारी सरकार ने खोल दी स्कूल, आपने बंद की है, बताइये।

श्री सी. पी. जोशी : (व्यवधान).... बात तो सुननी ही पड़ेगी आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने...(व्यवधान)....

श्री सांवर लाल : हमने तो खोली है आपने बंद की है, वह बताइये आप तो।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं जानकारी को। आपने जो पाप किये हैं उनको बताना तो पड़ेगा न। आपने क्या गलतियां की हैं, आपकी गलतियां भी बतानी पड़ेंगी, सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन को गुमराह किया है। जिस बात की जानकारी माननीय सदस्य चाह रहे हैं वह तो दे रहे नहीं हैं आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ...(व्यवधान)... यहां बैठकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बैठिये।

श्री सांवर लाल : मेरा पाइंटेड सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई स्टैण्डर्ड इनका था तो उस स्टैण्डर्ड से कम सभी विद्यालयों को राजस्थान में आपने बंद किया? सीधा-सा सवाल है।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : (व्यवधान)... आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां 8-8 छात्र हैं। (व्यवधान) उनको आपने बंद नहीं किया और उस विद्यालय में 12 छात्र पढ़ रहे हैं उसको बंद कर दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, रमजान खान जी। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप : आपने तो 3 हजार स्कूल बंद कर दिये थे, राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था आपने।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि तत्कालीन सरकार ने जो मापदंड बनाये थे

(श्री सी. पी. जोशी)

उन मापदंडों का भी पालन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया है। मेरी पार्टी के सदस्य हिण्डौन से आते हैं श्री भरोसी लाल जी, उनके खुद के गांव में स्कूल का नाम है झिरणा, उस स्कूल का भी इस तरह से विलय किया गया है। हमने राजनीतिक आधार पर किसी भी स्कूल को बंद करने का फैसला नहीं किया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक भेदभाव आपकी पार्टी ने अपने मापदंड के आधार पर किया था। हम आपके मापदंड से करना चाहते हैं, हमने कोई राजनीतिक भेदभाव के आधार पर स्कूल बंद नहीं किया है। हमने अनार्थिक जो स्कूल हैं उनको बंद किया है।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान)...... राजस्थान में ऐसे बहुत सारे विद्यालय होंगे, उनका बताइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे राजस्थान में सैकड़ों विद्यालय हैं उनको बंद किया कि नहीं किया ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमने मापदंड के आधार पर जो काम था वह काम किया है।

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी ने 6 हजार स्कूल बंद किये थे।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड सवाल है कि इस छात्र संख्या के बराबर या कम राजस्थान में किस-किस विद्यालय में संख्या थी ? उनको किस-किस को बंद किया ? अब केवल सरकार की नीयत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के एरिया में नये स्कूल नहीं खोलने हैं और जो खुले हुए हैं उनको बंद करना है..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अलग प्रश्न है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान).......अध्यक्ष महोदय, इनको यह पता नहीं कि हमारे को बंद किया उस स्तर के विद्यालय हैं कि नहीं। किसी विद्यालय के अन्दर .....(व्यवधान)...... एजुकेशन कोई इकानॉमिक नहीं होती है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : (व्यवधान)... एक भी विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में नहीं खोला गया।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान).... आप कह रहे हैं अनार्थिक विद्यालय। शिक्षा को आर्थिक बना दिया आपने। शिक्षा को व्यवसाय बना दिया सरकार ने...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आपने इन दो स्कूलों के बारे में पूछा, अब आप पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भेदभाव नहीं हो सकता...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता एक है और सब एक साथ बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान)... आप कह रहे हैं अनार्थिक विद्यालय है, आपने सारे विद्यालयों को आर्थिक बना रखा है।

श्री अध्यक्ष : प्रो. साहब, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : अब तक तो नहीं किया बंद, अब बंद करेंगे।. आपके स्कूल को। आपने भी बंद की थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के आधार पर स्कूल का निर्णय नहीं किया है। सभी जगह पर स्कूल खोली हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है, भाषण देने लग गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान) जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ाई से वंचित रख दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : एक भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है पिछले सत्र में। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने स्टेटमैंट दियां कि कोई भेदभाव नहीं किया है। मेरे क्षेत्र में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। केसारामजी बैठिये। आसन पैरों पर। श्री मदन दिलावरजी, आसन पैरों पर, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अटरू विधान सभा क्षेत्र में एक भी विद्यालय नहीं खोला गया।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कल लिस्ट रख दूंगा, हमने भेदभाव नहीं किया है। इनको जानकारी नहीं है और बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री गुलाब चन्दजी कटारिया ने अपने विधान सभा क्षेत्र में स्कूल खोलने का एक भी प्रस्ताव मुझे नहीं दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप गलत बता रहे हैं। हमने जो दिया वहां तो खोला ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने दिये उनके तो खोल दिये क्या? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 12 हजार राजीव गांधी पाठशाला खोली हैं। आपके क्षेत्र में भी खुली हैं राजीव गांधी पाठशाला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि श्री कटारियाजी और विपक्ष के नेता ने नहीं दिया, क्या जिन्होंने दिया उनके यहां खोल दी गई? एक भी विद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। आप बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो इच्छा जाहिर की कि अनार्थिक विद्यालयों को हमने बंद किया आर्थिक नुकसान से बचने के लिये, मैं आपकी बात को ठीक मान रहा हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आपने राजस्थान में ऐसे अनार्थिक विद्यालयों को सूचीबद्ध किया था? यदि किया था तो उस सूची में कितने विद्यालय अनार्थिक थे जिस दिन यह स्कूल बंद किया? अगर उन सारे विद्यालयों को बंद किया तो उसकी सूची पढ़ दें या सदन के पटल पर रख दें ताकि यह लगे कि राजस्थान में ये विद्यालय अनार्थिक थे आपके सर्वे के आधार पर और ये सारे के सारे विद्यालय आपने अनार्थिक होने के कारण से बंद कर दिये। अनार्थिक होने के मापदण्ड के आधार पर जिस दिन यह आदेश निकला था कितने विद्यालय सर्वे में आये थे जिस आधार पर आपने विद्यालय बंद किये?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, 47 पेपर स्कूल और 195 अनार्थिक स्कूल हमने बंद किये हैं। 95 स्कूल जो पेपर पर चल रहे थे और 195 स्कूल जो अनार्थिक थे, उन स्कूलों को हमने बंद किया बिना राजनीतिक भेदभाव के। ये किस विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, यह हमने नहीं देखा, हमने तो केवल बंद किये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, मेरी चुनौती है राजस्थान के विद्यालयों के बारे में। अगर आप अनार्थिक विद्यालयों का सर्वे करेंगे तो 30 परसेंट से अधिक राजस्थान के विद्यालय आज की तारीख में अनार्थिक हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हम तैयार हैं। आप विरोध मत कीजिए, हम 30 परसेंट को बंद कर देंगे। आप आगे आइए। मैं आपकी भावना से सहमत हूं, आपकी पार्टी लिख कर दे दे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये आर्थिक हैं और ये अनार्थिक हैं, इसकी अगर आपके पास सूची है तो वह सूची सदन के पटल पर रख दें कि ये-ये विद्यालय आपके मापदंड से अनार्थिक हैं और जिस दिन इस विद्यालय को बंद किया था उस दिन इन विद्यलयों को बंद कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : आप बता दें उनको बंद कर देंगे। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया जी का क्या मतलब है, 30 परसेंट विद्यालयों को बंद कराने का है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या मैं यह मानूं कि राजस्थान में केवल 195 विद्यालय ही अनार्थिक विद्यालय की श्रेणी में आते हैं बाकी आज की तारीख में कोई विद्यालय अनार्थिक विद्यालय नहीं है? या तो यह कह दें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय कटारिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप अपनी पार्टी का फैसला करके आ जाएं। 195 पर तो हल्ला कर रहें हैं, 30 परसेंट पर पता नहीं क्या करोगे। आप लिख कर दे दीजिए हम तैयार हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने शिक्षा का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया है यह उसका परिणाम है।

श्री सी. पी. जोशी : हमने नहीं किया है, आपने किया है। हमने एक भी नहीं किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें कोई एतराज नहीं है। आपने जो विद्यालय क्रमोन्नत किये उनमें 11वीं में 5-5 लड़के हैं और उनको आपने 10+2 किया। मैं चुनौती देता हूं, 11वीं में 5 और 9 बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपके समय में शिक्षा का राजनीतिकरण हुआ था, आज तो समानता है। सब जगह स्कूल खोले जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अनार्थिक घोषित किया वह इसलिए किया था कि इतनी दूरी की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते थे।

श्री रतन लाल ताम्बी : कटारिया साहब, आप यह बात कैसे कह रहे हो अपने मुंह से? जितना राजनीतिक भेदभाव शिक्षा में आपने किया, वह किसी ने नहीं किया आज तक। 9 साल में एक सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के राज में जहाजपुर में खोला हो तो आप बता दो। एक भी नहीं खोलते ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 9 साल में एक भी स्कूल हमारे क्षेत्र में नहीं दिया आपने। (व्यवधान) ढब्बा बैठा दिया शिक्षा का आपने। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : कांग्रेस सरकार ने 1989-90 में स्कूल खोले थे, आपने बंद किये। (व्यवधान) आज कुछ विकास हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी जो उम्र है न, यह ढाई-तीन साल की है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आज शिक्षा का स्वराज्य बढ़ रहा है। राजस्थान में गांव-ढाणी में शिक्षा पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने संकल्प किया है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक भी विद्यालय नहीं खोला आपने। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : 5-5 हजार स्कूल आपने बंद किये हैं। (व्यवधान) आज आप लंबी-चौड़ी बातें कर रहें हो, जितना भेदभाव आप करते थे उतना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो बालक रहता है वह भी इस राजस्थान की धरोहर है, वह भी बच्चा राजस्थान का है, उसको महरूम रख कर आप क्या वाह-वाही लूटना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहते हो? आप उसके पापों से मर जाओगे, यह मेरी गारंटी है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपकी गारंटी जनता ने दे दी आपको। आपको उधर बैठने का फैसला जनता ने दिया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कोई पोपा बाई का राज नहीं है, अशोक महान का राज है। बातें कर रहे हो फालतू की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने अनार्थिक विद्यालयों की बात कही। सारी प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा में कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। जहां निःशुल्क प्राथमिक विद्यालयों को हम चला रहे हैं, आप प्रश्न कर रहें हैं कि वहां विद्यार्थियों की संख्या मुकम्मिल नहीं थी, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसी स्कूल को बंद करने से पहले उसकी पंचायत को, उसके विधायक को, पंचायत समिति के मैम्बर को, जिला परिषद के मैम्बर को यह मौका दिया जाए कि इतने विद्यार्थी आप और भर्ती करें अन्यथा तीन महीने बाद या छह महीने बाद हम इस स्कूल को बंद कर देंगे? बिना लोगों की जानकारी में लाये, बिना सामान्य न्याय के सिद्धान्तों की पालना किये हुए, बिना लोकतंत्र को पूरा मौका दिये हुए कि वे उपयुक्त संख्या के विद्यार्थियों को और भर्ती कर लें; आपने मनमाने तरीके से बंद किये हैं। मैं पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों को बंद करना जाहिरा तौर पर यह लगेगा कि आप उस स्कूल के साथ या उस गांव के साथ कुछ अन्याय कर रहे हो। प्राथमिक स्कूल देना हमारी जिम्मेदारी है।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में 20 मिनट लग गये, हमारे सवाल कैसे आएंगे?

श्री अध्यक्ष : जो स्कूल बंद किये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दीजिए। आज आपके पास नहीं है तो कल आप सूची सदन की मेज पर रख दीजिए। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई सामान्य न्याय के सिद्धान्तों की पालना लागू करवाइए। स्कूल बंद करने से पहले एक मौका दिया जाए कि उपयुक्त संख्या में विद्यार्थियों की और भर्ती की जाए।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं कल न केवल अनार्थिक स्कूलों की बल्कि कौनसी स्कूलें खोली हैं उसकी भी लिस्ट आपके सामने रख दूंगा। इससे इनके मन में साफ में हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पूरी सूची आप रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जहां कांग्रेसी लोगों ने आपको सुझाव दिये वहां पर आपने स्कूलें खोली हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : जहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कही है वहां पर भी खोली है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में 20 मिनट लग गये। क्वेश्चन आवर में एक घंटे का समय मिलता है, इसमें कोई व्यवस्था करिये जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएं।

श्री सी. पी. जोशी : भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के कहने पर जहां स्कूल खोली हैं उसकी भी लिस्ट रख दूंगा आपके सामने। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय, कोलायत विधान सभा क्षेत्र में बिलकुल पक्षपातपूर्ण स्कूलें खोली हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, न तो इन्होंने बालकों की संख्या देखी न इन्होंने गांवों की जनसंख्या को देखा और न ही उसकी अर्थव्यवस्था को देखा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लिखकर भी दिया था स्कूल खोलने के लिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। क्या इस अनीति से पक्षपातपूर्ण तरीके से कांग्रेस का भट्टा नहीं बैठ जाएगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। भाटी जी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सिर्फ एक सोची हुई बात जो उनको करना है, इस प्रकार की नीति न अपनाएं। (व्यवधान) एक तरफ मुख्य मंत्री बनता है...(व्यवधान) पूरे प्रदेश में शिक्षा का विस्तार हो जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : भारतीय जनता पार्टी ने तो यह आरोप लगाया है...

श्री देवीसिंह भाटी : न तो बालकों की संख्या को देखते हैं और न बालकों की आवश्यकता को देखते हैं। न आप रेगिस्तानी क्षेत्र देखते हैं, न आदिवासी की आवश्यकता क्या है यह देखते हैं। यह पक्षपातपूर्ण रवैया ठीक नहीं है, जोशी साहब, कृपया ऊपर भी देखें। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, भाषण नहीं। नैक्स्ट। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की अनीति न अपनाई जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सूची रख देंगे। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : भेदभाव बढ़ता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आठ विधायकों में से तीन के 18 ...(व्यवधान) बी.जे.पी. के पांच बैठे हैं उनका एक भी विद्यालय नहीं खोला। मुख्य मंत्रीजी को भी लिख कर दिया है।

डा. किरोड़ी लाल : प्रश्न नम्बर दो।

श्री जगत सिंह दायमा : राजनीतिक भेदभाव बढ़ता है...(व्यवधान) परन्तु इन्होंने तो जाति भेदभाव किया है, हमने जाति भेदभाव...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न उद्योग विभाग से संबंधित है, और उद्योग विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. किरोड़ी लाल : प्रश्न नम्बर दो।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित है और उद्योग विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपने पिछड़ी जातियों में एक भी स्कूल नहीं खोला।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जगत सिंहजी दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा : राजनीतिक भेदभाव या जातीय भेदभाव, इनकी तरफ से कोई कम बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। नैक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन उद्योग विभाग से संबंध रखता है इसलिये उद्योग विभाग का जब टर्न आएगा उस समय इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : इसका, उत्तर आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामस्वरूप : आप बैठिये, अभी जवाब मिलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, डा. किरोड़ी लाल।

बिड़ला सभागार में लगाई गई हस्तशिल्प स्टालें

2. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2000 में बिड़ला सभागार में "झरोखा-2000" का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो हस्तशिल्प से संबंधित कितनी स्टालें कब से कब तक लगाई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि रैनबो मार्बल हैण्डी क्राफ्ट पर राम मंदिर का माडल रखा गया था?

उद्योग मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी, हां। दिनांक 23 व 24 सितम्बर, 2000 तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन के अन्तर्गत बिड़ला सभागार में "झरोखा-2000" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें परम्परागत हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें कुल 26 स्टालें दिनांक 23 से 26 सितम्बर, 2000 तक लगाई गई थी।

(2) अधिकृत रूप से राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उस

(डा. किरोड़ी लाल)

बारे में मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा, इसमें मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। इसमें मैंने एक बात और पूछी थी। + + + इसमें मैंने पूछा था कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी किस दिन किस समय पधारे थे। यह इसकी जान है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी तब आये थे या नहीं आये थे....

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जान के लिये सवाल करना चाहूंगा, इसलिये कि मुख्य मंत्रीजी इस शर्त पर वहां गये थे कि राम मंदिर के माडल को जब तक नहीं हटाओगे तब तक मैं प्रदर्शनी देखने के लिये नहीं जाऊंगा। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यह एकदम + + + काल्पनिक, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। बड़ी अच्छी कहानी गढ़कर लाये हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह माडल तो इन्होंने दिल्ली से खुद ने हटा दिया। आपने एजेण्डे में से हटा दिया। (व्यवधान) यह यहां से हटाने की बात करते हैं, अपने एजेण्डे में से ही हटा दिया। (व्यवधान) 370 और राम मंदिर सब हटा दिया।

श्री मदन दिलावर : भगवान राम का मंदिर तो अब बनेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान की गहलोत सरकार ने राम मंदिर के माडल या क्या राम मंदिर का चित्र पर कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है कि इसकी बिक्री नहीं की जाए? अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आयोजकों में यह कौन ऐसा अधिकारी था जिसने इस माडल को हटाया? कौन अधिकारी थे वे जिन्होंने इस स्टाल वाले को यह धमकी मारी कि अगर इस राम मंदिर के माडल को नहीं हटाया गया तो तुम्हारी यहां से स्टॉल बिलकुल हटा देंगे? क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? मुख्य मंत्रीजी इस "झरोखा-2000" को देखने नहीं गये। मुख्य मंत्रीजी का इसमें क्लीयर कट निर्देश था कि जब तक स्टाल से राम मंदिर का माडल नहीं हटेगा तब तक, मैं देखने नहीं जाऊंगा। (व्यवधान), जब माडल हट गया उसके बाद देखने क्यों गये?

श्री मदन दिलावर : राम मंदिर से इतनी घृणा होने लग गई?

डा. चन्द्रभान : सुनिये, सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राम को धोखा देने वालों, राम ने तुम्हारा सफाया कर दिया। (व्यवधान) राम को धोखा देने वालों, तुम्हारा सफाया कर दिया।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप बैठिये, बीच में नहीं।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : राम को धोखा नहीं दिया (व्यवधान) रोक नहीं सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। यह अवमानना है, आप इस पर बोल नहीं सकते। आप गलत बात कर रहे हो। आपकी पार्टी ने एजेण्डे में से हटा दिया। आप कह दो आपकी पार्टी के एजेण्डे में है। आप फिजूल में सदन का समय बरबाद कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने राम का ठेका ले लिया है क्या? राम के ठेकेदारों, ठेका ले लिया है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

डा. चन्द्रभान : मुझे खुशी है कि कई सालों के बाद में दुबारा यह राम मंदिर आपके एजेण्डे में आया तो सही। (व्यवधान) आपने तो....

डा. किरोड़ी लाल : आपने भूमि पूजन करवाया था, यह तो आपके एजेण्डे में भी था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एजेण्डे मे नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रदर्शनी का सवाल है और इस प्रदर्शनी में उत्पादों के प्रदर्शन का सवाल है, इस प्रदर्शनी का आयोजन सी.आई.आई. के द्वारा किया गया था। (व्यवधान) कनफैडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज ने ही आवंटन पत्र दिये थे। आवंटन पत्र में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी और अमूमन ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आप कौन से उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। इतनी सारी स्टाल वहां पर लगी थी और उनमें कई तरह के उत्पाद थे, एक-एक स्टाल पर 40-40, 50-50 तरह के उत्पाद थे। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह सवाल है रैनबो मार्बल हैण्डीक्राफ्ट का। मार्बल के जो भी उसके उत्पाद थे उनका ही प्रदर्शन किया होगा, मैं यह मानकर चलता हूं। माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं, कि जब आपने सवाल किया है तो आपके पास पूरी जानकारी होगी।

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पास जानकारी है, राम मंदिर का माडल रखा गया था फिर उसको हटाया गया। मेरे सवाल का जवाब दो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह मार्बल का था क्या? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरे सवाल का जवाब दो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : काहे का था, यह तो बताइये आप। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : राम मंदिर का माडल अभी फाइनल नहीं हुआ है। आप खुद कन्फ्यूज्ड हो, आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : रैनबो मार्बल हैण्डीक्राफ्ट, यह मानकर चला जाता है कि जो मार्बल वाले हैं वे मार्बल के उत्पाद का ही प्रदर्शन करेंगे। जिस राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, माडल हमारी तो जानकारी में नहीं है। आप सब लोग जानते हैं और मैं भी उद्योग मंत्री होने के नाते प्रदर्शनी को देखने गया था, बाकी सब लोग उस कार्यक्रम में

(डा. चन्द्रभान)

इतने व्यस्त थे कि प्रदर्शनी नहीं देख पाये। बार-बार अनाउंसमैंट भी किये गये। रैनबो मार्बल हैण्डीक्राफ्ट ने वहां कोई माडल रखा भी था तो उसकी कोई मनाही नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई आवंटन की जरूरत थी। लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि वह मार्बल का बना हुआ था या और कोई था? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप क्या कहना चाहते हैं? क्या फर्क पड़ता है, था या नहीं था? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं मंत्रीजी से जवाब ले रहा हूं प्रश्न का और मंत्रीजी मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : जानकारी चाह रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : असलियत तो यह है कि माननीय सदस्य ने...(व्यवधान) इनका मतलब यह है आप लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह राजस्थान की ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। (व्यवधान) भगवान राम के मंदिर का इतना अनादर। इस प्रकार के ओछे हथकण्डे अपनाए जाएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोग भगवान राम के मंदिर से घृणा करने लगेंगे। (व्यवधान) भगवान राम से घृणा करने लगेंगे ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महादेय, मैं बताता हूं। मैं जवाब देता हूं, इनकी जानकारी में नहीं है।

श्री मदन दिलावर : स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, आप बार-बार अव्यवस्था मत फैलाइये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी माफी मांगें।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालो, हाउस से बाहर निकालो। हर बार इसमें दखल देते हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : जैसे यह इस कम्पनी के एजेंट हों। समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं हुई।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं, यह एक ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : मैं तो राम मंदिर बनाने वालों का एजेंट हूं, बोलो, क्या कहना है? राम मंदिर बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हम तो कम्पनी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये। श्री मदन दिलावर, बार-बार सदन की प्रोसीडिंग में अव्यवस्था फैला रहे हैं आप। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, बैठिये आप।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : आप में एक भी राम का आदर्श नहीं है। राम तो आदर्शवादी थे लेकिन आप में वह भी नहीं है। + + + राम की बात करते हो। (व्यवधान) + + + राम की बात करते हो आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, एक जो आरोप लगाया गया है, एक मिनट, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का भी साथ ही जवाब दे दीजिए। अभी जो....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, क्या किसी अधिकारी ने इसको हटाया है? किसी भी अधिकारी ने माडल को नहीं हटाया है। इनको पता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक निश्चित तिथि को माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रदर्शनी को देखने पधारे, आपके आवागमन से दो घंटे पहले आयोजकों की टोली गयी और उन्होंने जाकर कहा कि यह जो मंदिर का माडल रखा है इसको तत्काल हटाओ क्योंकि मुख्य मंत्रीजी को यह पसन्द नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : मुख्य मंत्रीजी से क्या आप....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : आप क्या चाहते हैं? इसकी चर्चा सदन में हो जाए....(व्यवधान) जिस समय राम मंदिर का....(व्यवधान) पांच वर्ष में कर देते अब राम के नाम का....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने, मुख्य मंत्रीजी, उस प्रदर्शनी को देखा है या नहीं देखा है, इतनी-सी बात बता दो। आपने, मुख्य मंत्रीजी, उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है या नहीं कि या है, यह बता दो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उधर बैठने वाले सब हनुमान हैं, इनके दिलों में राम है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब तो राम की नहीं रावण की पूजा करो आप लोग, रावण की। राम तो छोड़ गया आपको, रावण की पूजा करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय सदस्य सदन को भ्रमित कर रहे है, इनके पास आदेश की प्रति कहां है जिसके लिए ये कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने दिया? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जिस प्रश्न को आपने डिसअलाउ कर दिया उसको अब आप यहां पर चर्चा के लिए अलाउ क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी-सीधी सी चीज है, विजिटर के लिए एक चीज रखी थी, हर माननीय सदस्य जो वहां विजिटर के रूप में गये, उनसे वहां बैठे हुए सज्जन थे उन्होंने रिक्वैस्ट की कि आप अपनी टिप्पणी इस प्रदर्शनी के बारे में उस पर अंकित करिये। क्या माननीय सदस्य वहां गये थे और उन्होंने अपनी टिप्पणी उसमें अंकित की थी मैं यह पूछना चाहता हूं?

श्री मदन दिलावर : माफी मांगो आप। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य प्रदर्शनी में गये ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किस बात की माफी मंगा रहे हो आप? दिलावरजी, आप बैठ जाइये। (व्यवधान) आप राम को उठाकर ले गये और मंदिर की बात...(व्यवधान)... रावण के पुजारियों, आप राम का नाम लेते हो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : दोनों दौसा में घूम रहे थे अपन, मिले या नहीं मिले वहां? क्यों थे आप वहां? देखने कोई गये नहीं और कह रहे हो। कोई ऐसा नहीं...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : इस मुद्दे पर मुख्य मंत्रीजी को मांफी मांगनी चाहिए इस देश से इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रनत लाल ताम्बी : दोनों दौसा में घूम रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बलात्कार के केस में ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माफी मांगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। यह सरकार की जानकारी में नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राम को मानने वालों, राम तो रूठ गये, अब आप रावण की पूजा करो।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी इसकी जानकारी सदन को दें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं विराजमान हैं, वस्तुस्थिति की जानकारी से सदन को अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री आर. पी. शर्मा : जवाब हो गया पूरा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर सवाल है।

डा. के. सी. चौधरी : आप तो एग्जिबिशन देखने गये ही नहीं थे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जब इनके पास यह प्रमाण-पत्र ही नहीं है कि ऐसा कोई आदेश दिया गया था, आप बात करें ही क्यों? (व्यवधान) क्या आदेश दिया गया था? माडल हटाने का कोई आदेश दिया, उसकी कोई प्रति है इनके पास? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है और ये लोग फालतू की बातों में टाइम बरबाद कर रहे हैं। सारे राजस्थान में अकाल पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावरजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : जनता पानी के लिए तरस रही है, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है।

श्री मदन दिलवार : माननीय मुख्य मंत्रीजी माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : जानवरों को चारा नहीं है और ये राम मंदिर की बात करके समय बरबाद कर रहे हैं। राजस्थान की सारी जनता अकाल से पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलवारजी, बैठिये। आसन पैरों पर। नहीं, आप बैठिये। श्री रामस्वरूपजी बैठिये।

श्री रामस्वरूप : अकाल से निपटने की, बिजली के संकट से निपटने की कोई चिन्ता नहीं है। फालतू बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह मुख्य मंत्रीजी से संबंधित मामला है मुख्य मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण दें। हिन्दुस्तान की करोड़ों-करोड़ों जनता इस विधान सभा के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण चाहती है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर : मैं बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह... (व्यवधान)...

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जिस माडल की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं उसको लगाने या हटाने के संबंध में आज तक विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कोई कम्पलेंट नहीं है, कोई शिकायत आज तक दर्ज नहीं की गयी है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह खबर छपी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारा राजस्थान अकाल से जूझ रहा है। दिल्ली सरकार ने डीजल के भाव बढ़ा दिये और इनको राम मंदिर याद आ रहा है। पैट्रोल के भाव बढ़ा दिये गये। डीजल के भाव बढ़ाकर किसानों के साथ अन्याय किया है और ये राम मंदिर की बात करके समय बरबाद करते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 26 सितम्बर, को राजस्थान पत्रिका के अन्दर बाक्स न्यूज छपी है कि राम मंदिर माडल हटाया गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बारिश होती खूब जमकर। दो साल हो गये लगातार, राम को याद नहीं करने से यही हाल हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : 26 सितम्बर, को राजस्थान पत्रिका की बाक्स न्यूज है।

डा. चन्द्रभान : आप अखबार के आधार पर सब बातें कर रहे हैं। आप पत्रिका में छपे मामले को इश्यू बना रहे हो। एक अखबार में छपा नहीं, यह जरूरी नहीं है कि अखबार को रखकर आप ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डीजल के भाव आपने बढ़ा दिये, केरोसीन के भाव बढ़ाये। राम मंदिर की बात करके समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप केवल इतनी-सी जानकारी दे दें सदन को कि...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राम मंदिर की बात...(व्यवधान) कांग्रेस का राज आया और अकाल लाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। सुनिये आप मेरी बात को। ऐसे लग रहा है कि सुन ही नहीं रहे हो आप । (व्यवधान) आप सब बैठिये। ज्ञानदेव आहूजाजी, नीचे बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर : स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : किसानों की हालत खराब है और आप...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डीजल के भाव बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी। डीजल के भाव बढ़ा दिये, केरोसीन के भाव बढ़ा दिये, आप दिल्ली से कुछ सहायता राजस्थान को देते नहीं और आप बात करते हो राम मंदिर की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब भी कांग्रेस का राज आया अकाल लाया। अकाल कांग्रेस के राज में...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपके यूं कहने से जनता में तो कोई...(व्यवधान) राम मंदिर की बात कर रहे हो आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। श्री मदन दिलावरजी, आसन पैरों पर।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बसपा का राज आया और...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, दायमाजी, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह बात...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। सरकार न निश्चित उत्तर दिया है भाग दो में कि सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं है। जब सरकार को कोई जानकारी नहीं है तो मुख्य मंत्रीजी को भी कोई जानकारी नहीं है इसलिए माफी मांगने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री रामस्वरूप : रामजी इनसे रूठ गये। राम देखकर अपने आप ही चले गये। रामजी आपसे रूठ गये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। आप बैठिये। क्या है यह? (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो कहते हैं कि हमारे एजेण्डे में नहीं है तो फिर सदन का समय बरबाद क्यों कर रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी खेद प्रकट करें।

श्री जगत सिंह दायमा : महिलाओं पर आपका...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह माडल हटाया है तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। नहीं।

श्री रामस्वरूप : उसकी बात करो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। रामस्वरूपजी, नीचे बैठिये आप।

डा. चन्द्रभान : यह तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं इसलिए इस मुद्दे को दुबारा जिन्दा करना चाहते हैं। वहां इनकी बुरी तरह से हार होने वाली है। उत्तर प्रदेश में।

श्री जगत सिंह दायमा : जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसमें क्यों रखा था?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद माहिर आजाद, बैठिये न आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको कोई जानकारी नहीं है। रैनबो मार्बल वालों ने अपनी एजेंसी लगायी थी यह उसमें गये थे? उसने क्यों तो रखा था और क्यों हटाया? इसके लिए रैनबो वाले ही जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : महिलाओं के साथ तो आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : महिला समाज के लिए तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये। क्या कुछ कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे जुड़ा हुआ मामला है, इस पर मुख्य मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) इस तरह का व्यवहार कर रहे थे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस में तो राम के स्वरूप बैठे हुए हैं, राम के स्वरूप। (व्यवधान) कांग्रेस में तो राम का स्वरूप बैठा हुआ है।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको बाहर करने का प्रस्ताव रखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उत्तर प्रदेश में राम भक्तों की जमानत...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, मदन दिलावर जी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह पूरे राजस्थान का मामला है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी को माफी मांगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कोई माफी मांगने का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मुख्य मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और वह माडल हटा....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : प्रश्न संख्या-3 ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सरकार की जानकारी में नहीं है। (व्यवधान) नहीं, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप : किस बात की माफी मागें? डीजल के भाव बढ़ा दिये। आपने डीजल के भाव बढ़ा दिये और माफी नहीं मांग रहे हो आप लोग। दिल्ली सरकार को माफी मांगनी चाहिये, डीजल के भाव बढ़ाये हैं उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-3, श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय इतना-सा कह दें कि जिस समय मुख्य मंत्री प्रदर्शनी देखने के लिए गये थे क्या मुख्य मंत्रीजी ने वह मॉडल वहां देखा था? (व्यवधान) क्या मुख्य मंत्रीजी ने प्रदर्शनी में उस माडल को देखा था? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बस इतनी-सी बात मुख्य मंत्रीजी बता दें कि जब वह प्रदर्शनी देखने गये थे तो वह माडल उन्होंने वहां देखा था या नहीं देखा? इससे पता लग जाएगा कि पहले जाने वालों ने माडल देखा और मुख्य मंत्रीजी उसे देखने गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुख्य मंत्रीजी गये थे तो उन्होंने वह माडल वहां देखा था या नहीं देखा, बस मुख्य मंत्रीजी को केवल इतना ही जवाब देना है। (व्यवधान) उन्होंने न देखा, न कोई बात हुई। अकेले मुख्य मंत्रीजी को क्यों घेरे में डाल रहे हो? केवल इतना ही स्पष्ट करने की जरूरत है कि मुख्य मंत्रीजी ने प्रदर्शनी में वह माडल देखा कि नहीं देखा। बस इतनी-सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप सीनियर आदमी हैं। You are a senior member of the House. कटारिया जी, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली जैसा महत्वपूर्ण मामला और ये लोग व्यवधान डालें। बिजली की समस्या सारे राजस्थान में किसानों की चल रही है लेकिन ये बिजली की समस्या को नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री इसके लिए माफी मांगें। अध्यक्ष महोदय, मुख्य

(श्री मदन दिलावर)

मंत्री स्पष्टीकरण दें और माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह ध्यान बंटाना चाहते हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी तैयार हैं, सुनने ही नहीं देते हो बिजली की समस्या को। (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, बैठिये आप। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

एक माननीय सदस्य : + + + माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये लोग किसानों की समस्या को सुनना ही नहीं चाहते, ये किसान विरोधी लोग हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री हीरालाल विश्नोई : बेकार में होहल्ला पैदा करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप : किसानों की बिजली की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सुनना नहीं चाहते ये लोग, कर दो बाहर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माफी मांगनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री महोदय माफी मांगें। स्पष्टीकरण दें।

एक माननीय सदस्य : क्यों मांगें?

श्री मदन दिलावर : ...और मुझे बाहर निकालने की..(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आप जैसे + + + के कहने का कोई महत्व है क्या? ऐसे + + + के कहने का कोई महत्व नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अरबों रुपये का हिसाब नहीं दिया, माफी आप मांगों जनता से। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माफी आप मांगिये।

श्री रामस्वरूप : डीजल के भाव बढ़ा दिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माफी आपको मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदन दिलावर, आसन पैरों पर। (व्यवधान) श्री रतनाराम जी, आप बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य को + + + कहा है। + + + कहा है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनेक माननीय सदस्य : माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य को + + + कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह बिलकुल गलत बात है।

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री मदन दिलावर : जनता की (व्यवधान) यह मेरा अपमान है। क्या आप बताएंगे + + + ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे तो किसी भी माननीय सदस्य को कुछ भी कह देंगे, यह कोई बात है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। डा. किरोड़ी लाल जी, आप बैठिये। राजेन्द्र सिंहजी, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : मुझे + + + कहा है।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी, आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : इस सदन में दस बार + + + क्या मतलब हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री मदन दिलावर : मुझे + + + क्यों कहा? मुझे + + + कह गये वे लोग, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने खण्ड-दो में जवाब दिया है, पहले भी राजस्थान में दो साल से लगातार अकाल पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठहरिये। बीच में सुनाई नहीं दे रहा था। आप इसको वापस पढ़ दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, पतिपक्ष) : सदन में इस प्रकार के आरोप लगाये जाएं और आपकी उपस्थिति में लगाये जाएं, क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा। जानकारी में ही नहीं है सरकार की। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सरकार की बात नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष : क्या बात कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूर्ति का प्रकरण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो और क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूर्ति वाला प्रकरण नहीं है। माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है। + + + इसका है सवाल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असंसदीय है, मैं इसको डिलीट करता हूं। इसको विलोपित कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सपंज कर दिया?

श्री अध्यक्ष : हां, कर दिया। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

शिफ्टिंग योजना के तहत कृषकों से दोहरी वसूली

3. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने किसानों ने सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त नर्सरी, तुरन्त प्राथमिकता एवं शिफ्टिंग योजना के तहत कृषि कनेक्शन लिये हैं? संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कनेक्शन लेते समय सम्पूर्ण राशि विद्युत सामग्री हेतु किसानों द्वारा विद्युत मण्डल को जमा करवायी जा चुकी है? यदि हां, तो जब किसान इस प्रकार के कृषि कनेक्शन को बिना कोई अतिरिक्त मटीरियल लगाये शिफ्टिंग करवाता है तो विद्युत विभाग विद्युत सामग्री हेतु दुबारा रकम क्यों वसूल रहा है?

(3) क्या सरकार इस दोहरी नीति को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) राज्य में माह सितम्बर, 2000 तक नर्सरी योजना में 64407 एवं स्पेशल स्कीम (तुरन्त प्राथिमकता) के अन्तर्गत 4940 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। शिफ्टिंग योजना के नाम से कनेक्शन देने की कोई योजना प्रभावी नहीं है।

(2) जी, हां। यदि कृषक कनेक्शन लेने से पूर्व शिफ्टिंग करवाना चाहता है तो नई जगह पर लगने वाले अधिक पोलों का ही चार्ज वसूल किया जाता है, अन्यथा नहीं। चालू कनेक्शनों को शिफ्ट करने के लिए जहां कोई अतिरिक्त विद्युत सामग्री की आवश्यकता नहीं हो तो मात्र एक मुश्त 1000/- रुपये प्रति हार्स पावर (कम से कम पांच हजार रु.) लिये जाते हैं जिसमें पुरानी लाइन हटाकर नई जगह लगाने तथा ट्रांसफोर्मेशन चार्जेज शामिल हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

(3) उपरोक्त मामले में कोई दोहरी नीति नहीं है, अतः विचार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय मंत्रीजी, आपको तो कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर विचार मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, बिजली तो राजस्थान में किसानों को मिल नहीं रही, आठ घण्टे की घोषणा के बावजूद चार-साढ़े चार घण्टे पूरे राजस्थान में मिल रही है। यह किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। दो साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। खण्ड-दो में मैंने राजस्थान में जो शिफ्टिंग योजना के तहत डबल वसूली करते हैं उसके संबंध में आपको सवाल पूछा। प्रति हार्स पावर आपने उसमें चार्ज बताया। पहले तो आप यह समझा दीजिये इसका आधार क्या है? दूसरा आप यह बता दीजिए कि लाइन हटाने के लिए लेबर चार्ज चाहे पांच हार्स पावर हो या बीस हार्स पावर हो, बराबर लगता है फिर आप किस बात का पैसा वसूल करते हैं? आपने यह लिखा है कि प्रति हार्स पावर हजार रुपये और कम से कम पांच हजार रुपये लेते हैं।

अगर पांच हार्स पावर की आप लाइन हटाओगे तो उसमें ज्यादा खर्चा लगेगा और 50 हार्स पावर की लाइन हटाओगे तो उसमें कुछ कम खर्चा लगेगा। इसका मतलब समझा दीजिये आप मेरे को। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, सदन को यह समझा दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 50 हार्स पावर की मोटर तो पचास हजार रुपये लगेंगे?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हां, प्रति हार्स पावर आप कहते है वसूल कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : इससे तो किसान मर जाएगा, बरबाद हो जाएगा। मेरे लगी हुई है 40 की मोटर।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने प्रश्न के जवाब में भी कहा है शिफ्टिंग योजना नाम से कोई योजना तो होती नहीं है लेकिन चूंकि कई बार किसानों के कुओं में पानी नहीं रहता, कुएं सूख जाते हैं तो किसानों की यह मांग रही है कि उन्हें उसी श्रेणी में शिफ्ट कर दिया जाए। अमूमन इस तरह के जो मसले आते हैं वे सामान्य कृषि कनेक्शन की श्रेणी के होते हैं, स्पेशल और नर्सरी में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो उसमें यह व्यवस्था की गयी कि यदि कोई भी किसान अपने खुद के खेत में जिसका खसरा वही हो, कनेक्शन शिफ्ट करना चाहता है तो 10 मीटर की दूरी पर यदि कोई कुआं है तब तो कोई चार्ज नहीं होगा और 10 मीटर से ज्यादा है और यदि उसी खसरे में है तो उसका चार्ज एक हजार रुपया हार्स पावर नहीं होगा बल्कि 200 रुपया हार्स पावर होगा।

(डा. चन्द्रभान)

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था यह है, जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा, कई किसान अपने किसी एक खेत के लिए प्रार्थना-पत्र देते हैं कि यहां कनेक्शन दें और वहां कोई कुआं खुदवा लेते हैं। बाईद वे उसमें पानी नहीं आता है तो वो कनेक्शन शिफ्ट करना चाहते हैं। मतलब कनेक्शन होने से पहले शिफ्ट चाहते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन यदि पहले से ही कनेक्शन है तो उसको शिफ्ट करना है तो उसमें यह है, मान लीजिये 15 साल से कोई सिस्टम हमारा खड़ा है और कोई आदमी दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर दूर अपना कनेक्शन शिफ्ट करना चाहता है...(व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी : खसरा इतना लम्बा होगा ?

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये न, आपको पता नहीं है, आपके समय में यह व्यवस्था नहीं थी।

श्री देवीसिंह भाटी : खसरा इतना लम्बा होगा क्या ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, खसरा नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को यहां तक भी इजाजत दी है, चूंकि कई किसानों का यह कहना होता है, और यह है भी कि स्वयं के गांव के नजदीक के गांव में भी उनकी भूमि होती है, वहां भी वे अपना कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी लाइन को डिस-मैण्टल करना पड़ता है, 15 साल पुरानी लाइन होती है, ट्रांसफार्मर वगैरह बदलने पड़ते हैं। पूरी लाइन को उखाड़ना पड़ता है, दूसरी जगह नयी लाइन लगानी पड़ती है। वहां के ग्रिड सब-स्टेशन में कैपेसिटी है या नहीं, वोल्टेज को ठीक करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। इसलिए तय किया गया एक हजार रुपया प्रति हार्स पावर 5 हार्स पावर की मोटर है तो पांच हजार रुपया, दस हार्स पावर की मोटर है तो दस हजार रुपया। अब यह कह रहे हैं लेकिन मैंने तो 50 हार्स पावर की मोटर कोई देखी ही नहीं है दो साल में। अध्यक्ष महोदय, 30 या 35 हार्स पावर तक की जरूर हैं नागौर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। अमूमन जो एवरेज है वह साढ़े सात से दस हार्स पावर की मोटर का है राजस्थान में। किसानों को यह शिफ्टिंग की व्यवस्था एग्रीकल्चर में है, सामान्य श्रेणी में जो किसान कराना चाहे वह करा सकता है लेकिन आप कहें कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं देंगे तो फिर लाइनें हटवाने, ट्रांसफार्मर लगाना और सिस्टम को दूर ले जाना, इस सबके लिए भी तो, अध्यक्ष महोदय, कास्ट आती है। उसका खर्चा तो उस किसान को जो सामान्य श्रेणी में ही अपना कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहता है, उसको देना चाहिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं था, सवाल यह था कि आप लाइन को उखाड़ने और लगाने के जो चार्जेज ले रहे हो उसका हार्स पावर से कोई सम्बन्ध नहीं है। पांच हार्स पावर है तो

(श्री हरजीराम बुरडक)

वही आपकी मेहनत होगी। आप कह रहे हैं कि मैंने तो 50 की नहीं देखी, 30 तक देखी है, आप 30 हार्स पावर की ले लो। लेकिन कितने ही हार्स पावर की मोटर हो उसमें लेबर चार्जेज में क्या फर्क पड़ेगा, इसका आप उत्तर नहीं दे रहे हो। इसमें अगर आप कोई आधार रखना चाहते हैं तो खम्बों का रख सकते हो, वह बात तो समझ में आती है। पांच खम्भों का इतना है, एक खम्बे का इतना है, यह तो बात ठीक है लेकिन हार्स पावर का सम्बन्ध क्या है, इसका आपने उत्तर नहीं दिया। आपने लम्बी-चौड़ी बातें कह दीं, सीधा-सा सवाल है कि प्रति हार्स पावर का आधार क्या है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह हार्स पावर का हिसाब इसलिए रखा कि कई इलाके ऐसे होते हैं, मान लीजिये कि झुंझुनूं में एक किसान है, उसकी लाइन तीन पोल की भी हो सकती है...(व्यवधान)...एक मिनट। एक किसान की 12 पोल की भी होती है, 10 पोल की भी हो सकती है, हार्स पावर वहां एक ही रहेगा। जोधपुर में, नागौर में एक किसान की चार पोल की भी लाइन हो सकती है और एक किसान की आठ पोल की भी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, हार्स पावर से क्या सम्बन्ध है, यह समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, शिफ्टिंग की जो रेट हैं यह किसानों को मारने के लिए रखी है। (व्यवधान) इससे सम्बन्ध क्या है, यह बताइये आप।

श्री दिग्विजय सिंह : हार्स पावर से इसका सम्बन्ध ही नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, आपको तो अधिकारियों ने जानकारी दी है, अधिकारियों ने बना दिया वही बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : डा. साहब, आप विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वतापूर्वक उत्तर दीजिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी किसान के बेटे हैं, कनेक्शन और शिफ्टिंग के अन्दर हार्स पावर का कहां पर सवाल आता है, आपको यह समझना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हार्स पावर से क्या सम्बन्ध है? (व्यवधान) हार्स पावर से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : हाउस में कहिये कि हम इसमें यह तरमीम कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? (व्यवधान) आप निर्णय दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : हार्स पावर से क्या सम्बन्ध है? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या आसन इस बात को सही मानता है कि इसका हार्स पावर से सम्बन्ध है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हार्स पावर खतम कर दो आप तो।

एक माननीय सदस्य : घरेलू कनेक्शन के लिए 30-35 हजार, घरेलू कनेक्शन के लिए 60-70 हजार रुपये ...(व्यवधान)... सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, या तो मंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे हैं (व्यवधान) जो भी कनेक्शन शिफ्ट होता है उसके अन्दर जितनी मैटीरियल कास्ट लगती है उसका चार्ज लेते हैं (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसानों पर बिना मतलब का खर्चा लगाया जा रहा है। (व्यवधान) कोई लेना-देना नहीं है। खम्भों का चार्ज कर लीजिये। लेबर चार्ज वो का वो लगता है चाहे पांच का हो या दस का हो।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) श्री अमरारामजी, नीचे बैठिये, श्री शिवनाथ सिंहजी काफी देर से खड़े हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि शिफ्ट कराना चाहता है तो उसमें इतना अधिक सामान लगेगा, उसकी क़ीमत किसान को देनी पड़ेगी, यह बात समझ में आने वाली है। इसके अतिरिक्त एक हजार रुपया प्रति हार्स पावर और लिया जाएगा, यह बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है। जितना एडीशनल खर्चा लगेगा वह किसान बर्दाश्त करेगा लेकिन यह हार्स पावर के पीछे एक हजार रुपया जो है यह तो सरासर अन्याय है। मंत्री महोदय, इस बात को आप देखिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल, एक मिनट।

डा. चन्द्रभान : एक सैकण्ड, मैं इनको क्लीयर कर दूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। एक साथ ही जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पूछा है उनका उत्तर आने दीजिये। आप बैठें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप तो जानना चाहते हैं लेकिन पहले आप उनका उत्तर आने दीजिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया है और मैं आपके माध्यम से सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस किसान का कनेक्शन शिफ्ट किया जाएगा उससे एक हजार रुपया हार्स पावर का हम लेते हैं, लेकिन उसमें मैटीरियल वगैरह सब इन्क्लूड है, मैटीरियल का अलग से नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : नो, अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, जितना मैटीरियल लगता है उसका पैसा लेने का रूल है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मंत्री महोदय, हार्स पावर बढ़ने से मैटीरियल कैसे बढ़ जाएगा? (व्यवधान) नहीं, कैसे हो जाएगा? तार मोटा हो जाएगा, खम्भे मोटे हो जाएंगे या खम्भे ज्यादा हो जाएंगे? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा तो उसकी कास्ट भी लेंगे जबकि असलियत यह है कि मैटीरियल प्लस जितना ट्रांसफार्मर लगेगा..(व्यवधान)...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : लूटा जा रहा है उनको। मंत्री महोदय, पर हार्स पावर, इस योजना को समाप्त कर दो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैटीरियल नाम की कोई चीज नहीं देते। सर्विस लाइन का पैसा चार्ज करते हैं, कैपेसीटर का पैसा चार्ज करते हैं और वह आज दिन तक कहीं नहीं लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : मंत्री महोदय, आप अधिकारियों के बनाये हुए जवाब को बता रहे हैं, मैटीरियल तो लगता ही नहीं है उसमें ..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मैटीरियल का पैसा बता रहे हैं, मैटीरियल लगाते ही नहीं हैं, मैटीरियल किसान लगाता है। कैपेसीटर का पैसा चार्ज करते हैं, कैपेसीटर नहीं लगाते। सर्विस लाइन का पैसा चार्ज करते हैं, सर्विस लाइन नहीं लगाते। (व्यवधान) किसी कनेक्शन पर सर्विस लाइन और कैपेसीटर नहीं लगाये। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि बार-बार अपना कनेक्शन सरेण्डर कर देता है उसको एक पोल के और तार के पैसे रिटर्न करते हैं क्या? (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : पोल लगाते हैं, पानी का खर्चा होता है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देता हूं, माननीय सदस्यों के दिमाग में यदि कोई शंका है तो दूर कर लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

डा. चन्द्रभान : पांच पोल की लाइन से ज्यादा का अगर कनेक्शन है तो वह...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। हेमारामजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हार्स पावर का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है। कृपया बैठिए, भाटीजी, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं और आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, ये किसानों को जबरदस्ती लूट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ये उपभोक्ताओं को नाजायज परेशान कर रहे हैं। (व्यवधान) जिसका कनेक्शन है, मैटीरियल का पैसा दे रहा है तो..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर : बिजली दे नहीं रहे, बिजली का पैसा ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सदन की गरिमा बनाये रखें। प्रश्काल समाप्त। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ...जादू का रोल कर रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अकाल की स्थिति में किसानों को लूटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बैठिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसानों की लूट बन्द करो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह तो बता दें कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल, बैठिए।

श्री सांवर लाल : किसानों के साथ लूट क्यों की जा रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री सांवर लाल : सैकण्ड हैण्ड लगेगा, सैकण्ड हैण्ड को शिफ्ट कर लो आप। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कमाल कर दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बिना जवाब आये ही सवाल को खतम कर दिया, हमारी तरफ भी तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह राजस्थान के किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, समय को आप बढ़ा सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में है सवाल का जवाब आने तक। यह बहुत अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप सदन की गरिमा बनाये रखिए। आप जानते हैं, प्रो. सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : लोग परेशान हो रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। अकाल से पीड़ित चारे से पीड़ित, पानी से पीड़ित और इस बिजली के कनेक्शन की शिफ्टिंग से पीड़ित हैं। एक हजार रुपये हार्स पावर के चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हार्स पावर हटाकर यह व्यवस्था आप कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कल बिजली पर दिनभर चर्चा होने वाली है उस वक्त आप बात कर लें। (व्यवधान) अभी प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। (व्यवधान) श्री रिछपाल मिर्धा, प्रो. सांवर लाल, बैठिए आप।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हालात खराब हैं, बहुत पीड़ा है। राजस्थान की जनता बहुत दुःखी है। अगर आप यहां पर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहां सुनाएंगें?

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक दिन का समय मुकर्रर कर दिया है, आज उनका स्टेटमैंट भी होने वाला है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, पर्टीकुलर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, स्टेटमैंट में क्या जवाब देंगे?

श्री अध्यक्ष : पर्टीकुलर सवाल का जवाब नहीं, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन के कर्मी की बकाया राशि

1. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1996 को किसी कर्मी को दिनांक 6 जनवरी, 1994 से नियमित किया गया था? यदि हां, तो किस को? उक्त संबंध में जारी आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी को दिनांक 6 जनवरी, 1994 से 10 जुलाई, 1996 की अवधि की बकाया राशि का भुगतान भी किया गया था? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का एवं कब-कब? उक्त अवधि की बकाया राशि के संबंध में बनाये गये बिल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रोसेस हाउस द्वारा उक्त कर्मी के सामान्य प्रावधायी निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा मद में कितनी-कितनी राशि कब-कब जमा कराई गई एवं उसका भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान को सरकार द्वारा बंद किया जा चुका है? यदि हां, तो कब से एवं उक्त कर्मी को कब हटाया गया और हटाते समय कितनी-कितनी राशि का किस-किस मद में कब-कब भुगतान किया गया? कर्मचारी की प्राप्ति के हस्ताक्षर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी को उसकी पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं उक्त के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उसे शेष राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री शिवचरण शर्मा, सहायक जा समेकित वेतन पर दिनांक 12–1–90 से निगम सेवा में कार्यरत थे को दिनांक 6–1–92 से नियमित वेतन श्रृंखला दी गई थी। आदेश क्रमांक 553 दिनांक 26–4–95 की छाया प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 6–1–92 से 31–3–96 तक की बकाया राशि का भुगतान श्री शिवचरण शर्मा को उपरोक्त आदेश के तहत 48,459.88 रुपये का भुगतान चैक संख्या 883983 दिनांक 10–5–96 से कर दिया गया था जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

(3) उक्त कर्मी के सामान्य प्रावधायी निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा में नियमानुसार राशि बराबर जमा करवाई जाती

(उद्योग मंत्री)

रही है लेकिन परिशिष्ट-2 के द्वारा दिये गये बकाया भुगतान में से प्रावधायी निधि की राशि लिपिकीय त्रुटि के कारण नहीं काटी जा सकी। जिसका भुगतान कर्मचारी को किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) प्रोसेस हाउस में उत्पादन कार्य जून, 1998 से बन्द है। उक्त कर्मी ने दिनांक 5–11–99 को स्वैच्छिक सेवा निवृति हेतु प्रार्थना की थी जिसे निगम ने आदेश क्रमांक 16999 दिनांक 17–11–99 से स्वीकार कर 30–11–99 को स्वैच्छिक सेवा निवृति दे दी गई थी एवं चैक संख्या 64641 दिनांक 9–12–99 के द्वारा 1,32,213.88 रुपये का भुगतान कर दिया गया। आदेश की प्रति व भुगतान की सूचना परिशिष्ट–3 एवं 4 पर संलग्न है।

(5) उक्त कर्मी को प्रावधायी निधि के तहत काटी गई राशि रुपये 4796.00 का भुगतान करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन का बंद प्रकरण

2. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन के प्रोसेस हाउस को कब एवं किस कारण से बंद किया गया? उक्त संस्थान में बंद करते समय कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर कार्यरत थे? कार्यरत कर्मियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान को बंद करते समय किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना भुगतान किस-किस मद में किया गया? उक्त कर्मियों के नाम एवं भुगतान की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसी कर्मचारी का भुगतान अभी भी बकाया है? यदि हां, तो किस की कितनी-कितनी राशि? उक्त भुगतान बकाया रहने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं सरकार द्वारा उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

(4) क्या सरकार उक्त कर्मी की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम के प्रोसेस हाउस में उत्पादन कार्य जून, 1998 से बन्द कर दिया गया था। बन्द करने का निर्णय संचालक मण्डल की 70वीं बोर्ड मिटिंग में लिया गया था। बन्द करने का कारण इसकी स्थापना वर्ष से ही निरन्तर घाटे में होना था। बन्द करने के समय कार्यरत कर्मचारियों की सूची पद सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(2) प्रोसेस हाउस को बन्द करने के पश्चात् 25 कर्मियों को निगम की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत वी.आर.एस. मंद में संलग्न विवरण परिशिष्ट-2 अनुसार भुगतान किया गया है।

(3) बन्द प्रोसेस हाउस के कर्मियों में से श्री शिवचरण शर्मा का प्रावधायी निधि का भुगतान बकाया है व अन्य कर्मियों का महंगाई भत्तों के एरियर भुगतान करना राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण शेष है। बकाया भुगतान के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) बिन्दु 3 पर वर्णित भुगतान राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवैध टोल टैक्स

3. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा कोई टोल टैक्स लगाया गया है? यदि हां, तो किस रोड पर तथा कुल ठेका कितने समय व कितनी राशि का है।

(2) उक्त टोल टैक्स को लगाने की कौनसी जगह निश्चित की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त टोल टैक्स स्टेट हाई–वे नम्बर 25 पर अंशियाना काम्पलेक्स के सामने लगाया हुआ है? यदि हां, तो क्या स्टेट हाई–वे नम्बर 25 पर यह टोल टैक्स रीको द्वारा लगाया जा सकता है? यदि नहीं, तो उक्त टोल टैक्स इस रोड पर कब से कार्य कर रहा है एवं अब तक कितनी राशि इस टोल टैक्स द्वारा वसूल की गई? जनता द्वारा इस अवैध की गई वसूली का सरकार क्या करेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई जायेगी? उक्त टोल टैक्स के ठेकेदार कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। रीको द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हेतु धारूहेड़ा-भिवाड़ी सड़क जो कि निगम द्वारा भारत सरकार की सी.आई.बी. (क्रिटिकल इन्वेटमेन्ट बैलन्सिग स्कीम) योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की अनुमति से बनाई गयी है, के लिए अलवर बाई–पास (आशियाना बगीचे के सामने) एवं हरियाणा सीमा के समीप महावीर एल्यूमिनियम के पास दो स्थानों पर धारूहेड़ा-भिवाड़ी सड़क पर टोल टैक्स बूथ स्थापित किये गये हैं। यह ठेका 211.00 लाख रुपये का है, जो एक वर्ष के लिए दिया गया है।

(2) उक्त टोल टैक्स को लगाने के लिए अलवर बाई–पास (आशियाना बगीचे के सामने) एवं हरियाणा सीमा के समीप महावीर एल्यूमिनियम के पास धारूहेड़ा-

(उद्योग मंत्री)

भिवाड़ी सड़क पर जगह निश्चित की गई है।

(3) जी, हां। पूर्व में धारूहेड़ा-भिवाड़ी सड़क मार्ग पर रीको द्वारा एक टोल टैक्स बूथ अलवर बाई-पास पर आशियाना बगीचे के सामने लगाया गया था, जिसे अतिरिक्त सिविल जज तिजारा के आदेशों की अनुपालना में दिनांक 30–9–2000 से बन्द कर दिया गया है। उक्त टोल टैक्स नाका एवं महावीर एल्यूमिनियम के पास स्थित टोल टैक्स नाका, राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक एफ 14(5)पीडब्ल्यू/87/पार्ट-1/6 दिनांक 1–1–98 के अन्तर्गत लगाये गये हैं। उक्त टोल टैक्स नाका दिनांक 15–6–2000 से कार्य कर रहा है। उक्त दोनों नाकों से ठेकेदार द्वारा दिनांक 30–9–2000 तक रुपये 51.10 लाख की राशि वसूल की गई है। उक्त राशि का उपयोग रीको द्वारा धारूहेड़ा-भिवाड़ी सड़क के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड से लिये गये ऋण की अदायगी एवं उक्त सड़क के रख-रखाव हेतु किया जायेगा। उक्त नाके कानूनन सही हैं। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। उक्त टोल टैक्स का ठेकेदार मैसर्स त्रिलोक चन्द अग्रवाल है।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वी. डा. स्थापना

4. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वी. डा. की स्थापना कब, किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? वी. डा. की संरचना, संगठन एवं कार्यक्षेत्र क्या होगा?

(2) क्या वी. डा. की कार्यकारिणी में क्षेत्रीय विधायक को शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा? क्या सरकार विधायक का सहयोग लेना नहीं चाहती? क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक वी. डा. के संगठन को जिन समस्याओं से अवगत करा सकता है, वी. डा. को उसका फायदा उठाना चाहिये?

(3) वी. डा. के संगठन में कौन-कौन व्यक्ति है? सूची सदन की मेज पर रखें। वी. डा. का संगठन कब बनाया गया? क्या तत्कालीन सरकार द्वारा पार्टी के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की जगह नई नियुक्तियां करने का विचार सरकार रखती है?

उत्तर

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वी. डा. का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(49) उ./1/93 दि. 11–3–97 के अंतर्गत किया गया है। वी. डा. की स्थापना का उद्देश्य भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें औद्योगिक विकास के अलावा सामाजिक आधारभूत सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। वी. डा. की संरचना में वी. डा. का अध्यक्ष सचिव उद्योग विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी होता है। इस समय रीको के प्रबन्ध निदेशक को वी. डा. का अध्यक्ष

(उद्योग मंत्री)

बनाया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष सहित अन्य 13 सदस्य हो सकते हैं। वी. डा. का कार्यक्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण है।

(2) जी, नहीं। राज. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक्ट, 1995 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय विधायक को वी. डा. के संगठन में शामिल करने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार सदैव ही स्थानीय विधायकों का सहायोग प्राप्त कर स्थानीय समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करती है।

(3) वी. डा. के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। 5 गैर सरकारी सदस्य, 1 सरकारी सदस्य को वी. डा. के संगठन में नियुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। वी. डा. का संगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.3.1997 के अनुसार किया गया है। चूंकि पार्टी के आधार पर वी. डा. में किसी को नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिये उनके स्थान पर नई नियुक्तियां किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राज्य के रुग्ण उद्योग

5. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 2000 तक कितने वृहत्, मध्यम एवं लघु उद्योग पंजीकृत हुए? जिलानुसार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1997 से 2000 के मध्य कितने वृहत्, मध्यम एवं लघु उद्योग बीमार या बन्द हुए हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बन्द उद्योगों में कितने मजदूर/कर्मचारी कार्यरत थे?

उत्तर

(1) राज्य में 31 मार्च, 2000 तक 1946 वृहद/मध्यम उद्योगों का औद्यागिक उद्यमियता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा 211721 लघु उद्योगों का पंजीयन किया गया है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1997 से 2000 के मध्य 60 वृहद एवं मध्यम उद्योग बन्द हुए हैं तथा 6754 लघु उद्योग इकाइयां बन्द हुई है एवं 84 लघु उद्योग बीमार हुए हैं।

(3) वृहद एवं मध्यम 60 बन्द उद्योगों में 10648 मजदूर एवं बन्द लघु आद्यौगिक इकाइयों में 34250 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मजदूरों के वेतन के संबंध में आकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

राजगढ़ (चूरू) का खेल स्टेडियम

6. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) में खेल स्टेडियम बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। यदि कोई संस्था अपने संसाधनों से स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाती है तो उन पर राज्य के अनुदान नियमों के अन्तर्गत संस्था को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु विचार किया जा सकता है।

कृषि विभाग में अभियन्ताओं के पदों का सृजन

7. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग, राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में मितव्ययता समिति की सिफारिश के आधार पर ही पदों को समाप्त किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में प्रत्येक इकाई में चार पद कृषि पर्यवेक्षक एवं चार पद कनिष्ठ अभियन्ताओं के सृजित थे तथा एक पद सहायक कृषि अधिकारी का सृजित है जिसकी एवज में ज्यादातर इकाइयों में सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता ही कार्यरत हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक इकाई में से कृषि पर्यवेक्षक के सृजित चार पदों में से तीन को समाप्त कर दिया गया है तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के सृजित पदों की कटौती नहीं की गई है और कुछ पद इंजीनियर स्टाफ के बढ़ाये गये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में कृषि के पदों को ही समाप्त किया गया है ? क्या कनिष्ठ अभियन्ताओं, सहायक कृषि अभियन्ताओं के पदों को समाप्त नहीं कर नये पदों का सृजन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने दिनांक 24–6–2000 को सम्पन्न हुई बैठक में 162 पद समाप्त करने का निर्णय लिया किन्तु इससे पूर्व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16–3–2000 के द्वारा भी विभाग के 667 पद समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

(2) जी, नहीं। पुनर्गठन के पूर्व विभाग में प्रत्येक इकाई में एक सहायक कृषि अभियन्ता, 3 कनिष्ठ अभियन्ता व 4 कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित थे। पुनर्गठन के पश्चात् 14 इकाइयां समाप्त कर शेष इकाइयों में 4 कनिष्ठ अभियन्ता व एक सहायक कृषि अधिकारी का पद रखा गया है।

(कृषि मंत्री)

जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के अधीन वर्तमान में कुल 81 इकाई कार्यालयों में से केवल 21 इकाई कार्यालयों में ही सहायक कृषि अधिकारी के पदों के विरुद्ध कनिष्ठ अभियन्ता पदस्थापित हैं।

(3) यह सही है कि प्रत्येक इकाई में 4 कृषि पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों में से 2 पद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16–3–2000 से तथा एक पद आदेश दिनांक 20–7–2000 से समाप्त किए गये हैं किन्तु यह कहना सही नहीं है कि कनिष्ठ अभियन्ता के पदों में कटौती नहीं की गई है। पुनर्गठन के फलस्वरूप कुल 11 कनिष्ठ अभियन्ता, 2 उप निदेशक, 1 संयुक्त निदेशक, 1 अतिरिक्त निदेशक सहित 667 पद समाप्त किए गये हैं। 9 सहायक अभियन्ताओं के पद पुनर्गठन प्रक्रिया में आवश्यकता के आकलन के उपरान्त ही सृजित किये गये हैं।

(4) यह सही नहीं है कि केवल कृषि के पदों को ही समाप्त किया गया है बल्कि समस्त संवर्गों के पद समाप्त किये गये हैं, जहां तक कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक कृषि अभियन्ता के पदों के सृजन का प्रश्न है, के बारे में निवेदन है कि कार्यों की मात्रा आदि के आधार पर ही रखा गया है।

कीटनाशक दवा विक्रेताओं की जांच

8. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गेहूं, सरसों, जौ, चना, बाजरा, ग्वार एवं तिल किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में गत पांच वर्षों में पैदा हुए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा खाद, बीज एवं कीटनाशक दवा विक्रेताओं के यहां गत दो वर्षों में जांच की गई? यदि हां, तो कितने नमूने लिये गये, कितने सही और कितने गलत पाये गये? गलत पाये प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत 5 वर्षों (1995-96 से 1999-2000) में गेहूं, सरसों, जौ, चना, बाजरा ग्वार एवं तिल के उत्पादन के जिलेवार आंकड़े संलग्न तालिका–1 में दर्शाये गये हैं।

(2) जी, हां। गत दो वर्षों में भरे गये सैम्पल, सही और गलत पाये गये सैम्पल्स तथा गलत पाये गये सैम्पल्स पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से सदन की मेज पर रखा जाता है। (तालिका–2)

(तालिकाओं के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार झोटवाड़ा में व्याप्त अनियमितताएं

9. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल सहरिया)

(1) क्या यह सही है कि श्री हरिशंकर गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार झोटवाड़ा, जयपुर में लम्बे समय से उक्त पद पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वरिष्ठ लिपिक ने वित्तीय अनियमितताएं बरतते हुए अनावश्यक रूप से यात्राएं करके अत्यधिक राशि प्रतिवर्ष यात्रा भत्ते के रूप में उठाई है? यदि हां, तो उक्त कर्मी ने पदस्थापन तिथि से अब तक प्रति वर्ष कितनी राशि यात्रा भत्ते के रूप में उठाई? उक्त कार्यालय से यात्रा भत्ता की उठाई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वरिष्ठ लिपिक द्वारा की गई यात्राएं आवश्यक थीं? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो यात्राएं क्यों की गई? क्या उक्त कर्मी की यात्रा से सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा है?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में उक्त कर्मी को निलम्बित करके इसके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता एवं यात्राओं की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त वरिष्ठ लिपिक का उक्त स्थान से स्थानान्तरण अन्यत्र कर उसे निलम्बित करके प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्री हरिशंकर गुप्ता, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), झोटवाड़ा में दिनांक 20-02-1993 से कार्यरत है।

(2) उक्त वरिष्ठ लिपिक ने तत्कालीन कार्यालय अध्यक्षों के निर्देशों के अनुसार ही यात्राएं कर यात्रा भत्ता उठाया है। वर्षवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) तत्कालीन कार्यालय अध्यक्षों द्वारा यात्रा हेतु भेजे जाने पर यात्राएं की गई।

(4) नहीं, क्योंकि उक्त कर्मी द्वारा यात्रायें तत्कालीन कार्यालय अध्यक्षों के निर्देशों द्वारा की गई हैं।

(5) स्थानान्तरण व निलम्बन हेतु वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार मालपुरा (टोंक) के कर्मी द्वारा आत्महत्या

10. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार मालपुरा जिला टोंक में वर्ष सितम्बर, 1997 से कार्यालय के कैशियर ने कैश में गड़बड़ी को लेकर आत्महत्या की है? यदि हां, तो किस कारण से? क्या उक्त कर्मचारी ने आत्महत्या के समय एक पत्र भी लिखा है? यदि हां, तो उक्त पत्र एवं इस संबंध

(श्री हीरालाल सहरिया)

में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में कृषि विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी सरकार के पास मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध और सरकार ने अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में पूर्व सहायक निदेशक श्री सतीश कुमार मिनोचा के विरुद्ध भी मामला सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो श्री मिनोचा के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार श्री मिनोचा को निलम्बित करके इस पूरे प्रकरण की पुनः जांच सी. आई. डी. (सीबी) या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब उक्त अधिकारी को निलम्बित करके पुनः जांच करवायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), मालपुरा जिला टोंक में वर्ष सितम्बर, 1997 में कार्यालय कैशियर ने कैश में गड़बड़ी को लेकर आत्महत्या की थी, ऐसा उसके द्वारा लिखित पत्र से प्रतीत होता है। उक्त कर्मचारी द्वारा लिखित पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) इस प्रकरण में श्री डूंगाराम जाट तत्कालीन सहायक निदेशक के विरुद्ध 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। श्री सतीश कुमार मिनोचा पूर्व सहायक निदेशक एवं श्री जगमोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध भी सीसीए 16 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री भंवर रामेश्वर सिंह, श्री के. के. शर्मा एवं श्री विशाल सिंह भदोरिया के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री भंवर रामेश्वर सिंह, श्री के. के. शर्मा, श्री विशाल सिंह भदोरिया, श्री सतीश कुमार मिनोचा, श्री जगमोहन शर्मा एवं स्व. श्री रामलाल शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिक जांच दर्ज कराई गई है एवं जिनमें से चार श्री भंवर रामेश्वर सिंह, श्री के. के. शर्मा, श्री विशाल सिंह भदोरिया व श्री सतीश कुमार मिनोचा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है (परिशिष्ट-3) तथा मामला अन्वेषणाधीन है।

(3) श्री सतीश कुमार मिनोचा के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी है।

(5) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में मामला अन्वेषणाधीन है और 16 सीसीए में भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में फसल बीमा योजना

11. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार किसानों के हितार्थ वर्ष 2000 से फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) देश के किस-किस प्रदेश में फसल बीमा योजना कब से लागू है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने इस योजना में कुछ फेरबदल के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं उस पर जवाब आने पर आगे कार्यवाही सम्भव होगी।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से देश के 8 राज्यों व 1 केन्द्र शासित प्रदेश (आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पांडिचेरी) द्वारा लागू की गई, इनके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, बिहार, यू.पी. कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वारा खरीफ-2000 मौसम से लागू की गई है।

राज्य में कम्पाउण्डर्स की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

12. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कम्पाउण्डर्स, नर्सेज तथा ए. एन. एम. के कुल कितने पद सृजित हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कम्पाउण्डर्स, नर्सेज एवं ए. एन. एम. के जिलेवार कितने ट्रेनिंग सेन्टर हैं एवं उनकी कितनी क्षमता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने वर्तमान में नर्सेज हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किए हैं? यदि हां, तो उनके साक्षात्कार कब तक लेने का विचार है?

उत्तर

(1) राज्य में कम्पाउण्डर्स नर्सेज एवं ए. एन. एम. के निम्नप्रकार से पद सृजित/रिक्त हैं :

	स्वीकृत पद	रिक्त पद
कम्पाउण्डर्स नर्सेज	9891	744
ए. एन. एम.	12291	286

(2) राज्य में नर्सेज के 15 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कितनी-कितनी सीटें निर्धारित हैं एनेक्सर "ए" पर प्रस्तुत है एवं ए. एन. एम. के राज्य में 27 प्रशिक्षण केन्द्र है जिनका विवरण एनेक्सर "बी" पर प्रस्तुत है।

(3) जी, हां। नर्सेज हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे जिनका साक्षात्कार दिनांक 2–11–2000 को लिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसाइटी का गठन

13. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन किया है? यदि हां, तो इसके उद्देश्य व कार्य क्या हैं?

(2) उक्त समिति का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष व सदस्य कौन-कौन हैं? क्या समिति के सभी सदस्यों को इसकी विधिवत सूचना दे दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति की बैठकें कब और कहां होती हैं? अब तक इसकी कितनी और कब बैठकें हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के द्वारा 30 शैय्याओं एवं इससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी गठित करने के आदेश प्रसारित किये हुए हैं। इसके उद्देश्य एवं कार्यों की प्रति संलग्न है।

(2) मेडिकेयर रिलीफ सोयायटी का गठन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की धारा 20 के तहत गठित करने के प्रसारित आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	आदेश क्रमांक	दिनांक
1.	संभागीय एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कालेजों से संबंधित अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में।	प.18 (20) चि. स्वा./ ग्रुप-2/295	26.9.95
2.	100 शैय्याओं एवं इससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में।	एफ. 18 (20)चि. स्वा./ ग्रुप-1/95	17.9.96
3.	50 शैय्याओं एवं इससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में।	— यथा —	23.1.98
4.	30 शैय्याओं एवं इससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में	पं. 18 (20)चि. स्वा. / 2/95	17.8.2

उक्त सोसायटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को गठित करने के समय-समय पर प्रसारित किये गये आदेशों की प्रति संलग्न है। समिति के सभी सदस्यों को विधिवत सूचना दे दी जाती है। विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(3) सूचना परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उप-स्वास्थ्य केन्द्र, दोसरा (जयपुर) के कर्मियों को नवीन वेतनमान

14. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप-स्वास्थ्य केन्द्र, दोसरा (फागी) जिला जयपुर में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को अभी तक नवीन वेतनमान वर्ष 1998 का लाभ एवं 9, 18, 27 का चयनित वेतनमान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण के संबंध में कोई पत्र विभाग को एक मा. पीठासीन अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 9–8–2000 को जारी किया गया जो विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? उक्त प्रकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या सरकार अब उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत ए.एन.एम. को नवीन वेतनमान वर्ष 1998 एवं 9, 18, 27 वर्ष के चयनित वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। उप–स्वा. केन्द्र, दोसरा (फागी) श्रीमती सुमन शर्मा, ए.एन.एम. कार्यरत हैं। जिनका नवीन वेतनमान 1998 का लाभ एवं 9, 18, 27 का चयनित वेतनमान हेतु सेवाभिलेख मंगवाया जाकर नवीन वेतनमान 1998 का लाभ एवं 9 वर्ष की सेवाकाल पूरा होने पर चयनित वेतनमान की स्वीकृति दिनांक 28–10–2000 को जारी की जा चुकी है।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(3) प्रश्न के भाग 1 में उत्तर दिया जा चुका है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

भीम व देवगढ़ (राजसमन्द) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

15. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ के किस-किस उप-केन्द्र/ एडपोस्ट / डिस्पेन्सरी / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ रेफरल चिकित्सालय में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ?

(2) अब सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ के उप–केन्द्र/ एडपोस्ट/ डिस्पेंसरी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल चिकित्सालयों में रिक्त पदों की मय रिक्त दिनांक के सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को केडर स्ट्रेन्थ की समीक्षा मंत्रिमण्डलीय समिति के द्वारा किये जाने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरा जाना संभव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो गई है जिनको पदस्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण भरा जाना संभव नहीं हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद (कोटा) में रिक्त पद

16. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांगोद जिला कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त महिला चिकित्सक एवं कनिष्ठ सर्जन के पद पर कार्यरत डाक्टर कई दिन से अनुपस्थित हैं? क्या उक्त केन्द्र पर कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जोयगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। डा. रामावतार, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, दिनांक 9–8–2000 से अनुपस्थित चल रहे हैं। महिला चिकित्सक डा. (श्रीमती) सुनीता मरथलिया दिनांक 3–9–2000 से अनुपस्थित चल रही थी परन्तु उन्होंने दिनांक 19–10–2000 को कार्यग्रहण कर लिया।

डा. रामावतार, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) एवं डा. (श्रीमती) सुनीता मरथलिया, चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं एक पद चिकित्सा अधिकारी का रिक्त है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद पदोन्नति से भरा जाना है। जिसके लिये विभाग की केडर स्ट्रेन्थ की समीक्षा मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित कर भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिनके पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला नागौर के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में निःशुल्क उपचार

17. श्री हरीश कुमावत (नावां) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरीश कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. कार्डधारी मरीजों को सरकार द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाता है? वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में अब तक पंचायत समिति कुचामन सिटी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक केन्द्रों की डिस्पेन्सरियों में कितने मरीजों को कितनी-कितनी राशि की दवा मुफ्त दी गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बी.पी.एल. कार्डधारियों व अशक्त रोगियों का असाध्य रोग चाहे कितना ही बड़ा हो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क इलाज किया जाता है? उक्त दो वर्षों में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन व जिला नागौर की किसी अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसे किस-किस रोगी का निःशुल्क इलाज किया गया था? ऐसे रोगियों पर सरकार का कितना व्यय हुआ है? रोगी का नाम, पता, राशि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति कुचामन सिटी के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं डिस्पेन्सरियों में वर्ष 1999-2000 में 172 मरीजों व वर्ष 2000-2001 में दिनांक 30-9-2000 तक 2326 रोगियों को आवश्यकतानुसार मुफ्त दवाइयां प्राथमिकता से उपलब्ध कराई गई।

पंचायत समिति कुचामन सिटी स्थित संस्थानों में उपलब्ध दवाइयां बी.पी.एल. कार्डधारियों को उपचार हेतु उपलब्ध करवाई गई परन्तु उनका व्यय विवरण संधारित नहीं किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचामन सिटी हेतु मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन हुए एक वर्ष हुआ है के द्वारा अभी तक दवाओं आदि पर खर्च नहीं किया गया है नागौर जिले में वर्ष 1999-2000 में बी.पी.एल. कार्डधारियों को एम.आर.सी. द्वारा 101633 रुपये की दवा दी गई।

(2) जी, हां। राज्य सरकार का ऐसा प्रावधान है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिले से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के प्रस्ताव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालयों के द्वारा जांच के बाद आवश्यक राशि स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को भिजवा दी जाती है। उसकी सूचना रोगी के इलाज होने वाले चिकित्सालय को ही दी जाती है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से राशि स्वीकृत हेतु नागौर जिले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि की सूचना संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

तहसील सपोटरा के चिकित्सालयों में पदों का सृजन

18. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा के चिकित्सालय से दो पद चिकित्सकों के समाप्त किये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्रीमती कमला बृजलाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील के चिकित्सकों में सामान्य चिकित्सक व टी.बी. रोग चिकित्सक की सख्त आवश्यकता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त तहसील के चिकित्सालय से समाप्त किये पदों को वापस सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा से एक चिकित्सा अधिकारी का पद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के कार्यालय में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन, सर्जरी एवं दो चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

(3) जी, नहीं। पद का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

प्रश्न संख्या-19

(स्थगित)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मारवाड़ जंक्शन में रोगी वाहन सुविधा

20. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में वर्तमान में कितने रोगी वाहन (एम्बूलेन्स) उपलब्ध हैं? क्या उक्त वाहन समुचित हैं? यदि नहीं, तो सरकार इस समबन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) वर्तमान में उक्त केन्द्र में रोगी वाहन कब से खराब पड़े है तथा उनको ठीक कराने के क्या प्रयास किये गये। और इसके लिए कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त वाहन कब तक ठीक करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) मारवाड़ जंक्शन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक रोगी वाहन (एम्बूलेन्स) उपलब्ध है।

(2) उक्त केन्द्र का रोगी वाहन लगभग चार वर्ष से खराब है जिसे ठीक कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(3) उक्त वाहन को ठीक कराने के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर बजट का आवंटन कर दिया गया है। वाहन शीघ्र ठीक करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

गरीब चयनित परिवारों को जयपुर में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

21. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि बी. पी. एल. कार्डधारियों को चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिये गये है? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधाएं कार्डधारियों को चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जा रही है?

(2) उक्त कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है? जयपुर शहर में उक्त सुविधा कितने व्यक्तियों को प्राप्त हो रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। बी. पी. एल. कार्डधारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के राज्य सरकार के निर्देश हैं। अस्पताल में उपलब्ध समस्त प्रकार की जांच व दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(2) बी. पी. एल. कार्ड संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/नगरपालिका/नगर परिषद् की अनुशंषा पर चयनित व्यक्तियों को जिला कलक्टर द्वारा जारी किया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार जयपुर शहर में स्थित चिकित्सालयों में (मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) माह सितम्बर, 2000 तक 1728 व्यक्तियों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई।

जैस्या का गोला (दौसा) के पास पुलिया निर्माण

22. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तहसील बसवा जिला दौसा में गूलर का चौराहा (पिंचूपाड़ा खुर्द) से रानापाड़ा तक डामर सड़क बनाई गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि गूलर के चौराहे से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम जैस्या का गोला (आभानेरी) के पास उक्त सड़क में पुलिया नहीं बनाई जाने के कारण बरसात में पानी भर जाता है?

(3) क्या सरकार ग्राम आभानेरी से आगे जैस्या के गोले के पास जनता की सुविधा हेतु पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। गूलर चौराहा से आभानेरी 4 कि.मी. डामर सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1991-92 में कराया गया था एवं आभानेरी से आगे रानापाड़ा तक 10 कि.मी. डामर सड़क का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1997-98 में कराया गया।

(2) जी, नहीं। पुलिया नहीं बनायी जाने के कारण बरसात में पानी यथेष्ट (एडीम्बेट) नहीं भरता है।

(3) जी, नहीं। सड़क की मौका स्थिति (पानी बहाव कम होने से) के अनुसार पुलिया निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

राज्य में सड़क निर्माण हेतु आवंटित राशि

23. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 के बजट प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों के लिये कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान सड़कों की मरम्मत/रख-रखाव/नई सड़क बनाने आदि के लिये किया गया है ?

(2) उक्त धनराशि का प्रावधान करते समय क्या मानदण्डों को आधार माना गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य में जिलों के साथ भेदभाव बरता गया है जिसके फलस्वरूप सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्यों के लिये प्रति किलोमीटर सड़क पर भिन्न-भिन्न राशि आती है तथा समानता का आधार नहीं रखा गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 के बजट प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में सड़कों के मरम्मत/रख-रखाव व नई सड़कें बनाने के लिये धनराशि के प्रावधान की जिलेवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) सभी जिलों में सड़कों के निर्माण व मरम्मत हेतु निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये राशि आवंटित की गई है :—

1. खण्ड-जिले में डामर की सड़कों की लम्बाई।
2. नये नवीनीकरण के कार्य स्वीकृति हेतु उन किलोमीटरों का अंतिम नवीनीकरण का वर्ष।
3. अधिक यातायात के घनत्व वाली सड़कों पर नवीनीकरण कार्यों की प्राथमिकता।
4. नई सड़कों के निर्माण हेतु सड़क की वर्तमान प्रगति एवं उन पर किया गया व्यय।
5. अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़क।

(3) जी, नहीं। सड़कों के निर्माण/मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु राशि का आवंटन बिन्दु संख्या-2 पर वर्णित मापदण्डों के अनुसार ही किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

गूजरी का बास (अलवर) हेतु सड़क निर्माण

24. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटकासिम में ग्राम गूजरी बास तक की सड़क मंजूर है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त सड़क पर कितनी राशि स्वीकृत है और कार्य कब से बन्द है ? अब सरकार कब से उक्त कार्य चालू करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति कोटकासिम में ग्राम गूजरी बास तक जखोपुर से गूजरी बास (हरियाणा सीमा तक) मेटल सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत है। इसकी स्वीकृति वर्ष 1996-97 में प्राप्त हुई थी।

(2) इस सड़क पर रुपये 10.00 लाख राशि स्वीकृति है। यह कार्य 11/98 से बन्द है। कार्य रिसाइन्ड कर दिया गया है तथा पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) की पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठकें

25. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11 जून, 1996, 9 जनवरी, 1998 एवं 7 मार्च, 2000 को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई थी? यदि हां, तो पदोन्नति के लिये किन-किन रिक्तियों को शामिल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997-98 में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पद की पांच रिक्तियां थी? क्या सभी पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के लिए शामिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? पदोन्नति समिति की प्रश्नावली सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक कितने अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) को अन्य विभागों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये? उक्त अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कितनी अवधि तक रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 11-6-96 के स्थान पर 12-7-96 एवं 9-1-98 एवं 7.3.2000 को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पदों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गई थी। वर्षवार निम्न रिक्तियों को शामिल किया गया था :

वर्ष	रिक्तियों की संख्या			रिक्तियों का विवरण
1. 1996-97 (12.7.96)	3 (तीन)	(क)	1	उच्च पद पर पदोन्नती के कारण।
		(ख)	2	प्रतिनियुक्ति के पद उपलब्ध होने के कारण।
2. 1997-98 (9.1.98)	२ (दो)	(क)	1	उच्च पद पर पदोन्नति के कारण।
		(ख)	1	सेवा निवृत्ति से हुए रिक्त पर।
3. 1999-2000 (7.3.2000)	३ (तीन)	(क)	2	सेवा निवृत्ति से उपलब्ध।
		(ख)	1	प्रतिनियुक्ति से (रेडा-2 पद) (-) 1 कृषि विपणन से प्रत्यावर्तन के कारण = 1 पद।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी, नहीं। पांच रिक्तियां नहीं थी। उपलब्ध सभी को विभागीय पदोन्नति समिति के लिये शामिल किया गया था। पदोन्नति समिति की प्रश्नावली परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक अन्य विभागों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर रहे अधिशासी अभियन्ताओं (विद्युत) का निवारण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

कूडी से ऊमरलाई तथा पारलू सड़क का डामरीकरण

26. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कूडी से ऊमरलाई तक पारलू डामर सड़क का कार्य गत दो वर्षों से अपूर्ण है तथा कंकरीट इधर-उधर बिखर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अपूर्ण कार्यों को तत्काल प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

(2) उक्त सड़क का डामरीकरण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। जोधपुर-बालोतरा (एस.एच. 28) से सम्पर्क सड़क कूड़ी से ऊमरलाई का निर्माण कार्य (8.0 कि. मी.) सड़क की स्वीकृति वर्ष 1996-97 में बी.एम.एस.पी. योजना के अन्तर्गत दी गई थी जिसमें से 6.0 कि. मी. डामर सड़क एवं 2.0 कि. मी. मेटल सड़क का निर्माण किया गया। ऊमरलाई से पारलू ग्रेवल सड़क की कुल लम्बाई 7.0 कि. मी. है। पारलू गांव पूर्व में ही बालोतरा-समदड़ी सड़क से डामर सड़क से जुड़ा है। अतः ऊमरलाई से पारलू को डामर सड़क जोड़ना सड़क नीति के अन्तर्गत नहीं है।

(2) कूड़ी से ऊमरलाई अधूरे 2.0 कि. मी. मेटल सड़क का डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

पोलीटेक्निक विद्यालय बाड़मेर के भवन की मरम्मत

27. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोलीटेक्निक विद्यालय बाड़मेर के भवन में दरारें आने के कारण भवन के गिरने का खतरा बन गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित करने पर भी मामूली मरम्मत की गई है?

(3) क्या यह सही है कि संबंधित अभियन्ताओं ने 23.46 लाख रुपये का तकमीना बनाकर विशेष मरम्मत हेतु उच्च अधिकारियों को लिखा परन्तु उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है? यदि हां, तो सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराने में क्यों विलम्ब कर रही है? अब कब तक उक्त भवन की मरम्मत करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) पोलीटेक्निक महाविद्यालय भवन, बाड़मेर के भवन में कई स्थानों पर नींव में बेन्टोनाईट के कारण दरारें है किन्तु भवन गिरने की कोई सम्भावना नहीं है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1998-99 में रु. 0.61 लाख व वर्ष 1999-2000 में रु. 1.53 लाख व्ययकर साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया है। इस भवन की मरम्मत हेतु वर्ष 2000-2001 में रुपये 2.39 लाख का आवंटन किया गया है। मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(3) जी, हां। भवन की पूर्ण विशेष मरम्मत हेतु 23.46 लाख रुपये का तकमीना तकनीकी निदेशालय, जोधपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। भवन के विशेष मरम्मत का कार्य एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

राजकीय आवास गांधीनगर की चौकी में पदस्थापित कर्मियों का अन्यत्र समायोजन

28. श्री रामप्रताप : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के नगर खण्ड द्वितीय गांधी नगर जयपुर के अधीन कितनी चौकियां हैं? उक्त चौकियों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? विवरण मय पद नाम, पदस्थापन अवधि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य तथा किसी भी खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है? क्या राजकीय आवास के मरम्मत कार्यों को भी अनुबंध पर दे रखा है? यदि हां, तो उक्त पदस्थापित स्टाफ को रखे जाने का क्या औचित्य है? वर्तमान में उक्त कर्मियों से क्या कार्य लिया जा रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त पदस्थापित अधिकांश स्टाफ का अन्यत्र पदस्थापित कर उपयोग करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त खण्ड में पदस्थापित सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, ओवरसियर्स की जिम्मेदारी आयत कर प्रत्येक राजकीय आवास का निरीक्षण कर सरकारी भवनों के संधारण संबंधी रिपोर्ट तैयार करवाने एवं प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और वर्तमान में इसकी क्या व्यवस्था है?

(5) उक्त खण्ड में गत एक वर्ष में राजकीय आवासों के संबंध में कब-कब शिकायतें दर्ज हुई एवं उनकी क्रियान्विति कब-कब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के नगर उपखंड-II/गांधीनगर जयपुर के अधीन पांच चौकियां हैं। उक्त चौकियों पर जिन–जिन श्रेणियों के जितने–जितने अधिकारी/ कर्मचारी जब से कार्यरत हैं उनका विवरण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मय पद नाम पदस्थापन अवधि सहित परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार ने निर्माण कार्य मरम्मत कार्य तथा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित खरीद पर वर्तमान में प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। राजकीय आवासों के मरम्मत कार्यों को अधिकांश रूप से अनुबन्ध पर दे रखा है तथा आंशिक रूप से मरम्मत के कार्य विभागीय श्रमिकों द्वारा भी करवाये जाते हैं। पदस्थापित कर्मियों द्वारा आवासों में साधारण मरम्मत से सम्बन्धित शिकायतों को दर्ज करने एवं उनके निराकरण का कार्य करवाया जाता है एवं कार्यों की देख-रेख तथा आवासों के कब्जे देने व लेने आदि का कार्य करवाया जाता है।

(3) जी, नहीं। चूंकि वर्तमान में उक्त पदस्थापित स्टाफ अधिशेष नहीं हैं। अतः अन्यत्र पदस्थापित करने का वर्तमान में सरकार का कोई विचार नहीं है।

(4) आवासों में संधारण से सम्बन्धित मरम्मत के कार्य उक्त उप-खण्ड में पदस्थापित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करने के उपरान्त उपलब्ध बजट के अनुसार निर्धारित सीमा में प्राथमिकता के आधार पर करवाये जाते हैं। आवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर भी वांछित कार्य बजट सीमा के प्रावधान के अनुसार करवाये जाते हैं।

(5) कनिष्ठ अभियन्ता की प्रत्येक चौकी पर शिकायत दर्ज करवाने हेतु रजिस्टर रखा जाता है तथा दूरभाष पर भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। प्राप्त शिकायतों का इन्द्राज रजिस्टर में किया जाता है जिसका पिछले एक वर्ष की अवधि का विवरण परिशिष्ट "ब" की केवल दो प्रतियां विधान सभा पटल हेतु संलग्न है। दर्ज शिकायतों की क्रियान्विति का इन्द्राज संबंधित शिकायत रजिस्टर में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य

29. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत मुख्यालयों के अलावा एक हजार और पांच सौ की आबादी वाले ग्रामों में सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। राज्य सरकार की सड़क नीति के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों के अलावा वर्ष 1991 जनगणना के आधार पर एक हजार की आबादी वाले गांवों व 750 की आबादी वाले जनजाति व मरूस्थलीय क्षेत्र के गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है व प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1000 से 501 गांवों को योजना के अनुमोदित उपरान्त 7 वर्ष में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

जिला बारां, टोंक व नागौर की सड़कें

30. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां, टोंक व नागौर में दिसम्बर, 1999 से सितम्बर, 2000 तक कितनी-कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी लागत की नई बनाने हेतु स्वीकृत की हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कों की मरम्मत व आंशिक मरम्मत हेतु स्वीकृति जारी की गई तथा उक्त स्वीकृति कितनी-कितनी लागत की थी?

(3) उक्त जिलों में सड़कों के निर्माण व मरम्मत हेतु कितना-कितना धन आवंटन हुआ तथा कितना-कितना व्यय हो चुका है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सभी जिलों में समान रूप से सड़कों के निर्माण व मरम्मत हेतु समान रूप से राशि उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो अभी तक वास्तविक खर्च कितना हो चुका?

(5) क्या यह भी सही है कि सड़कों के निर्माण हेतु राशि आवंटन में समानता नहीं रखी है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बारां, टोंक, नागौर में दिसम्बर, 1999 से 20 सितम्बर, 2000 तक नवीन सड़कों के निर्माण हेतु योजना मद में कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

(2) उक्त जिलों में वर्ष 2000-2001 में सड़क मरम्मत एवं रख-रखाव मद (गैर योजना मद) में निम्न विवरण अनुसार सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां जारी की गई हैं :

जिले का नाम	नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य		आंशिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि का योग (लाखों में)
	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)		
बारां	26.20	70.20	88.80	159.00
टोंक	14.00	71.53	59.47	131.00
नागौर	154.50	245.25	158.45	403.70

(3) उक्त वर्षों में वर्ष 2000-2001 में सड़कों के निर्माण व मरम्मत हेतु बजट आवंटन एवं उन पर सितम्बर, 2000 तक व्यय विवरण निम्न प्रकार है :

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिले का नाम	बजट आवंटन 2000-2001		व्यय	
	योजना मद (लाखों में)	गैर योजना मद (लाखों में)	योजना मद (लाखों में)	गैर योजना मद (लाखों में)
(ए) बारां	200.83	159.00	21.69	5.11
(बी) टोंक	76.17	131.00	65.61	24.59
(सी) नागौर	115.32	403.70	124.81	64.29

(4) सभी जिलों में सड़कों के निर्माण व मरम्मत हेतु निम्नलिखित मापदंडों के ध्यान में रखते हुये राशि आवंटित की गई है :

(ए) खण्ड/जिले में डामर की सड़कों की लम्बाई।

(बी) नये नवीनीकरण के कार्य स्वीकृति हेतु उन किलोमीटरों के अंतिम नवीनीकरण का वर्ष।

(सी) अधिक यातायात के घनत्व वाली सड़कों पर नवीनीकरण कार्यों की प्राथमिकता।

(डी) नई सड़कों के निर्माण हेतु सड़क की वर्तमान प्रगति एवं उन पर किया गया व्यय।

(इ) वर्ष 2000-2001 में सितम्बर, 2000 तक योजना मद एवं गैर योजना मद में व्यय निम्नप्रकार है :

जिला	योजना मद व्यय (लाखों में)	गैर योजना मद व्यय (लाखों में)
1. बारां	21.69	5.11
2. टोंक	65.61	24.59
3. नागौर	124.81	64.29

(5) जी, नहीं। सड़कों के निर्माण/मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु राशि का आवंटन बिन्दु संख्या-4 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार ही किया गया है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

31. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को इस सत्र में भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु हाल ही में विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा उपलब्ध करवाये गये 2038 आशार्थियों का पदस्थापन किया गया है। शेष रहे पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को 531 पदों हेतु अर्थनाएं भिजवाई गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध

(शिक्षा मंत्री)

करवाये जाने पर ही शेष रहे रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

जिला बारां के विद्यालयों में रिक्त पद

32. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता व अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों?

(2) अब सरकार रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला बारां में संवर्गवार अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	संवर्ग का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	01
2.	प्रधानाध्यापक	09
3.	व्याख्याता	68
4.	वरि. अध्यापक	12
5.	शा. शिक्षक II ग्रेड	05
6.	अध्यापक	15
7.	शा. शिक्षक ग्रेड-III	14

उक्त पद सेवानिवृति, पदोन्नति एवं पदोन्नित परित्याग आदि कारणों से रिक्त हैं तथा यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(2) वर्तमान में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। प्रतिबन्ध हटने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा पुस्तकों का मूल्य निर्धारण

33. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाठ्य पुस्तक मण्डल अपने द्वारा तैयार की गई पुस्तकों का मूल्य निर्धारण किस प्रक्रिया के आधार पर निश्चित करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1998 में एच.पी.सी. का कागज 23640 रुपया प्रति टन के हिसाब से क्रय तथा वर्ष 1999-2000 में 22000/- रुपया प्रति टन के हिसाब से किया गया?

(3) क्या वर्ष 1998-99 से प्रिन्टिंग व मुद्रण वर्ष 1999-2000 का प्रिन्टिंग व मुद्रण अधिक था? यदि हां, तो दोनों वर्षों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में पुस्तकों का कागज व प्रिन्टिंग व्यय कम लगा? यदि हां, तो पुस्तकों के मूल्य में कमी क्यों नहीं की गई?

उत्तर

(1) पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित की गई पुस्तकों के मूल्य का निर्धारण पुस्तकों के निर्माण हेतु लगनें वाली वास्तविक लागत के आधार पर किया

(शिक्षा मंत्री)

जाता है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पुस्तकों के मूल्य निर्धारण में निम्न मदों को आधार बनाया जाता है।

1. कागज की लागत।

2. मुद्रण पर व्यय।

3. काजग एवं मुद्रण व्यय के योग का 3 प्रतिशत पुस्तकों के लेखन, पुनरावलोकन, चुंगी, आंतरिक आदान-प्रदान इत्यादि हेतु।

4. कागज की लागत एवं मुद्रण के व्यय के योग का 1 प्रतिशत अप्रचलित पुस्तकों हेतु आरक्षित कोष।

5. क्रम संख्या 1 से 4 तक के योग का 22 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु।

6. पुस्तक विक्रेताओं का डिस्काउंट।

7. क्र.सं. 1 से 6 तक के योग का 3 प्रतिशत लेवी पुस्तकालय विकास हेतु।

(2) वर्ष 1998 में एच.पी.सी. से 23650 रु. प्र. मै. टन की दर से कागज क्रय किया गया, जबकि 1999-2000 में 22000 रु. प्र. मै. टन की दर से क्रय किया गया।

(3) जी, हां। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में मुद्रण एवं कागज पर हुये कुल व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

	1998-99 (रुपयो में)	1999-2000 (रुपयों में)
मुद्रण व्यय (कुल)	20600000	29807131
कागज क्रय पर व्यय (कुल)	109948647	128248713

(4) जी, हां। प्रति पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण की लागत आंशिक रूप से कम हुई किन्तु बाजार भाव में निरन्तरता रखने के लिए पुस्तकों के मूल्य में कमी करना उचित नहीं समझा गया।

तहसील सपोटरा में शिक्षकों के रिक्त पद

34. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो तहसील सपोटरा के किस-किस विद्यालय में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील सपोटरा में संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट "क" "ख"

(2) वर्तमान में नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबंध है। नियुक्तियों पर प्रतिबंध हटने पर रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

प्राविधिक शिक्षा संयुक्त निदेशालय के कर्मी का रूपान्तरित अवकाश प्रकरण

35. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2000 में प्राविधिक शिक्षा संयुक्त निदेशालय बनीपार्क, जयपुर के किसी कर्मी को रूपान्तिरत अवकाश स्वीकृत की है? यदि हां, तो किस-किस को एवं किस आधार पर?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी द्वारा अपना इलाज सवाई मानसिंह चिकित्सालय में करवाया है जिसके संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो उक्त समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मी ने अपना इलाज दिनांक 11 जनवरी, 2000 से 3 मार्च, 2000 तक एसोसियेट प्रोफेसर एवं शल्य चिकित्सा विभाग के यूनिट हैड की यूनिट–2 डी.ई. वार्ड की देख-रेख में करवाया है? क्या इस संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न किये हैं? यदि हां, तो फिर किस आधार पर उक्त कर्मी को मात्र 13 दिन के रूपान्तरित अवकाश का भुगतान किया गया है।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र की जांच के लिये मेडिकल बोर्ड से भी जांच करवाई थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड से जांच के लिए लिखे गये पत्र की प्रति सहित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर पीड़ित महिला कर्मी को उक्त अवकाश अवधि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

संयुक्त निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, जयपुर के संयुक्त निदेशक द्वारा दुर्व्यवहार

36. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संयुक्त निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, जयपुर में वर्तमान में संयुक्त निदेशक के पद पर कौन अधिकारी कब से कार्यरत है एवं पूर्व में उक्त अधिकारी कहां-कहां पर किस-किस पद पर पदस्थापित रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो श्रीमती रत्ना खार्डिया, कनिष्ठ लिपिक, प्राविधिक शिक्षा, बनीपार्क

(श्री सांवर लाल)

के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा उक्त कर्मी को अन्य सहयोगी महिला कर्मियों के साथ न बैठाकर अलग से बैठाया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर?

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारी को उक्त कृत्य के लिए दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संयुक्त निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, जयपुर में वर्तमान में संयुक्त निदेशक के पद पर श्री ओ. पी. मालानी दिनांक 17–5–99 से कार्यरत हैं। पूर्व में पदस्थापन स्थान एवं मय अवधि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में विभागीय जांच दिनांक 12–1–2000 को निदेशालय द्वारा करवाई की गई थी जिसमें जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीमती खार्डिया के साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया हैं।

(3) जी, हां। श्रीमती खार्डिया को आंवटित कार्य से सम्बन्धित अनुभाग में बिठाया गया है ऐसा सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशासनिक सामन्जस्य की दृष्टि से किया गया है।

(4) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

कृषि कनेक्शन देने हेतु राशि का निर्धारण

37. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि कनेक्शन देने की प्रणाली प्रति हार्स पावर है या प्रति एम्पीयर से है? यदि कनेक्शन हार्स पावर से है तो हार्स पावर किस के स्तर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा? मोटर पम्प बनाने वाली कम्पनी अथवा विद्युत मंडल के अभियन्ता द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अभियन्ता द्वारा मापने और मोटर पम्प द्वारा बताये गये माप में अंतर रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को दोहरी नीति झेलने से हो रही परेशानी को रोकने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि कनेक्शन देने की प्रणाली हार्स पावर के अनुसार है? आवेदक द्वारा अपनी आवश्यकता को देखते हुए हार्स पावर के अनुसार आवेदन किया जाता है और उसके अनुसार ही कनेक्शन जारी किया जाता है।

(2) जिस मोटर की पुनः बाइंडिंग नहीं हुई हो या उससे लगे पम्प का इम्पेलर न बदला गया है, तो विद्युत अभियन्ताओं द्वारा मापने पर उसमें सामान्यतया कोई फर्क नहीं आता है, परन्तु पुनः वाइंडिंग होने पर तार के साइज बदलने से या पम्प में बड़ा

(ऊर्जा मंत्री)

इम्पेलर लगाने से कम्पनी द्वारा किया गया डिजाइन बदल जाता है ऐसी दशा में जांच में व मोटर की अंकित रेटिंग में फर्क हो सकता है। ऐसा होने पर जांच के अनुसार लोड मानते हुए राशि वसूल किया जाना उचित है। किसानों को परेशानी से बचाने के लिये मोटर रेटिंग व जांच में अगर 20 प्रतिशत तक का फर्क हो तो, उसको बढ़ा हुआ लोड नहीं माना जाने के आदेश पूर्व से जारी किये हुए हैं।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के अविद्युतीकृत गांव

38. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण से शेष रहे गांवों को इस वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत गांवों का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र दानपुर के शेष रहे गांवों में से फिलहाल सात गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला झुंझुनूं के कस्बा मण्डावा में विद्युत आपूर्ति

39. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में अन्तर है? यदि हां, तो कितना एवं क्यों? क्या विद्युत दर में भी अन्तर है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला झुंझुनूं के कस्बा मण्डावा में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के नियमों के तहत की जा रही है एवं विद्युत दर शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के हिसाब से वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त कस्बे में विद्युत आपूर्ति शहरी क्षेत्र के हिसाब से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए विद्युत आपूर्ति में अन्तर है। शहरी क्षेत्रों को सामान्यः 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों हेतु 6 से 8 घंटे तीन फेज ब्लाक में तो सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की लागू दरों में तथा मिनिमम चार्जेज में

(ऊर्जा मंत्री)

भी अन्तर है, जिसका तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। जिला झुंझुनूं के कस्बा मंडावा में विद्युत आपूर्ति शहरी क्षेत्र के हिसाब से ही की जा रही है और शहरी क्षेत्र के अनुसार ही विद्युत दर वसूली जा रही है।

(3) उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पूर्व में ही शहरी क्षेत्र के हिसाब से ही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

चूरू जिले में कृषि कनेक्शनों पर रोक

40. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) 1 मार्च, 1999 से 31 जुलाई, 2000 तक चूरू जिले में किस-किस श्रेणी के काश्तकारों के कितने-कितने कुओं के कनेक्शन हुये हैं? ग्राम, पंचायत समितिवार काश्तकारों की श्रेणी सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों द्वारा जमा करवाने के बावजूद भी उन्हें 3-3 महीनें तक कुओं के कनेक्शन नहीं दिये गये? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी कृषि कुओं के कनेक्शन रोके हुये हैं? यदि हां, तो किस कारण से और जिन काश्तकारों ने राशि जमा करा दी है उनको कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

(4) क्या यह सही है कि कृषि कुओं पर लगातार छह घंटे भी बिजली नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? काश्तकारों को आठ घंटे बिजली दी गई है तो किस-किस गांव में कब-कब दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में 1 मार्च, 1999 से जुलाई, 2000 तक विभिन्न योजनाओं में कुल 1094 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	कनेक्शनों की संख्या
1.	सामान्य	446
2.	नर्सरी	387
3.	चारा स्कीम/तुरन्त प्राथमिकता	138
4.	अनुसूचित जाति	123
	कुल	**1094**

जारी किये गये उक्त कनेक्शनों की ग्रामवार/पंचायत समितिवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उपलब्ध सामान व वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। मैचिंग सामान की कमी व आवेदकों द्वारा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण कुछ मामलों में विलम्ब होना संभव है। चूंकि कनेक्शन वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। अतः इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

(3) जी नहीं। जिन 11 के.वी. फीडरों का वोल्टेज रेगूलेशन 8 प्रतिशत से अधिक है, उन फीडरों पर आने वाले कृषि कनेक्शन वर्तमान में अस्थाई तौर पर रोके गये हैं। वोल्टेज रेगूलेशन ठीक होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) चूरू जिले के ग्रामों में तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से आये व्यवधानों को छोड़कर सामान्यतया 8 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

तहसील छीपाबड़ोद के विद्युत प्रकरणों का निस्तारण

41. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के उच्चाधिकारियों ने अधिशासी अभियन्ता अटरू को सप्ताह में एक दिन एवं सहायक अभियन्ता छबड़ा को छीपाबड़ोद में 2 दिन कैम्प लगाने के आदेश जारी किये थे? यदि हां, तो क्या आदेश की पालना हुई?

(2) उक्त आदेश की पालना में तहसील छीपाबड़ोद में कब-कब तथा कहां-कहां कैम्प आयोजित किये गये एवं कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के उच्चाधिकारियों ने अधिशासी अभियन्ता अटरू को सप्ताह मे एक दिन एवं सहायक अभियन्ता छबड़ा को छीपाबड़ोद में 2 दिन का कैम्प लगाने के लिये पूर्व में कोई आदेश जारी नहीं किये थे।

(2) तहसील छीपाबड़ोद में कोई कैम्प आयोजित नहीं किये गये।

ओड़ व ओड़ राजपूत जाति के लोगों को आरक्षण

42. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ओड़ जाति व ओड़ राजपूत जाति के लोगों में क्या अन्तर है? क्या यह सही है कि ओड़ जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण प्राप्त है परन्तु ओड़ राजपूत जाति के लोगों को अन्य पिछड़ी जाति में आरक्षण प्रदान नहीं है? यदि हां, तो क्यों? सरकार ओड़ राजपूतों को अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी क्यों नहीं कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) क्या उक्त लोगों की जमीनों, मकानों के पट्टों आदि में भूलवश ओड़, ओड़ राजपूत या राजपूत दर्ज हो गया है? क्या जिस प्रकार अन्य पिछड़ी जाति में रावणा राजपूत जोड़ा गया है उसी प्रकार ओड़ के साथ ओड़ राजपूत जोड़ने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ओड़ जाति को अनुसूचित जाति में आरक्षण प्राप्त है? क्या सरकार ओड़ जाति को अनुसूचित जाति में आरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) ओड़ व ओड़ राजपूत जाति के लोगों को अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में जिला कलक्टरों को सरकार कब तक निदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ओड़ मूल जाति/वर्ग है जिसका मुख्य व्यवसाय गांव में तालाब, नहर खौदना व मजदूरी करना है, यसानी मिट्टी का कार्य करना है। कुछ लोग कृषक हैं तथा कुछ लोग छोटा व्यवसाय भी करते हैं। ओड राजपूत जाति ने अपने प्रतिवेदनों प्रत्यावक्षों में मिट्टी से संबंधित कार्य, डैम व नहर खोदना, कृषि मजदूरी, छोटे निम्न श्रेणी के धन्धे करने वाली जाति बताया है।

जी, हां। यह सही है कि ओड मूल जाति/वर्ग पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने के कारण उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त है, जब कि "ओड राजपूत" सूची में शामिल नहीं होने से उन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं है।

(2) संबंधित जाति के व्यक्तियों द्वारा जो अपनी जाति लिखाई गई है, वही रिकार्ड में दर्ज है। ओड राजपूत जाति के प्रार्थना-पत्रों को आयोगों ने अपने द्वित्तीय प्रतिवेदन में अस्वीकार कर दिया था। अब जब भी "ओड राजपूत" जाति का प्रार्थना पत्र आयोग को प्राप्त होगा उस पर आयोग पुनर्विचार का निर्णय ले सकेगा। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार निर्णय ले सकेगी, जबकि "रावणा राजपूत" एक ही जाति समूह है/वर्ग है।

(3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों आदेश (संशोधन) विधेयक 1996 की सूची में पंजाब, हरियाणा में ओड जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल की गई है तथा मध्य प्रदेश के लिये जारी अनुसूचित जाति की सूची में ओड जाति शामिल नहीं है। राजस्थान राज्य में ओड जाति को अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल करने हेतु जिला कलक्टर्स से टिप्पणी मांगी गई है।

(4) औड जाति/वर्ग पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल है, उनको पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश राज्य सरकार ने जिला कलक्टर्स को दिये हुये हैं। ओड राजपूत जाति/वर्ग के लिये निर्देश निर्णय के उपरान्त ही दिये जा सकेंगे।

राज्य में विकलांगों के कल्याण की योजनाएं

43. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकलांगों के लिए सरकार द्वारा कोई योजना है? यदि हां, तो क्या-क्या योजनाएं हैं, जिनका लाभ विकलांग किस प्रकार से ले सकते हैं? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है? यदि हां, तो उसकी प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं का लाभ विकलांग किस प्रकार से ले सकते हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि विकलांगों की शारीरिक कमी को पूर्ण करने तथा स्वरोजगार हेतु कई योजनाएं संचालित हैं : —

संचालित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग/उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाना।
2. स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निःशक्ति व्यक्तियों के शिक्षण व पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।
3. विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति उपलब्ध करवाना।
4. दृष्टिहीन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना।
5. पोलियो करेक्शन आपरेशन करवाना।
6. विकलांगों हेतु पुनर्वास केन्द्र।
7. विकलांग विवाह, परिचय सम्मेलन हेतु अनुदान।
8. परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा देना/उपलब्ध करवाना।
9. विकलांगों का चिन्हीकरण।
10. विकलांगता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरुस्कार योजना।
11. विकलांगों को स्वरोजगार हेतु गुमटियां/कियोस्क आवंटन।

हां, इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है, योजनावार प्रतियां संलग्न हैं।

(2) उक्त योजनाओं का लाभ तय प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लिया जा सकता है। योजनावार प्रक्रिया प्रश्न सं. 1, पर संलग्नानुसार ही है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आहोर एवं जसवन्तपुरा (जालौर) में छात्रावासों का संचालन

44. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में तहसील मुख्यालय आहोर एवं पंचायत समिति मुख्यालय जसवन्तपुरा में अनुसूचित जन-जाति एवं जाति छात्रावास वर्ष 1998 में स्वीकृत किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है वर्ष 1998 में उक्त छात्रावास शुरू करने हेतु एक-एक लाख रुपये इन छात्रावासों में सामग्री खरीदने हेतु बजट भी स्वीकृत किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि एक-एक लाख रुपये की सामग्री भी खरीद ली गई थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सामग्री 2 लाख रुपये की जिला मुख्यालय जालौर के कार्यालय में पड़ी हुई खराब हो रही है ?

(5) क्या इस सामग्री का सरकार उपयोग कर दोनों छात्रावासों को शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) जी, नहीं। उक्त सामग्री जिला कार्यालय जालौर के स्टोर में सुरक्षित रखी हुई है जिसका उपयोग अन्य छात्रावासों में किये जाने की कार्यवाही की गई है।

(5) इस संबंध में निर्णय प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न संख्या–45

(स्थगित)

पंचायत समिति डेगाना के अध्यापकों को वेतन भुगतान

46. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, डेगाना (नागौर) में कुल कितनी राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं तथा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन-चार महीनों से पंचायत समिति डेगाना के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि पंचायत समिति की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों के कई पद अभी भी रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डेगाना में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी, हां। बजट आवंटन के अभाव में पूर्व में वेतन का भुगतान नहीं हो सका। बजट की स्वीकृति 28-10-2000 को जारी कर दी गई है। जिससे अब वेतन का भुगतान किया जा सकेगा।

(3) जी, हां। वर्तमान में नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

ग्राम फोगला (हनुमानगढ़) में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला हेतु भवन निर्माण

47. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम न्योलखी, तहसील नोहर (हनुमानगढ़) के ग्राम फोगला में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के भवन निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी?

(2) क्या उक्त राशि को भूतपूर्व सरपंच द्वारा स्वीकृत मद में खर्च किया गया? यदि हां, तो क्या मौके पर पाठशाला भवन स्थित है? यदि नहीं, तो उक्त राशि को भूतपूर्व सरपंच द्वारा किस प्रयोजनार्थ काम में लिया गया?

(3) क्या राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को अन्य प्रयोजनार्थ काम में लेने के लिये भूतपूर्व सरपंच अधिकृत था? यदि नहीं, तो क्या सक्षम अधिकारी से उक्त राशि को अन्य मद में खर्च करने की स्वीकृति भूतपूर्व सरपंच ने प्राप्त की है?

(4) क्या राजीव गांधी पाठशाला के लिए स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य प्रयोजनार्थ काम में लेने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है? यदि नहीं, तो नियमों के तहत भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार कर सकती है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत न्योलखी पंचायत समिति नोहर के ग्राम फोगला में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला भवन निर्माण हेतु 2.10 लाख रु. स्वीकृत किये गये।

(2) जी, नहीं। 1 लाख रु. की राशि सी-एडी की खाला निर्माण में एवं 24 हजार रु. की राशि इन्द्रा आवास के भुगतान में भूतपूर्व सरपंच द्वारा व्यय की गई।

(3) जी, नहीं। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना उक्त राशि को अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकता एवं यह स्वीकृति सरपंच ने प्राप्त नहीं की।

(4) जी, नहीं। भूतपूर्व सरपंच की वसूली हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

पंचायत समिति व जिला परिषद् की स्थायी समितियों के चुनाव

48. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौनसी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में स्थाई समितियों के चुनाव हुए हैं और किन-किन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में नहीं हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं में जिन स्थायी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं वह कब तक करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) राज्य में पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 3–5–2000 को संशोधन करके पंचायत समिति एवं जिला परिषद के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में भी स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है तथा इसके अनुरूप राजस्थान पंचायती राज (स्थायी समिति गठन) नियम, 2000 दिनांक 26–9–2000 से प्रभाव में लाये गये हैं तथा इन नियमों के नियम 8 के अनुरूप नियमों के प्रभाव में आने की तिथि 26–9–2000 को अब तक गठित सभी स्थायी समितियां स्वतः भंग हो गई हैं एवं नये नियमों के अनुरूप अभी तक किसी भी पंचायत समिति एवं जिला परिषद में स्थाई समितियों का गठन नहीं किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नई स्थायी समितियों के चुनाव दिनांक 15–11–2000 से पूर्व करवाये जाने के आदेश दिनांक 10–10–2000 को जारी कर दिये गये हैं।

ग्राम पंचायत गिलुण्ड (राजसमन्द) की ग्राम सभाओं में पारित प्रस्ताव

49. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमन्द पंचायत समिति रेलमगरा की ग्राम पंचायत गिलुण्ड द्वारा नवीन ग्राम पंचायत के गठन के बाद से अब तक कितनी ग्राम सभाएं/वार्ड सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं तथा इन सभाओं में क्या-क्या प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं? सभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्मिलित प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु क्या कार्यवाही अब तक की गई है तथा कितनी कार्यवाही शेष रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष रही निर्माण कार्यों सम्बन्धी कार्यवाही की क्रियान्विति कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, गिलुण्ड में नीवन ग्राम पंचायत के गठन के बाद 4 ग्राम सभाऐं व 11 वार्ड सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन सभाओं में सम्मिलित प्रस्तावों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त प्रस्तावों की क्रियान्विति के क्रम में ग्राम पंचायत, गिलुण्ड द्वारा निम्न कार्य पूर्ण करवाये गये :—

1. अपूर्ण सी.सी. रोड खटीक मौहल्ला
2. नाली निर्माण जटिया मौहल्ला
3. तकिया की बावड़ी दीवार मरम्मत
4. प्रा. वि. मरम्मत कार्य
5. सार्व. तालों में क्रोस निर्माण

(पंचायती राज मंत्री)

राजीव गांधी संस्कृत विद्यालय रगसपुरिया राजीव गांधी पाठशाला मालीखेड़ा निर्माणाधीन बकाया कार्य उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के अनुसार कराये जायेंगे।

(3) बकाया कार्य प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध बजट के अनुसार पूर्ण कराये जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत गिलुण्ड (राजसमन्द) में सांसद/विधायक कोटे से स्वीकृत निर्माण कार्य

50. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 के दौरान जिला राजसमन्द, पंचायत समिति रेलमगरा की ग्राम पंचायत गिलुण्ड में सांसद/विधायक कोटे से कितनी राशि किस-किस निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत राशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गई? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उक्त मद की राशि अन्य किन कार्यों पर व्यय की गई?

(3) क्या उक्त राशि अन्य कार्यों पर व्यय करने हेतु सरपंच अधिकृत है? यदि नहीं, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत गिलुण्ड, पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किए गये हैं :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
1.	1999-2000	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सी.सी. रोड गिलुण्ड	1.00	0.99
2.	2000-2001	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सी.सी. रोड गिलुण्ड	0.50	0.50
3.	1999-2000	विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम	बस स्टेण्ड गिलण्ड पर सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य गिलुण्ड	0.50	0.50

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। उक्त स्वीकृत राशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गई है, जिसका विवरण प्रश्न के खण्ड-1 के उत्तर में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(3) जी नहीं। राशि का व्यय स्वीकृत कार्यों पर ही किया गया है।

ग्राम पंचायत गिलुण्ड (राजसमन्द) द्वारा अनधिकृत जारी नोटिस प्रकरण

51. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किसी ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित कराये ही किसी अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया जा सकता है? यदि हां, तो उक्त संबंध में बने नियमों/उप नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द पंचायत समिति रेलमगरा की ग्राम पंचायत गिलुण्ड द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु जुलाई, 2000 में नोटिस जारी किये हैं? यदि हां, तो नोटिसों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्राम पंचायत द्वारा जिन व्यक्तियों के नाम जमीन/मकान है उन्हीं को नोटिस दिये गये हैं अथवा उनके परिजनों को भी दिये हैं यदि हां, तो परिजनों को नोटिस किस नियम के तहत दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त नोटिसों के लिये सरपंच अधिकृत हैं? यदि नहीं, तो सरपंच के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नियम की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। नोटिसों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमणी के नाम नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) जी हां।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समिति खंडार व बामनवास में स्वीकृत स्वर्ण जयंती पाठशालाएं

52. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग के पत्रांक 4013 दिनांक 30–10–99 के द्वारा पंचायत समिति खंडार में 24 तथा पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) में 9 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खंडार की सभी 24 स्कूलों को प्रारम्भ कर दिया गया है जबकि बामनवास की 9 में से एक भी

(डा. किरोड़ी लाल)

पाठशाला प्रारम्भ नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) अब पंचायत समिति बामनवास की उक्त स्वीकृत पाठशालाओं को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति खण्डार में स्वीकृत की गई 24 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में से 19 पाठशालाऐं चालू कर दी गई हैं, जबकि पंचायत समिति बामनवास की ग्राम एवं वार्ड सभा द्वारा शिक्षा सहयोगियों का चयन नहीं किये जाने के कारण स्वीकृत 9 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं नहीं खोली जा सकी है।

(3) पंचायत समिति बामनवास की उक्त 9 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को शिक्षा सहयोगी चयनोपरान्त आरम्भ कर दिया जाएगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

ग्राम पंचायतों में सह सचिव की नियुक्ति के मानदण्ड

53. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर व भरतपुर की ग्राम पंचायतों में सह सचिव रखे गये थे? यदि हां, तो कितने वेतन पर और इनको नियुक्त करने के मानदण्ड एवं योग्यता क्या रखी गई है? सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1994 में सरपंच/पंचायत सचिव ने दैनिक वेतन पर सह सचिव रखे जाने के प्रमाण-पत्र दिये थे? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को किन-किन पंचायतों द्वारा जारी किये गये? और कितने समय के लिए?

(3) क्या जिला करौली की ग्राम पंचायतों में ऐसे व्यक्ति हैं जो पंचायत सचिवों के रिश्तेदार हैं और कई पंचायतों में एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायतों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न पंचायतों में समय-समय पर निजी आय से दैनिक वेतन/फिक्स राशि पर सहायक सचिव रखे गये थे। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों की निजी आय से रखे गये चूंगी अधिशेष कर्मचारी एवं सहायक सचिव जो ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता (सीनियर सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/समकक्ष) रखते थे, को 1200/- प्रतिमाह की मानदेय पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षा काल पर ग्राम सेवक पदेन सचिव

(पंचायती राज मंत्री)

के पद पर नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न पंचायतों में समय-समय पर निजी आय से दैनिक वेतन/फिक्स राशि पर सहायक सचिव रखे गये एवं तदनुसार आदेश भी जारी किये गये। पंचायतों द्वारा रखे गये सहायक सचिवों की सूची एवं विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(3) जी हां। करौली जिले की पंचायत समिति, करौली के तीन सचिवों के रिश्तेदारों को सहायक सचिव लगाया गया है। सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार संलग्न है। पंचायतों द्वारा एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं।

(4) जी नहीं। प्रकरण में जांच कराने जैसी कोई स्थिति नहीं बनती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत सावरदा, (जयपुर) के पूर्व सरपंच द्वारा अनियमितता

54. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996 से 1998 तक ग्राम पंचायत सावरदा, पंचायत समिति दूदू (जयपुर) में सरपंच के पद पर कौन व्यक्ति रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त सरपंच द्वारा घोर अनियमितताएं की गई थी ? क्या उक्त अनियमितताओं की जांच भी सरकार द्वारा करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच कब पूर्ण हुई एवं उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में उक्त पंचायत में विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न योजनाओं में राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई ?

(4) वर्तमान में उक्त सरपंच द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों की स्थिति क्या है ?

(5) उक्त सरपंच द्वारा उक्त अवधि में किस कार्य पर कितनी राशि किस-किस आधार पर व्यय की गई ? विवरण मय कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी गई माप पुस्तिका की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए दोषी सरपंच से राशि वसूल कर कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 ये 98 तक ग्राम पंचायत सावरदा में नाथू लाल रैगर सरपंच रहे थे।

(2) पूर्व सरपंच द्वारा वर्ष 95-96 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 36,000/- रुपये की राशि निकाल कर कोई कार्य नहीं करवाने की अनियमितता की गई है। पूर्व सरपंच से राशि वसूलने की कार्यवाही जारी है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। ग्राम पंचायतों को कार्यों के पेटे विभिन्न योजनाओं के लिऐ स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(4) उक्त पूर्व सरपंच के कार्यकाल में कुल 12 कार्य स्वीकृत हुये थे। 9 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तीन कार्य अपूर्ण हैं।

(5) सरपंच द्वारा कार्यों पर जिला विकास अभिकरण जयपुर की स्वीकृति एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि व्यय करने के निर्देश थे। माप-पुस्तिका की प्रतियां परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) राशि वसूलने हेतु पूर्व सरपंच को दिनांक 16-9-2000 एवं 13-10-2000 को विकास अधिकारी द्वारा राशि वसूलने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम धुन्धला (पाली) में पूर्व सरपंच द्वारा अनियमितताएं

55. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत धुन्धला जिला पाली के पूर्व सरपंच द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने, कच्ची रसीदों पर पंचायत कोष में राशि लेने, पिचके के ऊपर खरंजा के नाम से रुपये उठा कर कार्य नहीं करवाने की शिकायतें सरकार को मिली हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच के विरुद्ध पुलिस में उक्त कार्यों के लिये मुकदमा भी दर्ज हुआ है? यदि हां, तो पुलिस द्वारा किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई हैं?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) धुन्धला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के विरुद्ध फर्जी पट्टे जारी करने, कच्ची रसीदों पर पंचायत कोष में राशि लेने तथा पिचके उपर खरन्जा के नाम पर राशि उठाकर कार्य नहीं कराने की अनियमितताओं की शिकायत कलक्टर पाली को की गई। कलक्टर पाली द्वारा शिकायत की जांच करायी जा रही है।

(2) जी हां। पुलिस थाना सोजत में मुकदमा नं. 69/2000 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा मुकदमा नं. 76/2000 धारा 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

सरपंच ग्राम खवारानी जी (जयपुर) द्वारा जारी अवैध पट्टा

56. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फतेह सिंह)

(1) क्या जिला जयपुर की तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम खवारानी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 73 में ग्राम पंचायत खवारानी जी द्वारा दिये गये पट्टे को अवैध करार देते हुए उप शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ/3एजे-14/ जांच/जय/ 92/ 1936 दिनांक 27-8-92 के अनुसार यह आदेश दिया था कि सरपंच श्री अजीज खां ने गलत रिकार्ड तैयार कर पट्टा जारी किया? यदि हां, तो क्या जो पट्टा जारी किया गया था उसे रद्द कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त संबंध में अ.शा. टीप. क्रमांक-एफ-1(12)एस. ए/एम.आर.डी./99/ 7077 दिनांक 29-4-2000 द्वारा विधि-परामर्शी राजस्थान से भूखण्ड का पट्टा निरस्त करने बाबत परामर्श चाहा था? यदि हां, तो विधि परामर्शी का क्या परामर्श आया?

(3) क्या निदेशक, पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद भी किसी जांच की आवश्कयता जरूरी थी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सरपंच के अतिरिक्त उक्त पट्टा जारी करने के प्रकरण में अन्य कोई कर्मचारी/अधिकारी भी दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरपंच द्वारा गलत रिकार्ड तैयार करने में ग्रुप सचिव, पंच आदि दोषी नहीं पाये गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस द्वारा ग्राम खवारानी की खातेदारी की जमीन खसरा नं. 73 में ग्राम पंचायत खवारानी दिये गये पट्टों की जांच के उपरान्त अवैध पाया था एवं गाम पंचायत के पूर्व सरपंच के विरुद्ध उक्त अनियमितता के लिये न्यायालय में चालान पेश करने के लिये अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी। प्रकरण अभियोजन स्वीकृति दिये जाने योग्य पाये जाने पर निदेशक द्वारा आदेश क्रमांक 1936 दिनांक 27-8-92 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कलक्टर, जयपुर को पट्टा निरस्त करने हेतु निर्देश दे दिये गए हैं।

(2) जी हां। उप विधि परामर्शी के परामर्श अनुसार जिला कलक्टर जयपुर को पट्टा निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(3) पुलिस द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खवारानीजी के विरुद्ध पट्टा जारी किये जाने संबंधी अनियमितता के संबंध में अभियोजन स्वीकृति चाहे जाने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला कलक्टर को पट्टा निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(4) पुलिस अनुसंधान में पूर्व सरपंच के अतिरिक्त अन्य कोई दोषी नहीं पाया गया।

(5) जी नहीं।

तहसील बस्सी में पोषाहार वितरण में अनियमितताएं

57. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी, जिला जयपुर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत 3-3 किलो गेहूं प्रति छात्र प्रति माह वितरित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) जनवरी, 2000 से 15 अक्टूबर, 2000 तक उक्त तहसील के विद्यालयों को कुल कितना गेहूं वितरित किया गया है? उक्त पोषाहार किस एजेन्सी द्वारा प्राप्त कर किसके माध्यम से वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में जुलाई से सितम्बर, 2000 तक गेहूं का वितरण नहीं किया गया है और वितरण करने वाली एजेन्सी के यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग द्वारा छापा मारा गया है? यदि हां, तो कब तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पोषाहार का उक्त गेहूं मंडी में बेचने के लिये ले जाते समय ऐजेन्सी के व्यक्ति को पकड़ा गया? यदि हां, तो किसे? उक्त प्रकरण में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त व्यक्ति कौन-कौन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक 2–10–95 से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

(2) जनवरी, 2000 से 15 अक्टूबर तक बस्सी तहसील के विद्यालयों में 2937.6 क्विंटल गेहूं वितरित किया गया। उक्त गेहूं पंचायत समिति द्वारा अधिकृत एजेंट द्वारा प्राप्त एवं वितरित किया गया।

(3) माह जुलाई, 2000 में गेहूं का वितरण नहीं किया गया। माह अगस्त, 2000 में गेहूं प्राप्त कर सितम्बर, 2000 में वितरित किया गया। दिनांक 14 से 16 सितम्बर, 2000 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पोषाहार वितरण संबंधी अनियमितताओं बाबत जांच की थी। इस प्रकरण पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। इस प्रकरण पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यवाही विचाराधीन है।

पर्यटन स्थलों के विकास पर व्यय की गई राशि

58. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री शिवनाथ सिंह)

(1) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करने की दृष्टि से गत पांच साल में राज्य में किस-किस जिले में कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया तथा खर्च की गई ?

(2) पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजा, महाराजाओं के महल जागीरदारों के गढ़, सेठों की हवेलियों को छोड़कर प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों के विकास हेतु, तीर्थ स्थलों के विकास हेतु व अन्य प्रकार के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों के गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी परियोजनायें हाथ में ली गई और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उत्तर

(1) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करने की दृष्टि से गत पांच साल में राज्य के जिलों में प्रावधित तथा व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों, तीर्थ स्थलों व अन्य प्रकार के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु राज्य के जिलों में गत पांच वर्षों में शुरू की गई परियोजनाओं एवं उन पर किये गये व्यय की सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ऐतिहासिक स्थान "दिवेर" का मेवाड़ काम्पलेक्स में विलीनीकरण

59. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द की तहसील भीम का ग्राम दिवेर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ? क्या उक्त ग्राम में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को दिवेर में पराजित किया था और इसीलिये कर्नल टाड ने दिवेर को मेराथन आफ मेवाड़ कहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महत्वपूर्ण स्थान दिवेर को सरकार बार-बार मांग करने के बावजूद भी "मेवाड़ काम्पलेक्स" में सम्मिलित नहीं कर रही है ? अब सरकार इस दिशा में क्या कोई सकारात्मक ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) दिवेर को मेवाड़ काम्पलेक्स प्रोजेक्ट में शामिल करने हेतु सर्वे किया जा चुका है। मेवाड़ काम्पलेक्स प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट से विचार विमर्श किया जा रहा है। शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी।

पर्यटन पुलिस का गठन

60. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में पर्यटन पुलिस का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पर्यटन पुलिस के लिये कोई कार्यक्षेत्र एवं दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें

(3) क्या पर्यटन पुलिस के लिये जारी निर्देशों के तहत व्यापारियों अथवा उनके कार्यकर्ताओं को विदेशी पर्यटकों से मिलने, विजिटिंग कार्ड देने अथवा प्रतिष्ठान/होटल में पर्यटक स्थल तक ले जाने/वापिस लाने के लिये कोई पाबन्दी लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने अधिकृत व्यापारियों एवं उनके कार्यकर्ताओं की वैध पहचान हेतु परिचय पत्र बनवाये जाने की कोई कार्य योजना/नीति बनाई है? यदि हां, तो इनकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग ने अवैध व्यक्तियों (लपकों) पर अंकुश लगाने की कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार प्रश्न के भाग (3) में उल्लिखित कठिनाइयों के निराकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पर्यटक सहायता बल (ट्यूरिस्ट पुलिस) का गठन राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान करने तथा असामाजिक तत्वों से उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से गठन किया गया है। वर्तमान में यह पर्यटक सहायता बल जयपुर शहर में कार्यरत है।

(2) इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी नहीं। पर्यटकों के बेरोकटोक एवं तनावरहित भ्रमण करने हेतु गैर कानूनी रूप से कार्यरत लपकों, अनाधिकृत गाइड एवं चल विक्रेताओं (हाकर्स) आदि को पर्यटक पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जिससे कि पर्यटन आसानी से एवं सुविधापूर्वक पर्यटन स्थलों पर विचरण कर सके एवं किसी ठगी आदि के शिकार नहीं हो सके।

(4) जी नहीं वर्तमान में इस प्रकार की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(राज्य मंत्री, पयर्टन)

(5) अवैद्य व्यक्तियों (लपकों) पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पर्यटक सहायता बल का गठन किया गया है।

(6) जी नहीं। इस प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं है एवं शिकायत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–22 देखें)

सुपरवाइजरों की वरिष्ठता सूची

61. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या महिला एंव बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों की कोई वरीयता सूची बनी हुई है? यदि हां, तो सुपरवाइजरों की क्या वरीयता सूची है? सुपरवाइजरों के वरीयता क्रम की सूची मय नाम व पदस्थापन दिनांक-वार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विभाग में कार्यरत सुपरवाइजरों के पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों की अन्तःकालीन (टेन्टेटिंव) वरीयता सूची बनी हुई है।

सुपरवाइजरों की अन्तःकालीन वरीयता क्रम की सूची मय नाम व पदस्थापन दिनांक वार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर के बन्द आंगनबाड़ी केन्द्र

62. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने बन्द हैं?

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो पोषाहार वितरण किया जाता है उसे बच्चे नहीं खाते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में महिला अभिकरण अलग से कार्य कर रहा है?

(4) क्या सरकार अभिकरण (महिला) तथा आंगनबाड़ी कार्य के लिए एकीकरण का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में स्वीकृत सभी 327 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। कोई भी केन्द्र बन्द नहीं है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(3) जी हां, परन्तु महिला विकास कार्यक्रम तथा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में सामंजस्य स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दोनों कार्यक्रमों के लिए एक ही अधिकारी एवं एक ही कार्यालय की व्यवस्था की गई हैं।

(4) जी नहीं। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, भारत सरकार की सहायता

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

से एवं महिला विकास कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से संचालित किया जा रहा है।

उप निदशेक जिला चूरू के कार्यालय में लंबित प्राथमिक जांच

63. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक शिकायत जांच रिपोर्ट देने की समय सीमा निर्धारित है, जबकि साधारणतः प्राथमिक जांच कराने के लिए जांच अधिकारी से निश्चित अवधि में जांच रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है? यदि हां, तो क्या चूरू कार्यालय स्तर पर काफी वर्षों से प्राथमिक शिकायत जांच हेतु लंबित हैं?

(2) निदेशालय द्वारा वर्ष 1988-89 से सितम्बर, 2000 तक उप निदेशक (आई.सी.डी.एस.) चूरू को कितनी शिकायतें प्राथमिक जांच कराने हेतु प्रेषित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उप निदेशक चूरू द्वारा निदेशालय से प्राप्त शिकायत जांचों को प्राप्त होने की तारीख से वांछित तिथि के पश्चात् विलम्ब से प्रेषित की गई? विलम्ब से प्रेषित करने की क्या संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) चूरू कार्यालय स्तर पर उक्त तिथि तक कितनी प्राप्त शिकायत जांचों के प्रकरणों मे से कितने प्रकरण लंबित क्यों चल रहे हैं? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विलम्ब के लिए दोषी कर्मी को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय अन्यत्र किया जाना उचित है?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में प्राप्त प्राथमिक शिकायतों की जांच रिपोर्ट देने की समय सीमा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप निर्धारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी प्राथमिक जांच के लिए जांच अधिकारियों से निश्चित अवधि में जांच रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है। समय-समय पर जांच अधिकारियों स्मरण पत्र दिये जाते हैं एवं व्यक्तिशः भी निदेशालय में इस हेतु बैठक आयोजित कर जांच अधिकारियों को अतिशीघ्र जांच रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देशित किया जाता है। चूरू कार्यालय स्तर पर निदेशालय से भेजी गई 37 जांचे रेकार्ड के आधार पर लंबित हैं।

(2) निदेशालय के रेकार्ड के अनुसार वर्ष 88-89 से सितम्बर, 2000 तक उप निदेशक (आईसीडीएस) चूरू को 76 शिकायते प्राथमिक जांच हेतु प्रेषित की गई, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(3) जी, हां। यह सही है कि उप निदेशक, चूरू द्वारा निदेशालय से प्राप्त जांचों की जांच कर जांच रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। लंबित प्रकरणों के कारणों के संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है।

(4) चूरू कार्यालय स्तर पर उक्त तिथि तक निदेशालय जयपुर से कुल 76 शिकायतें भिजवाई गई, जिनमें से 37 प्रकरण लंबित है। साथ ही उन्हें सीधे ही प्राप्त 92 अन्य प्राथमिक शिकायतों में से कुल 37 प्रकरण लंबित है। लंबित प्रकरणों की सूची कारण सहित परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) इन शिकायतों के लम्बित रहने के कारणों की आवश्यक जांच की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सांसदों/विधायकों द्वारा धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति

64. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सांसदों/विधायकों ने धार्मिक स्थानों पर भवन निर्माण के लिए लाखों रुपयों की स्वीकृति दी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भारत सरकार की गाइड लाइन के विपरीत स्वीकृति कहां-कहां दी गई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भारत सरकार की गाइड लाइन के विपरीत कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई है।

डांग विकास योजना हेतु गठित समिति

65. डा. किरोड़ी लाल (बानमवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जिला करौली में डांग विकास क्षेत्रीय योजना के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डांग विकास क्षेत्रीय योजना में उक्त जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है तथा उसे सम्मिलित करने का आधार क्या है? डांग विकास क्षेत्रीय योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वर्ष के बाद से अब तक कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा उनके अपूर्ण रहने का क्या कारण है?

(4) क्या डांग विकास, क्षेत्रीय विकास योजना की कोई समिति बना रखी है? यदि हां, तो इसके गठन की क्या प्रक्रिया है? अब इसके चेयरमैन कौन हैं तथा उनके क्या अधिकार हैं?

उत्तर

(1) जिला करौली में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वर्ष 1997-1998 एवं 1998-1999 में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर उपलब्ध है। वर्ष 1999-2000 में नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(2) डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला करौली की 101 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1.	पंचायत समिति करौली	44
2.	पंचायत समिति सपोटरा	51
3.	पंचायत समिति हिन्डौन	06
	योग	**101**

चम्बल एवं इसकी सहायक नदियों के आस-पास का बीहड क्षेत्र जो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता हैं, में स्थित ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई आदि का अभाव हैं तथा जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुयी हैं को डांग क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हैं।

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिये अलग से कोई प्रारूप नहीं बनाया गया हैं अपितु डांग क्षेत्रिय विकास बोर्ड के गठन आदेश में ही योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई हैं। गठन आदेश की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 के बाद से अब तक 37 कार्य अपूर्ण पड़े हैं उनके अपूर्ण रहने का मुख्य कारण कार्यकारी संस्थाओं द्वारा समय पर कार्य नहीं किया जाना है।

(4) जी हां। समिति का गठन राज्य स्तर पर किया गया है। मुख्य सचिव महोदय इस समिति के चेयरमैन हैं। चेयरमैन के अलग से कोई अधिकार नहीं हैं। अपितु डांग क्षेत्रिय विकास कार्यकारी समिति डांग क्षेत्र के विकास सम्बन्धित जिलों से प्राप्त वार्षिक योजना के प्रस्तावों का अवलोकन कर डांग क्षेत्र विकास मण्डल की सहमति की आशा में अग्रिम अनुमोदन करती हैं तथा डांग क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुयी प्रगति की समीक्षा कर योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

जिला ग्रामीण अभिकरणों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति

66. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिले में स्थापित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सहकारिता सेवा के कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं? क्या उक्त कार्य के लिए सहकारी सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की सेवायें प्रति-नियुक्ति पर ली गई हैं?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी (साख) के पद पर ग्रामीण विकास विभाग ने प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिये हैं किन्तु अभी तक चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये हैं? यदि हां, तो नियुक्ति पत्र कब तक जारी कर दिये जायेंगे और वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के लिए उनके पैतृक विभाग में स्थानान्तरण आदेश कब तक जारी करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिले में सहकारी सेवा के कार्य सम्पादित नहीं किए जाते हैं लेकिन सहकारी सेवा के अधिकारियों की सेवाएं परियोजना निदेशक व परियोजना अधिकारी (साख) के पद पर विशेष चयन के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। परियोजना अधिकारी (साख) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु विभाग द्वारा साक्षात्कार लिये गये हैं। पदस्थापन दिये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को जब इनके स्थान पर चयनित अधिकारियों का पदस्थापन कर दिया जावेगा तब उनके पैतृक विभाग में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या–67

(स्थगित)

प्रश्न संख्या–68

(स्थगित)

प्रश्न संख्या–69

(स्थगित)

राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के प्राध्यापक का स्थानान्तरण प्रकरण

70. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में पदस्थापित कितने प्राध्यापकों के परीक्षा अवधि सत्र 1997-98 के दौरान स्थानान्तरण किये गये? क्या उक्त स्थानान्तरण इस संबंध में निर्धारित नीति के अनुरूप थे? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानान्तरण होने वाले प्राध्यापकों में से किन-किन के द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया तथा क्या इन स्थगन आदेश की क्रियान्विति की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर ने उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्राध्यापक को अपने पत्र संख्या 133 दिनांक 17–7–98 द्वारा स्थगन आदेश नहीं लाने के कारण कार्यभार सम्भालने से मना किया जबकि उन्हीं के पत्र सं. 132 दिनांक 16–7–98 द्वारा उन्होंने यथा समय स्थगन

(ग्रामीण विकास मंत्री)

आदेश प्राप्ति की स्वीकारोक्ति की है? संबंधित पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दोनों पत्र क्या विरोधाभासी नहीं हैं? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित प्राध्यापक को उलझाने का आभास इन तथ्यों से अवगत नहीं होता है?

(5) क्या सरकार उक्त मामले की जांच कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय, ब्यावर में पदस्थापित व्याख्याताओं में से परीक्षा अवधि सत्र 1997-98 में मात्र एक व्याख्याता का स्थानान्तरण (श्री जिन्दास कुमार गादिया) प्रशासनिक कारणो से किया गया। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय ब्यावर के व्यावसायिक प्रशासन के व्याख्याता श्री जिन्दास कुमार गादिया ने माननीय उच्च न्यायालय से इस आशय का स्थगन आदेश दि. 14–7–98 को प्राप्त किया कि यदि याची के स्थान पर ब्यावर में किसी अन्य के कार्यग्रहण नहीं किया हो तो उन्हें वहीं कार्यरत रहने दिया जावें। हालांकि इससे पूर्व 30–4–98 को भी उन्हें इस महाविद्यालय में व्यावसायिक प्रशासन विषय के व्याख्याता पद पर अधिशेष होने की वजह से कार्यमुक्त किया जा चुका था। उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर प्राचार्य, महाविद्यालय द्वारा उन्हें कार्यग्रहण नहीं करने दिया गया क्योंकि उनके विषय का पद महाविद्यालय में रिक्त ही नहीं था तथा उनके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित भी नहीं किया गया था1 इस प्रकार प्राचार्य, महाविद्यांलय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश की क्रियान्विती में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई।

(3) जी नहीं, तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय सनातन धर्म महाविद्ययालय, ब्यावर ने श्री जिन्दास कुमार गादियाको लिखे गये पत्र दिनांक 17.7.98 तथा इस पत्र की प्रति एवम् पत्र क्रमांक 132 दिनांक 16.7.98 जो निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित किये गये, उनके अनुसार स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15.7.98 को सायं 5.15 पर उपलब्ध करवाई गई, परन्तु संबंधित दिवस में पद रिक्त नहीं होने के कारण श्री गादिया को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सकता था। संबंधित पत्रों की प्रतियाँ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री सहदेव शर्मा व श्री महेन्द्र कुमार मीणा को 30 अक्टूबर, 2000 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सहदेव शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने अपनी अस्वस्थता के कारण तथा श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा ने सड़क में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हरिके हैड से प्रदाय किये जाने वाले जल के प्रबन्ध एवं वितरण से किसानों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर (109) एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के लोगों की राष्ट्रीय वृद्धावस्था, राज्य वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) प्रो. सांवर लाल (177), सदस्य की ओर से अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चारा परिवहन की बिल्टियों का भुगतान रोक देने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(4) डा. रामप्रताप (144) एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से गंगनहर प्रणाली की अवस्था जीर्ण-शीर्ण होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(5) श्री शिवराम सिंह कुशवाह (49) एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर को अकालग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नन्दलाल मीणा (70), सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ में पेयजल की भीषण समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम धोद (3), सदस्य की ओर से राज्य में अपर्याप्त विद्युत

(श्री अध्यक्ष)

आपूर्ति से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुरेन्द्र गोयल (18), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कतिपय गांवों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री गुलाब चन्द कटारिया (31), सदस्य की ओर से राज्य के अधिकांश भागों में पानी, चारा एवं रोजगार की भीषण समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री प्रताप सिंह सिंघवी (84) एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से हाड़ौती क्षेत्र में इल्लियों के प्रकोप से अरबों रुपये की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में उल्लेखित विषयों पर सदन में चर्चा होना संभावित है। चर्चा में माननीय सदस्यों को भाग लेने का अवसर उपलब्ध रहेगा, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री जसंवन्त सिंह गुर्जर (49) एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के एक भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रसताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष और विधान सभा के समक्ष रखा है वह इंदिरा गांधी नहर के जल वितरण और जल प्रबन्धन के सम्बन्ध में है।

(12.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक तरफ राजस्थान में अकाल है, चारे का हा-हाकार है और दूसरी तरफ सिंचित क्षेत्र में गत वर्ष तीन सप्ताह की बारी थी जो इस बार चार सप्ताह की बनायी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है इसलिए मैं आपको बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार को भेजा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन यह है कि सिंचित क्षेत्र में आज अकारण राज्य सरकार बारी के माध्यम से अकाल पैदा न करके...

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन की जरूरत नहीं है, आप किसी और तरीके से उठा लिजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप राज्य सरकार से जवाब कब मंगवाएंगे, उधर तो हा–हाकार हो रहा है एक महीने की बारी का?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं काफी पुराने सदस्य हैं, माननीय सदस्य, आप समझ गये कि स्थगन प्रस्ताव पर जब व्यवस्था दी जा चुकी है तो उस पर बोलने की अनुमति नहीं है। I will not allow.

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को समझ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति नहीं है। यह अलाउ हो ही नहीं सकता। (व्यवधान) आप किसी और तरीके से उठा लीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है अब राज्य सरकार क्या सूचित करेगी? हालात सदन के सामने हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने इसको उठाने के और तरीके हैं उसमें उठाइये, हमको कोई आब्जेक्शन नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जानकारी आएगी तब तक तो सदन समाप्त हो जाएगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने गत वर्ष 31 मार्च तक 156 करोड़ रुपया प्राकृतिक आपदा कोष का. . (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक महीना बारी से सिंचित क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगा।

एक माननीय सदस्य : एक महीना नहीं, 33 दिन।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने तो निर्णय ले लिया। बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। (व्यवधान) सिंचित क्षेत्र की स्थिति देखे बिना निर्णय ले लिया, वहां पूरे के पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की फसल होने की संभावना नहीं है। फसल तो अपनी जगह रही, चारे की पैदावार भी नहीं हो पाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि आप अनुमति दें कि इसके ऊपर हम अपने विचार, सलाह और सुझाव सदन के अन्दर रख सकें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी के सारे भण्डार सात दिन के हैं, बारी आपने एक महीने की बनायी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : पानी का हाहाकार हो रहा है। चारा पैदा नहीं हो सकता पन्द्रह दिन में अगर पानी नहीं देंगे तो आज सिंचित क्षेत्र में बारियों के माध्यम से अकाल की स्थिति पैदा कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप पानी पैदा कर सकते हैं लेकिन जो पानी उपलब्ध है उसको दो पारियों में दिलवाएं। मूल मांग यह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम जी। श्री मदन दिलावर, 295 माननीय सदस्य प्लीज बिराजीये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री रामप्रताप : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावर बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य की ओर से नर्सरी श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु वसूले गये अग्रिम को करार के अनुसार लौटाने के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी की मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा सरकार को कथित अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी है कि इस मामले को दूसरे नियमों के आधार पर दूसरे समय पर उठाया जाए। आप यह व्यवस्था तो दे सकते हैं, लेकिन क्या आप यह व्यवस्था भी दे सकते हैं कि हम कल या परसों यह मामला उठाएं उस समय मुख्य मंत्रीजी सारे मामले का अध्ययन करने के बाद उत्तर देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि विधान सभा की कार्यवाही बहुत कम समय के लिए चलने वाली है, इस बीच में मुख्य मंत्रीजी लक्षद्वीप चले जाएंगे और यह समस्या यहां की यहां रह जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था तो मैं नहीं दे सकता कि मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे। आप जो कुछ कहेंगे उसका सरकार जरूर जवाब देगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : यह खबर आप कहां से लाये कि मुख्य मंत्रीजी लक्षद्वीप जा रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अखबारों में छपी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बैठे हैं हाउस के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में बैठे हैं यह सही है। हाउस में ही बैठे रहें, मैं तो यह चाहता हूं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आप चाहते क्या हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय, आप कृपया मेरी बात को समझ लें। मैंने केवल इतना-सा आसन से रिक्वैस्ट किया है। आसन का यह निर्देश था कि इस मसले को दूसरे नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य समय पर उठाया जाए। हम इस बात को मान लेंगे, लेकिन यह मसला इस तरह का है कि मुख्य मंत्रीजी ही इसका उत्तर दे सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी उत्तर नहीं दें तो कम से कम मुख्य मंत्रीजी मंत्रियों की बैठक लेकर निर्णय इस प्रकार का कर सकते हैं जिस निर्णय की जानकारी इरिगेशन मन्त्रीजी इस सदन को दे दें।

लेकिन मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में, खेतसिंह जी, आप भी + + + को पहचान लो और बाकी के मन्त्री भी + + + को पहचान लें। इस मसले का जवाब बिना मुख्य मंत्री की उपस्थिति में लिये गये निर्णय के कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे...

श्री खेतसिंह राठौड़ : + + + पर मत आइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी चले जाएंगे। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप जाने के बाद फिर आप कहोगे कि मुख्य मंत्रीजी लक्षद्वीप चले गये। वहां से अंडमान जाएंगे और अंडमान से भगवान जाने कहां जाएंगे, कब यहां पहुंचेंगे, उनका कोई उत्तर नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दे दें। बस इतना-सा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे, सारे पावर सेंट्रलाइज खुद ने अपने पास कर लिये थे। हमको पूरी छूट है, हम अपने विभाग का जवाब देंगे। सिंचाई मंत्री यहां विराजमान हैं, मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से जाएंगे और सिंचाई मंत्री महोदया सक्षम हैं वह आपके प्रश्नों का और जो भी जिज्ञासा है उसका उत्तर देंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इस सदन में बिजली की चर्चा होगी, इस सदन में अकाल की चर्चा होगी इस सदन में सिंचाई की चर्चा होगी और मुख्य मंत्रीजी लक्षद्वीप में बैठे रहते हैं तो इस सदन के साथ और राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : आप भी कई बार गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी सदन को छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी जिसको आप बिलाग करते हैं, उसकी बैठकों में भाग लेने के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दसों दफा गये हैं। आप कैसे रोकेंगे मुख्य मंत्रीजी को ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आप यह सारी बात हाइपोथेटिकल कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जाएंगे कि नहीं जायेंगे प्रश्न ही नहीं है यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाइपोथेटिकल नहीं है, जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आपके सामने बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाइपोथेटिकल क्या, मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर कह दें कि मैं नहीं जाऊंगा। हाइपोथेटिकल कैसे कह दिया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमा रहे हो कल जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फैक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मना कर दें कि मैं नहीं जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो कि कल जा रहे हैं तो बैठे हैं न यहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं जा रहे हैं और यह भी कह रहा हूं कि असैम्बली से डरकर जा रहे हैं..(व्यवधान) और यह भी कहना चाहता हूं कि उनको जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। यह कह दें कि मैं नहीं जा रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे तब कितनी बार सदन को छोड़कर गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, गया हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो जाना ही पड़ता है कई बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गया हूं। मैं एक और बता दूं वह भी सुन लो, राजस्थान की विधान सभा में कोई मुख्य मंत्री सबसे ज्यादा बैठा है तो भैरोंसिंह शेखावत बैठा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : नहीं नहीं, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी खूब बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो डरकर भाग रहे हैं। परसों आपने कांग्रेस पार्टी की बैठक में मुख्य मंत्रीजी की जो हालत खराब की और विधान सभा में जिस प्रकार की हालत खराब हो रही है उससे डरकर यह लक्षद्वीप जा रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : कोई हालत खराब नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यहां रहें और रहकर सारी समस्याओं का समाधान करें, उसका जवाब दें। खेतसिंह जी कह दें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि नहीं जाएंगे, मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर कह दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : सब मुख्य मंत्री बैठते हैं सदन जब चलता है। सदन जब भी चलता है सब बैठते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आपकी पार्टी के सदस्यों का तो जनाजा निकल गया। आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ षड्यन्त्र रचा इन्होंने (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप थे ही नहीं पिछली बारी ....(व्यवधान) आप थे ही नहीं, क्या-क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र पारीक :आपकी पार्टी के सदस्यों ने...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप तो चोखी ढाणी जाओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : संवेदना समाप्त कर दी...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बोलिये, नहीं जाएंगे। बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं..(व्यवधान) दिल्ली में कभी अटल बिहारी जी आपको बुलाते थे आपको जाना पड़ता था। हमारी पार्टी की चीफ अगर बुलाती हैं तो उनका जाने का धर्म और फर्ज है लेकिन यह आप निश्चित मानिये कि अभी हाउस चलेगा बशर्ते कि आप हमको को-आपरेट करें। आज जैसा ही व्यवहार रहा तो मामला थोड़े दिन ही चलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपका मतलब यह है कि हाउस थोड़े ही दिन चलेगा। उसके पीछे भावना यह है कि मुख्य मंत्रीजी भी थोड़े दिन ही चलेंगे, ज्यादा चलने वाले नहीं हैं। इसलिए रहें मुख्य मंत्रीजी यहां, आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? कहिये मुख्य मंत्रीजी से।

श्री संयम लोढ़ा : हमारी सरकार पांच साल चलेगी और मुख्य मंत्री भी पांच साल चलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय नेता महोदय, आपसे यह निवेदन है कि कितने दिन चलेंगे और कैसे चलेंगे, यह हमारी पार्टी का अन्दर का मामला है, आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपसे यही निवेदन है कि आज सिर्फ तीन सवाल आ चुके हैं और अपन इतना बड़ा खर्चा करते हैं तो आप अपनी पार्टी के सभी मैम्बर्स से हाथ जोड़कर निवेदन करिये कि कम से कम दस सवाल तो आने दें और हाउस ठीक तरीके से चले। स्पीकर साहब भी परेशान हुए। तीन सवाल कभी भी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो बिजली मंत्रीजी ने जवाब दिया उससे रामसिंहजी भी खुश नहीं, कल्ला जी भी खुश नहीं...

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं खुश हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उससे खेतसिंहजी खुश नहीं, उससे शिवनाथ सिंहजी खुश नहीं। कांग्रेस के मैम्बर ही खुश नहीं हैं तो ऐसे मंत्री से जवाब क्यों दिलवाते हैं?

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो मंत्रीगण के सन्दर्भ में अपनी टिप्पणी की है, मैं समझती हूं वह उपयुक्त नहीं है। उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह तो खुद ही बहुत जिम्मेदार पद के व्यक्ति हैं। (व्यवधान) सुनिये, सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। बोलने ही बोलने थोड़े ही होनी चाहिए, सुनने की भी होनी चाहिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो मुद्दा माननीय सदस्यों ने उठाया है उस मुद्दे की सारी भूमिका, उस मुद्दे पर हुई बैठकें, उसमें जन प्रतिनिधियों के भी आये विचार और आयुक्त और तमाम अधिकारियों के साथ हुई बैठकें और उसमें जो वस्तु स्थिति पानी की है आज उसके सन्दर्भ में जो कुछ निर्णय लिये गये हैं वह जानकारी है सदस्यों को। किल्लत है, दिक्कत है परेशानी पैदा होगी, यह हम सब जान रहे हैं लेकिन आप जो उसके बारे में विवरण जानना चाहते हैं, पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे विवरण के साथ में, पूरे जस्टिफिकेशन के साथ में मैं आपको उत्तर दूंगी। मैं सक्षम हूं और पूरी तरह से सक्षम हूं। इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मंत्री तो सक्षम निकला, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कमला जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज (व्यवधान) अब बिराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : कल देंगी जवाब, परसों देगी? सदन में एक दो दिन में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप उत्तर दें। हम यह नहीं कह रहें हैं कि आप कोई पानी पैदा कर सकती हैं। प्रश्न यह है कि जो उपलब्ध पानी है उसी को दो बारियों में देने का महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने उठाया गया है, और उम्मीद करता हूं कि आप एक दो दिन के भीतर ही राज्य सरकार की ओर से इसका जवाब प्रस्तुत करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है कि सदन थोड़े दिन चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अखबारों में छाया हुआ है कि राजस्थान में तीसरी बार अकाल पड़ा है, 40 हजार से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, साढ़े पांच करोड़ जनता प्रभावित है। (व्यवधान) **गांवों से पलायन प्रारम्भ हो गया है। मैं निवेदन इसलिए करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि आप समय निश्चित करें, अकाल पर बहस शीघ्रातिशीघ्र हो।** (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आ रही है, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि क्या बिजनस आने वाला है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गांवों से पलायन प्रारम्भ हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमारे कहने का मतलब यह है कि 156 करोड़...(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) आप जान रहे हो या बोल रहे हो? विराजिये (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें चिन्ता इस बात की है कि सरकार के पास अकाल राहत फण्ड में पैसा होने के बावजूद गत वर्ष 31 मार्च तक **156 करोड़ रुपये बचा लिये और बारबार + + + हमारे पास पैसा नहीं।**

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आप थोड़ा-सा धैर्य रखिये।

श्री सांवर लाल : हमको राजस्थान की जनता की, जानवरों की पीने के पानी की चिंता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। समय सीमा तो तय करवाइये आप कि कब चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

एक माननीय सदस्य : 5 लाख पशुधन प्रभावित है। (व्यवधान) चार लाख आदमी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित किया है, धौलपुर को नहीं किया है। धौलपुर में क्या अकाल नहीं है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा धैर्य रखेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में जो कल निश्चय हुआ है उसको आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर आप सन्तुष्ट नहीं हों तो फिर बोलिये। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई मामला सदन के सामने नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें कहीं भी चर्चा के अवसर का हवाला नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर तो बहस कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज सारा बिजनस रोक कर चर्चा इसी विषय पर होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे प्रदेश में अकाल का संकट है। (व्यवधान) सरकार की लापरवाही की वजह से..(व्यवधान) फसल नष्ट हो चुकी है। (व्यवधान) पूरे राजस्थान के अन्दर चारे का अभाव है, पानी का भयंकर संकट है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि अकाल के बाबत चर्चा सुनिश्चित की जा रही है। (व्यवधान) उसके बावजूद भी सदन का समय खराब कर रहे हैं। आपको सबको मालूम है कि अकाल के सम्बन्ध में चर्चा सुनिश्चित है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनको सबको मालूम है कि अकाल के लिए चर्चा है, जबरदस्ती वाहवाही लूटने के लिए ....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने स्थगन प्रस्ताव भेजा उसमें यह था कि सरकार इस पर कोई आगे चर्चा का विचार करती है। इतना ही उत्तर है। लेकिन अभी तक की जानकारी में यह नहीं है कि यह सरकार अकाल के विषय पर सदन में चर्चा करने का कोई मानस रखती है या नहीं रखती है। यह अभी तक नहीं है। अभी तक इस बारे में कहीं भी आपका कोई वर्शन नहीं है कि अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आपको यह बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सदन बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चलता है। कल बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो प्रस्ताव आपके नेता महोदय ने, सरकार ने तय किये हैं उसके अनुसार यह सदन चलेगा। एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट अभी आपके सामने आएंगी। उसके बाद फिर कल बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें आगे जो कुछ आप चर्चा करेंगे उसको तय करेंगे। उसमें होगा, उसमें बात क्या है? Why are you so much agitated? एजिटेडेड क्यों हो? (व्यवधान) सदन समाप्त थोड़े ही हो गया है। सदन बंद थोड़े ही हो गया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी तक तो जो कुछ भी हमें मिला है उसमें अकाल के ऊपर कोई चर्चा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल अकाल के मुकाबले में आपके नेता महोदय ने कहा बिजली ज्यादा जरूरी है, कल बिजली की बहस रख दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है, बिजली पर आपने व्यवस्था दे दी।

एक माननीय सदस्य : बिजली के साथ अकाल भी जरूरी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : क्या आप यह चाहते हैं कि कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग....(व्यंवधान) हो रही है एक तारीख को।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, विराजिये। कल वापस बी.ए.सी. बैठेगी उसमें जो बी.ए.सी. तय करेगी वह सदन में कार्यवाही हो जाएंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं व्यवस्थ का प्रश्न उठाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मानिक चन्द सुराना : जब बिजनश एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बात तो सुनेंगे? क्या आप बात सुनने से इन्कार कर रहें हैं? (व्यवधान) मेरा प्रश्न तो सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न कैसे आया? काहे पर व्यवस्था?

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा प्रश्न तो सुनेंगे? प्रश्न यह है कि जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई तो माननीय विधि मंत्री को यह कहने का अधिकार कैसे है कि सदन थोड़े समय चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : कहां कहा उन्होंने?

श्री मानिक चन्द सुराना : कहा है उन्होंने, बाकायदा कहा है। (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि सदन थोड़े समय चलेगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सरकार भागना चाहती है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह कौन होते हैं कहने वाले कि सदन थोड़े समय ही चलेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा है उन्होंने। आर्डर, आर्डर। यह उन्होंने नहीं कहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : थोड़े समय चले, ज्यादा समय चले....(व्यवधान) सदन को तय करना है कब तक चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उन्होंने यह नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है कि...(व्यवधान) प्लीज सुनिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : आप रिकार्ड देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, उन्होंने यह कहा है कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए। यदि आप सहयोग देंगे तो सदन चलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : यही बात है। आपने जैसा आज किया है। उससे थोड़ा चलेगा। आपने जैसा जवाब आज दिया है उसके आधार पर थोड़ा चलेगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप सहयोग नहीं देंगे और आप इसी प्रकार से व्यवहार रखेंगे...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हम सहयोग दें तो भी चलाना पड़ेगा और हम सहयोग नहीं देंगे तो भी सदन को चलाना पड़ेगा। (व्यवधान) सदन चलाना पड़ेगा। सदन आपको चलाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि सबसे कम वर्षा हुई है, पथरीली जगह है। (व्यवधान) वहां से मवेशी पलायन कर रहे हैं। वहां की पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम भी डरने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन चलाना है कि नहीं चलाना कितने दिन चलाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है आपकी नहीं। (व्यवधान) आप हमको को–आपरेट कीजिए। अगर को–ऑपरेट करेंगे तो सदन चलेगा, लम्बा चलेगा। (व्यवधान) मौका मिलेगा। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : नियम 295 की सूचनाएं :—

(1) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य की ओर से नर्सरी श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु वसूले गये अग्रिम को करार के अनुसार लौटाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी की मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा सरकार को कथित

(श्री उपाध्यक्ष)

अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से लूणकरणसर में विगत में आई बाढ़ की। निकासी के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचोर में पीने के पानी के कनेक्शन गत 6 माह से बन्द पड़े होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवराम सिंह कुशवाह, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी-सादड़ी के भानाखेड़ी एवं पिण्ड में एनीकट/बांध का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की अपर्याप्त सप्लाई के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विद्युत की समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की कृषि भूमि पर बनी आवासीय बस्तियों को नियमित कर पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में घोर अव्यवस्थाएं हैं। जिला चिकित्सालय में गत कई दिनों से ऑक्सीजन गैस समाप्त है तथा सरकार की तरफ से रोगियों को मिलने वाली दवाओं का भी नितान्त अभाव रहता है। इसके अलावा चिकित्सालय में अनेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं परन्तु प्रशासन द्वारा लम्बे समय से सभी समस्याओं को नजर अंदाज कर गरीब रोगियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रखा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के जिनके कार्ड बने हैं उन्हें भी दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चिकित्यालय में पीने के पानी, बिजली व सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। रात्रि के वक्त गेलेरियों में बल्ब, ट्यूबलाइटें नहीं होने से अंधेरे का साम्राज्य रहता है। चिकित्सालय में शौचालयों की व्यवस्था खराब है।

चिकित्सालय में ऑक्सीजन के अभाव में 3 सितम्बर को एक महिला की मौत हो गई। महिला के पेट में 7 माह का बच्चा था, महिला को ऑक्सीजन की अति आवश्यकता थी परन्तु चिकित्सालय में गैस उपलब्ध नहीं थी।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रही कल्याणकारी योजनाओं को प्रशासन नजर अन्दाज कर रहा है। अतः उपरोक्त समस्याओं की तरफ ध्यान केन्द्रित करते हुए चिकित्सालय में फैल रही अव्यवस्थाओं को दूर कर दुरस्त करने का कष्ट करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। सधन्यवाद।

नर्सरी श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु वसूली गयी अग्रिम राशि की करार के अनुसार वापसी

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि तत्कालीन विद्युत मण्डल ने नर्सरी श्रेणी में कृषि कुओं के कनेक्शन पर 1250 रुपये प्रति हार्स पावर अग्रिम वसूल किये थे जिसे चार साल में काश्तकारों के बिलों में समायोजित किया जाना था तथा जिनके लिये विद्युत मण्डल ने दिनांक 11-3-98 को आदेश जारी करके पूरी राशि लौटाने को कहा था।

बाद में विद्युत मण्डल ने दिनांक 15-2-2000 को एक आदेश जारी करके चार साल में काश्तकारों को पूरी राशि लौटाने के स्थान पर पांच साल तक राशि नहीं लौटाने का आदेश जारी करके कह दिया कि पांच साल बाद राशि लोटाना शुरू करेंगे।

इस प्रकार विद्युत मण्डल का जो काश्तकारों के साथ करार था जिसके आधार पर काश्तकारों ने राशि जमा कराई थी, उसको विद्युत मंडल ने एक तरफा भंग किया है। ऐसा न तो उचित है ओर न ही वैद्यानिक है। मण्डल की इस कार्यवाही से काश्तकारों में भयंकर रोष है।

ऐसी स्थिति में नियम 295 के तहत माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार जनहित में काश्तकारों की राशि जमा करते समय किये गये करार के अनुसार पूरी राशि तुरन्त लौटाने का आदेश जारी करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

रामगंजमण्डी की मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा अवैद्य खनन से राज्य सरकार को हो रही हानि

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा लि. को खनिज लाइम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन) अर्थात् कोटा स्टोन खनन करने हेतु एक खनन पट्टा स्वीकृत किया हुआ है जो सात ब्लाक में दिया हुआ है तथा जिसका वर्तमान नवीनीकरण 1989 से 2009 तक का है। इसका क्षेत्रफल 9.9991 वर्ग किलोमीटर का है जो वर्तमान जी.टी.सीट पर है। पूर्व में जितने क्षेत्र में खनन पट्टा दिया हुआ है उपरोक्त कम्पनी द्वारा उस जगह से कोटा स्टोन का खनन किया जा चुका है परन्तु उस समय के रेफरेन्स पाइण्ट स्थाई नहीं होने के कारण अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने हिसाब से रेफरेन्स पाइण्ट दिखाकर खनन कार्य किया जा रहा है। वास्तव में लाइसेन्स के हिसाब से जिस माप का क्षेत्र इनको दिया हुआ है उस पर कई वर्षों पूर्व ही खनन कर चुके हैं। परन्तु अपने धन के बल पर कई अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों को खरीदकर उस बात को वहीं दबा देते हैं।

कई बार उस क्षेत्र के निवासी माननीय मुख्य मंत्री, खनीज मंत्री, सम्भागीय आयुक्त महोदय, जिला कलक्टर, खनिज सचिव, खनिज विभाग निदेशक, एस.डी.एम. रामगंज-मण्डी, तहसीलदार रामगंज मण्डी को इस संबंध में लिखित में शिकायत कर चुके हैं कि इस कम्पनी के द्वारा राजस्व भूमि, राजस्व चरागाह, बंजर, श्मशान व कब्रिस्तान व लोगों की निजी भुमि तथा आबादी भुमि में जबरदस्त तरीके से लोगों को आतंकित कर खनन किया जा रहा है। धन के बल पर तो कई शिकायतों की जांच ही नहीं होने दी गयी तथा कई शिकायतों की जांच हुई भी तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इसके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले दस वर्षों में किस-किस के द्वारा कब-कब; क्या-क्या शिकायतें की गई थी किस-किस शिकायत की किस-किस अधिकारी ने कब-कब जांच कर जांच प्रतिवेदन किस-किस अधिकारी को प्रस्तुत किया? सक्षम अधिकारी ने उस पर क्या कार्यवाही की, यह भी सामान्य जन व शिकायतकर्ताओं की जानकारी में नहीं लाया गया है जबकि ये सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए थी। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रस्ताव से संबंधित शिकायती पत्र व जांच प्रतिवेदन व की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाई जावे ताकि जनसामान्य को इस बात का पता चल सके।

शिकायत के आधार पर जांच होना तो दूर की बात हो गई है परन्तु इस कम्पनी के कर्ताधर्ताओं ने शिकायतकर्ताओं के नाम

(श्री मदन दिलावर)

फर्जी मुकदमें बनवाये, गुण्डों के द्वारा उनको आतंकित करवाया तथा कई बार कई लोगों पर प्राणघातक हमले किये। पुलिस और प्रशासन ने भी गरीब लोगों पर अत्याचार करने में इनका सहयोग किया। प्रभाव के कारण कई लोगों के झोपड़े उखाड़कर फेंक दिये गये। बस्तियों के नजदीक व बस्तियों में ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिससे लोग आतंकित हैं तथा उस ब्लास्टिंग से बचने के लिए अपनी जान की गुहार लगा चुके हैं। इस कम्पनी ने अवैद्य खनन करके न श्मशान को छोड़ा, न कब्रिस्तान को छोड़ा और लोगों की कृषि योग्य निजी भूमि को भी नहीं बख्शा। निरतंर निरंकुश होकर कई बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है क्योंकि इन लोगों को धन पर बड़ा घमण्ड है और हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों व अधिकारियों का धन से बड़ा प्यार है। हजारों लोगों के जीवन से खिलावाड़ किया जा रहा है, धन के बल पर किया जा रहा है। सरकार धन के बल पर घुटने टेक रही है।

अप्रधान खनिज नियम, 1986 के नियम एवं संविदा के अन्तर्गत पैंतालीस मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। खनन कार्य श्मशान, कब्रिस्तान या जहां जन सामान्य रहता है वहां निषिद्ध माना गया है। इस सम्बन्ध में शासन ने परिपत्र क्रमांक प.9(11) खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 23–6–93 एवं दिनांक 16–6–95 के आदेशों में इसका उल्लेख किया हुआ है। चरागाह भूमि में नवीनीकरण से पूर्व ब्रोकन अप क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई छोटी-सी जमीन इस क्षेत्र के बीच में चरागाह नाम से दर्ज है, विशेष परिस्थितियों में जिसकी भी इजाजत सरकार से लेनी पड़ती है। चरागाह जमीन में खनन करने हेतु जिला कलक्टरी की परमिशन आवश्यक है, परन्तु बिना इजाजत के लगातार सरकार के आदेशों की अवहेलना कर खनन कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त सब कारणों के आधार पर इस कम्पनी की लीज को निरस्त किया जाना चाहिए। यह सरकार, मंत्री व अधिकारीगण चांदी के चंद टुकड़ों के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं इसलिए यह असम्भव-सा तो लगता है परन्तु यदि मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत 17 मार्च, 2000 को राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों के दो दिवसीय वार्षिक सम्मलेन के समापन भाषण में श्री गहलोत व उनके खनिज मंत्री के कथन को दोहरा लेंगे तो शायद कुछ लाभ हो सकेगा।

एक तरफ सरकार जहां प्रदेश में अकाल का रोना रो रही है वहीं ए.एस.आई. कम्पनी सरकार को अरबों रुपयों का चूना लगाकर जनता को आतंकित कर रही है। इस मामले से सरकार की आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है, अत: मैं खनिज मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : 10 साल से प्रकरण चल रहा है तो मंजूर तो आपके टाइम में हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री मानिकचन्द सुराना।

लूणकरणसर में आयी बाढ़ के पानी की निकासी

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत लूणकरणसर में आई हुई बाढ़ के पानी की निकासी के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से विशेष उल्लेख की अनुमति चाहता हूं।

लूणकरणसर में दिनांक 22 व 23 जुलाई, 2000 को 22 घंटे हुई निरन्तर 16 इंच भारी बरसात के फलस्वरूप 25 × 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जलमग्न हो गया। लूणकरणसर के इर्द-गिर्द के गांव रोजां, फलदेसर, सहणीवाला, उधेशिया, काकड़वाला, नाथवाणा वगैरह व चालीस तक बाढ़ के पानी में डूब गये। उक्त बाढ़ के पानी से इस इलाके में भयंकर तबाही मची, मकान, ढाणियां व खेत नष्ट हो गये। अतिवृष्टि के फलस्वरूप लूणकरणसर, बीकानेर, छतरगढ़ व पूगल तहसील के 252 गांवों के 34204 काश्तकारों के 95 प्रतिशत कच्चे व 50 प्रतिशत पक्के मकान अधिकांश या पूर्णतः ध्वस्त हो गये। इसके फलस्वरूप ग्रामीणों के हजारों कच्चे-पक्के मकान बाढ़ के पानी में डूब गये व ध्वस्त हो गये। उक्त डूब के क्षेत्र में हजारों मुरब्बा सिंचित भूमि जलमग्न हो गयी जिस पर बाढ़ का पानी 4, 6, व 8 फीट की गहराई तक भर गया।

बाढ़ के पानी का सर्वाधिक नुकसान सिंचित क्षेत्र की अत्याधिक उपजाऊ भूमियों को हुआ। इस कारण बाढ़ का पानी निकला जाना लूणकरणसर क्षेत्र के किसानों को आर्थिक बरबादी से बचाने के लिए शुरू से अत्यधिक आवश्यक था। लूणकरणसर सिंचित क्षेत्र के किसान बाढ़ के पानी की निकासी की निरन्तर मांग करते आ रहे हैं और इस सम्बन्ध में उन्होंने 30 जुलाई एवं 4 अगस्त, 2000 को लूणकरणसर में बड़े धरने आयोजित करते हुए उक्त मांग राज्य सरकार के सम्मुख प्रखर रूप से प्रेषित की। मुख्य मंत्रीजी स्वयं को 30-8-2000 को काश्तकारों की ओर से ज्ञापन दिया गया।

राज्य के मुख्य मंत्री जी ने 28 जुलाई को क्षेत्र का दौरा किया और उक्त दौरे की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने डूब क्षेत्र का नजारा ग्राम सहणीवाला के एक मकान पर चढ़कर देखा और हैलीकाप्टर से डूब क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। लेकिन डूब क्षेत्र के सर्वाधिक प्रभावित गांव रोजां जहां डूब क्षेत्र के हजारों किसान इक्ट्ठे थे, वहां जाकर किसानों से वार्ता करना और उनसे बाढ़ के पानी की निकासी का कोई सुझाव मांगने का कष्ट नहीं किया।

मुख्य मंत्रीजी ने तत्काल बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 10 पाताल तोड़ कुए बनाने की घोषणा की जो साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बन चुके, लेकिन गांव

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उधेशिया के एक कुएं के अलावा सभी कुएं कुछ समय कार्यरत रहकर अब बेकार पड़े हैं। उक्त समस्त कुए बाढ़ का पानी निकालने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं और बाढ़ के पानी से आज भी 10 गांवों एवं 40 चकों के सिंचित क्षेत्र की हजारों मुरब्बा भूमि डूबी हुई है। हजारों मुरब्बा भूमि में साढ़े तीन महीने के बाद आज भी बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है। यदि बाढ़ का पानी नहीं निकाला गया तो कुछ समय बाद सिंचित भूमि दलदल में तब्दील हो जाएगी, उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाएगा।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी बाढ़ के पानी निकासी के मामले में पूर्ववत बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा लूणकरणसर के बाढ़ के पानी की निकासी की संभावनाओं के सम्बन्ध में किसी भी तरह का कोई परीक्षण न करवाना संवेदनहीनता व कर्तव्यों का निर्वहन न करने की पराकाष्ठा का बेमिसाल उदाहरण है। संकट के समय में ही राज्य सरकार की संवेदनशीलता व मदद की आवश्यकता ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक होती है। राज्य के प्रशासन की परीक्षा भी संकट के समय ही होती है। लूणकरणसर के बाढ़ग्रस्त इलाके से पानी निकासी की समस्या को राज्य सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह हर हालत में बाढ़ का पानी काश्तकारों के खेतों से निकाल कर किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाऐ। बाढ़ के पानी से डूबे हुए खेत को पानी से मुक्त कराकर उस किसान को रबी की फसल करने का अवसर प्रदान करें और उस पानी को खालों के माध्यम से निकाल कर बहुमूल्य पानी का उपयोग पानी की कमी से त्रस्त पड़ौस के खेतों में करने का अवसर प्रदान कर किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाने का काम करें।

मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि वह डूबे हुए करीब हजार मुरब्बों से बाढ़ का पानी निकालने के अपने दायित्व को अविलम्ब पूरा करे।

मैं राज्य सरकार से उक्त मामले में सम्यक व विवेकपूर्ण रवैया अख्तियार करने की अपील करता हूं। लूणकरणसर के बाढ़ग्रस्त इलाके के पानी की निकासी में राज्य यदि साधनों व अधिकारियों के ज्ञान का प्रयोग करे तो इस कार्य में बीस-पच्चीस लाख रुपये से अधिक का खर्चा नहीं है।

राज्य सरकार से मेरी स्पष्ट मांग है कि एक-दो दिन के भीतर वह लूणकरणसर के इर्द-गिर्द के सिंचित क्षेत्र के खेतों से बाढ़ के पानी की निकासी के कार्यक्रम को शुरू करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों मुरब्बों से जो पानी निकलेगा उससे दूसरे अन्य हजारों मुरब्बों को पानी का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में यदि दो दिन में गम्भीरता से मामले को नहीं लिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम गांधी के रास्ते से आए हुए हैं और गांधी के हथियार अनशन का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रयोग माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्णय के अनुसार करेंगे। यदि दो तारीख तक मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं करते हैं तो मैं इसी प्रांगण में, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और निवेदन राज्य सरकार को करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं भी इसमें सम्मिलित हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सब में सम्मिलित हैं, इसमें क्या सम्मिलित हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक निवेदन है, यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसका रास्ता बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपके रास्ते की जरूरत नहीं है, रास्ता राइट टाइम पर बताना।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप रास्ता भूल गये हैं। बिराजें प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी, इसमें कोई लम्बा-चौड़ा काम नहीं है, इसमें अगर आप जन प्रतिनिधियों की राय लेकर कोई योजना बनाते तो निश्चित तौर पर वह सफल होती। आप सब पुराने गांवों को देख लें, डिप्रेशन में सारे गांव बसे हुए हैं और वहां पुराने कुंए हैं। अभी हाल ही में कोलायत तहसील में बाढ़ आई थी, करीब 13 इंच बरसात बाप क्षेत्र में हुई थी और पूरा का पूरा घरांडी गांव डूब गया था। वहां पर छह दिन तक पानी पड़ा रहा लेकिन उसके बाद उस पानी के दबाव से पुराने कुए जो मिट्टी से भरे हुए थे, उसके प्रैशर से उनका मुंह खुल गया और पूरा का पूरा पानी साफ हो गया जो घरांडी गांव के आसपास फैला हुआ था। अभी जो ट्यूबवैल के माध्यम से करीब पांच इंच का बोर करके आप पानी ले जाना चाहते हैं यह सम्भव नहीं है। यदि आप एक्सपैरिमैंट के तौर पर इसके अंदर कुंआ खुदवा दें कि मेनस्ट्रीम उससे मिल जाए। डिप्रेशन में इस प्रकार के कुंए खुदवा दें तो निश्चित तौर पर आपको पूरी सफलता मिलेगी। नहीं तो उस क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है, वह क्षेत्र पूरा का पूरा दलदल बन जाएगा, जैसा कि पूर्व में हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र में हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप एक कुंआ किसी भी डिप्रेशन में खुदवा लें, उसमें 20-25 हजार रुपये से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। आप पुराने गांवों के लोगों से भी पूछ लें, पुराने कुंआ में पहले से यह व्यवस्था थी कि यदि ज्यादा पानी आ जाता तो उसकी मेड़ तोड़ देते और पूरा का पूरा पानी गांव का वह कुंआ खींच लेता।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपने, आपका सुन लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बात अगर ढंग की करें, आराम से करें तो भी आप कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : काहे की ढंग की? समय पर करो तो ढंग की बात होती है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, संजीदगी से बात करें तो भी आप टोकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

सांचौर विधान सभा क्षेत्र के बंद कनेक्शन

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि सांचौर विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग के अधीन पानी के कनेक्शन लगभग छह माह से बिलकुल ही बंद पड़े हैं। इस क्षेत्र के नीचे लिखे गांवों में कनेक्शन सुचारू रूप से चालू कर दिए जाएं तो ग्रामीणों को पीने के पानी समस्या से राहत मिलेगी :—

1. सायर का कोसिटा, सेसावा, अगड़ावा-गोदारों की ढाणी।

2. मालियों की ढाणी, दूधवा-सियाकों व भीलों की ढाणी नई बस्ती।

3. बेसरल की बेरी, चीमड़ा की ढाणी।

4. पादरली, टैम्बी, कोलियों की ढाणी, रायपुरिया।

5. कलजी की बेरी, भीमगुडा, सुराचन्द-भलाईयों की ढाणी, पुनानियों की ढाणी।

6. पावटा-फोगडवा, सिंधियों की ढाणी (सूथड़ी)।

7. मैलावास, चारणान, अकोडिया-कोलियों की ढाणी, रिडका जोरादर।

8. मंडाली, भाटकी, बालेरा, वरणवा, भटवारा, मेंड़ा, गलिफा मरटवा, शिवपुरा, होतीगांव, कोलियों की ढाणी, जीवा रेबारी की ढाणी।

9. सिलूसन, चारनीम, चितलवाना, मालियों की ढाणी, गिरधर धारा, ठेलिया, लालपुरा, रणूदर, नयावास, कपासियों की ढाणी।

10. ईटाडा, चौधरियों की ढाणी, विश्नोईयों की ढाणी, निम्बाऊ, अम्बा का गोलिया, भीलों की ढाणी।

11. सिवाड़ा, धनेरिया, सांगड़ावा, रतनुपरा, मेघवालों की ढाणी।

12. जानवी, विश्नोईयों की ढाणी, केसूरी, कलबियों की ढाणी, रबारियों की ढाणी, राजूपतों की ढाणी।

13. बिछवाड़ी, कलबियों का गोलिया, लाला की ढाणी, धना की ढाणी, कोलियों की ढाणी, ब्राह्मणों की ढाणी, कुम्हारों की ढाणी, भोला की कोठी, बन्ने की ढाणी।

14. पमाणा, हरजी की ढाणी, भेड़ा की नाडी।

15. डांगरा, खारा, बलाना की नाड़ी।

मैं इस विशेष उल्लेख से प्रस्ताव के माध्यम से उक्त गांवों में पीने के पानी समस्या के निवारण हेतु जन स्वास्थ्य

(श्री हीरालाल विश्नोई)

अभियांत्रिकी मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उपरोक्त गांवों में पानी पहुंचाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंह कुशवाह।

धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एंव कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर में पीने के पानी का भारी अभाव है। ग्रामों की जनता एवं पशुधन बगैर पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे क्षेत्र के ग्राम मोरोली, नीम बसई, कोटरा, पुरानी छावनी में हैण्ड पम्प सक्सेस नहीं हैं। इन गांवों के बीच में होकर चम्बल नदी बहती है, इस नदी का पानी भरतपुर सप्लाई किया जाएगा जबकि उक्त गांवों में इस नदी से कोई योजना पानी के लिए नहीं बनाई गई है। इन गांवों के लोग पीने के पानी के अभाव में यहां से पलायन कर रहें हैं, अपने पशुओं को बाहर ले जा रहे हैं। यहां के लोग चम्बल से जाकर पीने के लिए पानी भरकर लाते हैं एंव पशुओं को भी वहीं ले जाना पड़ता है। यहां लोगों में इस समस्या को लेकर भारी आक्रोश है।

इसके अतिरिक्त और भी इस क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाए जाने हैं जो नहीं लगाये गये हैं और लगा भी दिए गए हैं तो खराब पड़े हैं, कभी उन्हें ठीक ही नहीं कराया गया है। मेरे क्षेत्र की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, लोग दु:खी हैं, उन्हें पलायन ही करना पड़ रहा है।

अत: माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्रीजी का प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने का कष्ट करें।

बड़ी सादड़ी के भानाखेड़ी व पिण्ड में एनीकट का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की जनता द्वारा पिछले 10-15 वर्षों से मांग उठाई जा रही है कि इस क्षेत्र में भानाखेड़ी एवं पिण्ड में दो एनिकटों का कई बार सर्वे एवं तखमीना जिला स्तर पर तैयार कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई मंत्री एवं विभिन्न स्तरों पर विचारार्थ भेजा जाता रहा। लेकिन हर बार सिंचाई विभाग द्वारा बीसलपुर बांध के कैचमैंट में यह क्षेत्र आने के कारण इसका पानी रोकना सम्भव नहीं बताया गया। जबकि यह सत्य नहीं है। विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत एवं प्रमाण दिये गये हैं कि बीसलपुर बांध में प्रति वर्ष जितनी मिट्टी का जमाव होता है और उससे पानी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भण्डारण में जो कमी आती है उतना ही पानी उस क्षेत्र में रोकना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। वस्तुस्थिति भी यही है।

इस समस्या के कारण चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा की जनता पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि की स्थिति में आ गई है। इन जिलों में जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। यहां से बहने वाले नाले और नदियां अपना सारा पानी बीसलपुर में ले जाती हैं। पानी के भण्डारण की व्यवस्था न हो पाने के कारण यहां की जनता में भयंकर आक्रोश है। यहां की जनता को पेयजल की सुचारू सुविधा प्राप्त हो, उनके कुओं का जलस्तर ठीक हो, वे पशुधन के लिए चारा पैदा कर सकें, इसके लिए इन दो एनिकटों/बांधों का निर्माण इस क्षेत्र की जनता के लिए परम आवश्यक है।

ऐसे जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर राज्य सरकार से समस्या के हल करने हेतु विचार जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द कुमावत।

नावां विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त विद्युत सप्लाई

श्री हरीशचन्द (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष, नावां विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों एवं कुचामन शहर में अपर्याप्त विद्युत सप्लाई के कारण फैले असंतोष के क्रम में मेरा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव है।

कुचामन सिटी 132 के.वी. जी.एस.एस. पर 36 मेगावाट बिजली मिलने पर छह घण्टे बिजली सप्लाई हो सकती है, परन्तु वर्तमान में मात्र 9-10 मेगावाट बिजली उपलब्ध होने से दो-ढाई घंटे बिजली मिल पा रही है। बुवाई के समय पर अपर्याप्त बिजली सप्लाई के कारण बुवाई होना असंभव है। अकाल की स्थिति में इसकी वजह से सभी लोगों में घोर असंतोष व आक्रोश है।

चितावा स्थित 132 के.वी. जी.एस.एस. पर 12.5 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर की कमी की पूर्ति का आश्वासन माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने इसी जी.एस.एस. के उद्घाटन के समय आम जनता को दिया था। गत बजट सत्र के दौरान विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जवाब में भी उसी आश्वासन को दोहराया गया था। कुचामन सिटी में सितम्बर माह में 220 के.वी. जी.एस.एस. के शिलान्यास के समय 15 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश मौके पर ही अधिकारियों को दिये गये थे, परन्तु अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है जिससे विद्युत सप्लाई व्यवस्था में भारी दिक्कत है।

कुचामन सिटी नगरपालिका क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में रोड लाइट के लिए 1.42 लाख रुपये 16-9-1999 को जमा कराने के बाद और अधिकारियों को बार-बार निवेदन के बाद भी वे आश्वासन ही देते रहे हैं, परन्तु अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। विशेष कृषि कनेक्शन योजना के तहत काश्तकारों

(श्री हरीशचन्द)

की फाइलें जमा हैं लेकिन उन्हें भी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर श्री भैराराम पुत्र श्री रूघाराम निवासी-जीजोठ ने दिनांक 20-7-2000 को 12 हजार रुपये जमा कराये थे। माननीय मंत्री महोदय ने निजी सहायक द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, मकराना को इस संबंध में दिनांक 4-10-2000 को एवं मेरे द्वारा दिनांक 10-10-2000 को पत्र भी लिखा गया, फिर भी अभी तक कनेक्शन देने की कार्यवाही नहीं की गई है।

इसी प्रकार ग्राम पांचोता के सेवाराम/जेठाराम का भी सामान्य श्रेणी का कनेक्शन जो एक पोल से दिया जा सकता है, दीपावली से पूर्व दिये जाने का आश्वासन दिया जाता रहा, परन्तु अब बी. आर. अधिक होने के नाम पर आवेदन लंबित रखने की सूचना दी गई है। इस गांव में इसी प्रकार अन्य कई लोगों को डिमाण्ड नोट जारी करने के पश्चात बी.आर. अधिक होने के नाम पर आवेदन लंबित रखने की सूचना देकर उन लोगों को जान बूझकर परेशान किया जा रहा है।

इस प्रकार विद्युत सप्लाई बहुत कम दी जा रही है जबकि अभी बुवाई का समय है। विभाग के जो जी.एस.एस. हैं उन पर पावर ट्रांसफार्मरों की पूर्ति नहीं की जा रही है। जिन लोगों की राशि जमा है उनके लिए विद्युत लाइनें नहीं बिछायी जा रही हैं व अनावश्क विलम्ब किया जा रहा है जिससे आम लोगों में विभाग के प्रति भारी असंतोष व आक्रोश है। यदि इसमें शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो अकाल की इस स्थिति में लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये शीघ्र उचित व्यवस्था करने हेतु सरकार से अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

टोडाभीम में विद्युत समस्या

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की विद्युत समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जिला करौली के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में दो तहसीलें आती हैं नादौती एवं टोडाभीम, जहां पर 95 प्रतिशत किसान हैं जो खेती से जीविकोपार्जन करते हैं एवं नल योजनाओं द्वारा सारा पानी प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र में ट्यूबवैल के अलावा कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है। ट्यूबवैल बिजली के द्वारा चलते हैं। पूरे जिले में अगर कहीं सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है तो वह विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पड़ती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही क्षेत्र सरकार के विद्युत विभाग को देता है। टोडाभीम में इस समय मात्र 5 एम.वी. के ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु मैंने भाजपा शासन में इस क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एस. का सब स्टेशन बनवाने एवं 33 के.वी. सब स्टेशन की मांग की। बार-बार मांग करने पर भी उन्होंने बजाय स्टेशन बनाने की मेरी टांग को.... तोड़ दिया। मगर जनता ने इनकी टांग तोड़ दी।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप : पूरा लिखा हुआ है, दो पेज का है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : लिखा हुआ नहीं है।

श्री रामस्वरूप : इसके अलावा एक शब्द भी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय देख रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा की टांग तोड़ना क्या संसदीय है? + + +।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार आने के बाद श्री अशोकजी राजस्थान के युवकों के हृदय सम्राट मुख्य मंत्री बने एवं श्री चन्द्रभानजी ऊर्जा मंत्री बने....

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आपका लिखा हुआ मेरे पास है।

श्री रामस्वरूप : एक शब्द भी इसके अलावा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास है आपका लिखा हुआ।

श्री रामस्वरूप : पहले यहीं तय कर लिया जाए। एक शब्द भी अलावा नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप नियम से चलिए।

श्री रामस्वरूप : बिलकुल नियम से चल रहा हूं।

श्री चन्द्रभानजी ऊर्जा मंत्री बने तो मुझे एवं मेरे क्षेत्र की जनता को अपार खुशी हुई और आशा बंधी कि अब 132 के.वी. जी.एस.एस. एवं 33 के.वी. के सब स्टेशन बन जाएंगे एवं चालू हो जाएंगे। मैंने मांगें भी विधान सभा में हमारी सरकार के सामने रखीं। माननीय विद्युत मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि एक वर्ष में लगाकर चालू कर दिये जाएंगे, पर दो वर्ष निकल गऐ हैं, आज तक चालू नहीं हुए। 33 एम.वी. के सब स्टेशन के खंभे आदि गड़ गये हैं, 10 लाख रुपये सरकार के खर्च हो गये पर न तो उस पर ट्रांसफार्मर रखा, न बिजली मिली। जब सरकार ने इतना पैसा खर्च कर दिया फिर क्यों नहीं इस 33 वाले को लगा रही है ताकि बिजली की भयंकर समस्या का समाधान हो सके और किसानों को वोलटेज की व्यवस्था मे सुधार हो सके। अगर ये नहीं लगाये गये तो मैंने जनता को जो आश्वासन दिया है और जतना ने भाजपा की जमानत जब्त कराई है उसमें मैं झूठा पड़ जाऊंगा और पार्टी की साख पर भी असर पड़ेगा। मेहरबानी करके टोडाभीम क्षेत्र की जनता की इस करुण पुकार की ओर ध्यान दें और सदन में घोषणा करें कि कब तक ये चालू करा दिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : मेरे वहां 33 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है, माननीय मंत्रीजी ने पिछली विधान सभा में जो घोषणा की थी। 132 के.वी.ए. सब स्टेशन का शिलान्यास करेंगे, यह भी घोषण की थी। जल्दी वह दिन आने वाला है। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चन्द्रभानजी दोनों पधारेंगे और वहां 132 के.वी.ए. सब स्टेशन की स्थापना होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

(13.00 बजे)

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : मान्यवर, छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की काफी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं तो विभाग के अधिकारियों के कारण हैं जैसे मोखमपुरा 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से इंटर-कनेक्शन नहीं होना। इस संदर्भ में मेरे विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1823 दिनांक 23-3-2000 के जवाब में विभाग द्वारा जो उत्तर दिया गया था उसमें मोखमपुरा 33 के. वी. ग्रीड सब स्टेशन से ढोलम व राई के लिए जो फीडर निकालनी थी उनका कार्य प्रगति पर होना बताया था, परन्तु सच यह है कि उनका कार्य न तो उस वक्त चल रहा था और न ही आज दिन तक चालू हुआ है। इस प्रकार के असत्य जवाब देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए एवं इस कार्य को जनहित में शीघ्र करवाया जाए।

इसी प्रकार सन् 1977 में स्वीकृत साधल एवं मंडला में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। इससे क्षेत्र की जतना को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइनें लम्बी होने की वजह से वोल्टेज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है जिससे खेती के काम में आने वाली मोटरें नहीं चल पाती एवं वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण आए दिन कई किसानों की मोटरें जल रही हैं।

छबड़ा-छीपाबड़ोद क्षेत्र में लगभग 20,000 विद्युत उपभोक्ता हैं, इस बार अकाल की स्थिति को देखते हुए किसानों को 8 घंटे बिजली मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्तमान में किसानों को मात्र डेढ़-दो घंटे ही बिजली मिल रही है। इस क्षेत्र में 80 एम्पीयर बिजली की जरुरत है जबकि वर्तमान में कभी 15 एम्पीयर तो कभी 20 एम्पीयर बिजली ही दी जा रही है जो इस क्षेत्र के साथ अन्याय है। बड़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं जिनकी विभाग के अधिकारियों को समय पर सूचना देने के बावजूद भी नहीं बदला जा रहा है और जो बदले जा रहे हैं उनमें काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन गांवों का विद्युतीकरण होना था वह भी नहीं हुआ। 11 के.वी.एल.टी. लाइन खींचने के लिए भी सामान उपलब्ध नहीं हैं। कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलने से भी जनता परेशान रहती है। अतः मैं बिजली मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इन मांगों का निपटारा शीघ्र करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यहां 80 एम्पीयर लोड की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसकी जगह 15 एवं 20 एम्पीयर ही लोड दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप कल और बोलेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह किसाकनों के साथ अन्याय है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस मामले में व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : कल और मौका मिलेगा आपको, विराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ....क्या वह लोड बढ़ाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल और मौका मिलेगा, विराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, नहीं, यह कुछ भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, इस बात का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसकी जगह 15-20 एम्पीयर ही है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, डेढ़-दो घंटे ही बिजली मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न आपका ध्यांनाकर्षण और महत्वपूर्ण क्या है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : डेढ़-दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। मंत्रीजी की घोषणा है कि किसानों को 8 घंटे बिजली देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कह रहा हूं न, कल आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, साहब, यह 15-20 एम्पीयर बिजली से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल पूरा दिन मिलेगा आपको, इंतजार करो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी :....और इलाकों मे राजनीतिक भेदभाव करके हमारे इलाके के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिजली 15-20 एम्पीयर ही आती हैं, हमको 80 एम्पीयर के लोड की जरूरत है। आपने दूसरे इलाकों का बढ़ा दिया—बारां का बढ़ा दिया, इटावा का बढ़ा दिया, पीपल्दा का बढ़ा दिया, हमारे साथ ही क्यों किया ? ऐसा नहीं, हमारे लोड को काटा गया है, जो 20 मिल रहा था, 20 की जगह 15 कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप पिछले समय का रिकार्ड मंगवा लीजिये। मंत्रीजी, आप ही इस भेदभाव के रवैये के खिलाफ

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कार्यवाही करें। मैं इस कार्यवाही के विरोध में सदन में धरना देता हूं।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा सदन में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारखजी।

श्री रामस्वरूप : आप लोग धरना दें, मेरे को मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, मैं दो सौ रुपये के लड्डू बांटूगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें,। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पता कर लेंगे, और यदि कम है तो बढ़वा देंगे। आज शाम को मेरा स्टेटमैंट आएगा, सुनना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कौन-सा मंच है जहां पर जाकर हम अपनी पीड़ा को कहें?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान की विधान सभा है लेकिन आप तरीके से कहें। 295 में इन्होंने कहा है। कल पूरा दिन इस पर बहस है तब कर लेना अपनी बात, कौन रोकता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सर्वोच्च सदन में अपने इलाके की बात कहें और सरकार से उसका उत्तर नहीं आए, परंम्परा नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को कौन रोक रहा है? इन्होंने अभी अपनी बात 295 में कही है, कल दिन भर आपको मौका मिलेगा बिजली पर बोलने का, फिर क्या बात है?

पाली में कृषि भूमि पर बनी आवासीय बस्तियों का नियमन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय बस्तियों के नियमन हेतु अभियान चला कर भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन लिये गये थे। पाली शहर में भी सैकड़ों व्यक्तियों ने राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद आवेदन पत्रावली मय रूपान्तरण शुल्क एवं अन्य शुल्क नगर परिषद् कार्यालय में जमा करवा दी। पूर्व में भी सैकड़ों आवेदकों ने भूमि रूपान्तरण कार्यालय में अपनी पत्रावलियां मय रूपान्तरण शुल्क एवं विकास शुल्क के जमा करवा रखी हैं। नगर परिषद् पाली ने भी सैकड़ों प्रकरणों में विकास शुल्क जमा कर रूपान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये थे परन्तु संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने एवं संपूर्ण राशि जमा होने के बाद भी इन भूखण्डधारियों को पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। सैकड़ों भूखण्डधारी लम्बे समय से भूमि रूपान्तरण कार्यालय में चक्कर लगा-लगा कर परेशान हो चुके हैं परन्तु अभी तक इन प्रकरणों में कोई प्रगति नहीं हो रही है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि तत्काल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करवाने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें एवं इस कार्य में विलम्ब के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान आवासन मण्डल में वित्तीय अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन का एक ऐसे मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष + + + द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला, घपला ओर अनियमितताएं की गई हैं। मंत्री तो शांतिकुमारजी धारीवाल हैं लेकिन यह मंत्री को भी कुछ नहीं मानते। उन पर शायद मुख्य मंत्रीजी का वरदहस्त है और वह इसलिए कि + + + ने एक आब्लीगेशन मुख्य मंत्रीजी पर किया है कि अपनी सीट खाली करके माननीय मंत्रीजी को स्थान दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह शून्यकाल में बोल रहे हैं? 295 के परव्यू में नहीं आता, 295 का मतलब नहीं है, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : जिसके कारण मुख्य मंत्रीजी इस सदन में आये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट लोगों के मकान आवंटन में भारी अनियमितताएं और घोटाला हुआ है। मानसरोवर योजना में करीब 203 दुकानों के भूखण्ड आवंटित हुए, मैसर्स ई.पी.आई. लिमिटेड के प्रकरण में करोड़ रुपये आवासन मण्डल ने दे दिये। जयपुर और जोधपुर के सौन्दर्यीकरण और निर्माण के नाम पर जहां हाउसिंग बोर्ड का पैसा नहीं लगना चाहिए था वहां पैसा बरबाद कर दिया। आवास विकास लिमिटेड के क्रियाकलापों पर करोड़ों रुपये का खर्चा बिना बात कर डाला। जगतपुरा योजना के लिए अपने निंजी लोगों को टेण्डर देकर करोड़ों रुपये उनकी जेब में डाल दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आवासीय योजना के ले-आउट और बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड में अलग से ड्राइंग शाखा बनी हुई है। उस ड्राइंग शाखा में करीब 12 लोगों का स्टाफ है और हर वर्ष उस पर 18 लाख रुपया हाउसिंग बोर्ड खर्चा करता है। अब तक 1 लाख 75 हजार आवास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्मित किये जा चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी इन्होंने उस शाखा को दरकिनार करके, जो इतना बड़ा लवाजमा हाउसिंग बोर्ड में बैठा रखा है ड्राइंग का उसको दरकिनार करके बिना टेंडर काल किये 8-6-2000 को जगतपुरा योजना की डिजाइन और ड्राइंग बनाने के लिए मैसर्स उत्तमचन्द जैन को प्रोजैक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक करोड़ का काम दे दिया।

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी पुराने हैं, इस बात को जानते हैं कि जो सदस्य यहां का मैम्बर ही नहीं है उसके खिलाफ कुछ इस तरह से चार्जेज लगाना नियमों के बिलकुल विरुद्ध है। इसके अलावा भी इनको कोई प्रकार की शिकायत है तो वह लोकायुक्त के दफ्तर में जाएं और वहां पेश करें।

श्री मदन दिलावर : इनके भ्रष्टाचार के मामले को विधान सभा में नहीं बोलें? दबाव डाला जा रहा है, भ्रष्टाचार के मामले को नहीं उघाड़े। करोड़ो रुपये खा चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपसे परमिशन ली है इन्होंने लिखित में और फिर आसन में परमिशन दी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किसी का नाम लिये बगैर अपनी बात कहें।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ने जोधपुर के रहने वाले श्री उत्तम चन्द जैन को एक करोड़ रुपये ड्राइंग और डिजाइन के लिए दे दिये, कोई टेण्डर काल नहीं किया। टेण्डर के नियम, कानून को ताक में रख डाला। प्रोजैक्ट कमेटी की मीटिंग 6.11.96 को हुई थी जगतपुरा योजना की ड्राइंग और डिजाइन तैयार करने की 10.7.97 को उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें सीनियर टाउन प्लानर को यह निर्देश दिये गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन द पाइंट आफ आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : ...कि 21-7-97 को जो सीनियर टाउन प्लानर थे उनको अपनी रिपोर्ट देनी है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची सिस्टम इसलिए चला था कि रीसेंट अकरेंस यदि कोई ऐसा हो जो आप किसी और माध्यम से नहीं ला पा रहे हैं और आपको पर्ची के माध्यम से हाउस में बात कहनी जरूरी है। यह कब का मामला है, कब की बात है, इसको किसी और दूसरे तरीके से लाए। इस तरह से हाउस का समय जाया क्यों कर रहे हैं। यह कोई रीसेंट अकरेंस हैं? यह कोई आज की घटना है जिस पर आप चर्चा करना इतना जरूरी मानते हैं? रूल्स में कहां हैं यह? (व्यवधान) आपने पर्ची सिस्टम इसलिए बनाया था कि कोई रीसेंट अकरेंस हो, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हो जिसको आपको हाउस में उठाना हो....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये डकार गये और हमसे ...कहें, आप मत बोलो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोई ऐसा इम्पोर्टेण्ट मामला हो, कोई जनहित का हो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला हो जिस पर आज हाउस में चर्चा करना जरूरी था....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : ...और दूसरे तरीके से नहीं आता हो, उसके लिए है। यह मामला ऐसा है जो कई वर्षों से है, यह इसमें नहीं आता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, ये बात को समझते हैं। (व्यवधान) इतने ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : न आपसे कोई इजाजत ली है और दुनियाभर के आरोप लगा दिये। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : यह उसमें आता ही नहीं है। इस तरह से आरोप लगाना. . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी तो रोजमर्रा की आदत पड़ गयी, साहब। इस तरह से हाउस का समय जाया होता है। इनकी रोज की आदत पड़ गयी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : करोड़ों रुपयें खाओं...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : यह सिस्टम ऐसा है कि कोई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस व्यक्ति के स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो चुके वह व्यक्ति सदन में बैठने लायक तो है ही नहीं और वह व्यक्ति सदन में बैठकर के आरोप लगाये यह इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। (व्यवधान) आप रोकिये इस तरह की बात को। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और यहां बैठे हैं उनके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें तो समाप्त कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलना है तो बोलें, नहीं तो समाप्त करें। यह कोई बहस तो है नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर इस पर आप बोलोगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पर्ची पर बोलने की माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है उसका कोई टाइम है, उसकी कोई व्यवस्था है उसके हिसाब से बोलेंगे न आप ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पर आप हाउस को कंट्रोल करो न साहब। मेरे को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : उनको रोक रहा हूं, आपको कह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जी. एफ.एण्ड ए.आर. के अनुसार 30 हजार से अधिक राशि के कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाती है लेकिन एक करोड़ का काम अपने किसी निजी व्यक्ति को दे दिया और उसके कोई टेण्डर काल नहीं किये। वे एक करोड़ रुपये अपनी जेब में डाल लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको जो सुविधाएं दी गयी वह क्या सुविधाएं दी गयीं। वहां बाम्बे से बुलाया गया और इसको सुविधाएं दी गयी कि आप द्वारा

(डा. किरोड़ी लाल)

परियोजना के सम्बन्ध में जयपुर शहर तक की गयी हवाई यात्रा का पैसा दिया जाएगा, रेल की ए.सी. यात्रा का पैसा दिया जाएगा। शहर में आर.टी.डी.सी. होटल या खासा कोठी में रुकोगे तो वहां का पैसा दिया जाएगा। यहां ड्राइंग, डिजाइन के जो एक दर्जन व्यक्ति पड़े हैं उनको दरकिनार कर दिया और बाहर बाम्बे के व्यक्ति को लाकर एक करोड़ रुपये का चूना आवासन मंडल को लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज में एक तिवाड़ी समिति का गठन हुआ था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जो ई.पी.आई. थी, मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट इण्डिया लिमिटेड, वह दिल्ली से आयी थी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में काम करने के लिए। काम को अधूरा छोड़ दिया, काम की क्वालिटी कम थी। उसका 17 करोड़ रुपया बकाया था। इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ने 17 करोड़ रुपये भी छोड़ दिये और तीन करोड़ रुपये इस बात के माफ कर दिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपये इस बात के माफ कर दिये कि इस ई.पी.आई. कम्पनी के वहां पर उपकरण पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने मेरे पाइंट आफ आर्डर पर कोई व्यवस्था दी क्या? कोई व्यवस्था दी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। चीफ व्हिप बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ सो जो पर्ची का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें कुछ मापदण्ड तय किये गये थे। आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा-सा सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर : उसमें यह कहीं नहीं है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार के मामले नहीं उठाये जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आसन की व्यवस्था है—शून्यकाल में पर्ची पद्धति द्वारा संक्षेप में बोलने की अनुमति की मांग—

(1) विषय हाल ही में घटित किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित होना चाहिए,

(2) माननीय सदस्य अध्यक्ष को उनके वेश्म में अधिक से अधिक 11 बजे तक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को एक पर्ची पर लेखबद्ध कर प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में प्राप्त पर्चियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(3) इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक चार माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे। यदि कोई बहुत

(श्री हरिसिंह)

महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती हो तो उसके लिए और विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि हाल ही में घटित किसी घटना जिस के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आ सकें या और किसी माध्यम से सदन में उठाने का समय अगर उसके पास नहीं है और सरकार को तुरन्त कोई कार्यवाही करवानी हो तो इस ढंग से पर्ची के माध्यम से कोई विषयवस्तु उठायी जानी चाहिए। माननीय सदस्य जिस ढंग से यह प्रश्न उठा रहे हैं वह ऐसा लगता है कि जैसे सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे हों। लम्बा विषय ले रखा है, भूतकाल में घटित कई घटनाओं की यहां पुनरावृत्ति हो रही है। यह सदन लम्बा चलेगा, प्रक्रिया के दूसरे नियमों के तहत इन मामलों को उठाया जा सकता है। मेरा आसन से अनुरोध है कि इस प्रकार से सदन का समय जाया नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, जो कुछ आपने पढ़ा है वह माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में है। उसके बाद उन्होंने यह पर्ची दी है उस पर जो कुछ आप कह रहे हैं उसका उल्लेख है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन पर आप विराजमान हैं, समय सीमा तो आप तय करेंगे। समय सीमा तो तय करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, सुनिये। उसके बाद उन्होंने इनको इजाजत दी है बोलने की। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप संक्षेप में इस बात को समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इन्होंने 17 करोड़ रुपये ई. पी. आई. को छोड़ दिये और तीन करोड़ रुपये इस बात के दे दिये कि ई. पी. आई. के उपकरण वहां पर रह गये थे जो काम कर रहे थे। वह तीन करोड़ की नीलामी अभी हाल फिलहाल दो महीने पहले हाउसिंग बोर्ड ने की है तो उसके केवल 85 लाख रुपये मिले हैं, उपाध्यक्ष महोदय। सवा दो करोड़ रुपये इन्होंने जान-बूझकर ई.पी. आई. कम्पनी से सांठ-गांठ करके ज्यादा दे डाले। अभी मुख्य सचेतक जी खड़े हुए थे, वे कह रहे हैं तो मैं आपको हाल की घटना बता देता हूं। आपके यहां के कैबिनेट मंत्रीजी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, अलाटमैंट हुआ है। + + + को वहां पर अलाट किया गया है, बाल विकास परियोजना मंत्री को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक्सपंज करिये इसको। इसको एक्सपंज कीजिये। अंकित मत करो।

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट नहीं है प्लीज। (व्यवधान) हो गया, बहुत हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया, आप विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़। एक्सपंज कीजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। यह अंकित नहीं हो रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, आप बोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप पुराने हैं और आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि आप विराजें प्लीज। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्यों के एतराज के बाद दिया है। (व्यवधान) जितना प्रोटेक्सन दे सकता था उतना आपको दिया है। (व्यवधान) नहीं, हो गया, बहुत हो गया, बैठिये आप। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपने। (व्यवधान) और कभी मौका लेकर बता देना। पर्ची के माध्यम से जितना कह सकते थे, कह दिया। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप सुन लें, मैंने भी तसल्ली से सुना है, डाक्टर साहब, आपको। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात तो यह है कि जीरो आवर का उपयोग किस काम के लिए किया गया। चाहिए तो यह था कि जितने आपके आरोप हैं उन आरोपों को आप या तो कालिंग अटेंशन मोशन बोलते या कोई सवाल बोलते। मैं एक-एक सवाल का जवाब दे देता। (व्यवधान) आप बताइये, डाक्टर साहब, अस्पताल यहां पर भी मौजूद हैं और आपके अगर दिल की बीमारी हो जाती तो क्या दूसरे अस्पताल में नहीं जाएंगे आप? योजनाओं पर निर्भर करता है। आप सुनिये। नहीं, आप सुनिये। (व्यवधान) आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। (व्यवधान) आपकी सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की जो हालत बनाई थी......(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मदन दिलावर जी, आप बैठ जाइये। आप किस बात पर बहस कर रहे हो? आप बैठ जाइये। हमको पता है आपने क्या किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके समय में 25000 मकान नहीं बिक रहे थे। (व्यवधान) बोर्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। आज कुल मिलाकर सिर्फ 10000 मकान रह गये हैं।

श्री मदन दिलावर : 16 करोड़ रुपये के आरोप लगे हैं। 200 करोड़ के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जान करके यह आरोप लगाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी का जवाब तो सुन लें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया वह तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...और अगर आप आरोप का मुझसे जवाब लेना चाहते हैं, मैं एक-एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, जवाब दे दो। जवाब दे दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इस समय मुझसे जवाब नहीं ले सकते। आप किसी मोशन के जरिये आइये।

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दो, आप जवाब दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कालिंग अटेंशन मोशन मंजूर कराइये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 80 करोड़ रुपये का घोटाला..... घोटालों से भरे हुए हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी खुद की तिवाड़ी कमेटी में कितने घोटाले उजागर किये हैं, उसको देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश कीजिये। बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उत्तेजित हो रहे हैं। मैं मंत्रीजी से एक ही सवाल का जवाब चाहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप आपकी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िये पहले, उसमें बताया है कि आपके शासनकाल में कितने घोटाले हुए हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपने + + + को प्लाट किसलिए दे दिया? इसका जवाब दे दो न। एक प्लाट का जवाब दे दो न।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनिये, आपकी 1000 बातों का जवाब दे दूं...

डा. किरोड़ी लाल : आपने + + + को प्लाट दे दिया.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं एक नहीं 1000 बातों का जवाब दे सकता हूं...(व्यवधान) लेकिन किसी तरीके से आप आइये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : 9 लाख 40 हजार प्लाट, एक लाख 75 हजार में दे दिया। लूट खाओ इसको।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो आवर में आप मुझसे जवाब लेना चाहेंगे, मैं नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का मामला है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एम्फोर्ट का घोटाला किसके समय में हुआ था, एम्फोर्ट का घोटाला? माननीय दिलावरजी, आप घोटालों की बात करते हो, आपके समय में भी एम्फोर्ट का घोटाला हुआ था। (व्यवधान) करोड़ों के घोटाले हुए थे। करोड़ों रुपये खा गये आप। (व्यवधान) वे घोटाले किसने किए थे? भाजपा के शासन में घोटाले हुए...व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउसिंग बोर्ड ने इसके हिस्से में कितनी जमीनें छोड़ी हैं...(व्यवधान) और किन-किन कारणों से ब्यावर हाउसिंग बोर्ड में जमीनें आप लोगों ने अवाप्ति से मुक्त की थीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये, आपकी बात समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी 23 करोड़ से ज्यादा के गिना नहीं पाया हूं। यह आंकड़ा पहुंचेगा 80 करोड़

+ + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

तक। इसमें कांग्रेस के लोग भी जिनको निजी संस्थाओं को करोड़ों की जमीन दे डाली, कौड़ी के भाव में दे डाली (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : ....चैक डिसआनर होकर आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ने करोड़ों का घपला किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। इसकी गम्भीरता को समझिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : ....सरकार कोग्नीजेंस नहीं ले रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बैठिये न। (व्यवधान) दिलावर जी, बैठिये। यह मामला बहुत गम्भीर है, आप भी मान रहे हैं। मंत्रीजी ने यह कहा था, आप इसको किसी और तरीके से लाइये, इसका जवाब देंगे। आप बोले जाओगे, जवाब नहीं मिलेगा। (व्यवधान) You come and bring it out. आप किसी और तरीके से लाइये, आपको जवाब मिल जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : आप 131 की परमिशन दो, मैं लगा देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Why should I give the permission? आप लाइये, उस पर डिस्कस करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : मैं 131 में दे देता हूं, आप परमिशन दे दो। आप अब भी बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप लाइये न।

डा. किरोड़ी लाल : मैं 131 में नोटिस दे देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद परमिशन देंगे, ऐसे कैसे परमिशन देंगे?

डा. किरोड़ी लाल : आप परमिशन दे दो, आप व्यवस्था दे दो। इसमें पूरे 80 करोड़ का घपला है। आप व्यवस्था दो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यवस्था नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : यह लूट रहे हैं। यह राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन साहब लूट रहे हैं + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप आइये न नियमों में।

डा. किरोड़ी लाल : यह 80 करोड़ का घोटाला है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। मैं इसकी विस्तृत जानकारी सदन में देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों के तहत लाइये उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बात है? आप बिराजिये प्लीज।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें विस्तृत जानकारी सदन को देना चाहता हूं, एक नहीं 80 करोड़ का घालमघोल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, समझने की कोशिश कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : ये तो सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, मिलकर सारा घोटाला किया है। बंटवारा किया है, बंदरबांट की है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री मदन दिलावर : दो-सौ रुपये के लिये लोग जेल में हैं और 80 करोड़ रुपये खाकर यहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय दिलावर जी, आप मंत्री थे और महिला सदन में गर्भपात हुआ था, कन्याओं का गर्भपात हुआ था। एम्फोर्ट घोटाला आपके समय में हुआ। आज बातें करते हैं आप लोग।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उन्होंने बहुत साफ कहा है।

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बहुत साफ कहा है। आपके अगर कोई एलीगेशंन हैं, आप लाइये किसी रूल के तहत, अध्यक्ष महोदय उस पर स्वीकृति देंगे। सुनिये, सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा है उस बात को मैं स्वीकार करता हूं। माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि किसी और माध्यम से उठाओ। मैं 131 में नोटिस दें देता हूं, आप व्यवस्था दे दो और जवाब मंत्रीजी दे देंगे, उस पर बहस हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब देने का...(व्यवधान) दे दीजिये, आज तो होगा नहीं, आप लाइये।

डा. किरोड़ी लाल : आज नहीं, आप दो दिन बाद का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप लाइये तो उस पर बहस करेंगे। अध्यक्ष महोदय स्वीकृति देंगे, ले आइये।

डा. किरोड़ी लाल : आप दो दिन बाद का समय दे दो। मंत्रीजी ने जो बात कही वह ठीक है। मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं, आसन का आदेश भी मानने के लिए मैं तैयार हूं। 131 में आप दो दिन बाद का समय दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लाइये न पहले।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई आपका प्रस्ताव है नहीं। आप प्रस्ताव लेकर जाइये अध्यक्ष महोदय के पास, जिस पर व्यवस्था होगी। कोई भी प्रस्ताव आप प्रस्तुत करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका 131 में मोशन आएगा, उस पर अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

देंगे। आएगा तो दे देंगे, आप लाइये न। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी ने कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात, प्लीज कोआपरेट।

डा. किरोड़ी लाल : 80 करोड़ का घपला है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

डा. किरोड़ी लाल : आप दो दिन बाद का समय दे दो, मैं पूरा मामला आपके सामने रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डाक्टर साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। मंत्रीजी ने कह दिया आपको। अब कोई इश्यु ही नहीं है, अब क्यों बोल रहे हो? हो गई न बात।

जयपुर स्थित रामबाग काम्प्लेक्स की अधिग्रहित भूमि की वापसी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने आपको पारदर्शी और संवेदनशील मानने वाली सरकार के कार्यकाल में जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं और जिस तरह के घोटाले उजागर हो रहे हैं, मैं समझता हूं, आजादी के बाद ऐसी कोई सरकार नहीं रही होगी जिसके कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में घोटाले हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान की राजधानी के हृदय स्थल रामबाग काम्प्लेक्स की भूमि की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह रामबाग काम्प्लेक्स की भूमि वह भूमि है जिसको तत्कालीन यू.आई.टी. ने 1973 में अधिग्रहित किया था। 27 सालों की लम्बी न्यायिक लड़ाई के पश्चात् उच्चतम न्यायालय में सरकार जीती थी और इस पूरे न्यायिक विवाद में सरकार के लाखों रुपये वकीलों की फीस के लिए जाया हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, अब उसी जमीन का हमारे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री 11 अगस्त को एक फैसला करते हैं और 11 अगस्त को फैसला करके वह भूमि जिस भूमि के अधिग्रहण को उच्चतम न्यायालय ने ठीक माना, उन्हीं लोगों को जिनसे राज्य सरकार ने मुआवजा देकर भूमि को अधिग्रहित किया था, वापस सौंपने का काम इन्होंने किया है। सरकार को गरीब की चिंता नहीं पर सरकार को एक चिंता जरूर है कि राजस्थान के अन्दर चंद धनाढ्य लोग गोल्फ कैसे खेलें। मुख्य मंत्रीजी आप संवेदनशील हैं, तीन अरब रुपये की भूमि आप चंद लोगों के हाथों में इसलिए सौंपना चाहते हैं कि वे अपना शौक पूरा करें। एक तरफ राजस्थान अकाल में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ इस तरह से बेशकीमती भूमि राजस्थान की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजधानी में आपकी नाक के नीचे कुछ लोगों को आप सौंपने जा रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 24–3–1973 को यू.आई.टी. जयपुर ने राजस्थान अरबन इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 52 (2) के अनुसार 322 बीघा जमीन जनहित में पार्क बनाने, वाणिज्यिक भवन बनाने और रिहायशी भवन बनाने के लिए अधिग्रहण का नोटिस जारी किया। उसमें आठ खातेदार थे जयपुर के पूर्व शासक भवानी सिंहजी, गांधीनगर गृह निर्माण समिति और उनके दूसरे लोग। अब किससे कहां किस स्तर पर सांठ-गांठ हुई?

जब ये लोग इधर बिराजते थे, हम पर आरोप लगाते थे कि हम राजा-महाराजाओं के पक्षधर हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपने जिन भवानी सिंहजी को एक-दो नहीं, चार करोड़ रुपये का मुआवजा दे दिया आप वापस गोल्फ क्लब बनाकर उन्हीं को सौंपना चाहते हैं। 11–7–1974 को सैक्शन 52 (1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी करती है यू.आई.टी. और 12–9–74 को भूमि अधिग्रहण की सूचना गजट में प्रकाशित होती है। अधिग्रहण के विरुद्ध खातेदार लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर के सम्मुख अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। सुनवाई के पश्चात् सारी आपत्ति खारिज हो जाती है। उसके पश्चात् मुआवजा बाजारी दर पर मिले, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के अन्दर वे वाद प्रस्तुत करते हैं। अधिग्रहण के विरुद्ध खातेदार उच्च न्यायालय में गये। राजस्थान सरकार ने जो अधिग्रहण किया, न्यायालय ने उसे वैद्य ठहराया। अन्त में कानूनी लड़ाई उच्चतम न्यायालय में पहुंची गांधी नगर गृह निर्माण समिति व अन्य बनाम राजस्थान सरकार।

मंत्री महोदय, आप फैसला करें। आप पूर्व शासक भवानी सिंहजी के घर पर रात्रि भोज में गये उसके बाद आपने फैसला तो कर लिया, परन्तु मैं जो कोट कर रहा हूं उस फैसले को भी आप मंगाकर देख लेना। गांधी नगर गृह निर्माण समिति व अन्य बनाम राजस्थान सरकार, रिपोर्टेड है 662, 1993 का फैसला है। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया है वह वैद्य है। सरकार कुछ चंद लोगों के लिए यहां गोल्फ क्लब बनाने के लिए भूमि दे, वह उचित नहीं है। इसी प्रकार का फैसला प्रताप बनाम राजस्थान सरकार उच्चतम न्यायालय में हुआ। 18–10–1993 को जे.डी.ए. के लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर ने खातेदारों को छह करोड़ रुपये के मुआवजे के अवार्ड जारी किये और 1–11–1993 को राज्य सरकार ने इसको एप्रूव कर दिया। लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर के अवार्ड के विरुद्ध महाराजा भवानी सिंहजी, गांधीनगर गृह निर्माण समिति यह आब्जेक्शन करते हैं कि उन्हें बाजार दर से और ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए जो विवाद आज भी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जारी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, 2-11-1993 को जे.डी.ए. एक्ट, 1982 के अन्तर्गत भूमि पर जे.डी.ए. अपना कब्जा कर लेती है और एक योजना बनाती है कि 322 बीघा जमीन पर तकनीकी उद्यान बने, स्टेट ओपन गार्डन् बने, एक इन्टरनेशनल एक्जीबिशन हाल बने, जैम एण्ड ज्वैलरी पार्क बने, इलेक्ट्रोनिक गुड्स हाउस बने। इसके पश्चात् क्या होता है, उपाध्यक्ष महोदय? 1993 में श्री कमलाकर शर्मा जो इस गोल्फ क्लब के सदस्य हैं, अपने आप को पर्यावरणविद् बताकर कहते हैं कि यहां का पर्यावरण ठीक रहना चाहिए, यहां किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। वह राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वाद दायर करते हैं। इसके साथ ही दो अन्य व्यक्ति एक तो रामबाग गोल्फ क्लब और एक डाक्टर एस. सी. काबरा, यह भी उच्च न्यायालय में वाद दायर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद के पश्चात् एकल पीठ निर्णय देती है कि इस भूमि पर सरकार कोई निर्माण कार्य नहीं करे। एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ राजस्थान की सरकार डी.बी. में जाती है। खण्ड पीठ एकल पीठ ने जो निर्णय दिया उसके तो आपरेशन पर रोक लगाती है और खण्ड पीठ यह कहती है कि भूमि जे.डी.ए. के कब्जे में रहेगी, जे.डी.ए. उस पर तारबंदी कर ले परन्तु उसमें निर्माण कार्य नहीं करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो रिजर्व प्राइस है इस भूमि की वह पन्द्रह हजार रुपये स्क्वायर यार्ड है। एक बीघा में 3025 गज, इसका कुल बनाकर देखें तो पन्द्रह अरब रुपये की भूमि है। वह पन्द्रह अरब रुपये की भूमि जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय यह कहे कि इसका अधिग्रहण सरकार ने ठीक किया, समझौता करके हमारे मंत्रीजी सौंप कर आ रहे हैं वापस उन्हीं खातेदारों को। भवानी सिंहजी खातेदार हैं और यह समझौता क्या करते हैं? कि इस जमीन में से राम बाग काम्प्लैक्स भूमि की 90 बीघा जमीन में अठारह होल का गोल्फ क्लब बनेगा। मंत्री महोदय, आपने गोल्फ खेला होगा, लेकिन यहां बैठे माननीय सदस्यों को पता नहीं कि अठारह होल गोल्फ क्लब क्या है। आपकी रुचि जरूर है और आपकी रुचि क्यों है, यह सारा नेपथ्य में छिपा हुआ है। मंत्री महोदय, आप मेरे मित्र भी हैं, लेकिन जिस दिशा में जा रहे हैं, राज्य की जनता की नजर बहुत पैनी है, एक-एक चीज जनता देख रही है। आप फैसला करके लिखित में करार करके आ गये और करार करके आपने यह कह दिया कि एक गोल्फ हाउस तो जे.डी.ए. के खर्चे से बनाएंगे। आपने यह भी कह दिया कि गोल्फ क्लब को पूरा विकसित करके जे.डी.ए. अपने खर्चे से देगा। और आपने यह भी कह दिया कि पोलो खेलने के लिए, घोड़ों की कसरत करने के लिए इसी भूमि में से अलग जमीन देंगे। जे.डी.ए. गोल्फ हाउस बनाएगा....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बेहतर यह होगा कि यह एग्रीमैंट पूरा पढ़ लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन-सा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह एग्रीमैंट, जिसको आप बता रहे हैं न, अगर आप पूरा पढ़ जाएं—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : Minutes of the meeting of the Committee Constituted by the Government. (व्यवधान) आप बीच में? अभी टाइम लगेगा, मंत्री बनोगे तब बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में पढ़ लेना, आप तो इसको समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने कहा है तो मैं एग्रीमैंट पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"As a part of its proposed scheme of city level park on the acquired land of Rambagh campus, JDA will have an 18 hole golf course including a Club House. For this purpose, JDA will engage a Golf expert to design (including redesigning/ relaying, if required) an 18 hole golf course so that it is accommodated...."

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मैंने और आपने तो हिन्दी मीडियम से पढ़ा है, छोड़ो अंग्रेजी का मामला।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने हिन्दी मीडियम से पढ़ा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है परन्तु आप भी कौन से कैम्ब्रिज में जाकर आये हो, मुझे मालूम है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने खुद ने कहा है कि मैं और आप हिन्दी मीडियम से पढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह साफ एग्रीमैंट है जिस एग्रीमैंट पर वेद आहूजा के दस्तखत हैं, कमलाकर शर्मा के दस्तखत हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरा पढ़िये। एग्रीमैंट पूरा पढ़िये या यह मुझे दे दीजिये, मैं पढ़ लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं पढ़ दूंगा।

"As a part of its proposed scheme of city level park on the acquired land of Rambagh campus, JDA will have an 18 hole golf course including a Club House. For this purpose, JDA will engage a Golf expert to design (including redesigning/ relaying, if required) an 18 hole golf course so that it is accommodated in minimum possible area and integrates and complements the polo and the public park uses of the land."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कन्क्लूजन पढ़ लिया।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, आसन इस बात से पाबंद नहीं है कि कौन मंत्री, कौन सदस्य क्या करने के लिए कहे। आपने जब व्यवस्था दे दी कि इसका कन्क्लूजन आपने कर दिया और आपने देख लिया.....

श्री उपाध्यक्ष : यही कह रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि माननीय मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि नहीं, इसको पूरा पढ़िये, पूरा पढ़िये, सदन इसके लिए पाबंद भी नहीं है, आसन पाबंद नहीं है, इसलिए आपने व्यवस्था दी वही कायम रखवाइये। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सदन का समय क्यों जाया करें?

श्री उपाध्यक्ष : यही कोशिश कर रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपने इसका पैरा दो देखा होगा। The 18 hole golf course will be owned by the Jaipur Development Authority.

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात यह उठा रहे हैं उसके अन्दर उनकी मंशा समझ में आए। बेआधार गलत बात बोले जा रहे हैं। वह जिस एग्रीमैंट में लिखा, क्या सरकार ने गलत कर दिया.....(व्यवधान) पहले भैरोंसिंहजी की सरकार में मीठा लालजी वहां ज्वैलर्स को दे रहे थे, अगर आज की सरकार गोल्फ क्लब को देकर वहां क्लब और पार्क बनाना चाहती है तो क्या गलत काम कर रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा सवाल मंत्री महोदय से यह है.....

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : इनकी सरकार जो जैम एण्ड ज्वैल्स को देना चाह रही थी वह क्या इलीट क्लास नहीं है? आप कहते हैं कि गोल्फ गेम ऐसा है जिसे केवल इलीट क्लास खेलता है, तो क्या आपके जौहरी लोग इलीट क्लास नहीं हैं जिनके लिए आप काम्प्लेक्सेज बनाना चाहते हैं वहां? पहले आप इस बात का जवाब दीजिये। आपकी सरकार ने केवल उन्हीं के लिए कहा है। आप कठपुतली नगर वालों को वहां बसाना चाहते हैं या कोई कच्ची बस्ती को वहां शिफ्ट करना चाहतें हैं तो आप बात करिये। जो जयपुर के लंग्स हैं, पर्यावरण के हिसाब से.....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह कौन-सी बहस करा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बात का पहले जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, कमलाकरजी को अलाट हो जाएगी, शर्मा साहब।

श्रीमती ममता शर्मा : यहां सवाल कमलाकर शर्मा का नहीं है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की पीड़ा मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, सुनिये, आपने अपनी बात जो कहना चाहते थे, पाइंटेड कह दी। अब उसका जवाब अभी तो आना नहीं है। आपने मूल बात कह दी कि गोल्फ कोर्स यहां नहीं बनाना चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे इजाजत दें तो मैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल यह है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सवाल किस को कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की सरकार ने 27 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। जिस भूमि के अधिग्रहण को उच्चतम न्यायालय ने वैद्य माना, जिन खातेदारों ने उस भूमि का मुआवजा लिया और मुआवजा भी, उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो नहीं, चार करोड़ का मुआवजा ले लिया, उन्हीं खातेदारों को वह भूमि दोबारा दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : दोबारा भूमि दे रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या अर्थ है इसका? इन्होंने कह दिया....

श्री उपाध्यक्ष : कह दी न आपने अपनी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जे.डी.ए. गोल्फ क्लब जो बन रहा है उसका पूर्ण नियंत्रण, संचालन गोल्फ क्लब करेगा और अपने संविधान के अनुसार करेगा। यह फैसला कर आये कि गोल्फ क्लब के स्थाई अध्यक्ष भवानी सिंहजी होंगे, भवानी सिंहजी उसी भूमि पर 1973 से गोल्फ खेल रहे हैं। सरकार ने इसलिए उसको अधिग्रहित किया कि इस जमीन का उपयोग दूसरे प्रयोजनार्थ हो। मुआवजा भी दे दिया और उन्हीं को वापस दे रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट तो है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है....

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रख रही है। हमारे मंत्री महोदय को पर्यावरण का....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का मौका दे दीजिये मुझे और मैं इनकी बात साफ कर देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की गरीब जनता की तीन अरब की भूमि, एक-दो नहीं, तीन अरब की भूमि मिलीभगत करके वापस उन्हीं खातेदारों को सौंपना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती ममता शर्मा : प्रांत की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए पर्यावरण की अत्यन्त आवश्यकता है, उस पाइण्ट आफ व्यू से भी इस गोल्फ क्लब को बचाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य को कुछ शंकाएं हुई हैं। देखिये, यह बात बिल्कुल सही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह कोई डिबेट तो है नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डिबेट नहीं, मैं कुछ शंकाएं दूर कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कहां जरूरत पड़ रही है इसकी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शंकाएं दूर कर दूं, मैं तो यह कहा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : It is not required.

श्री जनार्दन गहलोत : वह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए उनको बोलने की जरूरत है। वह गुमराह कर रहे हैं हाउस को। कर्नल भवानी सिंहजी को राइट दे दिया क्या सरकार ने? आजीवन अध्यक्ष की बात उठाई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, आप इसको डिबेट करना चाहते हैं क्या?

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, डिबेट नहीं कराना चाह रहे लेकिन माननीय सदस्य ने यदि सदन को गुमराह किया है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह प्रोपर्टी जे.डी.ए. की है। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय चाहता हूं। यह प्रापर्टी जे.डी.ए. की है और रहेगी। सवाल इतना-सा है कि जे.डी.ए. का प्लान इसमें क्या है। तत्कालीन सरकार ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भी इस माननीय सदन का सदस्य था, आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब बजट स्पीच दे रहे थे अपनी तो माननीय चंदनमलजी ने इस बात का सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर आब्जैक्ट किया था कि आपका प्लान है कि जैम्स एण्ड ज्वैलरीज के लिए यहां पर काम्प्लेक्स बनाया जाए, तो आपने गर्दन हिलाकर मना किया था कि नहीं, नहीं बनेगा। आप यह बता दें। या तो यह तय कर दें कि यह राम बाग का परिसर जयपुर का लंग्स है या नहीं है? अगर लंग्स है तो यह ओपन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर ओपन रहना चाहिए तो फिर इमारतें कैसे खड़ी हो पाएंगी उन पर? हमने जो तय किया, इस एग्रीमैंट को आपने पूरा जानकर नहीं पढ़ा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि यह प्रोपर्टी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जे.डी.ए. की रहेगी, गोल्फ क्लब भी बनेगा तो जे.डी.ए. गोल्फ क्लब कहलाएगा, पोलो क्लब भी बनेगा तो जे.डी.ए. पोलो क्लब कहलाएगा। सवाल यह है कि इसका अध्यक्ष कौन रहेगा। हमने भवानी सिंहजी का आदर करते हुए क्योंकि उनके परिवार ने पोलो इन्ट्रोड्यूज किया है जयपुर में, इसलिए उनको अध्यक्ष रखा। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष यू.डी.एच. सैक्रेटरी को बनाया। सुनिये आप, गोल्फ क्लब में अध्यक्ष बनाया है यू.डी.एच. सैक्रेटरी को। टोटल कन्ट्रोल हमारा रहेगा। ओपन रहेगी लैण्ड, कोई किसी प्रकार की इमारत खड़ी नहीं होगी। पोलो क्लब बनेगा, गोल्फ क्लब बनेगा और बाकी जमीन पर सिटी लेवल पार्क बनेगा। क्या एतराज है आपको? क्या एतराज है, बताइये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो एग्रीमेंट किया....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो यह समझ लेते हैं कि हमने जमीन दूसरों को दे दी। यह देने-लेने का काम आप करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस गति से चल रहे हैं देने-लेने के मामले में, उसका कोई सानी नहीं है। आपने जो 11 तारीख को एग्रीमेंट किया उसमें गोल्फ क्लब के आदेश में आपने खुद ने लिखा कि यू.डी.एच. सैक्रेटरी इसके प्रेसीडेंट रहेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके बाद जब भवानी सिंह जी ने आपको खाने पर बुलाया उसके बाद आपने कूट रचना रची है। आपने उस भूमि को जिसका मुआवजा भवानी सिंह जी को दिया, वापस उन्हीं को सौंपने का काम किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो भवानी सिंह जी के खाने पर एक बार ही गया हूं, आप तो टोटल ही खाना उन्हीं का खा रहे हैं। आज तक उन्हीं का खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री मदन दिलावर। आर्डर, प्लीज, आर्डर, विराजिये। माननीय सदस्य राजेन्द्र जी, समाप्त हो गया, अब क्या है? विराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. गोल्फ क्लब बनाकर यह भूमि वह है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जहां गोल्फ खेला जाता रहा है। 1973 में सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह आपने जो कम्प्रोमाइज किया है वह मंत्री की हैसियत से किया है या गवर्नमेंट पूरी की हैसियत से किया है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जो कम्प्रोमाइज किया है वह किन परिस्थितियों में किया है, दो मिनट उस बाबत सुन लें। जे.डी.ए. ने सबसे पहले यह प्लान बनाया कि इस पूरी जमीन पर सिटी लेवल पार्क बनाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में जाकर हमारा पूरा प्लान एक साल के लिए उन्होंने स्टे करवा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बता दिया इन्होंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिर में हमें इसी बात पर तैयार होना पड़ा कि इनसे हम किसी प्रकार से कम्प्रोमाइज कर लें ताकि यह सिटी लेवल पार्क जयपुर की जनता के काम में आए। अब सवाल यह आता है कि कम्प्रोमाइज कैसे किया और किस हैसियत से किया, तो वह जे.डी.ए. के चेयरमैन की हैसियत से किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्थान के मंत्रीमण्डल ने एक कैबिनेट की समिति बनायी थी कि इस सारे प्रसंग पर विचार करके राज्य सरकार को सलाह दे? क्या आपने सलाह दी है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्री जी ने एक कैबिनेट सब-कमेटी बनायी उस सब कमेटी ने हमें आथोराइज किया और उसकी बिना पर हमने यह एग्रीमैंट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, क्या यह सही है कि यह जो कमेटी का आर्डर है उसमें केवल सलाह देने की बात कही गयी है? आप इण्डिपेण्डेण्ट डिसीजन ले लें, इस प्रकार की बात का उल्लेख नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या है? तो आप कर सकते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रीजी जो कह दें उसको आप इंडोर्स करते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जवाब दे दिया, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, आपने दे दिया, ठीक है। मैं आपकी बात को पुख्ता करना चाहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप आफ हैण्ड मुख्य मंत्रीजी से कमिटमैंट लेना चाहें, मुख्य मंत्रीजी को एक-एक बात की जानकारी हो, ऐसा तो सम्भव नहीं होता....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं मैं बात को पुख्ता करना चाहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस बात को इंडोर्स करने के लिए मुख्य मंत्रीजी....(व्यवधान)....

श्रीमती ममता शर्मा : साहब, हमारे यहां पावर्स सेन्ट्रलाइज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इंडोर्स कर दें मुख्य मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इस मुतल्लिक मुझसे पूछ लें जो पूछना चाहें, मैं दूंगा जवाब आपकी बात का।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, समाप्त कीजिये। माननीय मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, यह कोई डिबेट तो है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, इस भूमि का अधिग्रहण सन् 1973 में कुछ शर्तों पर हुआ था और उन्हीं शर्तों के आधार पर लड़ते-लड़ते उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अधिग्रहण ठीक है। अब आपने उन सारी शर्तों को ताक मे रख कर गोल्फ क्लब और पोलो क्लब को जमीन देना तय कर दिया। क्या आप यह नहीं मानते कि गांधी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति और दूसरे लोग अब कोर्ट में जाकर कहेंगे कि जिन शर्तों पर हमारी जमीन को अधिगृहित किया था उन शर्तों के अलावा सरकार ने दूसरा फैसला कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सरकार फैसला करे। विराजिये प्लीज। मदन दिलावर जी। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति जिसका आप जिक्र कर रहें हैं, वह 20 साल से कोर्ट में गयी हुई है, कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो कोर्ट के फैसले के पहले आप कोई फैसला कर लें, यह वैद्य है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलना बंद करिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मामला सबजुडिस है।

डा. किरोड़ी लाल : क्या, मंत्रीजी, यह आपके द्वारा कोर्ट की अवमानना नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : होगी तो उसका जवाब वे देंगे, आप क्यों तकलीफ पा रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर अवमानना है तो आप भी चले जाइये न्यायालय में।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, यह कोई डिबेट नहीं है। आपने इसको डिबेट में डाल दिया। आपके नेता महोदय ने प्रश्न पूछ लिया, जवाब आ गया। अब इसको क्या बहस में डाल रहे हैं आप? मदन दिलावर जी।

बारां जिले की तुलसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विद्युत कनेक्शन

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले में तुलसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से एक परियोजना है, मैं बहुत आभारी हूं उस समय के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने सन् 1978 में 33 करोड़ रुपये लगा करके इस योजना को प्रारम्भ किया था और तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री वी.पी. सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। मैं भी वहां उपस्थित था। 33 करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि होती है और उस लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से 10 हजार बीघा से भी ज्यादा जमीन सिंचित होती है। उस जमीन के सिंचित होने से हजारों परिवार चलते हैं, लाखों अपना पेट भरते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। उसके कारण से बहुत सारा मण्डी टैक्स सरकार को मिलता है। जो पैसा रोटेट होता है मार्केट में उससे भी बहुत बड़ी राशि टैक्स के रूप में सरकार को मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि इस सरकार के सिंचाई मंत्री और ऊर्जा मंत्री के द्वारा आपस में लड़ाई करने के कारण मेरे यहां की 10 हजार बीघा जमीन असिंचित रह गयी है और हजारों परिवार भूखों मरने की स्थिति में है। आज उनकी 65 लाख रुपये की लड़ाई है कि 65 लाख रुपये सिंचाई विभाग दे या बिजली विभाग दे। इससे आम जनता को लेना-देना नहीं, वह तो सरकार से लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ करवाना चाहती है।

आज किसान सिंचाई योजना प्रारम्भ नहीं होने के कारण, उसका कनेक्शन नहीं जुड़ने के कारण, पानी नहरों में प्रवाहित नहीं होने के कारण से भूखों मरने की स्थिति में आ गया है और सरकार जान बूझकर मेरे क्षेत्र में महाकाल की स्थिति पैदा कर रही है। श्रीमान् अकाल हो जाएगा और अकाल हो जाएगा तो लोग भूखों मरेंगे। आपको जानकारी है कि पिछले साल अकाल में कितने लोगों ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी, कितने लोग भूख के कारण मर गये थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी यही स्थिति होने वाली है। यदि ऐसा नहीं किया तो मेरे लोग भूखों मर जाएंगे, भूख के कारण फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। गहने बेचने की स्थिति पैदा हो गयी है, हमारे यहां लोग पलायन करने की स्थिति में हो गये हैं।

(श्री मदन दिलावर)

आपको पता होगा कि हमारा क्षेत्र कितना प्रताड़ित है इस सरकार से। इल्ली रोग लग गया और ढाई लाख हैक्टेयर क्षेत्र इल्ली से प्रभावित हो गया है। ढाई लाख हैक्टेयर यानि 15 बीघा के लगभग। उसके कारण से 480 करोड़ रुपये हमारे किसानों के बरबाद हो गये। यह गलती किसकी है? यह गलती सरकार की है। यह गलती सरकार की इसलिए है कि राजफैड से जो दवा हम खरीदते थे, पूरा विश्वास था इस सरकार के ऊपर कि राजफैड से जो दवा खरीदी जाएगी वह सही होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, राजफैड की मेरे पास रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जितने भी नमूने लिये गये राजफैड से, सारे के सारे नकली साबित हुए। उसके कारण से आज मेरे काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। काश्तकारों ने सोयाबीन की फसल के लिए लोन लिया था। खाद मोल लिया, बीज लोन लेकर लिया लेकिन आज उससे कोई फसल नहीं निकली। उस फसल नहीं होने के कारण अगली फसल नहीं बो पा रहे हैं और अगली फसल नहीं बो पा रहे हैं तो आज भूखों मरने की स्थिति में असहाय होकर दम तोड़ रहे हैं। श्रीमान् यही नहीं, गहने बेच दिये गये हैं, अपने बच्चों को दूसरे रिश्तेदारों के परिवारों में पढ़ने भेजा जा रहा है क्योंकि उनके लिए खाने को पैसा नहीं है, फीस जमा कराने का पैसा नहीं है। आज भयंकर स्थिति मेरे किसानों के सामने हो गयी है। 65 लाख 'रुपये शायद मेरे 10 हजार लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार ने कल की तारीख में इस लिफ्ट परियोजना को प्रारम्भ नहीं किया तो मैं हमारे काश्तकारों को लेकर जाऊंगा और जबरदस्ती उस लिफ्ट सिंचाई योजना को चालू करूंगा। यदि सिंचाई मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी में ताकत हो तो मेरे को रोक कर देख लें। वह लिफ्ट सिंचाई योजना चालू होगी, दुनिया की कोई ताकत उस लिफ्ट सिंचाई योजना को चालू होने से रोक नहीं सकती। चाहे कितना भी बलिदान इस लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए देना पड़े, मदन दिलवार और भारतीय जनता पार्टी यह बलिदान देने को तैयार है लेकिन काश्तकारों को मरने नहीं देंगे।

श्रीमान्, इल्ली रोग होने से इतना नुकसान होने के बाद घास भैरू, हमारे लोक देवता की नाहरगढ़ में यात्रा निकाली जा रही थी। पुलिस ने घास भैरू यात्रा निकालने वालों पर लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक उनको मारा और कहा कि ये लोग आतंक फैलाना चाह रहे थे। लोक देवता हैं हमारे घास भैरू जी, जब कोई प्रकोप होता है, जैसे इल्ली का प्रकोप हुआ तो उन्होंने घास भैरू की यात्रा निकालनी चाही लेकिन करीब 22 लोगों के शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा जहां पर मारा नहीं हो। उलटा लटका-लटका कर, रोलर लटका-लटका कर, थाने में ले जाकर उनको मारा और हमारे लोक देवता की पूजा नहीं करने दी। उसका परिणाम? नकली दवाइयां देकर हमारे काश्तकारों को इन्होंने

(श्री मदन दिलावर)

लूटा। इतना लूटा कि कई परिवार के लोग तो जहरीली दवा पीकर दम तोड़ रहे हैं और पुलिस वाले यह कह कर उन पर केस बना रहे हैं कि यह मानसिक रूप से असंतुलित था इसलिए दम तोड़ दिया। शाहबाद किशनगंज में एक महिला ने सोयाबीन की फसल से परेशान होकर जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो जहरीली दवा पीकर अपना दम तोड़ दिया, आत्म हत्या कर ली। यह सरकार जहां 80-80 हजार का घोटाला कर सकती है वहां 65 लाख रुपये मेरे काश्तकारों को देकर उस सिंचाई परियोजना को प्रारम्भ नहीं करना चाहती। मैं फिर चेतावनी देता हूं इस सरकार को कि यदि कल की तारीख में उसने लिफ्ट सिंचाई परियोजना को प्रारम्भ नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का बच्चा-बच्चा मदन दिलावर सहित वहां जाएगा और लिफ्ट सिंचाई परियोजना को चालू करेगा, इस सरकार की ताकत हो तो इसको रोक ले। यह चेतावनी देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जितने जोर-शोर से बहुत शहादत देने की धमकी से अपनी बात रखी है वह बहुत देर से रखी है। आपसे पहले उस इलाके के दूसरे माननीय सदस्य श्री शिवनारायणजी दो-चार दिन पहले इस बात का बहुत तकाजा कर चुके हैं, हमें जानकारी है और माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से बात करके हम आदेश दे चुके हैं कि अविलम्ब उस लिफ्ट योजना का कनेक्शन जारी कर दिया जाए। मैं यह उम्मीद करती हूं कि कल तक वह जारी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं 9 महीने से कह रहा हूं। जब वहां के किसानों का दवाब आप पर पड़ा तो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप विराजिये। श्री रामगोपाल जी बैरवा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : एक मिनट दे दो, साहब। हमारे इलाके में भी इल्ली का भयंकर प्रकोप हुआ था, उससे संबंधित बात है। बड़े अफसोस की बात है माननीय मुख्य मंत्रीजी कोटा पधारे उन्होंने एक भी खेत का अवलोकन नहीं किया और मात्र सेमकोर के उद्घाटन में गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। यह क्या इश्यू है अभी?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, उस समय वहां भयंकर प्रकोप चल रहा था। अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार के मुख्य मंत्रीजी वहां आये तो किसी के खेत में जाकर तो देखते कि कितना प्रकोप हुआ है, क्या नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कल यह विषय आएगा, आप कल बोल लेना।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कृषि मंत्रीजी गये लेकिन सड़क से नीचे नहीं उतरे। (व्यवधान) गाड़ी में बैठकर सीधे चले गये, सीधे आये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं इसके साथ-साथ एक मांग और करता हूं कि जो गिरदावरी हुई है वह गलत तरीके से हुई है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। विशेषकर बारां जिले में आप स्पेशल गिरदावरी करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये सब इश्यू हाउस के सामने आने वाले हैं तब बोल लेना।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह जो फसल के खराबे का आकलन किया है इससे हम सहमत नहीं हैं, दुबारा गिरदावरी करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह इश्यू आएगा तब बोल लेना। बैठिए।

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय वहां कह कर आये थे कि मैं जाऊंगा, मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा और मुआवजा दिलवाऊंगा। गिरिजा जी व्यास वहां कह कर आई थीं कि मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। बहुत सारे मंत्री और कृषि विपणन मंत्री जी वहां पहुंचे थे। उन्होंने यह कहा मैं तो मंडी का मंत्री हूं, मेरा लेना-देना नहीं है। मंडी में जब माल आएगा तब देखेंगे। इसलिए मुआवजा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सदस्य, मैं आपकी ही बात रख रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाड़ौती के किसानों की इल्ली के प्रकोप से जो सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है उसके लिये माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। यदि हमारी कृषि किसी तरह के प्रभावित होती है तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में सम्पूर्ण राजस्थान में जिस तरह से हालात हैं, कम वर्षा के कारण अकाल की स्थिति बन रही है। कोटा जिला, बारां जिला और मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील पीपल्दा में किसानों के द्वारा सोयाबीन की फसल की बुआई की गई थी, लेकिन वहां इल्ली का इस तरह का भयंकर प्रकोप हुआ कि कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के बाद भी सम्पूर्ण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। राज्य सरकार तक इस बात को पहुंचाया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों की बात को तत्परता से लेते हुए माननीय कृषि मंत्रीजी ने हाड़ौती के कोटा और बारां का दौरा किया और प्राथमिक स्तर पर माननीय कृषि मंत्रीजी ने कीटनाशक दवाइयों पर अनुदान और सब्सिडी दिलवा कर किसानों को दवाइयां उपलब्ध करवायीं। लेकिन इसके बावजूद भी कीटनाशक दवाइयों का सही उपयोग नहीं हुआ और सम्पूर्ण किसानों की सोयाबीन की फसल बरबाद हो गई। इससे आज किसानों के सामने अपने खाने-पीने के लिये और विशेष तौर से पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों की सोयाबीन की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है उन किसानों के लिये मुआवजा राशि उपलब्ध करवायी जाए या उस क्षेत्र में गिरदावरी के माध्यम से सर्वे करवा कर अकाल राहत कार्य स्वीकृत कर चालू करवाये जाएं जिससे किसानों को राहत मिल सके। आपने जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, डा. चन्द्रभान, ऊर्जा मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 15 (2) एनर्जी/94 पार्ट-II दिनांक 30 नवम्बर, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 1999 विरचित किये गये हैं,

(2) अधिसूचना संख्या एस. ई. सी. वाई/ आर. ई. आर. सी. /आर. ई. जी.। दिनांक 22 जनवरी, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2000 बनाये गये हैं, एवं

(3) अधिसूचना संख्या एसईसीवाई/ आर. ई. आर. सी. /आर. ई. जी.। दिनांक 22 जनवरी, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सचिव की शक्तियां और कृत्य) विनियम, 2000 बनाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी, राजस्व मंत्री।

उपनिवेश विभाग

श्री बुलाकी दास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ.-4(11) कोल/96 दिनांक 15-4-2000 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेश (सामान्य कालोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किये गये हैं,

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4(4) उप/99 दिनांक 15-4-2000 तथा अधिसूचना संख्या एफ6 (112) उप/92 पार्ट-4 दिनांक 4-9-2000 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों को राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1972 में संशोधन किये गये हैं,

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(16) कोल/99 दिनांक 15-4-2000 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशक (इन्दिरा गांधी नहर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिये नियम बनाये गये हैं, एवं

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) उप/98 दिनांक 12–10–2000 जिसके द्वारा विशेष आबंटन में काश्तकारों को तीन समान किस्तों के बजाय पांच समान किस्तों की राशि का प्रावधान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन व लेखे। डाक्टर चन्द्रभान, ऊर्जा मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान वित्त निगम का लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1998-99 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

श्री छोगाराम बाकोलिया (परिवहन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1999-2000

श्री भगराज चौधरी (पर्यावरण राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन "क" समिति का आठवां व नवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री शिवचरण माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन समिति "क", 2000-2001 के निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

1. ऊर्जा विभाग (अन्तर्राज्यीय जल विद्युत परियोजना) से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2000-2001 का आठवां प्रतिवेदन, एवं

2. आबकारी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2000-2001 का नवां प्रतिवेदन।

कार्य सलाहकार समिति का 9वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री हरिसिंहजी महुवा।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री शांति धारीवाल।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर पालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-22) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-22) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर पालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-22) को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000। श्री गुलाब सिंहजी शक्तावत, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहित (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-18) को विचारार्थ लिया जाए।

(14.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक और संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इसी विधेयक की धारा 127 में, जो 125 में संशोधन किया गया है इसका कंसीक्वेंशनल चेंज है, उस अमैंडमैंट को मूव करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इसको विचारार्थ लिया है उसके बाद।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उस संशोधन को यह करें तो सही, 127 में जो संशोधन माननीय गृह मंत्रीजी प्रस्तावित करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह विचारार्थ के बाद लेंगे। स्टेज आएगी जब लेंगे। श्री शिवनाथ सिंहजी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत पहले यह व्यवस्था की जानी चाहिये थी, क्योंकि वर्तमान में जो व्यवस्था है और जिन लोगों के लिये व्यवस्था की गई है वह उनके लिये बहुत अपर्याप्त है। सरकार ने इस कानून में इस बिल के द्वारा उसको कुछ ठीक करने की चेष्टा की है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था की गई है वह आज के हालात में समस्या का निराकरण नहीं कर पाती है। थोड़ा मैं बैकग्राउण्ड में जाना चाहूंगा।

यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 है जो हमारे देश में बहुत चर्चित रही है और इसमें मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी गये हैं कि धार्मिक कारणों से, सामाजिक कारणों से जो पीड़ित लोग हैं उनको रिलीफ दी जाए। इसमें बहुत अड़ंगे लगाये गये और सुप्रीम कोर्ट में मामले गये। आखिर एक साहसिक कदम उठाया गया और मैं बहुत विवेचन में नहीं जाकर

(श्री शिवनाथ सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन महिलाओं को जिनको कोई संरक्षण नहीं था, संरक्षण मिला और गुजारे की राशि दी गई।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवदेन करना चाहूंगा कि आज के दिन जिस प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था में बुराई आई है और टीवी कल्चर ने हमारे समाज में जो विकृतियां पैदा कर दी हैं उससे यह समस्या और भी बढ़ी है। आज पढ़े-लिखे जवान अधिकारी जो बीस-बीस हजार रुपये तक तनख्वाह पाते हैं, उनको मां और बाप में बदबू आती है। उनको अपने साथ बैठाकर नहीं रखना चाहते। उनके लिये कहीं गौशालाएं देखते हैं, कहीं वृद्धाश्रम देखते हैं और उनको छोड़कर अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत करना चाहते हैं।

(14.04 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति जी, आज की व्यवस्था में यह जरूरी है कि जो लोग समाज में असमर्थ हैं, कमाने-खाने की हालत में नहीं हैं, जिनकी कमाई का कोई साधन नहीं हैं और जिनके जीवन को अत्याचारियों ने पीड़ित किया है उनको पूरा संरक्षण मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ओरिजिनल क्लाज है उसमें किसलिये दिया गया था। धारा 125 में उन लोगों को दिया गया था जो माइनर हों :

"Order for maintenance of wives, children and parents—

(a) his wife, unable to maintain, herself, or

(b) his legitimate or illegitimate minor child, ..."

चाहे जायज संतान हो या नाजायज संतान हो। यह नाजायज संतान पैदा होने का सिलसिला हमारे कब से शुरू हुआ? आज उनको आवश्यकता है संरक्षण की। इसी तरह से वे बीबियां जिनको कुछ समय तक पतियों ने भोगा और फिर डाइवोर्स कर दिया, छोड़ दिया। कैप्ट नाम से दूसरी बीबियों को रखा और उन लोगों की हालत इतनी बदतर कर दी कि समाज में उनको स्थान नहीं है। इललैजिटिमेंट चाइल्ड के नाम से आज शर्म आती है। इस प्रकार के लोगों को यह धारा 125 संरक्षण देती है।

अब हम देखें, नये प्रावधान आपने क्या किये हैं। इसमें पहले व्यवस्था थी 500 रुपये तक कि 500 रुपये से अधिक नहीं होगा मेंटीनेंस जो कुल मिलाकर इन कैटेगरीज को दिया जा सकता है। आपने उस 500 रुपये की परिधि को ढाई हजार तक बढ़ाने की व्यवस्था की। कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन यह टोटल अमाउण्ट है। जायज और नाजायज संतानें उसमें आती हैं, डाइवोर्स वाइफ उसमें आती है, वृद्ध माता-पिता उसमें आते हैं। कितने लोग-बाग हैं और कुल मिलाकर उनको ढाई हजार रुपये तक की राशि आप देने की व्यवस्था कर रहें हैं। आज एक व्यक्ति कितने में गुजारा कर सकता है, यह हमें देखने की आवश्यकता है। जिन मां-बाप की कमाई से हम पढ़े हैं, जिन मां-बाप ने हमको मकान

(श्री शिवनाथ सिंह)

बनाकर दिया है, हमारा पालन-पोषण किया है, आज वे वृद्ध माता और पिता मकान से बाहर निकाल दिये जाते हैं, उनका कोई भरण-पोषण नहीं होता है। अकेले वृद्ध मियां-बीबी हैं उनका भी कम से कम 2000 रुपये महीने का खर्चा है, कमाई का साधन नहीं है वे किस प्रकार से रिलीफ प्राप्त करेंगे?

दूसरे लोगों के लिए हम सोच सकते हैं। बच्चे माइनर हैं, मेजर होने के बाद कमाएंगे और अपना खर्चा चलाएंगे। परित्यक्ता दूसरा धन्धा कर सकती है, खेती कर सकती है, मजदूरी कर सकती है लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, उन दो बूढ़े-बुढ़िया का क्या होगा जिनको आप आपकी व्यवस्था के अनुसार मुश्किल से 100-200 रुपये देना चाहते हो? आज ऐसे लोगों की व्यथा ज्यादा पीड़ादायक है। बड़े-बड़े उद्योगपति करोड़ों-अरबों रुपये कमाते हैं, उनकी लाखों-करोड़ों रुपये की महीने की आमदनी है, उनके लिये ढाई हजार रुपया एक रोज का पाकेट खर्चा नहीं है। ढाई हजार रुपये मैक्समम भी आप रखें तो कोई उनके लिए भारी नहीं पड़ता है। ऐसे मामलों में इसे श्रेणियों में विभक्त करना चाहिये। जिसकी आमदनी इतनी भारी हो उसको भी हम ढाई हजार रुपये से ही दण्डित करें, यह आज के जमाने में उचित नहीं है। इसलिये ऐसी श्रेणी के लोगों को अधिक मेंटिनेंस के लिए हम पाबंद करें।

माननीय सभापतिजी, मैं इसी उद्देश्य के हिसाब से आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। आज इस प्रकार के लोगों को बहुत बड़ी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये हमें इस राशि को बढ़ाना चाहिये। मैंने क्लाजेज में अपने अमेंडमैंट्स दिये हैं उस वक्त मैं उनके बारे में कहूंगा, लेकिन इस वक्त इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक बड़ी समस्या है और इस सामाजिक बड़ी समस्या को हमें उसी हिसाब से सोचना चाहिये। लोगों की राय लेनी चाहिये। अधिकांश जो वृद्ध हैं उनसे भी राय हमारे पास आए कि कितना खर्चा आपको चाहिये। पूरा नहीं दे सकते हैं तो कुछ तो ऐसा दें ताकि वे जिंदा तो रह सकें।

दूसरे माननीय सदस्य भी अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात को इस सब्जैक्ट पर यहीं विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट लैजिस्लेशन है, सामाजिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को देखते हुए, माननीय मंत्री महोदय, इतनी देर हो गई, एक महीने की देर और सही, इसमें सब लोगों की राय लीजिए। संस्थाओं की राय लीजिए, जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं उनकी राय लीजिए। जो वृद्ध काशी करवट करने वहां जा रहे हैं उनकी राय लीजिए। उनकी पीड़ा सुनिए आप और पीड़ा सुनने के बाद इसमें कोई कारगर कदम उठाएं। केन्द्र सरकार के पास बहुत लम्बे समय से ये प्रावधान लम्बित हैं, पड़े हुए हैं, आपने एक साहसिक कदम उठाकर उनका इन्तजार नहीं करते हुए अपने यहां ये कदम उठाये हैं। मैं आपके प्रयत्नों की तो बहुत सराहना करता हूं और इस बिल का

(श्री शिवनाथ सिंह)

बहुत स्वागत करता हूं लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुरूप इस बिल को बनाया जाए और प्रावधान किया जाए, यह निवेदन करता हूं। इसलिए इसको लोगों की राय जानने के लिए आप परिचालित करें, अच्छा रहेगा। एक महीने की देर और सही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, भारत के विधि आयोग की सिफारिश को लागू करने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सैक्शन 125 के सब सैक्शन (1) में जो संशोधन मंत्री महोदय लेकर आये हैं, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, परन्तु सभापति महोदय, अधिकतम राशि भरण-पोषण की कितनी हो? पत्नी हो, सन्तान हो, माता-पिता हो, 500 से बढ़ाकर 2500 की, यह तो बहुत उचित है, परन्तु यह अधिकतम राशि सबके लिए लागू रहे मैं समझता हूं, इसके बारे में हम सभी को विचार करना चाहिए क्योंकि समाज में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग हैसियत है। कोई व्यक्ति जो बड़ा धनाढ्य है और अपनी खुद की अय्याशी और सुविधा के अनुसार पत्नी का त्याग करता हो, माता-पिता को प्रताड़ित करता हो, उससे ढाई हजार रुपये से ज्यादा राशि वसूल नहीं की जा सकेगी इस संशोधन के बाद। ऐसे व्यक्ति की हैसियत देखकर उससे तो और ज्यादा राशि वसूल करने का प्रावधान इसमें हो तो मंत्री महोदय उचित रहेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन के साथ जिस तरह की मंशाएं आपकी हैं वे मंशाएं तब ही लागू होंगी जब आप इसमें न्यूनतम राशि का तो प्रावधान कर दें और अधिकतम राशि आप प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ दें। सभापति महोदय, जिस तेजी से हमारी महंगाई बढ़ रही है, आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन को भी आप देखें तो उसका वेतन भी दस हजार के लगभग मिलेगा। एक साधारण अकेला व्यक्ति आज 2500 रुपये में अपना पूरा जीवन-यापन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पत्नी और बच्चों का त्याग करता है और पत्नी चाहती है कि उका बच्चा पढ़कर इस देश और प्रदेश का अच्छा नागरिक बने तो वह ढाई हजार रुपये में बच्चे की शिक्षा-दीक्षा का इन्तजाम नहीं कर सकती। मंत्री महोदय, संसद के अन्दर भी यह अमैंडमैंट विचाराधीन है, वहां भी विचार-विमर्श होगा। वहां पर विचार-विमर्श के बाद और वहां पर पारण के पश्चात् तो उसको लागू करना ही होगा, परन्तु फिर भी जिस मंशा से आप लेकर आये हैं वह मंशा तब ही पूरी होगी जब आप न्यूनतम राशि का तो प्रावधान करें और अधिकतम राशि प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ कर देखें, अलग-अलग हैसियत के अनुसार देखें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप विचार करें। बड़ी चर्चा रही है इस संशोधन की, इतना विलम्ब अगर हो गया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो थोड़ा और विलम्ब हो सकता है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी (अनुपस्थित)। माननीय डा. किरोड़ीलाल (अनुपस्थित)। माननीय श्री सांवरलाल (अनुपस्थित)। माननीय श्री अमराराम (पचपदरा)।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, सी. आर. पी. सी. में जो धारा 126 है मेंटिनेंस के बारे में, उस पर अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं। यह बात सही है कि मुद्रा स्फीति के कारण रुपये की कीमत बहुत घट रही है और ऐसी स्थिति में 500 रुपये से कुछ गुजारा नहीं हो सकता है। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वृद्ध माता-पिता जिनके बच्चे बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं और फिर घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी सेवा-चाकरी नहीं होती है, ऐसी अवस्था में उनको आश्रमों का सहारा लेना पड़ता हुई। आपने यह "शैल" वर्ड लिखा है कि मैक्सिमम आप ढाई हजार कर रहे हैं लेकिन...(व्यवधान) अब जिनकी जैसी कैपेसिटी है, जिनका जैसा स्तर है, वह होना चाहिए ताकि इनका गुजारा आराम से चल सके। बहुत-सों का तो खर्चा चार हजार, पांच हजार है और उनका बेटा दस हजार दे सकता है उसकी इनकम लाख रुपये महीने की है। उनके जिस तरह से मेहमान वगैरह आते हैं, खर्चे रहते हैं, ऐसे वृद्ध माता-पिताओं को कोर्ट उसकी पेइंग कैपेसिटी, जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर तय करे। अब जैसे एक गरीब आदमी है, 500 रुपये उसके लिए बहुत हैं। खुद की इनकम दो हजार हो तो अपने माता-पिता को वह पांच सौ रुपये भी नहीं दे सकता। हमारे समाज में इस प्रकार की असमानताएं हैं। अगर इस प्रकार का कानून बनता है तो यह तो देखना जरूरी है। मैक्सिमम आपने ढाई हजार का लिखा है इसमें मेरा निवेदन यह है कि जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर एक वर्ड और जोड़ दिया जाए। उसकी कैपेसिटी, उसकी आर्थिक स्थिति जिस समय एप्लीकेशन पेश होती है और निर्णय होता है, उस समय देखकर निर्णय करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का उसमें विवाद नहीं हो और खुशी के साथ वह पैसा दे सके। वरना फिर बाद में लिटिगेशन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे जिसका कोई अन्त नहीं रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : आपका ?

श्री सांवर लाल : मेरा नम्बर निकल गया, साहब।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवरलाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : कृपा से मिल गया।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहला तो मेरा अनुरोध माननीय मंत्री महोदय से यह है कि राजस्थान विधान सभा में जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, वोट लेकर आते हैं, एजुकेशन के हिसाब से नहीं आते

(श्री सांवर लाल)

हैं। लेकिन बिल की जो भाषा है, ओरिजिनल बिल या उसका अमेंडमेंट हिन्दी में ड्राफ्ट होना चाहिए क्योंकि हमारे कई माननीय सदस्य हिन्दी भी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी जानना बहुत मुश्किल काम है। माननीय सदस्य का अमेंडमेंट यदि हिन्दी में दिया तो उसका रिजैक्ट इस आधार पर हो गया कि ओरिजिनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट हुआ है वह अंग्रेजी में हुआ है। जब हिन्दी ही पूरी नहीं जानते हैं, कई पढ़ना भी नहीं जानते हैं तो बिल कम से कम ऐसी भाषा में तो हो जिसको पढ़ने वाला आसानी से मिल जाए और कोई माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : हिन्दी का वर्शन साथ लगा रहा है।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यही है कि इसमें आपने अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद माननीय सदस्य ने हिन्दी में अमेंडमेंट दिया, वह हिन्दी का अमेंडमेंट इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि मूल भाषा जिसमें यह बिल आता है उसमें होना चाहिए। दोनों में ही आप कंसीडर करें क्योंकि अपने राजस्थानी न सही तो हिन्दी को तो प्राथमिकता दें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए कह दूं, माननीय सदस्य जानते हैं कि ओरिजिनल बिल की प्रिंट जिस भाषा में है वह उसी भाषा में आता है। उसके बाद में हिन्दी वर्शन भी इसके साथ लगा दिया है।

श्री सांवर लाल : अब मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं तो राजस्थान के हित के लिए कानून में यदि कोई ...(व्यवधान) अगर कोई कानून मे हो तो अमेंडमेंट कर...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : भाषा ऐसी होनी चाहिए, कम से कम इसको तो एप्रिशिएट करिये आप। हिन्दी के अन्दर आएं तो बढ़िया लगता है। इसका अनुवाद कर ले अपना विधान सभा सचिवालय। (व्यवधान).....

श्री सभापति : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये। अध्यक्षीय व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई है, आप अपनी बात कहिये।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि इसमें जो अमाउंट 2,500 अधिकतम किया गया है वह न्यूनतम होना चाहिए। अगर यह ज्यादा लगता है कि न्यूनतम लिमिट ही इसमें तय होनी चाहिये। क्योंकि आजकल जिस प्रकार का भौतिक डवलपमैंट हो रहा है, जिस प्रकार के अपराध बड़े-बड़े पैसे वाले कर रहे हैं वे अगर इस लिमिट में आ जाएंगें तो इस प्रकार की घटनाएं और केसेज बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मिनिमम अमाउंट कितना होगा, यह तो आप तय कर दें और मैक्सिमम उसकी जो इकोनोमिक हैसियत है, इनकम है उसके आधार पर तय होना चाहिए। राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिए कि यह

(श्री. सांवर लाल)

अमैंडमैंट आ रहा है, यह किस प्रकार का होना चाहिये। उनकी भी एप्रोच इसमें सम्मिलित हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलवार, (अनुपस्थित)। माननीय श्री हीरासिंह जी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायुपर) : सम्माननीय सभापति महोदय, यह जो अमैंडमैंट लाया गया है इसका स्कोप बहुत छोटा है, लेकिन कुल-मिलाकर अन्य माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में, आदमी का आर्थिक स्तर जीवन का क्या है, किस प्रकार उसका परिवार जीवन-निर्वाह करता है, पत्नी विच्छेद होता है, बच्चे भी उनसे विच्छेद होते हैं। लाखों-करोड़ों रुपये की उसकी सम्पत्ति और जायदाद होती है और प्रति दिन की इनकम भी उसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर भरण-पोषण के लिए आप मेंटिनेंस अलाउंस देना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस राशि को कुछ बढ़ाया जाये। जिस प्रकार की एविडेंस रिकार्ड पर आती है उसके अनुसार मैक्सिमम राशि दी जानी चाहिये।

अब इसके साथ एक दुःखद पहलू और है। माननीय गृह मंत्रीजी और सभापति जी, मेंटिनेंस की एप्लीकेशन तो कोर्ट में दे दी जाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस प्रकार एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में क्लेम में पच्चीस हजार या पचास हजार पहली डेट पर सम्मन तामील होने के बाद पक्षकार के उपस्थित होते ही दे दिया जाता है। लेकिन यह मेंटिनेंस की जो एप्लीकेशन दी जाती है ईयर्स टुगैदर हियरिंग में चलती है। इनके किसी प्रकार के भरण-पोषण की न अदालत जिम्मेदारी लेती है, परिवार तो लेता ही नहीं है। इसलिए सी. आर. पी. सी. में यह अमैंडमैंट किया जाना बहुत जरूरी है हालांकि I think, Rajasthan Legislative Assembly is not competent at all. यह पार्लियामेंट का फंक्शन है। लेकिन ज्यों ही एप्लीकेशन दे दी जाती है उसके तत्काल बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट को बहुत सारे मामलों में डिसीजन करने के लिये उनका खुद का माइन्ड एप्लाई करने का जो पावर दे रखा है उसमें जब तक यह सम्मिलित नहीं किया जाता है तब तक मैं सोचता हूं यह मेंटिनेंस का अलाउंस वर्षों तक मिलता नहीं। मिलने का आदेश होने के बावजूद भी कई प्रकार की टालमटोली करते हैं और देते नहीं हैं। इसलिए इस मामले को थोड़ा बहुत सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ मानकर अच्छा फोर्स में लिया जाए, हम किस प्रकार से इसे कानून में स्थान देवें जिसके कारण इसकी क्रियान्विति बहुत अधिक और सुन्दर तरीके से हो सके। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय गृह मंत्रीजी, कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

आप भी बहुत समझदार हैं और समाज की आपको पूरी जानकारी है, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए जारी करने

(श्री हीरासिंह चौहान)

का एक बार इसको मौका देकर इस पर अधिकतम. न्यूनतम राशि तय करें। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किसका कितना इकोनोमिक स्तर है इसके अनुसार किया जाए तो मेरी राय में बहुत उपयुक्त रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रभुलाल करसोल्या, (अनुपस्थित)। माननीय श्री रंगजी मीणा,(अनुपस्थित)। माननीय श्री रामनारायण विश्नोई, (अनुपस्थित)। माननीय श्री प्रताप सिंह सिंघवी, (अनुपस्थित)। माननीय श्री गणेशी रामजी मेघवाल।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पांच सौ से ढाई हजार रुपये किये गये हैं। इसके अन्दर अधिकतम मैम्बर होते हैं-परित्यक्ता महिला भी हो सकती है, वैद्य सन्तान भी हो सकती है, माता है, पिता है। तो जैसे हमारे पूर्व साथियों ने बताया है, इस हिसाब से न्यूनतम और अधिकतम दोनों तरह की राशि तय की जाए। आर्थिक स्थिति के अनुसार उनकी मेंटिनेंस राशि तय की जाए और इस आधार पर जनमानस की राय भी ली जाए। इसके लिए अगर यह एक महीना भी लेट हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अतः इसे परिचालित किया जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिशचन्द्र जी, (अनुपस्थित)। डा. रघुवीर सिंह जी गौड़, (अनुपस्थित)। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, जिस भावना से इसमें संशोधन लाए उसका तो मैं स्वागत करता हूं कि उसे कम से कम अपने जीवन-निर्वाह के लिए इतना पैसा जरूर मिले जिससे कि वह अच्छी प्रकार से अपना भरण-पोषण कर सके। लेकिन जब इतने वर्षों के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो निश्चित रूप से इसे किसी न किसी ऐसे ढांचे में भी ढालना चाहिये कि बार-बार हमें इस सीमा को न बढ़ाना पड़े।

इसके पीछे मेरी भावना यह है कि व्यक्ति की आमदनी कितनी है, उसकी आमदनी का कितना हिस्सा उसको मेंटिनेंस पर मिलना चाहिये, एक तो इसका आधार तय करना चाहिए। दूसरा, जो प्राइस इंडेक्स है उसको भी इस आधार में कहीं न कहीं सम्मिलित करना चाहिए कि जैसे-जैसे प्राइस इंडेक्स बढ़ता है उस प्राइम इंडेक्स के साथ ही क्या हम इस मेंटिनेंस को बढ़ा सकते हैं। यह जो हमने ढाई हजार की सीमा तय की है, यह ढाई हजार की सीमा जिसकी आमदनी कम होगी उसके लिए तो बहुत बड़ी आफत भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम है। यह तो पता है कि यह मैक्सिमम है। कोर्ट इसमें चाहे तो 100 रुपये भी दे सकती है, 400 रुपये भी दे सकती है, 500 रुपये भी दे सकती है। लेकिन एक सवाल है कि कई बार आमदनी आदमी की इतनी अधिक है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह अरबपति है, अपने उस ज़ोश में कि मैं बहुत पैसे वाला हूं इसलिए वह चाहे जिसके साथ किसी प्रकार का भी बर्ताव कर दे और छोड़ दे....

श्री सभापति : आपकी जानकारी में कोई अरबपति गये हैं इस लिटिगेशन में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं। इसके कारण से उस व्यक्ति जिसकी आदमनी बहुत अधिक है, उसको आपने ढाई हजार की सीमा में बांधकर आपने उसको एक तरह से अपराध करने के लिए खुला छोड़ दिया। सामान्यत: यह तो स्थिति आती है यह उन परिवारों में आती है जहां इस प्रकार के सक्षम लोग हैं। वही इसका दुरूपयोग करे और अपने ही परिवारजनों को कष्ट में डालकर वह मौज-मस्ती करता है। उसको इस सीमा में किसी प्रकार से बांध नहीं पाएंगे। अच्छा यह हो कि इस सीमा को बढ़ाते-बढ़ाते उसकी आय का कम से कम वन फिफ्थ, मैक्सिमम आप भले ही ढाई हजार करिये, दोनों मे से जो भी अधिक हो वह उसे मिले। तब तो निश्चित रूप से इन लोगों के ऊपर भी लगाम लगेगी और जो उस परिवार में पैदा हुआ है, उस वातावरण में रहा, उसको मेंटिनेंस का जो पैसा मिलेगा वह उसके स्तर का मिलेगा। करोड़पति के घर में रहते हुए भी अगर आप उसे दो सौ, पांच सौ या ढाई हजार रुपये दे भी दोगे तो जिस जीवन स्तर में वह रहा है या रही है या उसके माता-पिता रहे हैं, उस वातावरण में वह रह नहीं पाएगा। इसलिए आप इसमें **थोड़ा-सा परिवर्तन करिये। आपने ढाई हजार की सीमा तय की, रहने दीजिए ढाई हजार को,** लेकिन उसकी आमदनी का पांचवां हिस्सा या दोनों में से जो अधिक हो, वह उसे मेंटिनेंस के लिए मिले तब तो निश्चित रूप से हम जिस मानवीय भावना से इस काम को करने जा रहे हैं उसमें हम उस व्यक्ति को राहत पहुंचा सकेंगे। और एक प्राइस इंडेक्स के साथ भी निश्चित रूप से मिनिमम की कोई सीमा तय की जानी चाहिये। अगर इतना कम उसे मिल गया तो सारी मेहनत करने के बाद इससे उसको रिलीफ नहीं मिलेगी। मैं सोचता हूं कि कई वर्षों के बाद हम इस अमेंडमेंट को लेकर आये हैं तो इसको इतना फूलप्रूफ करें कि जिसके कारण असहाय व्यक्ति को निश्चित रूप से ठीक प्रकार से मदद हो।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों में संशोधन माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। 1973 के इस सी.आर.पी.सी. की धारा 125 इसलिए नाफिज की गयी थी कि जो तलाक के मामले हैं उनके अन्दर किसी तरीके से अंकुश लगाया जाए और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनके गुजारे का, भरण-पोषण का किसी तरीके का कोई संकट नहीं आ पाए।

सभापति महोदय, 500 रुपये की लिमिट को बढ़ा कर जो मैक्सिमम 2500

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करने का प्रस्ताव गृह मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग-अलग होता है और वे अपने संसाधनों और अपनी आय के हिसाब से रहते हैं। कुछ गरीब लोग हैं जिनकी आय 2500 रुपये से कम भी हो सकती है और कुछ सम्पन्न हैं जिनका प्रति दिन का खर्चा ही 2500 रुपया होता है। जो सम्पन्न लोग हैं उन पर तो इस प्रस्ताव से अंकुश नहीं लगेगा लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पर यह एक चोट हो जाएगी कि आप एक के जीवन-यापन के लिए, उसके भरण-पोषण के लिए 500 रुपये के बजाय 2500 रुपया खर्चा बढ़ा दें। 2500 रुपया उसकी आय ही नहीं होगी, उसको दे दे तो उसका खुद का अपना संकट हो जाएगा।

सभापति महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, देर आयद दुरूस्त आयद। यह चीज पहले आ जानी चाहिए थी। इस 125 की धारा के मामले इस देश में काफी संख्या में बढ़ने लगे हैं और आप स्वयं परिचित हैं कि शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। और भी कई मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं। आपकी और हमारी मंशा यही है कि तलाक के कम से कम मामले हों और किसी भी वजह से अगर मान लो लास्ट हथियार के रूप में तलाक हो भी तो जिस औरत को त्याग दिया गया है उसका जीवन-यापन सही तरीके से हो, उसके बाल-बच्चों की शिक्षा-दीक्षा सही तरीके से हो, वह गलत दिशा में नहीं जाए। मेरा यह निवेदन था कि आप जब इतने साल बाद, 1974 के बाद आज 26 साल बाद यह अमैंडमैंट यहां ला रहे हैं तो उससे पहले आपको महिलाओं के संगठन हैं, मुस्लिम वीमैन वेलफेयर आर्गेनाइजेशन हैं, परित्यक्ता महिलाओं के संगठन हैं, या जो नारी निकेतन में परित्यक्ता महिलाएं रह रही हैं उनसे या इस सम्बन्ध में जो काम करने वाले लोग हैं उनके विचारों को जान लेना चाहिए था। ऐसी जानकारी और विचार आपने उनसे नहीं लिये हैं फिर भी मेरा निवेदन है कि देर आयद दुरूस्त आयद, अब इसमें कोई खामी नहीं रह जाए, 2500 रुपये या व्यक्ति की आय का 25 प्रतिशत, दोनों में से जो अधिक हो वह उस परित्यक्ता महिला को मिले, इस सम्बन्ध में अन्य जो आर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सलाह-मशविरा कर लें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने के लिए आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें ताकि और अच्छे कंक्रीट सुझाव आएं। इसको और सुदृढ़ रूप से लागू किया जाए ताकि तलाक की घटनाओं में भी कमी आए और महिलाओं, परित्यक्ताओं और वृद्धों के जीवन-यापन के अन्दर जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनका भी समाधान हो और जो गरीब आदमी है उन पर यह बोझ नहीं बन जाए। इसलिए सुधार करके एक महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कष्ट करें।

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : सभापति महोदय, मैंटिनेंस के लिए जो यह संशोधन लाया गया है, सरकार ने यह अच्छा प्रयास किया है।

श्री सभापति : आपका प्रवर समिति के नाम है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : यह बहुत कम राशि थी इसको बढ़ा कर जो आज की आवश्यकता है गुजारा भत्ते के लिए, महिला और बच्चों के लिए यह अच्छा प्रयास किया गया है। यह सही है कि समजा में बहुत ज्यादा विषमताएं हैं। कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कई लोग इतने अमीर हैं कि उनको इस सीमा में बांधना कि वे किसी को छोड़ दें तो मात्र 2500 रुपये में छुटकारा हो जाए, यह ठीक नहीं है। ऐसे जो सम्पन्न लोग हैं उनके लिए उन्हीं की हैसियत के अनुसार यह राशि तय हो सके, इसका प्रावधान भी होना चाहिए ताकि उनके परिवार को भी उचित सहायता मिल सके।

सभापति महोदय, यह बहुत अहम बिन्दु है और कई वर्षों के बाद इसमें संशोधन किया जा रहा है तो यह संशोधन करने से पहले एक बार जनमत जानना जरूरी है ताकि इसमें भी अच्छे सुझाव मिल सकें और इस कानून का सही उपयोग हो सके। मेरा यही निवेदन है कि इसको एक बार जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद। जय भारत।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा जो संशोधन लाया गया है, जो रिपोर्टस समय-समय पर राजस्थान के लॉ कमीशन ने दीं, भारत सरकार के लॉ कमीशन ने दीं उन रिपोर्टस के आधार पर यह संशोधन तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था।

मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अनेक माननीय सदस्यों ने इस 2500 की राशि को वर्तमान परिस्थितियों में कम बताया है और यह राशि वास्तव में बहुत कम है। सभापति महोदय, मैंने एक संशोधन दिया था जिसमें मैंने इस 2500 रुपये की राशि को 5000 करने का प्रस्ताव किया था। सभापति महोदय, मैंने संशोधन हिन्दी में दे दिया तो विधान सभा के तकनीकी अफसर कहते हैं कि यह सी.आर.पी.सी. अंग्रेजी का कानून है, अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा के कानून जिसका विधिवत हिन्दी अनुवाद आपने हमें दिया है, आपकी सरकार यह कहना चाहती है या यह वर्तमान व्यवस्था यह कहना चाहती है कि हिन्दी में संशोधन हम नहीं दे सकते। इस सदन के 150 माननीय सदस्य, या हो सकता है 120 माननीय सदस्यों को अंग्रेजी में बोलने का और भाषा लिखने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या आप 200 में से 120 लोगों को डिप्राइव करना चाहते हैं कि वे संशोधन नहीं दे सकें? जब आपके अंग्रेजी के संशोधन का अधिकृत हिन्दी अनुवाद छपा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा विधान सभा सचिवालय है, वह मेरे हिन्दी संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद करके प्रसारित कर देता।

श्री सभापति : नो। माननीय सदस्य, आप बहुत अनुभवी हैं और आपके ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे सकता लेकिन इस सदन की परम्परा रही है कि अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत सैक्रेटेरिएट में जो फैसला हो जाता है उस निर्णय पर कोई माननीय सदस्य इस हाउस के अन्दर बोलने के लिए....

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति माहेदय, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री सभापति : उसकी आलोचना और प्रत्यालोचना भी नहीं होनी चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो सुझाव दे रहे हैं कि हिन्दी का भी स्वीकार कर लेना चाहिए। विधान सभा में जो अफसर लोग हैं वे उसकी ट्रांसलेशन कर लेते।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद साहब, आप तो और भी ज्यादा विद्वान हैं। आपने नियम पढ़े हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं पढ़ी हैं, यहां से निर्णय हुए हैं कि जिस भाषा के अन्दर बिल आएगा उसी में ही अमैंडमैंट देना होगा। यह अध्यक्षीय व्यवस्था है आपके यहां, वह देखी हुई है उसके बाद भी आप एजिटेट कर रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति माहेदय, मैंने तो इसको मान लिया। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान तो आकर्षित करूं।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी को मालूम है सब।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार का तो करूं।

श्री सभापति : मालूम है उनको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य, यह राजस्थान विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित मामला है, मैं गृहमंत्री क्या करूंगा, मेरे से क्या सम्बन्ध है? आप अपने मूल मुद्दे पर आ जाइये, इस मुद्दे को तो राजस्थान विधान सभा सचिवालय पर छोड़िये।

श्री सभापति : आपको बिना अमैंडमैंट बोलने की सुविधा है, आप बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बिना अमैंडमैंट के ही यह अर्ज कर रहा हूं कि यह राशि 5000 हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो कहना है वह आप कह दीजिये, बाकी तो राजस्थान विधान सभा सचिवालय का मामला है, गृह मंत्री से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री सभापति : सचिवालय हाउस के अन्दर डिस्कशन में नहीं आता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान इस बात की आवश्यकता की ओर आकर्षित करता हूं कि पांच हजार रुपये की राशि तक तो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

साधारणतया अदालतों को अधिकार होना चाहिए कि वे मेंटिनेंस ग्रान्ट करें। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि फैमिली कोर्टस को ये अधिकार चले गये हैं, सी.आर.पी.सी. 125 को 125 जाप्ता फौजदारी के जयपुर के मुकदमे जो फैमिली कोर्टस में हो रहे हैं, आप उसको जरा ध्यान से देखें। आदमी आता है, दरख्वास्त लगती है। पांच सो रुपये से ऊपर तो लग ही नहीं सकती और तत्काल कहता है कि हां, साहब, पांच सौ मंजूर है। बिना जवाब के पांच सौ रुपये मंजूर करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हैं। इसलिए मैं निवेदन यह करता हूं कि जब संशोधन अपन कर रहे हैं तो 2500 रुपया नहीं, पांच हजार करें। जिन लोगों की औसत मासिक आय 40 हजार रुपये प्रति माह है, पांच लाख रुपया सालाना है, उनको अपनी शुद्ध आय का, शुद्ध आय का मतलब है इनकम टैक्स बार्ड और कोई टैक्स है तो बार्ड, जिसकी आमदनी 40 हजार रुपये माहवार है उनको अपनी आमदनी का एक बटा पांच, आठ हजार रुपये मेंटिनेंस देने में क्या दिक्कत है? सिर्फ दिक्कत की बात ही नहीं है। विधान सभा के सदस्य, हम आ गये और हमने कह दिया कि एक बटा पांच करो। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं इण्डियन डाइबोर्स एक्ट की तरफ जो 1869 में अंग्रेजों ने बनाया। 1/5 से अधिक नहीं होगी। एलिमोनी और मेंटिनेंस के मतलब में कोई फर्क नहीं है। 1/5 की एलिमोनी 1869 मे मानी गयी, स्वीकार की गयी, कानून बना। इतना ही नहीं, हिन्दू मैरिज एक्ट की ही धारा 24 और 25 को, माननीय गृह मंत्रीजी, जरा देखें।

श्री शिवनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, बात उचित है लेकिन किस तरीके से इसको इस बिल में कनैक्ट किया जा सकता है वह देखने की बात है। या तो आप आसन से अध्यक्षजी से परमीशन लें, क्योंकि अमैंडमैंट अभी तक आ रहे हैं। एक समय था 11 बजे तक का। आपने इस सम्बन्ध में अमैंडमैंट दिया नहीं ।

श्री मानिक चन्द सुराना : 11 बजे पहले अमैंडमैंट दे दिया।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अर्ज करूं, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं। 11 बजे से पहले आपने दे दिया। वह हमारे पास सर्कुलेट हुआ नहीं है। या तो आप अध्यक्षजी से इजाजत लेकर अभी भी अमैंडमैंट मूव कर दीजिए या माननीय मंत्रीजी इस बात के लिए कंविंस्ड हैं तो गवर्नमैंट का अमैडमैंट लाएं। अब दोनों तरफ से अमैंडमैंट तो कोई है नहीं सदन के सामने और अमैंडमैंट नहीं है तो उस पर अपन चाहे कितनी ही चर्चा करें, अमैंडमैंट के माध्यम से ही इसमें कुछ हो सकता है और वह अपन करने की तैयारी में नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस वक्त जो स्कोप है डिबेट का, उस डिबेट के

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्कोप में ही इसको रखा जाए तो यह उचित होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार को ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री महोदय उनके व्यू पाइन्ट को मान लें। इनका स्वयं का कोई अमेंडमेंट नहीं है। आपने हिन्दी में अमेंडमेंट दिया था वह अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत रिजेक्ट कर दिया गया। (व्यवधान) अब तो आप सुझाव दे रहे हैं, मंत्री महोदय को प्रभाव में लेने की चेष्टा कर रहें हैं कि वे आपकी बात मान लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापतिजी, जो अमेंडमेंट इन्होंने हिन्दी में दिया था वह हमने जो प्रपोज किया है 2500 रुपया उसके बजाय 5000 रुपये का अमेंडमेंट दिया है। या और कुछ है? (व्यवधान) बस यही दिया है। उस पर आप बोल चुके हैं फिर आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय गृह मंत्रीजी, मेरे अमेंडमेंट में आगे भी अमेंडमेंट है। यदि किसी व्यक्ति की आमदनी 40 हज़ार रुपये प्रति माह या उससे अधिक है तो उसकी शुद्ध आय का 1/5, संशोधन में लिखा हुआ है, संशोधन से बाहर कुछ नहीं कह रहा हूं—

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुरानाजी, इसका मतलब यह हुआ कि मूल एक्ट जो सेन्ट्रल एक्ट है 1973 और 1974 का, टोटल अमेंडमेंट चाहते हैं आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह मैं कर नहीं सकता। यह हाउस नहीं कर सकता। उस वक्त प्रपोर्शनेट इनकम का कोई बेस दिया ही नहीं गया था। मैक्सिमम रिलीफ 500 रुपये रखी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। (व्यवधान) हमारे स्कोप के बाहर जाकर आप कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब मैं क्या दूंगा?

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या नहीं कर सकते? स्कोप के बाहर बात क्या है? स्कोप के बाहर की बात कही ही नहीं। राजस्थान जो संशोधन ला रहा है वह भारत के कानून में नहीं है। आपका संशोधन राजस्थान में लागू होगा, राजस्थान की सीमा में लागू होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह भी प्रोवाइडेड राष्ट्रपति महोदय हमको सैंक्शन देंगे तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : देंगे। प्रोमिस यू।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ओहो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भी तो इसी आशा पर चल रहे हैं कि राष्ट्रपतिजी अनुमति देंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिए हम कह रहे हैं कि जब संशोधन कर रहे हैं तो 2500 नहीं 5000 करिए और कारण समझिये, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह तो मान ली। आगे बोलिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : कारण यह है कि 80 प्रतिशत लोग विपन्न हैं, कोई साधन नहीं है। 10 प्रतिशत बहुत सम्पन्न हैं। मेंटिनेंस के झगड़े, पत्नियों को छोड़ना, यह सब उच्च वर्ग का काम है। वह उस उच्च वर्ग का काम है जो आज हिन्दुस्तान से बाहर चले गये और भारतीय पत्नी को यहीं छोड़ गये, उसको अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। जो आदमी पांच हजार डालर पर मंथ कमा रहा है, पांच हजार डालर का मतलब है ढाई लाख रुपया महीना और साल में तीस लाख, उस तीस लाख वाले पर यदि कुछ सामाजिक अंकुश बनाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि उसकी शुद्ध आय का 1/5 रखिए ताकि भारतीय पत्नियों को छोड़ने की लागत उस पर रहे।

श्री सभापति : मैं, माननीय सदस्य, आपके भाषण में विघ्न पैदा नहीं करता, यह बात, क्लाज वाई क्लाज आऐ तब आप अपने व्यू पाइन्ट्स रख सकते हैं। इस समय तो जनरल स्कोप में है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, विचारार्थ का स्कोप तो बड़ा है। (व्यवधान) विचारार्थ में विचार होना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 24 में शुरू से ही प्रोविजन है कि यह भी प्रपोर्शनेटली इनकम के अकार्डिंग ही होगी, नये अमेंडमैंट की जरूरत ही नहीं है। सैक्शन 24 में यदि एक लाख है तो उसका 20 हजार या 18 हजार जो भी कोर्ट उपयुक्त मानेगा, इसमें मिलता आया है और मिलता रहा है। इससे तो संबंधित है ही नहीं। अब नयी बात क्या कही जा रही है? गार्जियन वार्ड एक्ट में भी मिलता रहा है, माइनर चाइल्ड की कस्टडी के लिए मेंटिनेंस मिलता रहा है। जब प्रोविजो स्पेसिफिक है तो हमें स्पेशल एडिशन की जरूरत ही नहीं है।

डा. रतनलाल जाट : सभापति महोदय, ये 125 में अमेंडमैंट की बात कर रहे हैं, सैक्शन 24 की बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 125 जो मेंटिनेंस की बात कर रहे हैं, मैं उसके परव्यू की बात बता रहा हूं। इसमें सेन्ट्रल एक्ट में भी परमीशन लेनी पड़ेगी। हम इसकी लिमिट को एक्सपांड नहीं कर सकते अप टू इन्डेफिनिट।

श्री मानिक चन्द सुराना : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य का मैं बहुत आदर करता हूं। सैक्शन 24 हिन्दू मैरीज एक्ट का है। क्या कोई मुसलमान महिला, कोई क्रिश्चियन महिला हिन्दू मैरिज एक्ट में दरख्वास्त दे पाएंगी? सी.आर.पी.सी. सबके लिए है हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन पारसी, सिख, ईसाई सबके लिए है। मैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रिंसिपल की बात के लिए अर्ज कर रहा हूं कि हिन्दू मैरिज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 3397, में यह कहा है कि हिन्दू मैरिज एक्ट चाहे कोई भी मेंटिनेंस के मैटर्स हों, 1/5 तक की सीमा तक जाया जा सकता है और उस व्यक्ति की शुद्ध आमदनी का 1/5 सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय में 1/5 तक गया है और इण्डियन डाइवोर्स एक्ट ने 1869 में एलिमोनी 1/5 रखी है, मैंने उसी रेफरेंस में कहा है । यह कोई मनमर्जी की बात नहीं है कि मैं 1/5 कह दूं, 1/8 कह दूं। उच्चतम न्यायालयों के निर्णय इस सम्बन्ध में हुए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान का निर्णय ए.आई.आर. 1958 है, राजस्थान ने अगुवाई की। उन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति की परिस्थितियां यदि ऐसी हैं कि मैम्बर बहुत कम हैं परिवार में, और उस पत्नी के साथ बच्चे ज्यादा हैं तो जिसको परित्यक्ता बना दिया है, छोड़ दिया है उस स्थिति में 1/3 तक भी जाया जा सकता है। राजस्थान के निर्णय का हवाला बाम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि पांच हजार रुपये तक अपन जो राशि रखेंगे, कोर्ट के लिए जरूरी नहीं कि पांच हजार दें, वह तीन हजार भी दे सकता है, दो हजार भी दे सकता है और हजार भी दे सकता है। उसको परिस्थितियों को तौलना होगा। जहां शुद्ध आय 40 हजार से ऊपर है, गृह मंत्रीजी, वहां मेरा निवेदन है कि उस शुद्ध आय का 1/5 का संशोधन आप राज्य सरकार की तरफ से लाएं ताकि वे उच्च वर्ग जिनके सारे मैटर्स अधिकतर कोर्ट्स में हैं और वह पांच सौ रुपये देकर या 2500 रुपये देकर पांच हजार रुपये देकर कन्नी काट लेंगे, उन पर सामाजिक अंकुश लगे। वे अपनी आय का 1/5 देने का जब सोचेंगे तो हो सकता है कि भारतीय नारियों को छोड़ने में कुछ अवरोध उनके दिमाग में बनेगा। मैंने इसी भावना से संशोधन दिया था इसी भावना से विचार करने के लिए मेरा निवेदन है।

मैं सभापतिजी के माध्यम से माननीय अध्यक्षजी से इतना ही अनुरोध करूंगा कि अनेक माननीय सदस्यों के हिन्दी-अंग्रेजी के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यदि कोई सर्कुलर विधान सभा की तरफ से निकल जाए कि हिन्दी में कोई संशोधन आएगा तो विधान सभा सचिवालय उसका अंग्रेजी अनुवाद कर देगा और अंग्रेजी में आ गया तो उसका हिन्दी अनुवाद जारी कर देगा तो शायद इस सदन के विचार के लिए सदन के माननीय सदस्यों के जो संशोधन करने के अधिकार हैं वे अधिक सुरक्षित रह सकेंगे। यही मेरा सुझाव है इस पर सभापतिजी, आपके मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि इस पर विचार कर आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : अमेंडमेंट के वक्त आऊंगा।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

माननीय सभापति महोदय, 125 में जो संशोधन का प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया है उसमें माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की। उनकी भावना की कद्र तो मैं करता हूं लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सेंट्रल एक्ट में मेंटिनेंस का जो प्रोविजन था पहले वह सौ रुपया था। बीस साल बाद बढ़ाकर उसको पांच सौ रुपये किया और वह भी किया 1973 में उसके बाद अब तक कोई अमैंडमैंट उसमें नहीं लाये। जैसी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने दलील दी, पारिवारिक अदालतों मे आदमी जल्दी से स्वीकार कर लेता है कि पांच सौ रुपये मुझे स्वीकार है। इस कठिनाई को देखते हुए हमने यह सोचा कि इसकी सीमा को बढ़ाना चाहिए। आदमी के जरिये बढ़े हैं, हैसियत बढ़ी है, आमदनी का साधन बढ़ा है और मेंटिनेंस के लिए भी जो दरें बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसके हिसाब से उसका खर्चा भी बढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह किया। लॉ कमीशन की जो 174वीं रिपोर्ट है उसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने मैक्सिमम प्रपोज किया है पांच हजार। प्रपोर्शनेट इनकम का जिक्र उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी नहीं आया, जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। उस पांच हजार के आधार पर पार्लियामेंट में एक बिल विचाराधीन है जिसको इन्होंने केवल 1500 रुपये की लिमिट के लिए प्रपोज कर रखा है। हम तो उससे ऊपर बढ़े है। पार्लियामेंट में जो प्रपोज है 1500 रुपये की लिमिट, उसको बढ़ाकर 2500 रुपये की मैक्सिमम लिमिट करने जा रहे हैं। इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा जिनकी हैसियत ज्यादा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो गरीब आदमी है वह कहां से देगा। मजिस्ट्रेट इस बात को तय करेगा कि किस आदमी को सौ रुपये देने हैं, किस आदमी को पांच सौ देने हैं, किसको हजार दिलवाना है और किसको दो हजार दिलवाना है और किसको ढाई हजार रुपये दिलवाना है। यह तो मजिस्ट्रेट उसकी हैसियत को देखकर करेगा।

जो 125 की मंशा है उसको भी अगर आप पढ़कर देखें तो बहुत स्पष्ट है। इसमें वर्ड यह है, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति जिसके पास हैसियत है और वह नहीं मना करता है तो जिन-जिन लोगों को इसमें अधिकृत कर रखा है, कौन-कौन एलीजेबल होंगे, अपनी मां, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मद, अधर्मद, अवयस्क सन्तान का चाहे विवाहित हो या न हो, वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपनी धर्मद, अधर्मद सन्तान का जो विवाहित नहीं है, सब कारण हैं, उसमें लिखा गया है। तो मजिस्ट्रेट इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए भी इस मैक्सिमम लिमिट का जो आदेश देगा उसके आधार पर मेंटिनेंस का भुगतान किया जाएगा।

अब आपने कहा प्रपोर्शनेट इनकम, 1973 और 1974 का जो सैण्ट्रल एक्ट है इस प्रपोर्शनेट थ्योरी को इसमें तो कहीं भी एन्विसेज नहीं किया गया है। अगर किया

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

गया हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे ध्यान में नहीं आया हो तो मुझे बता दें। मूल एक्ट जिसमें मेंटिनेंस का प्रोवीजन किया गया था, उसमें इस धारणा को कहीं नहीं समाहित किया गया है कि इनकम के प्रपोर्शनेट उसको मेंटिनेंस का खर्चा दिलाएंगे। वह लिमिट केवल पांच सौ रुपये तक की थी। हमने परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद, कीमतों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए और लोगों की हैसियत को देखते हुए इस पांच सौ रुपये के बजाय ढाई हजार रुपये की अपर लिमिट का प्रस्ताव किया है यह सेण्ट्रल एक्ट है, लेकिन हमारा अधिकार है हम इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, इस वजह से हम इस अमेंडमेंट के जरिये राष्ट्रपति से परमिशन लेकर इस काम को करना चाहते हैं। भारत सरकार जो बिल पार्लियामेंट में लाई है उसमें भी काफी विलम्ब हो गया, हम नहीं चाहते कि और ज्यादा विलम्ब इस काम में लगे और जिन लोगों को हार्डशिप हो रही है उनको हम रियायत न दे पाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम बिल लाए हैं। इसलिए मैं जनमत जानने वाली बात के सदस्यों के जो सुझाव हैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसको विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : यह भी विडम्बना है कि सदन जिस गम्भीरता से इस पर विचार विमर्श कर रहा है और जिस वर्ग को आप लाभ देना चाहते हैं उनका एक भी प्रतिनिधि हाउस में नहीं है। धीरे-धीरे एक-एक करके सब खिसक गयी हैं। इस डिबेट में उनका कन्ट्रीब्यूशन होता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, सदन के सम्माननीय सदस्य सबकी भावना के प्रतीक हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश : विचार

खण्ड-2, माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, मैंने जो दो संशोधन दिये हैं उन पर काफी चर्चा हो चुकी है और सभी माननीय सदस्यों ने मैंने जिस भावना से ये संशोधन पेश किये हैं उस भावना में अपने विचार व्यक्त किये है। माननीय सभापतिजी, मेरा पहला संशोधन है। क्लाज-2 में In Clause 2 of the Bill, the words 'rupees in the whole' shall be substituted by 'Rupees five hundred to each beneficiary'. यह जो मेंटिनेंस का पैसा दिया जाएगा आपके बिल के प्रावधान के अनुसार, चाहे वह रुपया पांच सौ हो, ढाई हजार हो, वह सब कैटेगरीज के लिए है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, यह इसमें कोई प्रावधान नहीं है। दो हजार रुपये मान लो कम्पनसेशन के या मेंटिनेंस के दे दिये गये तो उसके बच्चे भी हैं, बीबी भी है, मां भी है, बाप भी है, सबने एप्लाई किया है, दो हजार रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा? मेरे ख्याल से यह इसमें लेकूना है। मैंने इस लेकूना को दूर करने के लिए यह संशोधन दिया है कि हर व्यक्ति जो इससे लाभान्वित होने वाला है उसकी राशि निश्चित कर दी जाए।

दूसरा, माननीय सभापतिजी, आपने 2500 रुपये की मैक्सिमम सीमा निर्धारित की है। वह जो बेस है वहां से चला जाए तो वह ढाई लाख से कम नहीं होगा, यह मेरा संशोधन है। आज भी 500 रुपया मैक्सिमम लिमिट है। हो सकता है कानूनी कठिनाई आपके सामने हो लेकिन मेरे ख्याल से कोई कानूनी कठिनाई नहीं है। आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कर सकते हैं इसलिए मेरा संशोधन दूसरा यह है कि ढाई हजार की यह जो सीमा है वह मिनिमम रखी जाए और मैक्सिमम छूट दी जाए। जैसा कि माननीय सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिसकी हैसियत जितनी ज्यादा अच्छी है उससे ज्यादा दिलाया जा सके, यह भावना मेरे अमैंडमैंट की है। सभी माननीय सदस्यों की यह भावना है।

(15.00 बजे)

आज के दिन सीमा है मजिस्ट्रेट के सामने कि ढाई हजार से ऊपर वह नहीं दिला सकता। वह महसूस करता है कि वह बेनिफिशियरी है, इसको आवश्यकता अधिक की है, देने वाले की हैसियत ऊंची है लेकिन फिर भी वह दिला नहीं सकता। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि ढाई हजार रुपये मिनिमम रखा जाए और मैक्सिमम की लिमिट नहीं रखी जाए। यही दो संशोधन मेरे हैं और सदन की भावनाओं के अनुरूप ही मैंने पेश किये हैं, माननीय गृह मंत्रीजी इनको स्वीकार करें तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको मैं स्वीकार

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

करने में असमर्थ हूं। ढाई हजार की लिमिट आप चाहते हो कि फिक्स कर दी जानी चाहिए, इससे नीचे नहीं मिलनी चाहिए। एक मजदूर जो दिन में 100 रुपये रोज कमाता है, 3000 रुपये की कुल इनकम है, अगर ढाई हजार उससे मेंन्टिनेंस के खर्चे में दिला दिये जाएंगे तो उसके पास क्या बचेगा? इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसकी जितनी हैसियत है उस पर हमने अपरी लिमिट को पांच सौ रुपये थी उसको बढ़ा कर ढाई हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

दूसरी बात आपने अमैंडमेंट के जरिये कही कि बच्चा भी उसके साथ है, बीबी भी उसके साथ है। अगर बच्चा नाबालिग है और बीबी के साथ चला गया तो उसको भी मेंटिनेंस का अलग दावा करने का राइट है, उसका खर्चा भी मजिस्ट्रेट उसको दिला सकता है। कहां वह डिबार है कि उसमें वह दावा नहीं कर सकता? फैमिली के लिए नहीं है। इंडिविजुअल व्यक्ति के मेंटिनेंस का प्रश्न इसमें है, फैमिली का नहीं है इसलिए दावा करके अपनी मैंन्टिनेंस खुद प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपका जो अमैंडमैंट है, मैं समझता हूं, उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। हमें इसको आपके पास करने के बाद गवर्नमैंट आफ इण्डिया में प्रैसीडेंट के पास असेन्ट के लिए भेजना पड़ेगा। वह वक्त अलग लगेगा। आज जिन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही है, वह रिलीफ मिलने में और देरी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस अमैंडमैंट को विद्ड्रा करें और राज्य सरकार का जो अमैंडमैंट है उसको स्वीकार करें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, मुझे विद्ड्रा तो करना ही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी ने इस बात को समझाने की चेष्टा नहीं की है। बल्कि समझते हुए उसको टालने की चेष्टा की है। मेरा निवेदन यह है कि पांच सौ रुपये की लिमिट थी, अब ढाई हजार रुपये की लिमिट है। वह इन होल है, अलग-अलग नहीं है। कुल मिलाकर पांच बेनीफिशियरीज हैं तो सबको मिला कर यही लिमिट रहेगी। इसलिए अलग-अलग अमाउण्ट कैसे तय किया जाएगा? वृद्ध बाप है वह भी क्लेम कर रहा है, मां भी क्लेम कर रही है, बीवी भी क्लेम कर रही है और नाजायज संतान भी क्लेम कर रही है, आप किसको किस तरह से बांटेंगे? यह टोटल अमाउण्ट है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : It will be decided by the Court.

श्री शिवनाथ सिंह : एक सेकण्ड। यदि आप यह स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ढाई हजार रुपये की लिमिट इंडिविजुअल के लिए अलग-अलग है, मैं अपने सब संशोधन वापस लेता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह टोटल सबके लिए लिमिट है इसलिए इनको अलग-अलग डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही मेरा निवेदन है, बाकी आपके आदेश की पालना करते हुए संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय वह संशोधन चाहे उस रूप में नहीं रख पाया हूं मैं, पर मैंने आपके विचार के लिए कुछ बात कही थी। मैं माननीय शिवनाथ सिंहजी ने जो बात कही है उसका प्रबल समर्थन करता हूं। उसका समर्थन करने का कारण यह है कि आप अधिकतर....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मूल अमेंडमेंटकर्ता ने विदड्रा कर लिया, अब आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, सब कुछ हैं, पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस को जानते हैं, जब अमेंडमेंट ही विदड्रा कर लिया तो फिर किसके सम्बन्ध में आप बोल रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने विदड्रा कर लिया होगा....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अभी विदड्रा करने की स्टेज नहीं आई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : थर्ड वाचन का समय अब आएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी विदड्रा करने का स्टेज नहीं आया है, अभी तो अमेंडमेंट मेरा स्टैण्ड करता है। विदड्रा करने की स्टेज अभी नहीं आई है, आएगी जब करूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने कहा था इसलिए मैं समझा कि शायद विदड्रा कर गये। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद कर लीजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : वह अमेंडमेंट अभी जिंदा है, हाउस की सम्पत्ति है। जब स्टेज आएगा तब मैं देखूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय गृह मंत्रीजी, सैक्शन 125 में अधिकतर परित्यक्त महिला के बारे में ही सोचा जाता है। धारा 125 में (डी) के क्लाज को देखें His father or mother, unable to maintain himself or herself. जिसका हिन्दी अनुवाद यह है कि उसके माता या पिता जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। एक दरख्वास्त आई परित्यक्तता पत्नी की और एक आई उनके माता-पिता की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्डस इस धारा में लिखे हुए हैं उसकी अदालतों ने यह व्याख्या कर दी है कि वह पांच सौ से अधिक नहीं दे सकते, चाहे मां-बाप का मामला हो, चाहे पत्नी का हो। (व्यवधान) उसको आपने 2500 किया है इसीलिए मैं कह रहा हूं। जब आप 2500 कर रहे हैं तो उसको 5000 करिये ताकि माता-पिता को भी ढाई हजार मिल सके और पत्नी को भी ढाई हजार मिल सके। आज के युग में, गृह मंत्रीजी, इन्टरनेशनल स्कूल की फीस दो हजार रुपये पर मंथ है। परित्यक्तता महिलाओं के बच्चे उच्च स्कूलों में नहीं जाएं, क्या अपन यह व्यवस्था करना चाहते हैं? यदि अपन भी उनको उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहते हैं उनको एक डिग्निफाइड लिविंग जिसका अवसर वे अपने बाप के साथ होते तो उनको प्राप्त होता, तो आप कम से कम इस सीमा को पांच हजार करिये ताकि उस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सम्पन्न व्यक्ति के मां-बाप को भी ढाई हजार मिल सके और उसकी पत्नी को भी ढाई हजार रुपये मिल सके। दोनों को मिलाकर अदालतें पांच हजार से ज्यादा नहीं देंगी इसलिए ढाई हजार पर जो आप रूके हुए हैं, मेरा निवेदन है कि आप कम से कम पांच हजार की सीमा बनाने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंहजी, आपका क्या इरादा है?

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा इरादा तो स्पष्ट है। मैं अपना संशोधन वापस लेने की इजाज़त लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : "प्रश्न यह है कि खण्ड–2, में जो संशोधन माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, एक अमेंडमेंट मेरा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Amendment in Section 127, Central Act No. 2 of 1974. In proviso of sub-section (1) of Section 127 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), for the words "five hundred" occurring after the words "the monthly rate of" and before the words "rupees in the whole" the words "two thousand five hundred" shall be substituted." क्योंकि 127 में भी यह फाइव हण्ड्रेड लिखा हुआ था इसलिए कान्सीक्वेंशल चेंज बहुत आवश्यक है, इसलिए अमेंडमेंट लाया। ख़ाली कान्सीक्वेंशन चेंज है क्योंकि वहां भी फाइव हण्ड्रेड वर्डस था इसलिए टू थाउजैण्ड....

श्री सभापति : सुराना साहब, आप कुछ कहेंगे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पांच सौ से ढाई हजार तो ले आए अब क्या कहना है? करो तो सही। इसको भेजोगे तो काम आएगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने खण्ड 3 को अन्तः-स्थापित करने का जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड–3 को अन्तः स्थापित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 को संशोधित रूप से पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.-18) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति : जो बोलना चाहें। प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.-18) को संशोधित रूप से पारित किजा जाए?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 (विधेयक सं.-18) को संशोधित रूप में पारित किया गया।

माननीय श्री खेतसिंह राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पैंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-19) को विचारार्थ लिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, मेरी प्रारम्भिक आपत्ति है कि यह सही रूप में नहीं लाया गया है, आप इसको सही रूप में लाएं।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : क्या सही रूप है इसका?

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रिलिमिनरी जो सही रूप में ड्राफ्ट नहीं किया जाए उसका तो आप प्रारम्भिक स्टेज पर कर ही सकते हैं।

श्री सभापति : यह जो आप लाभ उठा रहे हैं उसको ही वे करवा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां उठा रहे हैं? हम तो यह कह रहे हैं कि आप इसको 50 की जगह 75 करके ले आओ। दिक्कत क्या आ रही है? आज डीजल बढ़ गया, आज रेल का किराया-भाड़ा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। आप जब 35 से 50 कर रहे हैं तो आप इसको 75 करके ले आओ आप इसको। 75 हजार आप कूपन ले आओ। यह तो गलत नहीं है। सही है तो बोलों फिर, इसमें क्या बात है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : और कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सबने समर्थन कर दिया।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्द सुराना। (अनुपस्थित) माननीय डा. किरोड़ी लाल (अनुपस्थित)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी आपत्ति पर कुछ तो कहिये, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री सभापति : एक साथ ही कह देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले जिनके संशोधन आये हुए हैं उन पर विचार होने दीजिये, फिर बाद में आपका जवाब दे दूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : यह जो आप संशोधन लाये हैं यह आपने लागू तो कबसे कर दिया? अब आप ले ही आए हो इसको तो जो सदस्यों की मंशा है, सारे सदस्यों से आप पूछ लें, उसमें किसी को कोई आब्जेक्शन होगा नहीं। माहिर आजादजी ने कहा है, और भी सदस्य हैं, उनसे पूछ लें और जिनको रेलों में ज्यादा यात्रा करनी होती है उनसे ज्यादा पूछ लें आप। जितना अच्छा कर सकें, ठीक है। मैं यही कहूंगा।

श्री सभापति : विराजें। माननीय श्री देवीसिंह भाटी (अनुपस्थित) माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावना सदन में रखी है मैं उस बात का समर्थन करता हूं। निश्चित तौर पर जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, रेलों का भाड़ा बढ़ा है, उसमें जितने कूपन हमें दिये जाते हैं वे कम पड़ते हैं।

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप घोषणा करने में तो बहुत माहिर हो परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आपने आज तक जो घोषणाएं की है, चाहे अपने विभाग से संबंधित घोषणा की हो, चाहे सदस्यों की परिलब्धियों को बढ़ाने की घोषणाएं की हैं, वे घोषणाएं आज तक भी अमलीजामा नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहन सकीं। मात्र कागजी घोड़े दौड़ाने में आपका कोई सानी हो नहीं सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि आज कम से कम यह तो विचार करें, आप बिल लेकर आये हैं। इससे पहले इस बजट सत्र में आपने लंबी-चौड़ी घोषणा हाथ हिला-हिलाकर की थी कि सारे विधायकों को जिला पूल से एक पी.ए. मिल जाएगा, पूल की गाड़ी मिल जाएगी।

श्री सभापति : गाड़ी तो मिल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, गाड़ी मिलती है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जबसे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कार्यभार संभाला है, आज विधायक अपने आपको दोयम दर्जे का व्यक्ति मान रहा है। कोई गाड़ी पूल से पहली बात तो मिलती नहीं है, मिलती है तो पंचायत समिति की वही खटारा गाड़ी भेज देते हैं। हमारे सामने से जिला कलक्टर, जिले का ए.डी.एम. और एस.डी.एम. अच्छी जिप्सियों में घूमें, अच्छी कार में घूमें और प्रोटोकाल में हमें चीफ सैक्रेटरी से ऊपर दर्शाया गया है। सभापति महोदय, व्यवस्था इस बात की होनी चाहिये कि जिले के अन्दर, जिला पूल के अन्दर जो सबसे अच्छी गाड़ी हो, अगर विधायक मांगे तो उसको तुरन्त दी जानी चाहिये। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, खैर! आपकी तो पुरानी आदत है, अब यह आदत बदल भी नहीं सकती। आप तो अब धमाधम घोषणा कर दोगे, आपको यह मालूम नहीं है कि चाहे कोई लागू हो या नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आप आज कर रहे हैं यह तो अच्छा कर रहे हैं, परन्तु पहले जो-जो परिलब्धियां और लाभ आपने माननीय सदस्यों को देने की घोषणा की थी, आज कितने माननीय सदस्य हैं जिनको जिला कलक्टर से एल.डी.सी. मिल गया? वहां से पत्र मिलता है कि हमारे पास उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, आप राजस्थान सरकार से सम्पर्क करें। सभापति महोदय, यह क्या है? अगर कोई काम नहीं कर सकें तो आप बिना मतलब की घोषणा नहीं करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज कुछ करके दिखाएं। आज लोग यह मानें। आप जो कहो उसको लागू भी करो और इस पूरे मामले में इसको 75 हजार करो और जो फर्नीचर आप दे रहे हो उसकी सीमा भी आप बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम (पचपदरा)।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जयपुर में रहते हैं उनको भी 50 हजार और जोधपुर, शेरगढ़ और बाड़मेर चौहटन में रहने वालों को भी 50 हजार के ही कूपन हैं, यह बहुत असमानता है। ये तो हवाई जहाज में भी हो आएं और हमारा तो कोई एक बार नाम आए तो ही सारे कूपन खत्म हो जाते हैं, जोधपुर से यहां आने में या कहीं जाने में। यह जो

(श्री अमराराम चौधरी)

आपने 35 हजार से 50 हजार किया, यह तो अच्छा किया, इसको आप पास कराने जा रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें 50 से आप 70-75 कर दें। आज किराया भी बढ़ गया है लोगों के आने-जाने का।

दूसरा राठौड़ साहब ने गाड़ियों के बारे में कहा, यह बात सही है, किसी भी विधायक को जिला पूल की गाड़ी नहीं मिलती है। म्यूनिसिपैलिटी की कोई खटारा दे दी, या यह सोचकर कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं हो, म्युनिसिपैलिटी वालों की ले लो या रीको की ले लो। उनकी भी ठीक नहीं होती है या उनको भी कहीं जाना होता है। जिला पूल में ऐसी व्यवस्था हो जिससे गाड़ी मिल जाए।

बाबुओं के बारे में इन्होंने कहा है, हम तहसील का बाबू मांग रहे हैं कि हमें यह बाबू दो तो वे कह रहे हैं कि यह तो हमारे यहां कमी है। पंचायत समिति का दे दो तो यह हमारे कमी है। आखिर हम किसके लिये कहें? जो कलक्टर के अधीन रहते हैं उनका ही तो नाम हम देते हैं। दूसरा जो बाबू लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे जो हमारे घर में काम ही नहीं करे या जो हम कहें वह काम ही नहीं करें। हम अपनी चॉइस का नाम दे रहे हैं, या तो आप यहां से अपाइंट करके भेज दो नहीं तो जो हम दे रहे हैं उसी को लगाया जाए। यह अभी तो करीब-करीब सारे विधायकों को दिक्कत है। कनिष्ठ लिपिक लिखा है, हमारे यहां तो एक गोपारामजी के यू.डी.सी. लगाया है, दूसरों को किसी को बाबू नहीं मिला है। पांच एम.एल.ए. और हैं उनको नहीं मिला है। इनको एजुकेशन का यू.डी.सी. दिया है। या तो आप वैसे ही लेकर घूम रहे होंगे। वह बात अलग है। लेकिन लोगों ने कहा है कि इनको यू.डी.सी. मिला है। इनको जब गाड़ी मिलती है तो फटाक से मिल जाती है और हम विरोध में हैं इसलिए हमको मिलती नहीं है।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी जो संशोधन लाए हैं वह ठीक है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे के कूपन चाहे इनकी सीमा 50 हजार रुपये ही रखें, इसमें बढ़ोतरी न करें लेकिन राजस्थान राज्य में घूमने के लिए लिमिट समाप्त कर दें और राजस्थान के बाहर जाने के लिए 50 हजार रुपए की सीमा रखें। मेरा यह संशोधन है कि राजस्थान में कहीं भी आएं-जाएं माननीय विधायक तो उसके लिए कोई सीमा नहीं रहनी चाहिए और रेलगाड़ी में और प्लेन में वह असीमित यात्रा कर सके।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, जैसा उद्देश्य और कारणों के कथन में बताया गया है कि अधीन सदस्यों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधाओं की सीमा पैंतीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार कर दी गई थी किन्तु उक्त धारा की उप-धारा (3) के परन्तुक में अपेक्षित

(श्री हीरासिंह चौहान)

पारिणामिक परिवर्तन अनवधानता से छूट गया था इसलिए इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना ईप्सित है। जहां तक है, जिस कारण से छूट गया था, और कर दिया गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, जैसा कि पूर्व में भी माननीय सदस्यों ने कहा, मेरी राय में सभी माननीय सदस्यों की एक राय होगी कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है और जिस प्रकार से माननीय सदस्यों का आना-जाना विभिन्न उचित कारणों से होता रहा है, उससे मैं सोचता हूं कि यह 50 हजार रुपए की राशि बहुत कम है। (व्यवधान) अकाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, माननीय सदस्य। हमारा विधान सभा का अलग बजट होता है और सीमाओं के अंदर ही इस प्रकार की सुविधाओं वाली बातें की जाती हैं। अकाल का जहां तक प्रश्न पैदा होता है, आप तो निरन्तर भारत सरकार से मांग करते रहेंगे, यह एक अलग विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, जैसा कि मैं सोचता हूं सदन के सारे माननीय सदस्यों की राय है कि इस राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार कीजिए। जो सुविधाएं आप समय-समय पर घोषित करते रहे हैं, उन सुविधाओं को देने पर क्रियान्विति होती है या नहीं होती है इसकी भी आपकी एक ब्रांच होनी चाहिए जो इस पर बराबर जांच करती रहे कि वास्तव में सही है।

आपने बाबू देने की बात कही लेकिन हम नगरपालिका, पंचायत समिति से बाबू मांगते हैं तो आपका जिला कलक्टर कहता है कि इन दो संस्थाओं से आपके लिए बाबू नहीं दिया जा सकता। आपने जो आर्डर जारी किए हैं उनमें इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी है। या तो आपने पीछे से कोई ऐसी व्यवस्था की है या जिला कलक्टर मनमानी कर रहा है। कुछ समय से आप और भी सुविधाएं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि विधायकगण के पास क्षेत्र के अलावा अन्य प्रकार के बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए सब प्रकार की सुविधाओं से उन्हें सम्पन्न किया जाना चाहिए। अन्य प्रांतों और भारत की लोक सभा और राज्य सभा में सदस्यों को बहुत सारी सुविधाएं—कम्प्यूटर वगैरह और दो-दो, तीन-तीन बाबू दिए गए हैं, आप भी अपनी सीमाओं में रहते हुए कम से कम इन सविधाओं का सृजन कीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सांवर लालजी (अनुपस्थित) माननीय माहिर आजाद जी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आज यह जो प्रस्ताव रखा है यह तो एक त्रुटि रह गई, खामी रह गई कि 50 हजार के कूपन की सुविधा तो माननीय सदस्यों को मिल ही रही है। यह तो अपनी उस भूल को सुधार करने के लिए रखा है। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, आप जब संशोधन लाए ही हैं तो केवल एक संख्या का ही तो सवाल है, आप इसे 35 से 50 कर रहे हैं, फिर दुबारा आपको लाना पड़ेगा इसलिए आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इसको 50 की बजाय 75 हजार रुपए कर दें। या जैसा माननीय सदस्य दिलावरजी ने कहा, उत्तप्रदेश, केरल और दूसरे राज्यों में जैसी सुविधा है कि उस राज्य में घूमने के लिए टिकट की जरूरत ही नहीं, हम अपना डिवीजन नम्बर बता कर यात्रा कर सकते हैं तो राज्य में फ्री करवा दें और इसको फिर 50 रख दें कि राज्य के बाहर जाएं तो ये कूपन काम में आ जाएं।

माननीय सभापति महोदय, जो घोषणा इस सदन में की जाए, यह प्रक्रिया रही है या बाध्यता रही है कि उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी को याद होगा कि इन्होंने पिछले बजट सत्र में यह घोषणा भी की थी कि 15 दिन का माननीय सदस्यों को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अकोमोडेशन का दिया जाएगा। केवल 15 दिन का। यह कहा इन्होंने कि इसके बाद जिन सदस्यों को मकान नहीं मिले उसका भी 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। यह इन्होंने इसी हाउस में घोषणा की थी, उठा कर देख लीजिए। लेकिन उसके बाद फाइनेंस ने विधान सभा के सारे सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया। फिर इस विधान सभा की क्या सार्थकता रह जाएगी और क्या इस सर्वोच्च सदन का सम्मान रह जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कह दिया कि एक-एक एम.एल.ए. को एक-एक एल.डी.सी. फरहाम किया जाएगा उसके विधायी कार्यों के लिए। जब से यह बात हुई है, चार-पांच महीनों में कितने ही लोगों का सुझाव के रूप में लिखा तो कहते हैं कि इनके अलावा कोई दूसरा एल.डी.सी. ही नहीं है, यह आपको दे दिया जाएगा तो यह काम ही बन्द हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जिले की बाध्यता को समाप्त कर दें और यह कर दें कि पूरे राजस्थान में कहीं से भी जो माननीय सदस्य किसी एल.डी.सी. के लिए लिख कर दे दे, आप उसको जब तक वह विधायक रहे, विधायी कार्यों के लिए वह एल.डी.सी. फरहाम कर दें ताकि उस क्षेत्र में समस्या नहीं रहे कि वह है या नहीं, कहीं से भी ले लें। जयपुर सचिवालय में इतने सारे बैठे हुए हैं, कइयों को आप सरप्लस करके हटा रहे हैं, वहां से ले लें या हाउस नहीं चल रहा हो तो विधान सभा के एल.डी.सी. का स्टाफ है, उनमें से ले लें। कहीं से भी ले लें किन्तु आपने जो घोषणा की है, वह लागू हो।

(15.27 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में आपने भी हमारा समर्थन किया था और विधायकों को एक-एक एल.डी.सी. की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई, आदेश भी निकाले लेकिन वे आज तक नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है।

जो वाहन आपने जिला पूल से उपलब्ध करवाने के लिए कहा था, हम जिला

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कलक्टर को लिखते हैं, फैक्स भेजते हैं कि हमको फलां-फलां तारीख के अन्दर अपने विधान सभा क्षेत्र का दौरा करना है, गाड़ी चाहिए। हमको यह जवाब मिलता है कि जिला पूल में गाड़ी उपलब्ध नहीं है। फलाने मंत्रीजी आ रहे हैं उनके प्रोटोकॉल में गाड़ी लगा रखी है, या हमने इनके एस्कॉर्ट में गाड़ी लगा रखी है या एम.पी. साहब ने ले ली है या फलाने एम.एल.ए. ने ले ली है। गाड़ी नहीं मिलती है। पांच दिन के लिए आपने कहा है, पांच दिन जो गाड़ी मांगी जाए, कार्यक्रम होते हैं तो उस कार्यक्रम के लिए ही गाड़ी मांगी जाती है। क्षेत्र के दौरे का कार्यक्रम है, गाड़ी मिल नहीं पाती है तो वापस अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ता है। इसलिए पहले की घोषणाओं को सख्ती से लागू करवाएं। एक एल.डी.सी. चाहे स्टेट में कहीं से भी किसी का भी नाम दे दें, वह एल.डी.सी. हमको मिल जाए। जिला पूल से महीने में पांच दिन गाड़ी की सुविधा है वह गाड़ी पांच दिन मिल जाए और मेरा आपसे निवेदन है कि फर्नीचर की लिमिट भी बढ़ाई जाए। यह जो यात्रा कूपनों का है इसको आप बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपए कर दीजिए, हम सब बिना बहस और बिना संशोधन के पास कर देंगे और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, राठौड़ साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह संशोधन केवल एक करेक्शन है, न तो कोई 75 हजार होने हैं और न अभी कोई आपके बढ़ने हैं कुछ। थोड़ा समय का ख्याल रखते हुए....

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह दें कि बाद में दूसरा संशोधन लाकर 75 कर देंगे। हम तो इतने सीधे लोग हैं कि यह नहीं कहें, आप ही कह दें, इनके एश्योरेंश को हम मान लेंगे। आप ही कह दें तो मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह जानते हैं, ये सब बजट के समय होते हैं यह तो छोटा-सा करेक्शन है, इसलिए कृपा करके समय का ध्यान रखिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है, बात यह है कि माननीय मंत्रीजी भूल को सुधार रहे हैं, 98 में यह हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : भूल इनकी नहीं है, भूल पहले की है जिसको सुधार रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : वही तो कह रहे हैं कि रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दे रहे हैं। हमारा कहना है कि जब कर ही रहे हैं तो 50 की बजाय 75 कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी बाध्यता थोड़े ही है?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं?

मोहम्मद माहिर आजाद : कानूनी बाध्यता नहीं है तो कहीं भी बैन नहीं किया है, कहीं पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप केवल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रैक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, 50 करेंगे, आप कर सकते हैं, कानून नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपको रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि समय का ध्यान रखें, जो काम नहीं होने वाला है, आप बाकी काम होने दें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय ...।

श्री उपाध्यक्ष : महोदय, आपको भी बोलना है, फरमाओ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे सभापति महोदय ने इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो मैं मना कहां कर रहा हूं?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपकी आज्ञा हो तो बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष : आज्ञा है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे भय था कि सभापति महोदय जा रहे हैं इसलिए मेरा नम्बर नहीं आएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय मामलों के मंत्री महोदय बहुत उदार हैं और हमेशा ही माननीय सदस्यों की मांग को स्वीकार करते रहे हैं। यह वृद्धि करने से पूर्व वित्त मंत्रीजी को पूछ लीजिए कि वित्त की व्यवस्था तो है न। कहीं प्रस्ताव भी पास हो जाए और वित्त की व्यवस्था ही नहीं हो। अभी जितने संशोधन आये हैं किसी का भी मंजूर नहीं हुआ। तो आप उनसे पीछे क्यों रहते हैं? आपकी मंशा तो बढ़ाने की है और बढ़ाएंगे भी, लेकिन हमसे आरजू, मिन्नत कराना चाहते हैं तो वह तो सबने कर दी। अब श्रीमुख से जो कुछ फरमाना हो फरमा दीजिए, आपकी कही हुई बात अकाट्य होगी। सबको मंजूर है, आप तो मेहरबानी कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने अभी जो फरमाया कि न तो यह होने वाला है और न 50 का 75 हजार होने वाला है, माननीय उपाध्यक्षजी, राठौड़ हैं, जब राठौड़ी चलती है तो कोई नियम, कायदा, कानून कुछ भी लागू नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी राणावत हूं, ध्यान रखना।

श्री शिवनाथ सिंह : एक बात और निवेदन करूं। न तो यहां मुख्य मंत्रीजी हैं और न यहां वित्त मंत्रीजी हैं, किसी का डर तो आपको है नहीं, इसलिए आप तो राठौड़ी चला दो और चलाकर 50 की जगह 75 कर दो।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों को यह पीड़ा है कि एल.डी.सी. नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रान्त में जोशीजी की मेहरबानी से बहुत से टीचर सरप्लस हो रहे हैं, इसलिए एल.डी.सी. कैडर का उस श्रेणी का कोई टीचर मांगें तो वह दिला दीजिए आप। हम माननीय सदस्यों को संतोष हो जाएगा, अध्यापक आप दे दें। सी.पी. जोशीजी बहुत खुले

(श्री शिवनाथ सिंह)

मन से अध्यापक दे देंगे। एल.डी.सी. की जगह अध्यापक का ही आप प्रोविजन करा दीजिए, मेरे ख्याल से यह सब ठीक हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने स्वयं ने फरमाया, इसमें सिर्फ यह अमैण्डमैंट रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू करना है। आपके वक्त में 35 हजार रुपये के कूपन देने का तय हुआ था और बाद में 50 हजार रुपये किये गये भैरोंसिंहजी के वक्त में। अब आप 50 हजार रुपये के कूपन लेते आ रहे हैं। सिर्फ इसको रैगुलराइज करना है, इतना ही मामला है। इसको तो आप कर दो।

बाकी बात आपने कही है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि कोई मेरी ग्रहदशा ही खराब है, बाकी आप बताइए कि पिछले दो वर्षों में एम.एल.एज. को जो सुविधाएं दी गई हैं उतनी सुविधाएं 50 साल में ही नहीं मिलीं। मैं पहली असैम्बली में भी था और भैरोंसिंहजी के राज में भी कितनी मिन्नते की थीं आप थोड़ा-सा यह बढ़ा दीजिए, वो बढ़ा दीजिए, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। यह तो अशोक जी गहलोत आए और खेतसिंह उनके प्रभारी और खास तौर से पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बने तो उन्होंने ही अपने प्रयत्नों से और आप सबकी सहानुभूति से आपको 300 रुपये अलाउंस कर दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो कूपन की बात कर रहे हैं। आप सारी बात क्यों गिना रहे हैं, वह तो सबको पता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आप मानते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सिर्फ कूपन, एल.डी.सी. और गाड़ी की बात करो न। जो बढ़ा दिया उसका धन्यवाद दे दिया आपको। अब जो किराया बढ़ा है, भारत सरकार ने डीजल की रेट बढ़ा दी है, आप इस कूपन को बढ़ाने की बात करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो मैं अवश्य सोच रहा हूं, लेकिन विपक्ष के नेता यहां नहीं हैं, उनको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो गुलाब चन्दजी को यह कहना चाहिए कि आपने वाकई अच्छा काम किया है और इन दो सालों में एम.एल.एज. को काफी सुविधाएं दी हैं। यह तो वह कहने को तैयार ही नहीं हैं। सुविधा पर सुविधा लिए जाएं और कहने को तैयार नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर वह कह देंगे तो आप कर देंगे क्या? (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, अगर वह कह देंगे तो आप करा दोगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब मैं यह निवेदन कर रहा था कि दो बातों की और आपको तकलीफ है। एक तो आपको वाहन 5 दिन के लिए मिलना चाहिए और वह अच्छा मिलना चाहिए। (व्यवधान) पहले 5 दिन का है, उसके लिए हम कलक्टर्स को लेटर लिखेंगे कि इसमें मेहरबानी करके किसी तरह की कोताही

(श्री खेतसिंह राठौड़)

नहीं होनी चाहिए। कोई एडिशनल कलक्टर वगैरह दौरे में जाते हों और बढ़िया जीप हो तो पहले एम.एल.ए. साहब को दी जानी चाहिए, इस बारे में उनको सख्ती से कहा जाएगा।

इसी प्रकार से बाबू का प्रश्न है। बाबू के लिए कई एम.एल.ए. साहब ने लिखा तो बाबू खूद ही इंकार हो गया कि मैं तो नहीं जाना चाहता। कई एम.एल.ए. साहब ने लिखा तो यू.डी.सी. के लिए लिख दिया। फिर वापस उन्होंने लिखा कि यू.डी.सी. हम दे नहीं सकते। कई कलक्टर्स ने यह कहा कि हमारे पास सरप्लस है नहीं, हम कहां से दें। यह वाकई समस्या है। इसके ऊपर मैं हाउस कमेटी के चेयरमैन से और लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करके इसका क्या वाया मीडिया निकाला जाना चाहिए....

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दायरा बढ़ा दो। जिले की बजाय राजस्थान कर दो कि राजस्थान में कहीं से भी ले लें। यह करो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने यह भी विचार किया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अलाउंस तय कर दें और बाबू फिर आप अपना रखें। इस पर विचार करके बजट सैशन में इस बारे में आपसे निवेदन किया जाएगा। अभी तो आपसे यही निवेदन है कि कृपापूर्वक यह बिल पारित कीजिए, मुझे डाक्टर के पास जाना है, इसलिए आपको हाथ जोड़कर कहना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस लिमिट का तो बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2—कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं. 19) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000

कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000। कृषि मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं. 20) को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु एक माह के लिए परिचालित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है वह उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के नाम के साथ महाराणा प्रताप का नाम जोड़ने के संबंध में है। महाराणा प्रताप एक ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, हम सब उनका सम्मान करते हुए उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे समय में जबकि भारतीय राजनीति में बड़ी उथल-पुथल हो रही थी, महाराणा प्रताप ने एक दिशा दी। उस समय में उन्होंने जो काम किये, जो बहादुरी से उन्होंने किया उसको हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार की जो महान विभूतियां होती हैं उनके सम्मान के अनुरूप ही हमको काम करना चाहिए। हमारे देश में ऐसी महान विभूतियों की कमी नहीं है। हमको यह संशोधन लाने से पहले सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए

(श्री शिवनाथ सिंह)

कि इतनी महान हस्ती का नाम हम एक छोटी-सी संस्था के साथ जोड़ रहे हैं।

कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है लेकिन महाराणा प्रताप उदयपुर के ही नहीं थे, उस वक्त के सम्पूर्ण राजपूताना के वे एक प्रतीक थे। मुगल सल्तनत ने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया और अकबर महान जिसको कहा जाता है उसने महाराणा का जो अधिकार क्षेत्र था, उनका राज्य था उसको अपने कब्जे में लेना चाहा। राजपूताने के अधिकांश राजघराने मुगल सल्तनत के सामने नतमस्तक हो गये थे, उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। कइयों ने तो मुगल सल्तनत के अधिकारियों से, वहां के शासकों से अपने वैवाहिक आदि सम्बन्ध भी कर लिये। लेकिन वह एक वीर ऐसा था जो मुगल सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए अपने मन को नहीं बना पाया और यह संकल्प किया कि मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़ें, मेरा सत्यानाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए लेकिन मैं मुगल सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे महान व्यक्तियों का हम उनके अनुरूप सम्मान करें तो उचित होगा। मुझे नाम जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उस नाम के अनुरूप कोई स्मारक भी हो, काम हमें करना चाहिए।

मैं दूसरा निवेदन और करना चाहता हूं, यदि यह परम्परा हमारी चली तो बहुत-सी विभूतियों के नाम सामने आएंगे। महाराणा प्रताप का जब नाम आता है, वीर दुर्गादास का नाम क्यों नहीं आएगा? हमीर हठ का नाम क्यों नहीं आएगा? जांभोजी का नाम क्यों नहीं आएगा? सूरजमल महाराजा का नाम क्यों नहीं आएगा। वीर तेजाजी का नाम क्यों नहीं आएगा? कल जोधपुर डिवीजन के भाई कहेंगे कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के साथ वीर तेजाजी का नाम जोड़ा जाए। यह अच्छी परम्परा नहीं है। इन महान हस्तियों का नाम किसी स्कूल के साथ जोड़ना, किसी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना, किसी कालेज के साथ जोड़ना, यह उनके कद को बढ़ाना नहीं घटाना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो यह विचार लाया जा रहा है उससे हमें बचना चाहिए। जब कोई कहे कि महाराणा प्रताप का नाम जुड़े तो ऐसे भी हो सकते हैं कि अकबर महान का नाम क्यों नहीं जुड़े? ये सब कंट्रोवर्सी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को, हमारे मंत्री महोदय को यूनिवर्सिटीज के कार्यकलापों में उत्तमता लाने की चेष्टा करनी चाहिए। नाम जोड़ने से किसी यूनिवर्सिटी का भला नहीं होगा, हमारे छात्रों का भला नहीं होगा। आज उस विश्वविद्यालय में रिसर्च के कितने काम हो रहे हैं? बराबर कभी उदयपुर यूनिवर्सिटी, कभी बीकानेर यूनिवर्सिटी के टुकड़े किये जा रहे हैं। जोड़े जा रहे हैं फिर काटे जा रहे हैं। शैक्षणिक जो काम उसका है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। शैक्षणिक प्रवृत्तियों को हम बढ़ाएं नाम जोड़ने से उनका उत्थान नहीं होगा। जिनके लिए

(श्री शिवनाथ सिंह)

यूनिवर्सिटीज बनी हैं उन कामों की तरफ ध्यान देकर हमें उनकी गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए ताकि देश में और अन्तरराष्ट्रीय जगत में हमारी संस्थाओं का नाम हो। आज कृषि का क्षेत्र ऐसा है जिसमें बराबर शोध कार्य चल रहे हैं। हमारे पास ही हरियाणा में यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है। बहुत-सी यूनिवर्सिटीज देखने का मौका मिला, उनके कामों को देखकर दंग रह जाते हैं। उस गुणवत्ता की तरफ, माननीय मंत्री महोदय, ध्यान दीजिये। हमारी सरकार को साधन उपलब्ध कराने चाहिए उन यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, ज्यादा कहकर कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता लेकिन महाराणा प्रताप का मान-सम्मान करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार को सोचना चाहिए कि उस महान हस्ती का नाम इस संस्था के साथ जोड़कर हम उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं या उनके कद को कम रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 को जिस उद्देश्य से लेकर माननीय मंत्री महोदय आये हैं, उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। निश्चित तौर पर यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान की धरती ने ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया जिसने इस राजस्थान राजपूताने का नाम पूरे विश्व में किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, महाराणा प्रताप जो कि स्वतंत्रता के सबसे बड़े पुजारी थे, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया था और उस वक्त किया था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस सल्तनत के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, उनके साथ कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम तो जोड़ रहे हैं परन्तु इसके साथ-साथ यह भी आप तय करें कि यह कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर पूर्ण विश्वविद्यालय बने।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ मापदंड तय कर रखे हैं कि विश्वविद्यालय का दर्जा किसको मिलेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन-सी होगी, उसमें क्या-क्या अगल-अलग फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब जो विश्वविद्यालय सरकार ने 1-11-1999 को खोला है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में चल रहे विश्वविद्यालय के एक छोटे से परिसर के बाहर हम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का नाम लगा दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। यू.जी.सी. ने जो मापदण्ड तय किये हैं कि कैम्पस होना चाहिए, अलग से लाइब्रेरी हो, अलग से संकाय हो, इन सारी व्यवस्थाओं की पूरी सूची है, उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम सरकार करे। सरकार ने विश्वविद्यालय खोलकर वाहवाही लेनी तो

(श्री शिवनाथ सिंह)

जरूर चाही परन्तु इसमें जिस तरह का बजट का प्रावधान होना चाहिए, उस बजट का प्रावधान नहीं किया।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि महाराणा प्रताप का नाम स्वतंत्रता के साथ हुआ है, स्वायत्तता के साथ जुड़ा हुआ है। मेवाड़ की स्वायत्तता के लिए वे छोटे-से राज्य मेवाड़ के राजा होने के बावजूद पूरी मुगलिया सल्तनत से टकराये थे। वे स्वायत्तता चाहते थे, परन्तु यहां क्या हो रहा है? जब से यह सरकार आयी है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन बहुत जोर शोर से हो रहा है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी विराजं रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार हुआ कि एक तरफ सरकार के वित्त सचिव, सरकार के शिक्षा सचिव और दूसरी तरफ कुलपति, तीनों बैठकर एक एम.ओ.यू. पर दस्तखत करें। पहली बार हुआ कि सरकार यह कहे कि विश्वविद्यालय की फीस बढ़ा दें, सरकार यह कहे कि विश्वविद्यालय के अन्दर नये पदों पर किसी आदमी को नियुक्त नहीं करें और सरकार यह कहे कि विश्वविद्यालय के खर्चे को कम करें। सरकार अगर यह कहे कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल होना चाहिए, विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का माहौल होना चाहिए और फिर कोई बात हो, कोई कमी-खामी हो, तब तो समझ में आए परन्तु जिस तरह की आदत है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराज रहे हैं, यह सब कुछ अपने पास कैप्चर करना चाहते हैं। यह पहली बार हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कुलपति समन्वय समिति....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (उच्च शिक्षा मंत्री) : शिक्षा मंत्री ने कोई भी इंटरफियरेंस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में नहीं किया है। यह + + + देख रहे हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा मंत्री हैं....(व्यवधान) इन्होंने कहा है....(व्यवधान) कि + + + देख रहे हैं। यह किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? (व्यवधान) आप शिक्षा भी दो। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपके मुरली मनोहर जोशी क्या बोल रहे हैं, मालूम पड़ा आपको? पता है, मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं यही मालूम नहीं है कि आई.सी.ए.आर. से पूछना है या यू.जी.सी. वालों से? यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला आई.सी.ए.आर. का मामला है यू.जी.सी. का मामला नहीं है। आप यू.जी.सी. बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ज्यादा ज्ञानी मत बनो। आपको अपनी सीट पर जाकर

+ + + अभिव्यक्ति/अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बोलना चाहिए। जब आपने स्वायत्तता की बात की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो वहां से बोल लूंगा लेकिन मामला यू.जी.सी. का है या आई.सी.ए.आर. का है, यही मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप सुनिये। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, जब महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय की बात चलेगी तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात भी चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महादेय, ये बड़े उत्तेजित हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को समझिये कि यहां यूनिवर्सिटी पर डिस्कशन....(व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : + + + यह कैसे होगा? सरकार के पैसे से यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और ऑटोनामी की बात करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अलग बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल : + + + यह कहावत जरा क्लीयर तो कर दो। आप इस कहावत को जरा समझा दो, लोग जानते नहीं हैं। कहना क्या चाह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन पर बैठते हैं, सभापति के पद को तो आप सुशोभित करते हो और....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी की काबिलियत आपसे कम नहीं है जो आप कहावतें सुना रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आर्डर प्लीज। यहां यूनिवर्सिटीज डिस्कस नहीं हो रही हैं, यहां मात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करने का प्रश्न है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कोई बात हो तो आप कहें उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आर्डर प्लीज। आप तो सारा डिस्कस कर दें, सारा शिक्षा मंत्री पर करें, यह नहीं होगा।

श्री सांवर लाल : सारी ही सम्बन्धित है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : न तो यह यूनिवर्सिटी का मामला है...(व्यवधान) इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मंशा के अनुसार...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार के पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही हैं और यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है? कोई टीचर पढ़ाने नहीं आता, परीक्षाओं का कोई इंतजाम नहीं है, बोगस सर्टिफिकेट जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : डिलीट करवाओ जो माननीय सदस्य ने कहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : डाक्टर सी. पी. जोशी ने एक साल में प्रयत्न किया तब जाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी उस लाइन पर आयी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने.....

श्री सांवर लाल : + + + क्या मतलब है इससे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा है। यह क्या बात है कि + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका क्या अर्थ जाएगा पूरे राजस्थान में? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ....आज इस युग में महिलाओं का अपमान इससे ज्यादा..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्सपंज करवा दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन परम्पराओं से चलता है, इस तरह से नहीं चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय। आप उसको डिलीट करवाइये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये न। आप बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसी अभद्र और वल्गर बात दुबारा न कहें, यह भी कहें इन्हें और एक्सपंज भी करवाइये। क्या कहा वह मैं दोहराना नहीं चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप माफी मांगिये। आपने कहा है कि + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मांग लेंगे, आप क्यों पड़ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यूनिवर्सिटी खाये तो सरकार का, यूनिवर्सिटी पैसा तो खाये सी.पी.जोशी का और स्वायत्तता की बात करे, यह कोई बात होती है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : यूनिवर्सिटी पैसा हमारा खाती हैं, सी. पी. जोशी के हाथ से लेती है और स्वायत्तता की बात करते हैं।

श्री सांवर लाल : कहां से पैसा आ गया सी. पी. जोशी साहब का? (व्यवधान) राजस्थान की जनता का पैसा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : लड़कों को एक अक्षर नहीं पढ़ाते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, सी. पी. जोशी साहब किसके + + + हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय रामनारायण जी। आप विराजें। बैठिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सन्दर्भ में यह टिप्पणी की है तो यह बता दें माननीय मंत्री महोदय कि राजस्थान सरकार इन विश्वविद्यालयों की + + + है क्या?

श्रीमति सुमित्रा सिंह : यह जो अभद्र और वल्गर बात कही है उसको एक्सपंज करवाइये पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये पहले। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके जमाने में तो विश्वविद्यालयों का भट्टा बिठा दिया गया था। (व्यवधान) आप लोगों ने तो आपके जमाने में विश्वविद्यालयों का भट्टा बिठा दिया था राजस्थान में, आप क्या बात करते हैं? क्या रिफार्म करेंगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? पूरी तीनों की तीनों यूनिवर्सिटीज का इतना ज्यादा भट्टा बिठा दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सारे फेल्योर कर दिये। अब हमारी गवर्नमेंट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्तर ऊंचा उठाया है, उदयपुर यूनिवर्सिटी का स्तर ऊंचा किया है। आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिलकुल रयून कर दिया, बर्बाद कर दिया, आप क्या बात करेंगे शिक्षा की? + + + (व्यवधान) बोलने की तहजीब ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। सदन की गरिमा की बात है, सदन की गरिमा रखिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल है। मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर मैं अलाउ करूंगा, आप विराजिये न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी, क्यों बैठूंगी?

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पूरे प्रश्न को डिबेट कर गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरी बात को तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुनाओ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही हूं कि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अभद्र और इतनी वल्गर बात कही है कि मैं समझती हूं सदन की कार्यवाही में आए तो ठीक नहीं होगा इसलिए उसे एक्सपंज भी कर दीजिए और....

श्री सी. पी. जोशी : यह तो कहावत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहावत का क्या मतलब हुआ? ऐसी वल्गर कहावत कही है। इस सब के लिए....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इसमें अभद्रता कहां है? यह तो कहावत है। अभद्रता कहां है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, सुनिये। आप तो कुछ नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुनोगे, मंत्री महोदय। तीन साल रूक जाओ फिर सुनोगे। (व्यवधान) मंत्री महोदय, सुनोगे, तीन साल रूक जाओ, समय जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : यूनिवर्सिटी पैसा खाती है असेम्बली का, यूनिवर्सिटी पैसा खाती है सी. पी. जोशी का, अपने पैरों पर तो हैं नहीं और वह गीत गाते हैं अपनी ऑटोनामी का। यह चलने वाली बात नहीं है। ऐसी ऑटोनामी की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह ये बोल रहे हैं तो इनको बोलने दें। आर्डर, आर्डर। इनकी सुनिये तो सही।

श्री अमराराम (धोद) : सी. पी. जोशी अपने घर से खरीद कर देते हैं क्या? राजस्थान की जनता का पैसा है। न सी. पी. जोशी का है, न गहलोतजी का है।

श्री रामनारायण चौधरी : कलम सी. पी. जोशी की है। आप ला दो। आप चला दो तो चल जाएगी क्या कलम?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : कलम उनकी चलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सी. पी. जोशी का पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जनता का पैसा ऐसे लूटने के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रताड़ित कीजिए उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य विषय को कहीं और ही ले जा रहे हैं। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया है, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य के मुंह से इतनी अभद्र. . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये तो सही। प्लीज शिवनाथ सिंह जी, सुनिये तो सही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्सपंज कीजिये न आप। एक्सपंज कीजिये और उनसे कहिये कि आइंदा इतनी अभद्र और वल्गर बात नहीं कहें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें ऐसा क्या कह दिया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बात हुई? संख्या शक्ति के बल पर हमें कहने भी नहीं देंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप कंटीन्यू रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह कह रही थी कि आप एक्सपंज कर दें तो अच्छा होगा और माननीय सदस्य को भविष्य के लिए कहें कि इतनी अभद्र और वल्गर बात सदन में नहीं कही जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इसको एग्जामिन करवाकर अगर यह असंसदीय होगा तो इसको एक्सपंज कर देंगे। माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आप कृपा करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो प्रश्न है उस पर आइये। Don't talk about all the Universities. Why do you want to confuse?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञानुसार....

श्री उपाध्यक्ष : एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं अपने आपको उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय तक सीमित रखूंगा, लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : छोटे रूप में कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि महाराणा प्रताप का नाम सारे विश्व में स्वतन्त्रता के सबसे बड़े उपासक के रूप में जाना जाता है। स्वायत्तता के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। अभी मैंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के बारे में कोई सवाल उठाया और ज्ञानी शिक्षा मंत्रीजी उत्तेजित हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वे उत्तेजित नहीं हुए, आपने एड्रेस किया उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि मई, 2000 के अन्दर राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के बीच में जिस तरह का एम.ओ.यू. साइन हुआ, जिस एम.ओ.यू. के आधार पर फीसें बढ़ीं, यह सीधा-सीधा विश्वविद्यायों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुलपतियों की समन्वय समिति....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय राठौड़ साहब, सॉरी। भारत सरकार का राज्य सरकार की स्वायत्तता में दखल है या नहीं, यह कभी आपके दिमाग में नहीं आया? क्या बात कर रहे हो? जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार है वह पार्टी स्टेट के साथ एम.ओ.यू. करे, वह स्वायत्तता में दखल में नहीं आता है? एम.ओ.यू. केवल मात्र किसी भी संस्था के फाइनेन्शियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक

(श्री सी. पी. जोशी)

व्यवस्था की गयी है। इसलिए काहे की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं? स्वायत्तता की बात करो दिल्ली के अन्दर जाकर जो सरकार के अन्दर एम.ओ.यू. क्यों करवा रही है, अगर स्वायत्तता की बात करना चाहते हैं तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इन ज्ञानी शिक्षा मंत्रीजी को समझाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपकी तरह अन्जान नहीं हूं। स्वायत्तता का सीधा सम्बन्ध एम.ओ.यू. से है तो भारत सरकार क्या कर रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाराज क्यों होते हो?

श्री सी.पी. जोशी : आप क्यों नाराज हो रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जरा मुस्कुरा कर कह दें इस बात को।

श्री सी. पी. जोशी : आप भी हंसकर बात क्यों...(व्यवधान) क्या तकलीफ है आपको? (व्यवधान) स्वायत्तता का सीधा सम्बन्ध एम.ओ.यू. से नहीं है। एम.ओ.यू. का सीधा सम्बन्ध वित्तीय व्यवस्थाओं को सुधारने से है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार कुलपति समन्वय समिति की सदारत अगर किसी शिक्षा मंत्री ने की है तो वर्तमान शिक्षा मंत्री ने की है। राज्यपाल महोदय के सामने जिस तरह आप गिड़गिड़ाये हो, जिस तरह आप प्रताड़ित हुए हो वह इस बात का सबूत है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : राजेन्द्र राठौड़ साहब, यह भैरोंसिंह जी के साथ आप गिड़गिड़ाकर राजनीति में आये होंगे, मैं राजनीति में गिड़गिड़ाकर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपके अपने खुद के अनुभव होंगे राजनीति में। (व्यवधान) हम गिड़गिड़ाकर नहीं आये हैं। जिस पार्टी में आप बैठे हैं न वहीं गिड़गिड़ाकर कर पार्टी में आये हैं। इस पार्टी में वजूद भी नहीं था। कहां से आये इस पार्टी में? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह राज्यपाल महोदय ने आपको बता दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राज्यपाल महोदय मुझे बताये और नहीं बताये, यह आप कौन होते हो पूछने वाले? आपसे मैं कह दूं सी. पी. साहब ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंह जी, प्लीज कम टू द सब्जैक्ट।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्यपाल महोदय का आपने कैसे नाम ले दिया? आपने उनका कोई कोई ठेका ले रखा है? कमाल कर रहे हैं? क्या अधिकार है आपको राज्यपाल महोदय पर?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान में राज्यपाल महोदय और शिक्षा मंत्री के बीच जो विवाद हुआ वह जगजाहिर हुआ.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर पर विधान सभा के माननीय सदस्यों ने जब यह बिल पहले आया था तब उस वक्त सब ने पुरजोर शब्दों में मांग की थी कि उदयपुर महाराणा प्रताप का कार्य. क्षेत्र है, उनके नाम से विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है परन्तु मेरा निवेदन इतना–सा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : इतनी ही तो बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....विश्वविद्यालय की परिभाषा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कही है कि विश्वविद्यालय पूरा विश्वविद्यालय कब होगा, जब उसके अन्दर निम्नांकित मूल बातें पूरी होंगी। उन बातों को पूरा करने का काम आप, कृषि मंत्रीजी, करो तब तो महाराणा प्रताप के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धांजलि है, वरना थोथी वाहवाही लूटने के लिए आप पुराने उदयपुर विश्वविद्यालय के टुकड़े के आगे महाराणा प्रताप जैसी महान विभूति का नाम लिखें, इससे किसी तरह का हल निकलेगा नहीं। मैं समझता हूं, इन सारी बातों को देखते हुए आप इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल, (अनुपस्थित)। श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या आप यह चाहते हैं कि महाराणा प्रताप का नाम नहीं लगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी। आर्डर, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे हैडमास्टर नहीं है कि आपको बताऊं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अमराराम जी। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय राठौड़ साहब, क्या आप यह चाहते हैं कि महाराणा प्रताप का नाम नहीं लगे?

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी, बोलिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होती हैं उसी के कारण से शिक्षा का स्तर गिरता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी थी और एक यूनिवर्सिटी थी, बहुत अच्छा स्तर था। पहले एक बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय था, फिर उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय हुआ। बीकानेर विश्वविद्यालय से कई लड़के पीएचडी. किये हुए, बी.ए. एम.ए., बी.एससी. और एम.एससी. किये हुए आज बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको कहीं नौकरियां नहीं हैं। इसे महाराणा प्रताप का नाम देने जा रहे हैं यह

(श्री अमराराम चौधरी)

बहुत खुशी की बात है। यह महाराणा प्रताप एक आदर्श पुरुष थे, हमारे इतिहास के अन्दर उनका नाम युगों-युगों तक रहेगा। "जब याद करूं हल्दीघाटी, नैणा में रक्त उतर आवे" ऐसे महान व्यक्ति का नाम आप देने जा रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ कोई भी छात्र बेरोजगार नहीं रहे तब तो उनका नाम रखना उचित रहेगा, वरना 10 नाम लेते रहो उससे कोई कुछ नहीं हो रहा है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। उसमें सुधार की आवश्यकता है। बीकानेर विश्वविद्यालय के छात्र कितने पीएच. डी. किये हुए हैं? जोबनेर के अन्दर मुझे कई छात्र मिले, वे कहते हैं कि हमको डेली वेजेज पर नहीं लगाते हैं, वहां भी पुरानों को लगाते हैं। हम पीएच. डी. किये हुए हैं, हम क्या करें? आप ऐसे विद्यार्थी पैदा नहीं करें ज्यादा यूनिवर्सिटी खोलकर बल्कि जैसा नाम रख रहे हैं हिन्दुस्तान के अन्दर उसके अनुरूप उनका नाम रहना चाहिए। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लाए हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा पूरा प्रदेश महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है और वह हमारे हर दिल में बसे हुए हैं। कितना नाम उनका राजस्थान की धरती पर है। सवाल इस बात का है कि जो यूनिवर्सिटी है, जैसा माननीय राजेन्द्र राठौड़ ने कहा था, अमराराम जी ने कहा था, कम से कम यह व्यवस्था तो हो जाए कि वहां इतनी अंच्छी शिक्षा मिले कि हर व्यक्ति उनके जैसा स्वाभिमानी निकले, उनके जैसा देशभक्त निकले और अपनी शिक्षा के माध्यम से वह देश और समाज में अपना नाम कमाए। मैं तो मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि और जो भी संस्थान हैं, हर संस्थान का नाम देशभक्त के नाम पर हो ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति पहले नाम देखकर ही उनसे प्रेरणा लेना चालू कर दे। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात राठौड़ साहब को समझाओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रतापजी के नाम पर रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। परन्तु विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खतरा हुआ, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को काफी रखने का प्रयास किया। माननीय मंत्री महोदय, वहां के अधिकारियों के साथ, कुलपतियों के साथ बैठकर समझौता करें और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय से डांट पड़े, उनसे माफी मांगने के लिए + + + मैं समझता हूं, यह इतिहास में पहली बार हुआ है.....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है, वह रिकार्ड में क्या चीज आ रही है, यह समझ में नहीं आता। आप यह क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लांछन लगा रहे हो हमारे मंत्रीजी के ऊपर। यह क्या मतलब हुआ कि हम बैठे-बैठे सब सुनते रहे इनकी बातों को और यह मंत्रीजी के ऊपर लांछन लगा दें? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हर बात पर कोई लिमिट नहीं है किसी चीज की?

श्री उपाध्यक्ष : आप मेहरबानी करके बोलना चाहते हैं या नहीं? (व्यवधान) इसमें यूनिवर्सिटी कहां से बीच में आ रही है?

श्री रामस्वरूप : इनको निकाल दो सदन के बाहर अगर ऐसे बोलते हैं तो। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : हर बात में बयानबाजी करने का ठेका ले रखा है क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इन्होंने उसको आर.एस.एस. का अड्डा बना लिया था, ये वहां पर आर.एस.एस. की शाखाएं लगाया करते थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह हटा दीजिये। इनकी फ्रेजोलोजी अभद्र है, असंसदीय है, इम्प्रापर है और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। अभद्र है, इम्प्रापर है, रूड है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि यह इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत बड़े देशभक्त महाराणा प्रताप के नाम पर रखना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु मुझे बड़ा दुःख है, सैकण्डरी क्लास में त्रिविधा नाम से एक पुस्तक चलती है उस पुस्तक में महाराणा प्रताप के आगे जो उनका गौरव का नाम लिखा हुआ है हिन्दूपति महाराणा प्रताप उस हिन्दूपति पर कालिख पोत दी गई स्केच पैन से। यह बड़ा कष्ट का विषय है। महाराणा प्रताप को आखिर में सम्मान के शब्दों से क्यों देखना नहीं चाहते? यही नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, अटरू आवासीय विद्यालय में आफिस में लगे हुए महाराणा प्रताप के चित्र पर....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या बोल रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : ....एक मिनट। महाराणा प्रताप का चित्र उतार दिया, भारत माता का चित्र उतरवा दिया, स्वामी विवेकानन्द का चित्र उतरवा दिया....

श्री उपाध्यक्ष : यह महाराणा प्रताप पर डिबेट नहीं हो रही है।

श्री मदन दिलावर : ....विवेकानन्द जी का चित्र उतरवा दिया, भारत माता का चित्र उतरवा दिया। जहां इस प्रकार के चित्र उतरवा दिये जाएं और फिर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय नाम रखें....

श्री रामस्वरूप : क्या बोल रहे हैं आप ?

श्री मदन दिलावर : ....क्या यह दोगलापन नहीं है कि एक तरफ तो आप महाराणा प्रताप का नाम रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के, स्वामी विवेकानन्द के, भारत माता के, चन्द्रशेखर आजाद के, भगतसिंह के चित्र अटरू आवासीय विद्यालय में से उतरवा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये साम्प्रदायिक लोगों के चित्र हो सकते हैं ? यह ऐसा लगता है कि भाजपा समर्थक लोगों के यहां चित्र लगवाये हुए हैं। शिक्षा न तो भाजपा की समर्थक, न कांग्रेस की समर्थक है। शिक्षा तो शिक्षा है, विद्यालय तो विद्यालय है। इस प्रकार का दोगलापन, मंत्री महोदय, आगे मत करना क्योंकि महाराणा प्रताप का आप एक तरफ अपमान करते हो और एक तरफ विश्वविद्यालय का नाम रखते हो। यह ते बहुतम अच्छी बात है कि आप विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी चौहान, (अनुपस्थित)। प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री मदन दिलावर : ....लेकिन वहां, उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री मदन दिलावर : सरस्वती मां के नाम पर कालिख पोत दी गई। जहां सरस्वती सिंधु सभ्यता लिखी हुई थी, उस सरस्वती पर कालिख पोत दी गई। उस सरस्वती के नाम पर किस प्रकार से शिक्षा राजस्थान के बच्चों को देना चाहते हैं कालिख पोतने वाले लोग ? क्या सरस्वती के बिना हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ? क्या सरस्वती की वंदना किये बिना हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ? ऐसे वह ढोंग रचना छोड़ो, माननीय मंत्री महोदय। क्यों उदयपुर के लोगों को खुश करने के लिए वाहवाही लूट रहे हो ? महाराणा प्रताप पूरे देश का गौरव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। प्रोफेसर सांवर लाल। विराजिये।

श्री मदन दिलावर : ...भारत और राजस्थान का गौरव है इसलिए इसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो इन्होंने अटरू आवासीय विद्यालय में किया है, महाराणा प्रताप का अपमान, भारत माता का अपमान किया है, उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं।

श्री सांवर लाल : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप का नाम हिन्दुस्तान में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या तरीका है आप लोगों का यह? बात सिर्फ इतनी-सी है कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा जाए या नहीं रखा जाए। इस पर तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह गौरवशाली हैं, यह हमारे इतिहास पुरुष हैं और भारत के नवरत्नों में से हैं लेकिन इस पर मिट्टी डालेंगे। यह क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने?

श्री सांवर लाल : मिट्टी में तो सोना पैदा होता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सिर्फ + + + कर रहे हैं। यह मदन दिलावर जैसे + + + किस्म की बात करके सारे सदन की गरिमा भंग कर रहे हैं। सरस्वती मां के नाम पर कलंक की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जिस दिन से आपने इस सदन की सदस्यता ग्रहण की है, इस पूरे सदन की गरिमा आपने भंग कर दी। जिस तरह का माहौल आपने इस सदन में बनाया है, पूरे सदन की गरिमा आपने भंग कर दी है। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? माननीय राठौड़ साहब बार-बार कह रहे हैं कि नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन हम मिट्टी डालेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसने कर दी? + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप खड़े होकर कहते क्यों नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं यह नाम?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? हमको बता तो दो, + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तेजित मत होओ। बोलो, बोलो।

श्री सांवर लाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं है। अगर वह मंत्री नहीं बनें तथा मंत्री की जगह जवाब देना चाहते हैं तो हमारे को अधिकार नहीं है, हम अशोकजी से बात करें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके भाषणों को सुनने के लिए मानसिकता की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ कानों की जरूरत पड़ती है। (व्यवधान) आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ कान चाहिए। पूरे सदन में सिर्फ कान हैं, जब भी आप बोलना शुरू करते हैं...

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : सारे माननीय सदस्य अपने मानस को बिलकुल से रैस्ट दे लेते हैं कि ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। + + + आप सुबह से सायंकाल तक करते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की परम्पराओं का निर्वहन करें, सदन को आप नियमों से चलाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : नियमों के विपरीत होकर सुबह से सायंकाल तक केवल + + + जो इनके हैं, यह पूरा सदन सुनने के लिए बाध्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मत सुनिये आप, किसने कहा कि आप सुनो?

श्री मदन दिलावर : कान में रूई डाल लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बोलने का सभी सदस्यों को अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए, बोलिए।

श्री सांवर लाल : और माननीय सदस्य अगर मंत्रीजी की जगह बोलना चाहते हैं तो मुख्य मंत्रीजी को कहकर ट्रैजरी बेंच पर आ जाएं—

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपनी बात कहें।

श्री सांवर लाल : अब यह बीच-बीच में व्यवधान डाल रहे हैं—

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी को तो आपने इतर कर दिया, कृषि मंत्रालय के बारे में चर्चा चल रही थी, कृषि मंत्री के संबंध में बात हो रही थी—

श्री सांवर लाल :आप उनको कहें, उपाध्यक्ष महोदय। मैं तो आपने समय दिया इसलिए बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उसको तो आपने डाइवर्ट करके शिक्षा मंत्री पर डाल दिया।

श्री सांवर लाल : आपका नम्बर पन्द्रह वर्ष नहीं आएगा। मैं चैलेन्ज से कहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, महाराणा प्रताप हिन्दुस्तान की ही नहीं, दुनिया की धरोहर हैं। धरोहर इसलिए हैं कि उन्होंने जीवनपर्यन्त उसूलों की स्थापना के लिए संघर्ष किया। चाहे भूखे रहे, जंगल में रहे, कितने ही संकट उन्होंने पाए परन्तु जिन्दगी में कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं की, सत्य और न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी। इसलिए महाराणा प्रताप का नाम हर भारतीय, हर हिन्दुस्तानी बड़े सम्मान के साथ लेता है। माननीय मंत्री महोदय को सद्बुद्धि आई और किसी संस्था का नाम उस नाम से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

नामांकित करने के लिए जो आप यह बिल लाये हैं इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। माननीय जोशीजी, आपके पास तो कई यूनिवर्सिटी थीं इनके पास तो दो थीं उनमें से एक का तो कर दिया, अब आप भी कुछ इस प्रकार का सोचें। जिन्होंने इस राजस्थान के अन्दर ऐसा काम किया, आपको तो मालूम है, तेजाजी तो लोक देवता हैं, उनके नाम की तांती बांधने से आदमी के सांप का काटा ठीक हो जाता है। हर गांव और ढाणी के अन्दर तेजाजी के चबूतरे और दरीखाने मिलते हैं। हर तेजा दशमी को लोग जाते हैं, वार-त्यौहार भी वहां जाते हैं। तो उन लोगों की, गांव-ढाणी में रहने वालों की भावनाओं के अनुरूप आप किसी यूनिवर्सिटी का, चाहे बीकानेर का हो, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी....

श्री संयम लोढ़ा : + + + विश्वविद्यालय खोलने दें एक उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : + + + विश्वविद्यालय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तेजाजी को + + + बताया, यह क्या है?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तेजाजी लोक देवता हैं पूरे राजस्थान के और उस लोक देवता के लिए + + + कह रहे हैं...(व्यवधान) यह तेजाजी का अपमान नहीं चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोक देवता हैं, लोग मानते हैं उनको। यह क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह तेजाजी का अपमान किया जा रहा है।

श्री सांवर लाल : अगर यही इनकी मानसिकता रही तो अभी इनकी हालत क्या होने वाली है यह सोच लें।

श्री संयम लोढ़ा : हमारी तो ठीक है, खुद की चिंता करो। + + + कर रहे हो सुबह से। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ऐसा है, किसी सेंटिमेंटल इश्यू के ऊपर ज्यादा + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : तेजाजी को मानने वालों को जानते हो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर, उधर।

श्री सांवर लाल : एक बात, बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, तेजाजी को हम दिल से, दिमाग से, हर तरीके से मानते हैं। करना, नहीं करना सरकार का काम है पर इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल किये न, तो इस राजस्थान की जनता ठीक कर देगी। ऐसे अपमानजनक शब्द हम बर्दाश्त नहीं

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

करना चाहते, तेजाजी हों, कोई लोक देवता हों। क्या हिम्मत है इनकी? क्या हिम्मत है इनकी? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह + + + वाला है, यह हटा दीजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं इस हाउस में आकर।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, तेजाजी का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय प्रोफेसर साहब, इस तरह आप धमकी नहीं दे सकते एक माननीय सदस्य को। आप इस तरह आंख दिखा रहे हैं यहां पर, हम आंख से नहीं डरते। हमारे माननीय सदस्य को आंख दिखाते हैं आप, तेजाजी के कारण आप तेजाते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्षजी, इस मामले को ज्यादा बहस में नहीं डालना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वीर तेजाजी ने लोक जाग्रति का काम किया था, आपकी जैसे अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं किया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह कार्यवाही से हटा दें। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : इस टापिक को बंद किया जाना चाहिए।

श्री सांवर लाल : अपने वचन की पालना की खातिर तेजाजी ने काले सांप को जीभ पर डसा कर अपने प्राण त्यागे हैं। ऐसे तेजाजी के लिए माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है मैं उसकी निन्दा करता हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शब्द है यह हटा दें आप कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, तेजाजी के बारे में + + + के जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं उनको एक्सपंज करवाएं कार्यवाही में से। तेजाजी लोक देवता हैं, उनको हिन्दुस्तान में माना जाता है। तेजाजी को, महाराणा प्रताप को सबको माना जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठोगे तभी तो कहूंगा। (व्यवधान) आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, शब्द काम में लिये वह सरासर गलत है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह तेजाजी का भी आपने ठेका ले लिया क्या? तेजाजी भी आपके ठेके में आ गये? राम भी आपके ठेके में आ गये? सब आप का ही ठेका है इन देवी-देवताओं का, हमारा तो कोई देवता है ही नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : राम का भी ठेका आपने ही ले लिया, तेजाजी का भी ठेका आपने ही ले लिया, आपने ही ले लिये सारे ही देवता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : शिक्षा का प्रसार किया था, लोक जाग्रति का काम किया, उसके नाम का यह दुरूपयोग करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बैठेंगे तब कहूंगा न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वीर तेजाजी के नाम पर शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोक जाग्रति का काम हुआ है और आप—(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तेजाजी जाति से मीणा थे और आप मीणा होकर यह बात करना चाहते हो। तेजाजी जाति से मीणा थे और आप मीणा को भी अपना रहे हैं—

श्री संयम लोढ़ा : हर चीज का दुरुपयोग करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तेजाजी जाति से मीणा थे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : किसने बना दिया आपको?

श्री सांवर लाल : बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं बैठता। धमकी मत दो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) माननीय हीरा सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : जाति से मीणा थे तेजाजी, आपको मीणा के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यह मीणा थे जाति से।

एक माननीय सदस्य : देवी-देवता किसी जाति विशेष से नहीं होते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वह जाति से मीणा थे, आपने कब से ठेका ले लिया उनका? आप मीणाओं के हितेषी कब से हो गये? वह तो मीणाओं के थे देवता।

एक माननीय सदस्य :तेजाजी जाति से मीणा थे और टोडाभीम के थे।

श्री रामस्वरूप : हमारे लोक देवता थे वह, इनका मीणा जाति से क्या लेना-देना?

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : बिलकुल हमारे मीणाओं के थे वह देवता और आप बात कर रहे हो तेजाजी की, वैसे ही?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये प्लीज। (व्यवधान) एक मिनट बैठिये आप। माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज, आप बैठिये तो सही। (व्यवधान) बोलूंगा तब कहूंगा न? एक्सपंज किसको करूं? आप बोलने दोगे तब करूंगा न? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है यह बहुत गम्भीर विषय है, इसको मेहरबानी करके लाइटली मत लीजिये। वीर तेजाजी उतने ही महान पुरुष हैं जितने महाराणा प्रताप हैं। (व्यवधान) आप विराजिए, प्लीज आप बैठिये। जब इन्होंने वीर तेजाजी का नाम लिया उस समय आपने + + +

(श्री उपाध्यक्ष)

की बात कही इसलिए यह कोरिलेट हो गया इसलिए मैं उस शब्द को एक्सपंज करता हूं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई खास, मैंने तो केवल यह निवेदन किया...

श्री उपाध्यक्ष : अब खत्म हो गई न बात।

श्री सांवर लाल : तेजाजी का अपना इतिहास है, अपना नाम है। किस जाति का, किस धर्म का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने तो यह कहा कि उन्होंने अच्छे काम किये, दूसरों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, प्राण दिये वचन की खातिर।

श्री उपाध्यक्ष : अब सब्जैक्ट क्लोज हो गया न यह तो।

श्री सांवर लाल : इसलिए सब जगह उनकी पूजा होती है, नाम है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे लाखों-करोड़ों लोगों की भावनाओं के हिसाब से अगर किसी विश्वविद्यालय का नामकरण कर दें तो आपका भी नाम होगा, जैसे तैयब साहब का नाम लोग लेने लगे हैं कि वास्तव में कोई आर्डिनेंस लाये हैं। किसी ऐसे ही व्यक्ति के नाम से किया है जिसको गांव-गांव, ढाणी में हिन्दुस्तान में, राजस्थान में लोग जानते हैं, उसी प्रकार तेजाजी की स्थिति है। जोशीजी, आपका भी नाम इसी प्रकार हो जाए अगर किसी न किसी विश्वविद्यालय का नाम आप भी कर दें। बाकी, उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है, यूनवर्सिटीज के ऊपर जिस प्रकार का अतिक्रमण कर रहे हैं वह आप जानते हैं। नाम तो कर रहे हैं पर साथ-साथ अतिक्रमण भी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री सांवर लाल : चलिये, साहब, ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पिछली विधान सभा में इस सदन में सभी माननीय सदस्यों की यह मन की इच्छा थी, जिस समय इस कृषि विश्वविद्यालय का आप मूल एक्ट लेकर आये थे उस समय सभी माननीय सदस्यों ने आपसे बहुत आग्रह किया था और वहां की स्थानीय जनता की भी एक लम्बे समय से इस बात की मांग थी कि वहां के विश्वविद्यालय के नाम के साथ इस युग पुरुष का नाम जुड़ जाए जिसके कारण से समाज में आने वाली पीढ़ी इससे कुछ न कुछ शिक्षा लेकर इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा ले सके। मैं सोचता हूं कि महापुरुष के नाम के साथ विश्वविद्यालय को जोड़ने के पीछे हम सब लोगों की भावना यही रहती है कि हम उससे कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपने जीवन को भी उसके अनुसार ढालने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप देर से लाये लेकिन लाये, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिये; मंत्री महोदय, कि यह विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ा है तो इसकी गरिमा भी उसी प्रकार की बनी रहे। ऐसा न हो कि इसका नाम तो बहुत सुन्दर है और इसके काम ऐसे गलत-गलत होने अगर शुरू हो जाएं। हमने समय रहते व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से नहीं सुधारा तो यह नाम अपनी जगह रहेगा लेकिन विश्वविद्यालय के नाम को कहीं बदनाम नहीं कर दें। इसके बारे में भी हमको समय-समय पर चिन्ता कर लेनी चाहिए क्योंकि अभी यह विश्वविद्यालय बने ज्यादा समय नहीं हुआ। अभी एक वर्ष ही हुआ है लेकिन मैं आपके सामने दो-तीन विषय ला रहा हूं इस विश्वविद्यालय के जिन पर आप बहुत गहराई से अन्दर जाने का प्रयास करें।

मैं सोचता हूं कि आज दिन तक कोई भी सरकार का नौकर उसके पी.एफ. पर हाथ नहीं डाल सकता। उसके पी.एफ. का जितना भी अमाउंट होगा वह निश्चित रूप से इन्टैक्ट रहेगा। उस व्यक्ति को ही वह पैसा मिलेगा। लेकिन आपका यह विश्वविद्यालय, इसमें जितने कर्मचारी हैं उनका पी.एफ. बनता है 40 करोड़ रुपये। आज की तारीख में आप अकाउंट निकलवाकर दिखवाइये, उस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खातों का पी.एफ. अगर आज जोड़ा जाए तो वह केवल 17 करोड़ 36 लाख रुपये है। यह जो 20 करोड़ रुपये का जो अमाउंट का गैप है यह अमाउंट कहां है? मेरी गारन्टी है कि इसमें किसी प्रकार की बेइमानी हुई है, इस पी.एफ. में से कहीं इधर-उधर खर्चा हुआ है। इसका एक दावा पेश हुआ है उदयपुर की कोर्ट में, वह वाइस चांसलर के खिलाफ भी हुआ है, रजिस्ट्रार के खिलाफ भी हुआ है कि हमारे पी.एफ. का जितना पैसा इंटैक्ट रहना चाहिए वह पी.एफ. का पैसा नहीं है। यही नहीं, वहां के वाइस चांसलर ने भी आपको लिखा है सरकार को इसके बारे में जानकारी दी है कि पी.एफ. के जितने पैसे का हिसाब होना चाहिए अभी यहां वह हिसाब नहीं मिल रहा है। कृपा करके आप इस विश्वविद्यालय में प्रथम बार इस विश्वविद्यालय को इस बदनामी से बचाने के लिए तुरन्त कोई न कोई एक्शन करें। जिसने भी इस पैसे का दुरूपयोग किया है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो उस पैसे के लिए उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दायर किया जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह ऐसा अमाउंट है जिस अमाउंट को कोई भी इधर-उधर नहीं कर सकता। कृपा करके आप इस पर ध्यान दें।

अब आपने विश्वविद्यालय तो बना दिया लेकिन इस विश्वविद्यालय की जो आवश्यकता है उस पर भी ध्यान देना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आवश्यक है। एक वर्ष गुजर गया, इस विश्वविद्यालय का आज भी कोई पुस्तकालय नहीं है। मैं सोचता हूं कि इसका पुस्तकालय हो, यह उसकी अनिवार्यता है। उसमें किताबें कम और ज्यादा हो सकती हैं, जैसे-जैसे हमारी क्षमता आएगी उसके अनुसार हम उसको रिच करें, यहां तक तो समझ में आ सकता है। इस विश्वविद्यालय का जो कैम्पस है वह अपने-आप में बहुत रिच है लेकिन उस विश्वविद्यालय का एज ए होल कोई पुस्तकालय नहीं है। अलग-अलग जितने संकाय हैं उनके पुस्तकालय तो हैं लेकिन विश्वविद्यालय का कोई पुस्तकालय हो, इस बारे में आप देखें।

इसी तरह से वहां कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में आप देखिये कि वहां कम्प्यूटर शिक्षा में व्यवस्था क्या है। कम्प्यूटर शिक्षा के नाम से आपके वहां प्रोफेसर और अध्यापक क्या हैं। उसकी शिक्षा ठीक प्रकार से हो रही है कि नहीं। जहां एक ओर आप इंजीनियर तैयार करने की बात कर रहे हैं कि कम्प्यूटर का इंजीनियर तैयार होगा, वहां आप ठीक तरह का ढांचा ही तैयार नहीं कर पाएं तो उस बच्चे के साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे जो वहां से अपनी डिग्री लेकर निकलेगा। इस दृष्टि से भी आप देखिये।

एक वर्ष हो गया पर वहां के प्रबंध मंडल का अभी तक गठन नहीं हुआ।

श्री तैयब हुसैन : हो गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कब हुआ?

श्री तैयब हुसैन : 25 तारीख को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 25 तारीख को हुआ, मतलब एक वर्ष से प्रबंध मण्डल का गठन नहीं हुआ। एक वाइस चांसलर के जिम्मे आपने सारा विश्वविद्यालय छोड़ रखा है।

इसी तरह से आप वहां के छात्रावास को कभी जाकर देखें। अब वह विश्वविद्यालय है, पहले तो अलग-अलग संकाय के कॉलेज थे उसके हिसाब से आपके पास था, विश्वविद्यालय होने के कारण से यहां बाहरी छात्रों का आने का क्रम भी ज्यादा होगा और इंजीनियर की दृष्टि से और विशेष होगा। तो यहां के छात्रावास की व्यवस्था को देखें।

एक बात और, आज दिन तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और कृषि विश्वविद्यालय जिसको आप महाराणा प्रताप के नाम से कर रहे हैं, इसके स्टाफ का ठीक प्रकार से डिस्ट्रिब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। पदों का लेन-देन बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जितने पद वहां हैं उनका हिसाब हुआ कि नहीं। इसके बारे में आप पुख्ता व्यवस्था करें, इसको अधिक समय तक टालने की कोशिश न करें। जो फैसला आप 6 महीने में करेंगे, उसको आज करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक जो विश्वविद्यालयों की बीमारी है यह बीमारी आपके नये विश्वविद्यालयों में भी प्रारम्भ हो गयी। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि लगभग ढाई सौ लोगों को वहां विभिन्न पदों पर आपने टैम्परेरी नौकरी दे दी। यहां विधान सभा में हमने कानून बनाया कि इस तरह से कोई बैक डोर एन्ट्री से नौकरी में नहीं आए। जैसे ही 240 दिन पूरे हुए नहीं कि उसके बाद वे सब हमारे पक्के जवांई बनकर नौकरी करेंगे। रजिस्ट्रेशन में उनका नाम नहीं है, उनका लेना-देना नहीं है, जहां जिसको मर्जी आया उसको ठोक दिया अन्दर आपने। उसके आधार पर वह नौकरी लग जाएगा और जो वैल क्वालीफाइड आदमी है वह झकमारी का काम करेगा। उसके मन को कितनी पीड़ा और दर्द होता है। वह इस बात के इंतजार में बैठा है कि इस विश्वविद्यालय में कोई तो वेकेंसी निकलेगी, मैं अपनी योग्यता के अनुसार कम्पीटिशन से उसमें जाऊंगा, मैं योग्यता के आधार पर सलैक्ट हो जाऊंगा। लेकिन इस तरह से तो लगता है कि छोटे से छोटे चपरासी की नौकरी भी हम नहीं दे सकते। इस विश्वविद्यालय में चाहे जिसको भर्ती करते चले जा रहे हैं। वाइस चांसलर ने भी जिस प्रकार से दो व्यक्तियों को लगाया, विशेषाधिकारी लगाया, क्या है यह? विश्वविद्यालय को आप अगर पहली दफा सम्भालेंगे नहीं तो ये जो छोटी-छोटी गल्तियां हैं यही आगे जाकर पहाड़ बनकर विश्वविद्यालय को गारत में डाल देती हैं। पता नहीं आपकी मंशा स्पष्ट है कि नहीं, पर विश्वविद्यालय और वह भी प्रताप के नाम से चलने वाला विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उस स्तर का चले तो उसमें छोटी गलती को भी बड़ी बारीकी से देख करके समय पर उसका निदान करना आवश्यक है। 240 दिन का जो समय निकलेगा उसके बाद ये सब कोर्ट में जाकर वहां पक्की नौकरी करेंगे और जो कोई भी पढ़ा-लिखा अच्छा बालक है वह अपने हिसाब से रह जाएगा। कृपा करके आप इन सब बातों को देखिये।

विश्वविद्यालय का जो भी आवश्यक कैम्पस है वह उदयपुर में सब प्रकार से उपलब्ध है। हमारा जो क्षेत्र है वह छोटी-छोटी होल्डिंग का क्षेत्र है। हमारे यहां का जो किसान है, आज राजस्थान के लोग किसी प्रकार से विचार करें पर हमारे किसान को दो टाइम की रोटी भी अभी तक नहीं मिलती है। हमारे किसान के यहां जाकर कपड़े और मकान देखे जाएं तो आपको रोना आता होगा। इतने सालों की आजादी के बाद भी वहां के किसानों को किसी प्रकार की तरक्की नहीं मिली। वहां की जिस प्रकार की होल्डिंग है, इस विश्वविद्यालय को आप ढालिये कि छोटी होल्डिंग में कैसे उसकी आमदनी बढ़े, कौनसी फसल करे, कौनसा बाग लगाए क्या चीज करे जिसके कारण उसके दो पैसे की सही आमदनी हो सके। अभी तक हमने जिस प्रकार का रिसर्च वर्क किया है, उसे अरावली क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, वहां की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रखते हुए हम उस दिशा में अगर ढालेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। कृषि विश्वविद्यालय पर जहां हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो करोड़ों रुपये केवल वहां रहने वाले स्टाफ की तनख्वाह पर खर्च नहीं करते हैं, करोड़ों रुपये इसलिए खर्च करते हैं कि वहां का जनजीवन कैसे सुधरे, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, वहां की कृषि कैसे सुधरे। इसके बारे में हमारे प्रयास अभी तक बहुत गौण हैं। 1960-61 से यह एग्रीकल्चर कालेज और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बना था, इतने सालों के प्रयासों के बाद भी कभी किसी ने इसका मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया कि आखिर विश्वविद्यालय चलने से वहां के जनजीवन पर क्या असर आया, वहां की खेती पर क्या असर आया, उसमें क्यों परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बारे में जब तक हम बार-बार चिन्तन नहीं करेंगे, हम भले ही विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बना दें लेकिन वहां के गरीब व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का उत्साह हम पैदा नहीं कर सकते।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ये जो छोटी गलतियां होना शुरु हो गयी हैं जो विश्वविद्यालय की बीमारियां हैं एक बहुत अच्छा राजस्थान विश्वविद्यालय था जिसका हिन्दुस्तान में नाम था वह आज गारत में चला गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराणा प्रताप के नाम से चलने वाला यह कृषि विश्वविद्यालय भी कभी आगे जाकर ऐसा ही गारत में जाकर गिर जाए। मेरा आपसे फिर विनम्र आग्रह है कि कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, वह नियमों को तोड़कर कोई काम नहीं करें, नियम में रहते हुए इस विश्वविद्यालय को आगे से आगे बढाएं। यह जो पी.एफ. वाला मैंने आपको बताया है, इसकी आप तुरन्त जांच कराएं और जांच कराने के बाद इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको दंड मिले। वह सारा पैसा कहां गया उसको वापस अपने खातों में जमा कराएं। भविष्य में रिटायरमैंट जिन लोगों का होगा, आप आश्चर्य करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल के बाद रिटायर होने वाले आदमी को एक पैसा यह विश्वविद्यालय नहीं दे सकेगा। इस पी.एफ. फंड से। उसके पहले-पहले पी.एफ. का फंड दूसरों के रिटायरमैंट में देकर खत्म हो जाएगा। तो वह क्या करेगा जो 10 साल के बाद रिटायर होगा? उसके पैसे का कौन जिम्मेदार होगा? कौन उसके पैसे का पेमेन्ट करेगा? इन सब बातों पर आप विशेष ध्यान दें। यही बात कह करके....

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं चाहता हूं कि आप इस ऑल इसको जनमत जानने के लिए भेजें ताकि जनता के सब पक्षों पर विचार करके इस एक्ट को पास कर सकें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर के नाम परिवर्तन से संबंधित संशोधन विधेयक के संबंध में मेरा आपसे निवेदन है। आपको याद होगा कि 26

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अप्रैल, 2000 को भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी सदन में इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया था और जिसका उनियारा से और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने और सदन के प्रत्येक दल के सभी सदस्यों ने समर्थन किया था। उस समय माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में यह कहा था कि महाराणा प्रताप न सिर्फ राजस्थान के बल्कि इस देश के बहुत महान पुरुषों में से हैं इसलिए हम उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखकर उनके स्तर को नीचा नहीं गिराना चाहते। यह वक्तव्य माननीय कृषि मंत्रीजी ने इस सदन में दिया था।

श्री तैयब हुसैन : यह मैंने कभी नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कही थी यह बात।

श्री तैयब हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात बिलकुल नहीं कही। मैंने कहा था कि आगे हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और मुनासिब मौका आएगा तब उस पर कार्यवाही करेंगे। आप बिलकुल गलत बात कह रहें हैं। मैंने यह नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आश्वासन तो बाद में दिया था।

श्री तैय्यब हुसैन : I strongly object to this word.

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास है क्या प्रोसिडिंग?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कोई बात कह रहा हूं। मुझे मेरी बात कहने दें, उन्होंने तो खण्डन कर दिया।

श्री तैयब हुसैन : यह प्रोसिडिंग है मेरे पास, देख लें। गलत बात नहीं कहनी चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं....

श्री तैयब हुसैन : मैं यह कह रहा हूं कि मेरे पास प्रोसिडिंग है आप इसे पढ़कर बता दें। अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं अपने लफ्ज, जो मैंने कहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ दें।

श्री तैयब हुसैन : लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्रीजी, आप बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे कहने का मतलब यह है, लफ्जो में फर्क हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में यही बात कही गई थी कि महाराणा प्रताप तो बहुत महान पुरुष थे और इस देश के बहुत बड़े नेता थे इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखने से क्या होगा। यह तो लास्ट में कहा था कि ठीक है मैं सदस्यों की भावनाओं को....

श्री उपाध्यक्ष : यह इस बात का जवाब दे देंगे, आप आगे बढ़ो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, क्या महाराणा प्रताप मोहनलालजी सुखाड़िया और जय नारायण व्यासजी के बराबर के आदमी थे, मैं यह एक सवाल आपके जरिये पूछना चाहता हूं? उनसे बहुत आगे थे। आज आप एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखना चाहते हैं, राजेन्द्रजी ने भी अभी कहा कि आप इतने महान पुरूष का नाम रख रहे हैं, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि उनके नाम पर नहीं रखकर कोई आर्मी का हो, बहादुरी में कोई हो, और कोई बड़ी चीज हो, राष्ट्रीय स्तर की आप कोई रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आज कृषि विश्वविद्यालय की बात है...(व्यवधान) मैं तो मेरी बात कहूंगा, आपके शब्द तो मैं बोल नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप इधर बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी महाराणा प्रताप में पूरी आस्था है, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत बड़े आदमी थे, उनका कहीं बड़ी जगह पर नाम किया जाना चाहिये लेकिन कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है तो कृषि से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के नाम पर नाम होना चाहिये। आज सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयन्ती है, हम सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखें। चौधरी कुम्भाराम जी आर्य राजस्थान के अग्रणी किसान नेता रहे हैं, स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं, सदन के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं, उनके नाम पर रखा जा सकता है। कृषि से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के नाम पर आप इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम रख सकते हैं, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी में इसको नहीं लाकर इसको एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे पूछ कर तो नहीं बोलूंगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये मेरे विचार हैं। आपको हर बात पर टोकने का अधिकार नहीं है। आप चीफ व्हिप या डिप्टी चीफ व्हिप नहीं है, आप भी अपनी सीमाओं को पहचानिए। हमको क्या करना है, यह हमारा अधिकार है, हम जानते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप कोई समय सीमा तो निर्धारित करें कि इतना देर तक इनको बर्दाश्त करना है।

श्री तैयब हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मैं संशोधन लाया उसका करीब-करीब सबने समर्थन किया है।

(श्री तैयब हुसैन)

आज इस सदन में जब यह बिल चल रहा था तो माननीय सदस्यों ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि यह नाम रखा जाए और एग्रीकल्चर के साथ टैक्नोलोजी भी जोड़ा जाए। यह बात हमने मान ली। मैंने उस वक्त भी बिलकुल साफ लफ्जों में यह कहा कि महाराणा प्रताप की तमाम दुनिया में अपनी एक शख्सियत रही है, उनका जितना सम्मान किया जाए वह कम है। उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आगे मुनासिब मौकों पर हम इसका ध्यान रखेंगे। जैसे इस सदन में भी भावना व्यक्त की गई, माननीय मुख्य मंत्री जी पांच जून को महाराणा प्रताप के 460 वें जन्मदिन के मौके पर उदयपुर गये। उन्होंने वहां पब्लिक की भावना के सामने इसका एलान किया और यहां सदन में भी यही बात कही गई। उसके पेशे नजर हम इस बात को यहां लाये हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि करीब-करीब सब लोगों ने ही इसका स्वागत किया है।

इसके साथ ही कुछ सदस्यों ने सुझाव भी दिये हैं। खास तौर से बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाया है—चाहे वह पी.एफ. का मामला हो, चाहे कम्प्यूटर शिक्षा काहो, चाहे छात्रावास का हो, चाहे पोस्ट का हो। ओ.एस.डी., टैम्परेरी ये सब बातें उन्होंने कही हैं। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस बात से वाकिफ है कि एक्ट के मुताबित महामहिम यूनिवर्सिटी के काम को देखते हैं। सरकार के लेवल पर हमसे जो हो पाएगा वह हम करेंगे। सदन में जो बातें कही गई हैं उसके संबंध में मैं खुद महामहिम से मिलकर उसकी तवज्जोह इस तरफ दिलवाऊंगा कि वह भी इन बातों को देखें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटी की तालीम हो और तालीम चाहे कहीं भी हो, उसमें जितनी बेहतरी हो सके वह कम है, क्योंकि तालीम के साथ हमारे मुल्क का भविष्य जुड़ा हुआ है और इसमें कोई सीमाएं नहीं हैं कि इस हद तक सुधार होना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इसमें हम जितना भी सुधार कर सकें वह कम है। जो आपने अमूल्य सुझाव दिये हैं उनको हम यूनिवर्सिटी के काम में लाकर पूरी तोर पर कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतरी हम कर सकते हैं वह हम करें। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इसको पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-20) को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2000 (2000 की विधेयक संख्या-20) को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

अनूसूची कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-20) को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-20) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन के बहुत आभारी हैं कि हमारे देश के महान योद्धा के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का नाम करने का आज यहां पर विधेयक पास हुआ है। लेकिन उनके नाम को लेकर जो चर्चाएं अलग-अलग तरीके से यहां पर हुईं उनको सुनने के बाद हमें बहुत दुःख है।

देश के महान सपूत के नाम पर उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के नाम को लेकर जब यहां पर चर्चा प्रारम्भ की तो लोगों ने उसमें भी राजनीति करने में कोई कसर नहीं रखी। हमें बहुत खुशी है कि महाराणा प्रताप के कर्म स्थल पर बहुत कोशिशों के बाद गत वर्ष विश्वविद्यालय खोला गया था। मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांग बहुत पुरानी मांग थी और आपके जमाने में भी उदयपुर के छात्रों ने, वहां के लोगों ने इस विश्वविद्यालय को खोलने की बात कही थी। आपने उनका लाठियों से स्वागत किया था, उनको मारा-पीटा था। यह राजनीति आपने की थी उस समय। मैं तो आपने किया उसको बता रहा हूं। यह

(श्री हफीज मोहम्मद)

राजनीति नहीं है, सच्चाई कह रहा हूं। जब हमने उदयपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके नाम के साथ आज महाराणा प्रताप के नाम को जोड़ा तो यह न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे देश का गौरव है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका मन कुछ और कह रहा है, आपकी जुबान कुछ और कह रही है। आपकी नीयत ठीक नहीं है। एक तरफ महाराणा प्रताप की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ उनके नाम से विश्वविद्यालय खुले इसके लिये आप ना करते हैं। आपको मालूम नहीं, छोटी-छोटी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों के नाम महाराणा प्रताप के नाम से हैं, उसके मुकाबले एक यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप किया जा रहा है। उसमें मैं सोचता हूं कि कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि कई माननीय सदस्यों ने इस मामले में राजनीति करके कभी शिक्षा मंत्रीजी को घसीट लिया तो कभी कृषि मंत्रीजी को घसीटा। कभी क्या कहा, कभी क्या कहा। यहां पर इतनी लम्बी-चौड़ी डिबेट करा डाली, जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सच्चाई के मामले में राजनीति करके झूंठ-सांच की बात को बढ़ाकर समय का दुरुपयोग करते हैं, सदन का समय बरबाद करते हैं। राजस्थान में बहुत काम है और राजस्थान की जनता ने आपको इसलिये यहां नहीं भेजा है कि आप जाकर हर अच्छे काम में भी ठूंसा-ठूंसी करो या रोका-टोकी करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब वोट की बात आती है तो आप महाराणा प्रताप को याद करते हैं, वोट की बात आती है तो आप भगवान को याद करते हैं, वोट की बात आती है आप तेजाजी को याद करते हैं, और जब महावीर का नाम, प्रताप का नाम, राम का नाम आए तो आप राजनीति करनें लग जाते हैं। ये बहुत अच्छे नाम थे पर इसका नाम नहीं रखा जाना चाहिये। क्यों नहीं रखा जाना चाहिये? जब बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारा तो खून-पसीना महाराणा प्रताप के साथ जुड़ा हुआ है, मेवाड़ के लोगों का। आज मेवाड़ के लोगों को खुशी होगी कि ऐसे योद्धा जिसने देश को आजादी दिलाई, जो कभी भी नहीं झुके, आज उनके नाम से हमने यूनिवर्सिटी को नाम दिया। हमारे लिये गौरव की बात है। विपक्ष के माननीय सदस्यों, आप धर्म के नाम पर जो रोटियां सेंकते हो, असल मायने में धर्मी नहीं हो। धर्मी तो कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा जो कहते हैं वह करते हैं और उसको करके दिखाते हैं। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपने उसको मूर्त रूप दिया, इस नाम को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य आप भी महाराणा प्रताप को, तेजाजी को जितना ऊपर से कहते हो उतना अन्दर से भी मानने की कोशिश करेंगे। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतसिंह जी।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के नाम परिवर्तन विधेयक पर चर्चा हुई। कई लोग इससे राजी हैं, कई लोग नाराज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नाराज तो कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : नाराज तो कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगतसिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इतिहास की विडम्बना ही कहूंगा कि इतिहास ने चन्द शब्दों में जिनका वर्णन किया है हम आज उनको भुला रहे हैं। मैं एक दोहा पढ़कर इस बात को साफ करना चाहूंगा कि

"राम- राम सब रटे, दशरथ रटे न कोई।
जो दशरथ न हो तो राम कहां से होई ॥"

देखो, साहब, आप देखो, आप सब लोग मेरी बात की...(व्यवधान) आगे बोलूंगा तो सराहना करोगे। मैं कह रहा हूं कि अच्छा होता कि जहां परमाणु विस्फोट हुआ था उसका नाम महाराणा प्रताप स्थल रखते। अच्छा होता। उनके सम्मान में मैं एक शब्द भी कमजोर बोलूं, मैं बिलकुल ऐसा नहीं कर सकता और न मेरी हिम्मत है। परन्तु कृषि से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है तो ऐसे महान व्यक्ति बहुत हुए हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनका नाम आ सकता था। जैसा कि मैंने दोहा पढ़ा, अब आप सब लोग सराहना करेंगे, आप सब लोग कहेंगे कि पन्ना धाय का नाम आप क्यों नहीं लेते जिसने इनके बाप को बचाया। अब बोलिये है कोई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मान गये।

श्री जगतसिंह दायमा : मान गये न? इनके फादर को बचाया और अपने बच्चे का बलिदान दिया। आज उसके नाम से कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं किया जा रहा है। वह स्थल भी वहीं है। मैं चाहता हूं महाराणा प्रताप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो नया सदन बन रहा है उसका नाम रखवा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री जगतसिंह दायमा : आप बलिदान के नाम पर भी हंसते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको तो इन्दिरा गांधी का बलिदान याद है। पन्ना धाय का नाम याद है आपको? नहीं। क्योंकि पन्ना धाय गूजर थी और गूजर का मतलब कृषि होता है। अगर आपको इनसे भी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पन्ना धाय थी। खुशबू को कैद नहीं करते। पन्ना धाय पूरे मुल्क की खुशबू थी, आप इसको क्यों कैद कर रहे हैं? पन्ना धाय पूरे मुल्क की खुशबू थी। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का तो कितनी जगह कहीं-कहीं वह हो सकता है, लेकिन अगर कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर नाम का परिवर्तन करके पन्ना धाय कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इसलिये बता रहा था कि राम राम सब जपे, अगर पन्ना धाय उनके बाप को ही नहीं बचाती तो वे कहां से होते? इसलिये पहले उनका सम्मान करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको यह कागज महुवा साहब ने लिखकर दिया है, साफ-साफ लग रहा है।

श्री जगतसिंह दायमा : जी?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको यह तो महुवा साहब ने लिखकर दिया है, वही बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : महुवा साहब भी मेरे बुजुर्ग हैं। (व्यवधान) महुवा साहब भी मेरे बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने दे दिया तो क्या बात है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। हो गया न आपका प्रस्ताव।

श्री जगतसिंह दायमा : मेरा तो यही प्रस्ताव है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। चाहे बाद में ले आएं इसको, इसका नाम पन्ना धाय रखा जाए। (व्यवधान) मेरे को बोलने दिया है तो अमेंडमैंट ही हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम -परिवर्तन) विधेयक, 2000 पारित किया गया। माननीय ऊर्जा मंत्री।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 के पारित होने तक समय बढ़ाया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : चार बजे तक की बात थी, पांच बज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह महुवा : आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कार्यसूची अधूरी छोड़ी गई हो। जिस दिन की जो कार्य सूची है वह उसी दिन पूरी करनी पड़ती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पैण्डिग रह जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य-सूची अधूरी रहने का प्रश्न ही नहीं है। कल भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो यह बात आयी थी कि यह बिल कल पास नहीं होगा। बिल तीन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही पास होंगे, माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा और वक्तव्य के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। यह तो पास बाद में भी हो जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यही तय हुआ था कल।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह तय नहीं हुआ था। तय यह हुआ था कि चौथा बिल इण्ट्रोडयूज किया जाएगा। यह तय हुआ था कि इण्ट्रोइयूज होकर उस पर बहस शुरू होगी और सदन चाहेगा तो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, चार बजे तक जो भी हो जाएगा, यह बात हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चौथा बिल तो यही है, चार क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : चौथा नहीं, चार बजे तक जो भी हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य की बात थी, चार और पांच के बीच में दिलाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार बजे तक का ही समय था। चार बजे तक यह बिल इण्ट्रोइयूज भी हो सकता है, चर्चा भी हो सकती है और इसको अब पोस्टपोन भी किया जा सकता है। चार बज गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रोसीडिंग मंगाकर देख लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हुआ तो यही था चार बजे, आपकी कार्य सूची में भी यही है कि चार बजे तक ऊर्जा मंत्रीजी का वक्तव्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज। पहले स्टेटमैंट तो आने दीजिए। अभी तो स्टेटमैंट आ रहा है न।

श्री हरिसिंह महुवा : आपको शायद यह बहम रहा होगा कि स्टेटमैंट सरकार नहीं देगी इसलिए बीच में आपने उस समय तय किया, लेकिन उसमें यह भी था कि जो भी हम चार विधेयक पेश कर रहे हैं वह कार्य-सूची में करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दे देगी इसलिए बीच में स्टेटमैंट दिला रहे हैं आपको।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को यह....(व्यवधान)......

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

प्रश्न यह है कि समय बढ़ाने का प्रस्ताव जो माननीय सचेतक महोदय ने किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : ऊर्जा मंत्रीजी के वक्तव्य तक।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जो प्रस्ताव उन्होंने किया है उस तक।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने राज्य में लगातार तीसरे वर्ष पड़ने वाले सूखे की स्थिति में किसानों सहित सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार

(डा. चन्द्रभान)

बिजली उपलब्ध कराने के विषय में चिन्ता व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को राज्य में विद्युत की उपलब्धता एवं आपूर्ति के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में विद्युत की कमी है। विद्युत की मांग में औसतन प्रति वर्ष 250 से 300 मेगावाट की वृद्धि हो जाती है। इस वर्ष वर्षा की कमी तथा अक्टूबर माह तक अधिक तापमान रहने के कारण मांग और ज्यादा बढ़ गई है। इस बढ़ती हुई विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। जैसा कि सदन को विदित है, राजस्थान में पन-बिजली स्रोतों की कमी है और कोयले के भण्डार भी नहीं हैं। विगत वर्षों में राज्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार निवेश नहीं हो सका। निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के प्रयास भी सफल नहीं हो सके हैं जिसके परिणामस्वरूप विद्युत की उपलब्धता में मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं हो सकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और समूचे उत्तरी भारत में अबकी बार वर्षा की कमी के कारण विशेषकर पन-विद्युत केन्द्रों पर विद्युत की उपलब्धता प्रभावित हुई है। वर्षा की कमी के कारण भाखड़ा-व्यास परियोजनाओं के जलाशयों में कम पानी उपलब्ध होने की वजह से इन परियोजनाओं से राज्य की विद्युत उपलब्धता में दस लाख यूनिट प्रतिदिन की कमी रहने की सम्भावना है। इसी प्रकार चम्बल एवं माही परियोजना के जलाशयों में कम पानी उपलब्ध होने के कारण इन परियोजनाओं से विद्युत उपलब्धता में क्रमशः 15 लाख यूनिट और चार लाख यूनिट विद्युत की प्रति दिन की कमी रहने की सम्भावना है। सितम्बर, 2000 के अन्तिम सप्ताह में राजस्थान आणविक विद्युत केन्द्र, (आर.ए.पी.पी.) की प्रथम इकाई को तीन माह के लिए आवश्यक कारणों से बंद कर दिया गया है जिसकी अवधि तीन महीने से ज्यादा बढ़ाने की सम्भावना है। जिससे 35 लाख यूनिट की उपलब्धता राज्य को प्राप्त होती थी। इस प्रकार प्रदेश में कुल-मिलाकर विद्युत की उपलब्धता में 65 लाख यूनिट प्रति दिन, की कमी आ गयी है।

राज्य के विद्युत क्षेत्र में ज्यादा निवेश आकर्षित करने, इस क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने हेतु प्रदेश में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार की विद्युत सुधार कार्यक्रम लागू करने वाले राज्यों को अधिक विद्युत आवंटन करन की नीति है लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इसके विपरीत विद्युत क्षेत्र सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाने के बावजूद भी राजस्थान के आवंटन में कमी की गई है। वर्ष 1993 से राजस्थान को राष्ट्रीयता विद्युत निगम के अन्ता गैस विद्युत केन्द्र की कुल क्षमता का 1/3 भाग विशेष आवंटन के रूप में निरन्तर उपलब्ध कराया जाता रहा है। यह आवंटन राजस्थान आणविक विद्युत केन्द्र की प्रथम व द्वितीय इकाई की अक्षमता में कमी की पूर्ति हेतु किया गया था। इस विशेष आवंटन को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 20 अक्टूबर, 1999 से अचानक वापस ले

(डा. चन्द्रभान)

लिया गया है जिसके कारण अन्ता गैस विद्युत संयंत्र से राजस्थान का आवंटन 195 मेगावाट से घटकर केवल 83 मेगावाट रह गया है। इस प्रकार राज्य की विद्युत उपलब्धता में पिछले एक वर्ष से 112 मेगावाट की कमी चली आ रही है। जो भी प्रति दिन 20 से 22 लाख यूनिट बैठती है। राजस्थान आणविक विद्युत केन्द्र की प्रथम एवं द्वितीय इकाई पूर्णतः राजस्थान को समर्पित हैं। इन इकाइयों की स्थापित अक्षमता में.....

श्री मदन दिलावर : क्षमता हैं या अक्षमता ?

डा. चन्द्रभान : अच्छा, क्षमता। क्षमता में 140 मेगावाट की कमी से, इन्स्टाल्ड कैपेसिटी में 140 मेगावाट की कमी से राजस्थान में विद्युत की जो क्षति हुई है, उसकी किसी भी प्रकार से पूर्ति नहीं की गयी है। क्षति हुई है।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में भारत सरकार का 15 परसेंट अनाबंटित हिस्सा होता है जिसे विभिन्न राज्यों को आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाता है। विगत वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि के कारण केन्द्र सरकार के आवंटित हिस्से में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग में नहीं लिये गये हिस्से से भी अतिरिक्त आवंटन किया जाता रहा है। यहां मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गत चार-पांच वर्षों में इस प्रकार के आवंटन में लगभग 500 मेगावाट की कमी आयी है। राज्य में कुल आवश्यकता की 60 प्रतिशत से अधिक विद्युत की आपूर्ति राज्य के बाहर स्थित उत्पादन केन्द्रों से क्रय द्वारा की जाती है। केन्द्रीय उत्पादन गृहों से विद्युत आवंटन में भारी कमी से राज्य में विद्युत उपलब्धता की स्थिति और ज्यादा विकट हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 1991 मे सूरतगढ़ में 250 मेगावाट की दो इकाइयां 1253 करोड़ रुपये की लागत के आधार पर स्थापित करने का निर्णय लिया था जिनकी स्थापना में देरी के कारण परियोजना की लागत बढ़कर 2300 करोड़ रुपये हो गयी। 250 मेगावाट की पहली इकाई वर्ष 1998-99 में ही चालू हो सकी। दिसम्बर, 1998 मे हमारी सरकार बनने के पश्चात् इन परियोजनाओं के कार्यों को गति प्रदान की गयी जिसके फलस्वरूप 250 मेगावाट की दूसरी इकाई निर्धारित अवधि से छह माह पूर्व ही जुलाई, 2000 में चालू कर दी गई है जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि के अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये की बचत हुई।

राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के अभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह के द्वितीय चरण को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

इसके अन्तर्गत 2057 करोड़ रुपये की लागत से ढाई-ढाई सौ मेगावाट की दो अतिरिक्त इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इन इकाइयों पर कार्य प्रगति पर है और इनके द्वारा मार्च, 2002 व सितम्बर, 2002 तक उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

(डा. चन्द्रभान)

(17.00 बजे)

राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हमारे प्रयास हैं कि प्रथम चरण की द्वितीय इकाई के अनुरूप ही इन इकाइयों से उत्पादन विद्युत अवधि से छह माह पूर्व ही शुरू कर दिया जाएगा और सन् 2002 में सूरतगढ़ का यह थर्मल पॉवर स्टेशन राज्य का पहला सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह में 750 करोड़ रुपये की लागत से 250 मेगावाट की पांचवीं इकाई स्थापित करने का भी निर्णय लिया है जिसके लिए इसी वित्तीय वर्ष की योजना में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस इकाई को जून, 2003 में चालू किये जाने का लक्ष्य है। इन सबके परिणामस्वरूप सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 1250 मेगावाट हो जाएगी।

एक माननीय सदस्य : तब तक रहोगे क्या?

डा. चन्द्रभान : तब तक रहेंगे और उसके बाद में भी रहेंगे।

इसके साथ ही 71 मेगावाट क्षमता की रामगढ़ गैस विस्तार परियोजना का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने हेतु सरकार प्रयासरत है। इस परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक स्वीकृति भी नवम्बर, 2000 में प्राप्त होने की आशा है। जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र में 140 मेगावाट के सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत (कम्बाइंड) साइकल विद्युत संयंत्र पर जुलाई, 2001 से कार्य प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस परियोजना हेतु आवश्यक समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गयी हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य में गैर-परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा प्रत्येक संभव स्रोत द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जैसलमेर एवं चित्तौड़गढ़ में 4.25 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता (इंस्टाल्ड कैपेसिटी) में 343 मेगावाट की वृद्धि हो चुकी है।

राज्य में विद्युत की क्षमता बढ़ाने हेतु उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त इंस्टाल्ड कैपेसिटी के कुशलतापूर्वक संचालन की भी आवश्यकता है। राज्य में कोटा और सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजनाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि की गयी है।

मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान कोटा तापीय विद्युत परियोजना का प्लान्ट लोड फैक्टर 83.57 प्रतिशत तथा सूरतगढ़ की प्रथम इकाई का प्लान्ट लोड फैक्टर 73.43 प्रतिशत रहा है जो नादर्न ग्रिड के जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक है।

(डा. चन्द्रभान)

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राज्य में प्रति दिन 10 से 12 लाख यूनिट विद्युत की अधिक आपूर्ति की गयी है। अक्टूबर, 1999 में ऊर्जा की औसत आपूर्ति 586 लाख यूनिट प्रति दिन थी। इस वर्ष सन् 2000 में अक्टूबर के महीने में रबी की फसल के लिए विद्युत की मांग हेतु प्रति दिन औसतन 642 लाख यूनिट विद्युत उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार इस वर्ष अक्टूबर माह में विद्युत की उपलब्धता में 56 लाख यूनिट प्रति दिन की वृद्धि हुई है। सितम्बर माह तक गत वर्ष के मुकाबले 146 मिलियन यूनिट विद्युत का ज्यादा क्रय किया गया है। राज्य द्वारा बिजली की खरीद पर गत वर्ष की तुलना में प्रथम छह माह में 276 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल एवं नव स्थापित विद्युत कम्पनियों द्वारा राजस्व संग्रहण हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप अप्रैल से अक्टूबर, 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 36 प्रतिशत अर्थात् 700 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा अपने लगभग दो वर्ष के कार्यकाल में विद्युत की दरों में केवल एक बार 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। राज्य में विद्युत की दरें अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम हैं।

एक माननीय सदस्य : और बढ़ा दो।

डा. चन्द्रभान : यह तो कल चर्चा होगी तब आप सवाल करना, मैं तब आपका जवाब दूंगा। (व्यवधान) ऐसा है, अन्य राज्यों से आप रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।

घरेलू क्षेत्र की विद्युत दरों में जो 19 बड़े राज्य हैं उनमें राजस्थान का स्थान पन्द्रहवां है। कृषि के क्षेत्र में सातवां है और उद्योग के क्षेत्र में भी छठा स्थान है। हमारे प्रयास हैं कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जाए।

राजस्व में वृद्धि होने के उपरान्त भी खर्चों में वृद्धि के कारण इस वित्तीय वर्ष में 13.75 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी रहने का अनुमान है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस वर्षों से राजस्व घाटे में प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन यह पहला वर्ष होगा जिसमें राजस्व घाटे में कमी होने का अनुमान है जो कि अपने आप में एक विशेष उपलब्धि होगी।

उपांध्क्ष महोदय, एक तरफ जहां राज्य में विद्युत के उत्पादन में गत कई वर्षों में आपूर्ति वृद्धि नहीं हुई है वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष दो लाख से अधिक नये कनेक्शन राज्य की जनता को विभिन्न श्रेणियों में दिये गये हैं।

राज्य में विद्युत तंत्र को मजबूत करने हेतु आवश्यक निवेश भी सम्भव नहीं हो रहा था जिसके कारण नये कनेक्शनों के बढ़ते हुए दबाव से विद्युत तंत्र पर बोझ बढ़ता हुआ चला गया। ऐसी स्थिति में

(डा. चन्द्रभान)

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपेक्षित गुणवत्ता की बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा उनको कम वोल्टेज व अचानक ट्रिपिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा विद्युत तंत्र को मजबूत बनाने व राज्य में विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है जिससे कि उपलब्ध बिजली का समुचित लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को मिल सके। इस दिशा में राज्य में रतनगढ़, सूरतगढ़ व जोधपुर में 400 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त गत दो वर्षों में 200 के.वी. के चार ग्रिड सब स्टेशन व 132 के.वी. के 13 नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं। वर्तमान वर्ष में 220 के.वी. के तीन व 132 के.वी. के 12 नये ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गत दो वर्षों में 33 के.वी. के 197 नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं तथा इस वर्ष में 125 नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जाने का कार्यक्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, पूरे उत्तरी भारत में वर्षा की कमी है जिसके कारण राज्य में ही नहीं अपितु पूरे नार्दर्न ग्रिड में भी विद्युत की उपलब्धता में कमी आ गयी। वर्षा के अभाव में पन विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन में भी कमी आ गयी है।

राज्य में विद्युत की मांग की तुलना में उपलब्धि कम रहती है ऐसी स्थिति में राज्य के उत्पादन केन्द्र अथवा राज्य को विद्युत उपलब्ध कराने वाले किसी भी विद्युत उत्पादन गृह में तकनीकी कारणों से अलग-अलग समय में आने वाले व्यवधान से राज्य में विद्युत की आपूर्ति प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष विद्युत की आपूर्ति को उपलब्धता के अनुरूप सीमित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता है जिसके कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति को मजबूरन सीमित करना पड़ता है, काटना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इस वर्ष फरवरी माह से नवीन ग्रिड कोड लागू होने के कारण ग्रिड से ओवर ड्रा करने पर भी सीमा लागू हो गयी है तथा ग्रिड अनुशासन बनाये रखने हेतु असीमित मात्रा में ओवर ड्रा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रबी के मौसम में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति को हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपको याद होगा कि दिसम्बर, 1998 में सरकार ने राज्य में जब शासन की जिम्मेदारी संभाली उसके पश्चात रबी की फसल के दौरान 8 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से पहली बार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 90 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। गत वर्ष भी राज्य में सूखे के बावजूद पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र से अतिरिक्त

(डा. चन्द्रभान)

विद्युत क्रय कर रबी की फसल के दौरान 6 से 8 घंटे तक की विद्युत उपलब्ध करायी गयी थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय सिंगल फेज विद्युत की आपूर्ति की गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में गत तीन वर्षों से प्रकृति की मेहरबानी नहीं हो रही है तथा राज्य में लगातार तीसरे वर्ष भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष वर्षा की अत्यधिक कमी होने के कारण कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में मांग बढ़ना स्वाभाविक है। राज्य के समक्ष विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार रबी के मौसम में किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है तथा इसके लिए राज्य सरकार राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 180 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा रही है।

16 अक्टूबर, 2000 से दिल्ली विद्युत बोर्ड से लगभग 24 लाख यूनिट प्रति दिन विद्युत का क्रय प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी विद्युत क्रय के विषय में वार्ता जारी है तथा आशा है कि इन राज्यों से भी जल्दी ही विद्युत क्रय की जा सकेगी।

केन्द्रीय विद्युत गृहों से राज्य को आवंटन में वृद्धि के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा केन्द्रीय विद्युत मंत्री से भी अनुरोध किया गया है। मैंने भी अभी 20 अक्टूबर, 2000 को उत्तरी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों के सम्मलेन में राज्यों को अतिरिक्त आवंटन की मांग उठायी है। मैंने राज्य के सभी सांसदों को भी पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि वे भी राज्य को केन्द्र से अतिरिक्त विद्युत आवंटन कराने के हमारे प्रयासों में सहयोग करें।

वर्तमान में राज्य में लगभग सात सौ लाख यूनिट प्रति दिन विद्युत की उपलब्धता है जिसके फलस्वरूप हम कृषि हेतु 6 से 8 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं तथा विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त विद्युत क्रय कर विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसानों को रबी की फसल के दौरान 8 घंटे बिजली उपलब्ध हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में बताया था कि राज्य में विद्युत तंत्र को मजबूत करने पर ही विद्युत की तकनीकी क्षति को कम किया जा सकता है जिसके लिए हमें विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करेन हैं। विद्युत तंत्र मजबूत होने से न केवल विद्युत की आपूर्ति बढ़ेगी बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा जिसका सीधा लाभ सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत की चोरी एक दूसरी महत्वपूर्ण समस्या बन गयी है। हमारी सरकार का इरादा स्पष्ट है कि विद्युत की चोरी को सख्ती से रोका जाए। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये गये हैं। सतर्कता शाखा द्वारा भी विद्युत की चोरी रोकने में प्रभावी कार्यवाही की गयी है जिसका प्रभाव राजस्व संग्रहण पर भी पड़ा है। विद्युत की चोरी को प्रभावी ढंग

(डा. चन्द्रभान)

से रोकने व एनर्जी आडिट लागू करने के लिए सभी 11 के.वी. फीडर तक मीटर लगाने का कार्य हाथ में लिया गया है जिसके पूरा होने पर निश्चित रूप से विद्युत की चोरी पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

उपभोक्ताओं के खराब मीटरों को बदलने तथा सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में फेस स्पिलिटिंग डिबाइस लगाने की प्रवृत्ति देखी गयी है जिससे विद्युत की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय घरेलू कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध कराने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु अपने प्रभाव का उपयोग करें। इससे न केवल विद्युत तंत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सकेगा बल्कि शाम को पीक डिमांड के समय ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों एवं राज्य की जनता को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य के विभिन्न वर्गों को आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए हमारी सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। राज्य के उत्पादन गृहों में विद्युत उत्पादन बढ़ा कर, अन्य राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय कर, विद्युत की चोरी को प्रभावी ढंग से रोक कर तथा विद्युत वितरण के प्रबन्धन में सुधार लाकर कृषि सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध करायी जाएगी।

हमारे राज्य में विद्युत की कमी है और हमारा यह परम कर्तव्य है कि उपलब्ध विद्युत का हम सदुपयोग करें। राज्य में विद्युत के अपव्यय को रोके जाने की आवश्यकता है। ऊर्जा की बचत संरक्षण से ही उपलब्ध विद्युत का सर्वोच्च उपयोग संभव होगा तथा हमें राज्य में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि राज्य में लगातार तीन वर्ष पड़ने वाले सूखे को देखते हुए वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें तथा राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने, विद्युत के संरक्षण व बचत को प्रोत्साहन देने तथा विद्युत की चोरी को रोकने के पक्ष में वातावरण तैयार करने में हमारी मदद करें जिससे राज्य में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित की जाने वाली विद्युत के हिस्से में वृद्धि के राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करें।

(डा. चन्द्रभान)

अन्त में मैं पुनः राज्य सरकार के निश्चय को दोहराना चाहूंगा कि सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000, श्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-14) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री देवी सिंह भाटी। (व्यवधान) क्या हुआ? बोलना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कल का रखवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है कि नहीं? बोलो न आप तो।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब पास ही करवाना था तो स्टेटमैंट से पहले ही करवा लेते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसको स्टडी किया हो तो इस बिल में कुछ नहीं है। (व्यवधान) आपने देखा है इसको? इसमें सिर्फ राजस्थान की 9 यू.आई.टीज का क्षेत्र है, उसमें संशोधन है। बाकी पूरी स्टेट में संशोधित है। इतनी-सी तो बात है इसमें What is different? है क्या इसमें? इसमें कुछ है ही नहीं। आप शायद इसको नहीं देख पाये इसलिए आप इसको इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 74वें अडेंडमेंट के बाद यू.आई.टी. के एक्ट का एग्जिस्टेन्स, यह कानून संगत है या नहीं, इस पर चर्चा करिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो चर्चा हो जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी इसमें एडवोकेट जनरल को भी बुलाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या करना पड़ेगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडवोकेट जनरल को भी बुलाकर हाउस में.....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा के दौरान प्रस्ताव आएगा तो आ जाएगा, कोई शुरूआत तो करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं है इसलिए इसी इम्प्रेशन में थे कि इस पर आज चर्चा नहीं है। अब उसमें हाई कोर्ट का एक जजमैंट है, उस जजमैंट की कापी हमने मंगवायी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। आज अभी तक उपलब्ध नहीं हुई लेकिन कल सुबह तक हो जाएगी और इश्यू यही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके का प्रस्ताव सितम्बर, 1999 में म्यूनिसिपल एक्ट में हो चुका है और उसी को देखते हुए अगर यह एक्ट—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं आपको, आप जो कह रहे हैं वह सही है, म्युनिसिपल एक्ट के अन्दर—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी बात समझ गया, साहब। आप टोटलिटी में इनकी एग्जिस्टेंस को 74 की भावना के अनुसार देखना चाहते हैं। तो उस पर तो चर्चा अलग हो जाएगी लेकिन जब तक यह एक्ट विद्यमान है तब तक तो इसको पुकारा जाएगा कि नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, चर्चा इसी के साथ होगी। हम एक ऐसे बिल में अमेंडमैंट करना चाहते हैं जिस बिल का लीगली कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस बिल का तो एग्जिस्टेंस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। जो म्युनिसिपैलिटीज की बात कह रहे हैं—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल इस बात का है कि 74 को देखते हुए यू.आई.टीज. खत्म की जाएं कि नहीं की जाएं, यह एक अलग इश्यू है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो ही इश्यू है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन जब तक यह एक्ट मौजूद है, इस एक्ट में वक्त-वक्त पर जो खामियां सामने आती हैं उनको सुधारने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए। चाहे हमने पहले किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आज प्रश्न यह आता है कि हाउस के सामने अरबन इम्प्रूवमैंट एक्ट एक्जिसटेंस में है तो यह एक्जिस्टेंस सैवन्टी फोर्थ अमैंडमैंट आफ कांस्टीट्यूशन अंगेस्ट में है। अब हाउस में इसकी चर्चा करनी है और इस चर्चा करने के लिए मैंने जैसा कहा, हम एडवोकेट जनरल को भी सुनना चाहेंगे। आज हम दो मिनट में चर्चा कर लें, इसमें कोई सैंस नहीं है। यही आपकी इच्छा हो—

श्री शांतिकुमार धारीवाल :अगर इस अमैंडमैंट के बाद चर्चा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अमैंडमैंट के बाद में नहीं हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके बाद भी हो जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी अर्जेन्सी क्या है? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह एक अलग इश्यू है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अमेंडमेंट के बाद में नहीं होगा। इन्ट्रोड्यूस कर लीजिए। कोई एक दो मैम्बर बोल लीजिए लेकिन...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अर्ज कर रहा हूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलना चाहें तो बोल लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, इसमें कोई खास बात तो हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खास बात तो देखिये आप कहें या नहीं कहें, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं वह भी खास बात है। मैं आपको बता दूं, मेरी सुन लीजिए आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह आपका फरमाना बिलकुल अलग इश्यू है। 74 की भावनाओं के अनुसार क्या-क्या काम करना चाहते हैं, वह इश्यू बिलकुल अलग है लेकिन इस एक्ट की वक्त-वक्त पर पायी गयी खामियों को अगर हम दुरुस्त नहीं करेंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्ट में जो आप धाराएं लाये हैं वे इनोकुअस नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, आप जिस ढंग से रख रहे हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया तो नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति जो आज चरमरा रही है वह और चरमरा जायेगी। कोर्ट के आदेशों से उनको वापस लाखों रुपये देने पड़ रहे हैं, आप इस बात को भी देखें। बात कितनी गम्भीर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : रात-रात में हो जाएगी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रात-रात में नहीं... (व्यवधान) उच्च न्यायालयों के कई निर्णय ऐसे आ चुके हैं कि जो शुल्क नगर पालिकाएं ले चुकी हैं, वसूल कर चुकी हैं उनको लौटाना पड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : रात-रात में ही ऐसा हो जाएगा यह? पहले लगाते सबसे फर्स्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धारीवालजी, आप सुनिये। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारी मंशा यह नहीं है कि इस बिल को इस सैशन में पास नहीं किया जाए। आप आज वसूल करना चाहते हैं, पांच दिन में वसूल कर लीजिए। इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं होने वाला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शार्ट सैशन है, फिर आएगा नहीं आएगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस मामले को उससे नहीं जोड़ें, यह बिलकुल अलग है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर यह कहेंगे कि एक बार एडवोकेट जनरल की ओपीनियन आ जाए कि यह आपका अरबन इम्प्रूवमैंट एक्ट किसी भी तरह एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। After the 74th Amendment of the Constitution has been enacted.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मंगवा लेंगे, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो मंगवा लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाद में मंगवा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में क्यों? जब असैम्बली के सामने एक मैटर है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : संशोधन तो होने दें, साहब। इससे नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नगर पालिका इलैक्टेड बाडी है, नगर पालिका में इलैक्शन होते हैं। हर पांचवें वर्ष इलैक्शन होता है। यू. आई. टी. में इलैक्शन नहीं होते इसलिए आप दोनों को एक जगह मत लाइये। उपाध्यक्ष महादेय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह मंशा नहीं है कि यह कानून अभी पास नहीं हो। आप जो बता रहे हैं इससे कई फाइनेंशियल प्राब्लम्स क्रीएट होने वाली हैं। हम कोई प्रोब्लम आपके लिए....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 74 के अमैंडमैंट के बाद में तो आपकी सरकार चाल साल रही लेकिन आपने कभी इसका नहीं सोचा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं मानता हूं। रही होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज जब अमैंडमैंट की आवश्यकता पड़ रही है, आप उस बात को याद दिलाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं आपकी कमजोरी बताना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्री था और आपने यह पाइन्ट आज तक रेज नहीं किया। यह आपकी कमजोरी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कई बार किया, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कहीं भी नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप पुरानी प्रोसीडिंग देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा तो उसी आधार पर हम नहीं करना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, हम तो खुद तैयार हैं इस बात के लिए। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहें तो पांच-सात दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों बोल रहे हैं, मैं क्या करूं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने फरमाया, एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाएगी। बाद में ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलूं, एक्चुअली मेरे पास....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजे तो बोलूं न?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आप दोनों से निवेदन है कि बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है इस

(श्री उपाध्यक्ष)

पर सब माननीय सदस्यों के विचार सुन लीजिए। उसके बाद फैसला कर लेंगे। विचार तो सुनिए इनके।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, अटार्नी जनरल को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, माननीय सदस्यों के विचार तो कुछ आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति में यही तय हुआ था कि इस पर विचार किया जाएगा। अगर समय नहीं रहा तो फिर आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसमें यह तय नहीं हुआ था। संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप भी थे, उसमें यह तय हुआ था कि चार बजे तक अगर चौथा बिल भी आ जाएगा तो पास हो जाए, नहीं तो चार बजे ऊर्जा मंत्रीजी का बयान होगा। अब ऊर्जा मंत्रीजी का बयान हो गया, बिल भी इन्ट्रोड्यूस हो गया, अब ऐसी कोई अर्जेन्सी नहीं है। इसको कल किया जाए। आज इसको यहीं पर खत्म कर दिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप स्पीकर महोदय से काफी दूर बैठे थे इसलिए शायद इन्होंने सुना नहीं। यही तय हुआ था।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके पीछे ही बैठा हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो दूर बैठे थे लेकिन आप बहुत नजदीक बैठे भी नहीं समझ रहे थे। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस छोटी-सी बात को समझने और नहीं समझने का सवाल ही नहीं। अध्यक्ष महोदय ने यह तय किया था कि बहस आज चलने दीजिए, विचार-विमर्श होने दीजिए, कल एडवोकेट जनरल को बुला लेंगे और....

श्री उपाध्यक्ष : विचार तो आने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आज नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, बहस नहीं। हमारी भी सुविधा हो जाए। हमारे सामने नोटिस में आया है मामला, हम भी इसमें आज रात को जितने भी कांस्ट्रीट्यूशनल एक्सपर्टस हैं उनकी ओपीनियन ले लें, हाउस में यों ही नहीं बोलें।

श्री जगतसिंह दायमा : इसमें क्या दिक्कत आ रही है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, फरमाओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी मान्यता तो यह है कि अगर ऐसी बात हो तो विपक्ष के नेता महोदय यह तय करें कि कल इस बिल को पहले लिया जाएगा और उसके बाद बिजली पर चर्चा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हाउस चल रहा है उससे पहले-पहले इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिल को पास करवा देंगे। मैं इस बात की गारन्टी देता हूं, अगर आप भागेंगे नहीं तो।

अनेक माननीय सदस्य : चलो, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे थोड़े ही होता है। कल का बिजनेश तो निकला हुआ है, कल तो हो नहीं सकता। या तो आप उसको आगे करो या आज करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संशोधन आ जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज ही कराओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज ही कराओ, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज ही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री किरोड़ीलाल जी।

श्री अमरारामजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जिद वाली बात हो गयी, जब कह दिया कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज ही होगा इस बात की कोई जिद होती है क्या? बाद में चले जाएंगे और क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष : कल तो हो ही नहीं सकता।

श्री मदन दिलावर।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को आज ही पास करने से अन्यथा आसमान गिर जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज को टालने से क्या हो जाएगा? यह बात दें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : उस पर पूरी बहस होगी। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : 28 तारीख को नोटिस मिल गया था। क्या तकलीफ थी? उपाध्यक्ष महोदय, बिल इन्ट्रोड्यूस कर दिया था, दो दिन मिल गये सफीशिएन्ट टाइम दिया था। What is the issue?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपाके ध्यान में यह ला रहा हूं, आप बात सुनने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की भावना से चलना पड़ेगा। सदन चाहता है कि बिल पास हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन की भावना के अनुरूप चलें, इसका मतलब यह नहीं हैं कि किसी बहुमत की भावना के अनुकूल चलें। आज मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप डिबेट को एनलाइटन करवाना चाहते हैं तो इसको आप कल पर रखें, चाहे परसों पर रखें। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि—

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल सर्कुलेट कर दिया गया था, सफीशिएन्ट टाइम मिल गया था। यह एक्सक्यूज नहीं हो सकता। यह कोई बात नहीं है कि हम इस पर डिस्कशन करें।

(श्री सी. पी. जोशी)

कोई होगा तो दुबारा कर लेंगे। इसमें क्या तकलीफ है? You want to set a wrong precedence. जब सरकार कोई बिल लेकर आए उसको लैट-डाउन करने के लिए रोंग प्रेसीडेंट रखना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच जोधपुर में जो है उससे एक महत्वपूर्ण निर्णय इस मामले में दिया है और उन्होंने यह कहा है जो भूमियां राज्य के द्वारा बिना किसी शर्त के बेच दी गयी हैं राज्य का मतलब वे भूतपूर्व रियासतें भी हैं जहां पर किसी स्टेट गवर्नमैंट ने चाहे जयपुर की, चाहे बीकानेर की और चाहे जोधपुर में थीं, बिना किसी शर्त के जहां भूमियां बेच दी गयी हैं और यह लिख दिया गया है कि आप इसका चाहे जैसा उपयोग करें, वहां पर उच्च न्यायालय की पीठ ने यह घोषित किया है कि राज्य को परिवर्तन शुल्क लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह जो निर्णय हुआ है यह चार महीने पहले हो चुका है और इस निर्णय का कोई जिक्र इस स्टेटमैंट आफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी न्यायालय के निर्णय को निरस्त भी करना चाहते हैं तो आपको उसका कारण तो बताना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कारण बताने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कारण बताएंगे तो हम भी बता देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बताऊं, आपने न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया है—

श्री मानिक चन्द सुराना : जो आप बताएंगे वह हम सुनेंगे। उसके बाद आपने उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की है। अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर सीज है। मेरा निवेदन है कि जजमैंट भी आज हम लोग नहीं लाये हैं। हम जजमैंट भी लाएंगे, आपको वह पेश भी करेंगे ओर उसमें जो भी आब्जर्वेशन हैं वह इस सदन के सामने रखने का—

श्री सी. पी. जोशी : इनकी इनएफीशिएंसी की सजा हमको क्यों मिले? पब्लिक में यह मैसेज जाए कि गवर्नमैंट इनकाम्पीटैंट है, नहीं ला सकती। आप तैयारी करके नहीं आये, सफर करिये। गवर्नमैंट क्यों सफर करेगी इस बात के लिए? The Government will not suffer it. We have already given the time. आपको जानकारी थी, आपको सूचना लेकर आना चाहिए था। अब आप मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इनकाम्पीटैंट है, मिनिस्टर नहीं है, इसको डैफर किया जाए। आप तैयारी करके नहीं आये So the message should go to the public, कि अपोजिशन तैयारी करके नहीं आया है। Why should the Govt. suffer? मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत क्लीयर हो जाना चाहिए लोकतंत्र में। सरकार तैयार है, पूरी तैयारी करके आयी है। फिर मैसेज देना चाहते हैं सरकार इनकाम्पीटैंट है, बिल को डैफर करना चाहती है। यह लैटीट्यूड

(श्री सी. पी. जोशी)

हम नहीं देना चाहते हैं माननीय शेखावत साहब को। आप सीनियर आदमी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं लेकिन हम भी सरकार से अपील करना चाहते हैं। हम भी नये आदमी हैं, सीख रहे हैं पर आपके अनुभवों के आधार पर सरकार की इनकाम्पीटैंस जनता के सामने न जाए। पहले आप अपनी इनकाम्पीटैंस शो करिये कि आप तैयारी करके नहीं आये हो और आप अपने आप डॉक में हैं। जनता में यह मैसेज जाना चाहिए और बिल जो आज ही पास होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, क्या बोल रहे थे, ऐसी स्पीड से बोल रहे थे कि मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। इतना मुझे जरूर लगा कि अगर इस समय इस बिल के ऊपर चर्चा स्थगित कर दी गयी तो सरकार की इनएफीशिएंसी मानी जाएगी। मैं समझता हूं कि सरकार की इनएफीशिएंसी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका दृष्टिकोण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, आपका तो कोई लेना-देना नहीं है। सरकार की किसी तरह की कोई इनएफीशिएंसी नहीं मानी जाएगी। प्रश्न यह था, यह बात जब मैंने कल बिजनस एडवाइजरी कमेटी में कही कि इस बिल को आप कल मत पास कराइये, एक दिन बाद में पास कराइये उस समय तय भी हो गया था और सही बात यह है कि हम इस इम्प्रैशन में थे कि रात तक जितने भी इसके लीगल डाकूमैंट्स हैं वे हम उपलब्ध करा लेंगे और उसके बाद में जब भी डिबेट होगी उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब आप यह कह सकते हैं कि इसमें आपकी इनएफीशिएंसी हो सकती है। जब बिल कल पता लगा उस समय हमको यह जानकारी मिली कि वह बिल आ रहा है तो एक दिन में गवर्नमैंट तो हम हैं नहीं। जितने भी कागज या जानकारी ले सकते हैं, हमारे साधन सीमित हैं। सीमित साधनों से हमने यह व्यवस्था की कि आज शाम तक या कल सुबह तक हमको सब प्रकार की जानकारी मिल जाए। इसके बावजूद भी मैं एश्योरेंस देता हूं कि इस सैशन में आपका यह बिल पास हो जाएगा। तो माननीय धारीवालजी कह रहे हैं कि इसके कारण से हमारा कोई घाटा नहीं होगा। अब आप यही समझें कि हमें तो बिल आज ही पास कराना है और इसी आधार के ऊपर हमें तो जो भी हमारी एफीशिएंसी है उसको शो करना है तो मैं आज आपको इतना ही कह सकता हूं कि हम आपसे आज तो रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि आप इस बिल को आज न लेकर कल ले लें, परसों ले लें, परले दिन ले लें। असैम्बली के इस सैशन के अन्दर यह बिल पास हो जाएगा, इसमें हमारी तरफ से आप विश्वास मानकर चलिये। इसके बावजूद भी आप पास कराना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, आप पास करा लें।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इन्हें यह भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

याद रखना पड़ेगा कि इन बिल के सम्बन्ध में विधान सभा शुरू होने से पहले हमारे जो संसदीय दल के नेता हैं उन्होंने अखबार में यह कह दिया था कि ये बिल आने वाले हैं। इसलिए जानकारी आज से नहीं है, ये बिल आने वाले हैं इसकी जानकारी पांच दिन पहले से थी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, अपने अनुभवों के आधार पर हम यह बात करना चाहें, यह नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी—

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई? अखबार में यह दिया कि विधान सभा 15 दिन तक चलेगी, विधान सभा तीन दिन में खत्म कर रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बिजनस शिड्यूल हो चुका है, बिजनस हाउस की एडवाइजरी कमेटी के द्वारा पास कर दिये गये हैं तो इसको माना जाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दीजिए। कल आप भी विराज रहे थे जब यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग हो रही थी, इसमें यही तय हुआ था कि ये बिल लिये जाएंगे और उसके बाद आपका स्टेटमैंट होगा तो ये बिल इंट्रोड्यूज पहले हो जाएंगे लेकिन पास अगले दिन होंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठहरो, रूको, वह बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी कुछ समय पूर्व मैंने आपके मुख्य सचेतकजी से भी बात की थी कि वह इस इस बिल को आज पेश करेंगे कि नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि आज पेश नहीं करेंगे। आज केवल स्टेटमैंट होगा, इसको बाद में लेंगे। यह अभी कहा थोड़ी देर पहले (व्यवधान) पास नहीं करेंगे।

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : यह तो कार्य सलाहकार समिति की उसमें आया और प्रस्ताव पास हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो आपने कहा वह बता रहा हूं मैं। आज इस पर चर्चा नहीं होगी, पेश आपने कर दिया। ये सब बातें एक बार वहां तय होती हैं और यहां बहुमत के आधार पर आप यह कहो कि हम तो ये ही करेंगे, यह मैं समझता हूं परम्परा ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप यह कह रहे हैं कि इस सैशन के दौरान इस बिल के पास कराने के लिए, आप वचनबद्ध हैं फिर आज पास कराने में और कल पास कराने में क्या फर्क है?—(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माफ करना, इस छोटी-सी बात को हम आप लोगों को समझा नहीं पाये इसलिए आप कह रहे हैं कि आज और कल पास कराने में क्या अन्तर होता है। मैं जब आपको दो बार कह चुका कि इस सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशनल मैटर है और इस मैटर के लिए मंत्री महोदय भी तैयार होंगे, हम तैयार नहीं हैं लेकिन यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कांस्टीट्यूशनल बायलेशन हो, हमारी मौजूदगी में हो, मैं समझता हूं उसके ऊपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से निवेदन कर रहा हूं कि 74 में यू.आई.टीज को खतम करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। सवाल स्कोप का है कि यू.आई.टी. रहेंगी तो किस जगह पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 74 से इसे जोड़कर हासिल क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी इतना आग्रह भी आप स्वीकार नहीं करते तो फिर ठीक है, हम सदन के बाहर जाते हैं, आप पास करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी दल के नेता महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप? यह तो कभी भी कर सकते हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो ज़िद करते हैं....(व्यवधान) कल कर दो, परसो कर दो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय विपक्ष के नेताजी को तकलीफ हो रही है, 1998 में एक महीने तक हम विपक्ष के बाहर बैठे थे तब बिल पास कैसे कर दिये गये? एक हफ्ते तक हम बाहर बैठे थे और ये धड़ाधड़ बिल पास करते गये। आज इनको बात आने लग गयी....(व्यवधान) आज इन्होंने अपनी नाक का सवाल बना लिया....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : विरोधी पक्ष के नेता से हम कह रहे थे....

श्री श्रवण कुमार : यही सरकार, माननीय भैरोंसिंहजी बिल पास करते गये एक महीने तक हम बाहर बैठे थे।

श्री सी. पी. जोशी : बाक आऊट किस बात का है?

श्री श्रवण कुमार : आज इनको यह बात लग गई कि बिल पास कैसे होगा और वाक आउट करने लग गये।

श्री सी. पी. जोशी : हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि यह क्यों सदन से वाक आउट कर रहे हैं? यह गलत परम्परा डालना चाहते हैं। आज दिन तक....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आज यह बिल पास होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन में न आपकी चलती है और न पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बात चलती है। जिस सदन के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय की नहीं चले....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों नहीं चल रही ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं चल रही है....(व्यवधान) अब नहीं चल रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति में यही तय हुआ था कि केवल बिल इण्ट्रोड्यूज होगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और न पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बात चल रही है....

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर उस बिजनस एडवाइजरी कमेटी की सार्थकता क्या है ? जब उसमें यह ही तय हुआ था कि केवल इंट्रोड्यूस किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिजनस एडवाइजरी कमेटी को मिसकोट मत करो. . (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मिसकोट नहीं कर रहे हैं. . (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : जब बिल आज की तारीख में आया है तो आज ही पास होगा. . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदस्य हैं.... (व्यवधान) हम भी सदस्य हैं उस बिजनस एडवाइजरी कमेटी के....

श्री उपाध्यक्ष : मैं बिजनस एडवाइजरी कमेटी को फिर रिपीट कर रहा हूं। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि यह बिल इंट्रोड्यूज होगा, बिल पर बहस होगी और यदि सदन चाहेगा तो पास होगा, नहीं हो नहीं होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चार बजे से पहले वर्ड दिया था इसमें चार बजे से पहले....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने एग्री किया। बाकी इंट्रोड्यूज करने के लिए क्यों एग्री किया आपने, व्हाई ? (व्यवधान) चार बजे की कोई बात नहीं, चार बजे स्टेटमैंट की बात थी....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यही हुआ था आप प्रोसीडिंग्स देख लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिजनस एडवाइजरी कमेटी को मिसकोट मत करिये।

श्री श्रवण कुमार : इसमें टाइम फिक्स होता है क्या, चार बजे का टाइम है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सी. पी. जोशी ने एक मुद्दा उठाया और इससे ज्यादा स्पष्ट कोई बात नहीं हो सकती कि विपक्ष के नेता महोदय ने खड़े होकर यह कहा कि हम तैयार नहीं हैं। अगर आप इतना भी एकोमोडेट नहीं करना चाहते अपोजिशन को। आप को यह नहीं कहा....(व्यवधान) गवर्नमैंट का मैसेज जाएगा, आप पूरे तैयार है। यह मानकर चल रहे हैं कि मंत्रीजी पूरे तैयार हैं, गवर्नमैंट तैयार है, कान्स्टीट्यूशनल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैटर है, हाई कोर्ट के जजमैंट की कापी आब्टेन नहीं कर पाये। पूरी जिम्मेदारी तो प्रतिपक्ष के नेता अपने ऊपर ले रहे हैं, अपोजिशन पर ले रहे हैं। अगर आप उसको एकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं तो यह मैसेज ये ही जाएगा, मैं सब ट्रैजरी बैंचेज से निवेदन करना चाहता हूं, इसका मैसेज यह जाएगा कि आप अपोजिशन को बिलकुल एकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं। क्या इससे प्राप्त हो जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में एक प्रार्थना आपको करना चाहता हूं, कल का बिजनस डिसाइड हो गया। आप आसन पर विराजे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप बिजनस को उल्टा सुलटा करते हैं रोज, कोई नयी बात है क्या? आप रीशिड्यूल कर देंगे, एक सप्लीमैंट्री एजेण्डा अगर यहां से निकलेगा और यह आ जाएगा कि पहले लिया जाएगा तो पहले ले लिया जाएगा। आप कल सुबह ले लीजिए, पहले ले लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय इतना स्टवर्न एटीट्यूड लेकर अगर गवर्नमैंट चलेगी—

श्री उपाध्यक्ष : आप तो ऐसा कोई इंसीडेंस बता दीजिए कि गवर्नमैंट—(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव दीवार बना कर यहां पुलिस को खड़ा करके 10-10 बिल पास हुए हैं। जो गति हमारी उस वक्त हुई थी वह हम जानते हैं। हम भी इनकी तरह ही चिल्ला रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हो जाएगा। बिल तो पास हो ही जाएगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बार-बार कह रहे थे लेकिन किसी ने नहीं सुनी।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक इंसीडेंट बता दीजिए इस विधान सभा में गवर्नमैंट किसी बिजनस को पास कराना चाहती हो और आप भी इधर रहे हो, कभी मान ली हो तो बात। बता दीजिए। गवर्नमैंट चाहती है तो बिल पास होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं अर्ज करूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनिये अगर विपक्ष प्रतिरोध करे तो डेफिनेटली ट्रैजरी—(व्यवधान) Kindly bear with me for a minute. अगर विपक्ष विरोध करे कि यह बिल पास नहीं होने देंगे और आज नहीं होने देंगे तो ट्रैजरी बैंचेज को पास कराना जरूरी है, लेकिन यहां तो विनम्र प्रार्थना है। यहां कहां विरोध हो रहा है? यह तो आपको सिर्फ एक रिक्वैस्ट है कि आज हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, कल आप ले लीजिए। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी परम्परा कायम नहीं होगी। कई ऐसे मौके आये हैं, बिजनस हमेशा रिशिड्यूल होता है। यह कभी नहीं हुआ। बिजनस रिशिड्यूल होता है। रोजाना होता है, रोजाना बिजनस रिशिड्यूल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यह है, उपाध्यक्ष महोदय।

(प्रतिपक्ष द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल। श्री अमराराम, श्री हीरासिंह चौहान, श्री मदन

दिलावर, श्री नन्दलाल मीणा, श्री रामनारायण विश्नोई, श्री प्रभूलाल करसोल्या, श्री गणेशीराम मेघवाल, श्री हरीशचन्द, श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री रघुवीर सिंह गौड़, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री मानिक चन्द सुराना।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव कीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, भू-उपयोग परिवर्तन के विषय में विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के एग्जस्टेंस के पहले और डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रूल्स, 1974 के पहले....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश : विचार

खण्ड 2, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रश्न यह है कि खण्ड, 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2, स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-14) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.45 बजे बुधवार, 01 नवम्बर, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 का विवरण)

जिलेवार नर्सरी श्रेणी एवं स्पेशल श्रेणी चारा योजना में सितम्बर, 2000 तक जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	नर्सरी श्रेणी	स्पेशल श्रेणी
1	2	3	4
1.	अजमेर	1041	75
2.	बांसवाड़ा	59	2
3.	भीलवाड़ा	2327	214
4.	चित्तौड़गढ़	3085	32
5.	डूंगरपुर	94	30
6.	झुंझुनूं	9191	477
7.	नागौर	6112	299
8.	राजसमन्द	536	41
9.	सीकर	6216	217
10.	उदयपुर	891	56
11.	अलवर	2532	144
12.	बारां	2124	29
13.	भरतपुर	123	13
14.	बून्दी	546	64
15.	दौसा	1876	19
16.	धौलपुर	17	0
17.	जयपुर	7663	61
18.	झालावाड़	779	10
19.	कोटा	1498	44

1	2.	3	4
20.	सवाई माधोपुर	580	50
21.	टौंक	286	83
22.	करौली	740	9
23.	बाड़मेर	1881	224
24.	बीकानेर	1753	92
25.	चूरू	3120	184
26.	जैसलमेर	88	8
27.	जालौर	3354	888
28.	जोधपुर	2760	590
29.	हनुमानगढ़	359	246
30.	पाली	1849	379
31.	सिरोही	587	237
32.	श्रीगंगानगर	340	123
	कुल योग	**64407**	**4940**

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला धौलपुर के राजकीय चिकित्सकों द्वारा संचालित निजी नर्सिंग होम

4. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर के राजकीय चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक हैं? सूची चिकित्सालय वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने चिकित्सकों को निजी नर्सिंग होम खोलने की स्वीकृति दे रखी है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(3) उक्त जिले में कितने निजी नर्सिंग होम किन-किन चिकित्सकों के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सक चिकित्सालय में इलाज/आपरेशन न करके निजी नर्सिंग होमों में इलाज/आपरेशन करवाने को प्रेरित करते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर के चिकित्सालयों में कुल 78 चिकित्सक हैं। चिकित्सकों की चिकित्सालय वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, सरकार ने सरकारी चिकित्सकों को निजी नर्सिंग होम खोलने की स्वीकृति नहीं दे रखी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) वर्तमान में निजी नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन करवाये जाने के लिऐ कोई भी नियम या अधिनियम नहीं होने के कारण निजी नर्सिंग होम की सूचना राज्य सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(4) जी, नहीं।

भाग एक की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1.	जिला चिकित्सालय, धौलपुर	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	9
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
		चिकित्सा अधिकारी	9
		चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1
		उप नियंत्रक	1
2.	टी.बी. क्लिनिक, धौलपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
3.	भ्रमणशील इकाई (नेत्र) धौलपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
4.	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, बसेड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी	2
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेड़ा.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
		चिकित्सा अधिकारी	3
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
		चिकित्सा अधिकारी	2
		चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसईनवाब	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी	2
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमथुरा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरेह	चिकित्सा अधिकारी	1
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेपऊ	चिकित्सा अधिकारी	1
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कंचनपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगाई	चिकित्सा अधिकारी	1
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिया	चिकित्सा अधिकारी	2
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारोली	चिकित्सा अधिकारी	1
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विप्रपुर	चिकित्सा अधिकारी	1

1	2	3	4
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1
17.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जससुपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचगांव	चिकित्सा अधिकारी	1
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितौड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1
20.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अब्जलपुर	चिकित्सा अधिकारी	1
21.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बद्रीका	चिकित्सा अधिकारी	1
22.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथवाड़ी	चिकित्सा अधिकारी	1
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरनीखेड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरेना	चिकित्सा अधिकारी	1
25.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विरोधा	चिकित्सा अधिकारी	1
26.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपाल गुन्दुर उर्फ (गोपालपुरा)	चिकित्सा अधिकारी	1
27.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तसीमो	चिकित्सा अधिकारी	1
28.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिरी	चिकित्सा अधिकारी	1
29.	कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय	चिकित्सा अधिकारी	2

महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय अटरू (बारां) में प्राचार्य की नियुक्ति

5. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू (बारां) के महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के बोर्ड की परीक्षा के परिणाम अब तक कैसे रहे हैं? कक्षा व वर्ष वार कितने-कितने बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए?

(2) क्या विद्यालय का परीक्षा परिणाम असन्तोषजनक रहा? यदि नहीं, तो फिर तत्कालीन प्राचार्य का प्रतिनियुक्ति काल क्यों नहीं बढ़ाया? क्या इतना अच्छा परीक्षा परिणाम रखकर उन्होंने अपराध किया है?

(3) क्या प्रधानाचार्य व अन्य रिक्त पद भरने हेतु विभाग ने विज्ञापन जारी किया था? यदि हां, तो प्रधानाचार्य के पद हेतु योग्यता क्या थी तथा उस रिक्त पद के विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुए? क्या उसमें अटरू के पूर्व प्राचार्य ने भी आवेदन किया था? यदि हां, तो प्राप्त सभी अभ्यार्थियों के गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम क्या रहा है? विषय/विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या योग्यता या पिछले परीक्षा परिणाम के आधार पर ही चयन किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

(श्री मदन दिलावर)

(5) क्या पूर्व प्राचार्य श्री रमेश चन्द शर्मा का आवेदन शामिल कर ही चयन किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वह योग्यता रखते हैं? यदि हां, तो उनके आवेदन को शामिल करने में क्या कठिनाई है?

(6) क्या पूर्व प्राचार्य आवेदन की तिथि पर आवासीय विद्यालय अटरू से कार्यमुक्त हो चुके थे?

उत्तर

(1) आवासीय विद्यालय अटरू में अध्ययरत अनु. जाति/जनजाति के छात्रों के कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 1999-2000 के परिणाम में परिणाम निम्न प्रकार रहे हैं : —

वर्ष 1999–2000 के परिणाम निम्न प्रकार रहे हैं : —

वर्ष	कक्षा 8 वीं बोर्ड परीक्षा		सैकेण्डरी बोर्ड परीक्षा		
	परीक्षा में बैंठे छात्र	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण	परीक्षा में बैठे छात्र	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण	उत्तीर्ण
1998-99	35	35	—	—	—
1999-2000	33	33	35	34	1

(2) विद्यालय के परीक्षा परिणाम असंतोषजनक नहीं रहे हैं। तत्कालीन प्राचार्य का प्रतिनियुक्ति काल इसलिये नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इनकी आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 27–6–2000 को 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी।

(3) विद्यालय में प्रधानाचार्य व अन्य पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.6.2000 को विज्ञापन जारी किया गया। प्रधानाचार्य पद के लिये पात्रता "स्नातकोत्तर उपाधि मय बी.एड. एवं प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) के पद पर 3 वर्ष का अनुभव अथवा उप प्राचार्य (सीनियर माध्यमिक विद्यालय) के पद पर दो वर्ष का अनुभव" थी। प्रधानाचार्य पद के लिये 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 4 पर विचार किया गया तथा एक आवेदन पत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि श्री शर्मा की आवासीय विद्यालय अटरू में दिनांक 27–6–2000 को ही 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हुई थी। प्राप्त सभी अभ्यार्थियों से संबंधित गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यार्थियों द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) प्रधानाचार्य का चयन अभ्यार्थियों की योग्यता, उनके पिछले परीक्षा परिणाम कार्यानुभव साक्षात्कार के समय चयन समिति द्वारा अभ्यार्थी में पायी गई अन्य विशिष्ठता आदि के मद्देनजर किया जा चुका है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(5) पूर्व प्राचार्य श्री रमेश चन्द शर्मा का आवेदन पत्र उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया गया था किन्तु चयन प्रक्रिया में उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया गया क्योंकि श्री शर्मा ने आवासीय विद्यालय अटरू में दिनांक 27-6-2000 को 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण की थी।

(6) पूर्व प्रधानाचार्य श्री रमेश चन्द्र शर्मा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 20-6-2000 से पूर्व आवासीय विद्यालय अटरू से दिनांक 27-6-2000 को कार्यमुक्त होने का आदेश प्रस्तावित कर दिया गया था।

परिशिष्ट-अ

प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय अटरू के पद हेतु प्राप्त अभ्यार्थियों से संबंधित गत 3 वर्षों के परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अभ्यार्थियों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना

1. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय टोडरा, फलौदी क्वारिज, जिला - सवाई-माधोपुर।

परीक्षा परिणाम : —

वर्ष 1997-98 राजकीय माध्यमिक विद्यालय मित्रपुरा (सवाई माधोपुर)

कक्षा	सम्मिलित	उत्तीर्ण श्रेणी			उत्तीर्ण योग	अनुत्तीर्ण	पूरक	परिणाम प्रतिशत
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय				
10	41	5	11	9	25	14	2	60.9
9 ए.	44	2	5	12	19	20	5	43.0
9 बी	48	4	8	9	21	22	5	43.75
8	37	5	2	—	7	19	11	19.00
7	64	5	30	25	60	2	2	94.00
6 ए	41	6	8	11	25	9	7	60.9
6 बी	36	1	17	5	23	9	4	67.00

वर्ष 1998-99 राजकीय माध्यमिक विद्यालय मित्रपुरा (सवाई माधोपुर)

कक्षा	सम्मिलित	उत्तीर्ण श्रेणी			उत्तीर्ण योग	अनुत्तीर्ण	पूरक	परीणाम प्रतिशत
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय				
10	44	2	8	12	22	6	16	50.00
9	51	6	7	13	26	16	9	52.00
8	77	4	21	15	40	24	13	51.94
7	48	2	22	12	36	2	10	75.00
6 ए	44	2	9	12	23	12	9	52.27
6 बी	45	5	14	10	29	6	10	64.44

वर्ष 1999-2000 राजकीय माध्यमिक विद्यालय टोडरा, फलौदी क्वारी, सवाई माधोपुर

10	37	6	6	8	20	6	11	54.05

2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक राज. मा. विद्यालय सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

वर्ष	कक्षा आठवीं					कक्षा दसवीं				
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	प्रतिशत	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	प्रतिशत
97-98	2	7	8	17	55.00	4	15	7	26	79.00
			पूरक-7					पूरक-2		
98-99	11	16	5	32	68.08	6	13	15	34	87.18
			पूरक-5					पूरक-5		
99-2K	14	15	5	34	75.55	6	13	6	25	80.64
			पूरक-6					पूरक-6		

3. श्री पुरुषोत्तम माहेश्वरी, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रातडिया जिला बारां

पिछले तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	1997	1998	1999
1.	स्थानीय परीक्षा	58.60	63.97	63.73
2.	मिडिल बोर्ड	—	75.51	89.65
3.	सैकेण्डरी बोर्ड	81.00	56.82	54.23

4. श्री मणिकेश्वर सिंह, प्रधानाचार्य, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति-अटरू जिला बारां।

गत तीन वर्ष का परीक्षा परिणाम—गत 3 वर्ष (शैक्षणिक प्रकोष्ठ अधिकारी) जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी।

5. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पूर्व प्राचार्य, आवासीय विद्यालय, जिला बारां

पिछले तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम

क्र.सं	शैक्षणिक सत्र	कक्षा	परीक्षा परिणाम	
			संख्यात्मक	गुणात्मक
1.	97-98	आठवीं	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत प्रथम श्रेणी
2.	98-99	आठवीं जिला बोर्ड	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत प्रथम श्रेणी
3.	99-2K	आठवीं जिला बोर्ड	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत प्रथम श्रेणी
		माध्यमिक बोर्ड परीक्षा	100 प्रतिशत	97.1 प्रतिशत प्रथम श्रेणी

सहायक निदेशक कृषि विस्तार कुचामन (नागौर) के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण

6. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कार्यरत सहायक निदेशक कृषि विस्तार कुचामन जिला नागौर के विरुद्ध पूर्व में सहायक निदेशक, कृषि, विस्तार मालपुरा जिला टोंक में कार्यकाल के दौरान किये गये भ्रष्टाचार, गबन या अनियमितता की कोई जांच की गई है यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में तीन लाख से अधिक की राशि का गबन पाया गया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को नियमानुसार नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यो?

उत्तर

(1) सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) मालपुरा के कार्यालय के लेखों का विस्तृत जांच प्रतिवेदन अवधि अप्रेल, 94 से दिसम्बर, 97 परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 15.7.98 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) 3.34 लाख रुपये का गबन इस अधिकारी के कार्यकाल से पहले ही हो चुका था। गबन अप्रेल, 94 से दिसम्बर, 97 के दौरान होना पाया गया। वर्तमान सहायक निदेशक, कुचामन दिनांक 15-2-1997 से 4-8-98 तक मालपुरा में सहायक निदेशक रहे हैं। इनकी अवधि में अन्य अनियमितताओं के साथ रुपये 49,758/- की राशि कम पाई गई, जो मृतक श्री राम लाल, कैशियर के भाई ने जमा करा दी। दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियम 16 सीसीए के अधीन राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(3) आरोप रिकार्ड पर आधारित है। संबंधित अधिकारी से कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से लेखों के जांच प्रतिवेदन पर टिप्पणी की गई एवं आरोप पत्र जारी किया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियम - 16 के अधीन आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(प्रतिवेदन व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की सड़क विहीन ग्राम पंचायतें

7. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत पक्की/कच्ची मेटल सड़कों से जुड़ी हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़क विहीन ग्राम पंचायतों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कुल 80 पंचायत मुख्यालय हैं। जिनमें से 65 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। शेष 15 पंचायत मुख्यालय की स्थिति निम्न है : —

(अ) मेटल सड़क से जुड़ी हुई 8 ग्राम पंचायत मुख्यालय

(1991 की जनसंख्या)

1.	गनाऊ	(1308)
2.	महेशपुरा	(1215)
3.	नल्दा	(1177)
4.	नाल	(1045)
5.	छापरिया	(852)
6.	धनाक्षरी	(836)
7.	बोरिया	(432)
8.	देवगढ़	(240)

(ब) ग्रेवल सड़क से जुड़ी हुई 6 ग्राम पंचायत मुख्यालय

(1991 की जनसंख्या)

1.	गागरवा	(901)
2.	मूलिया	(813)
3.	छायन बड़ी	(477)
4.	हरनाथपुरा	(424)
5.	वागतालाब	(334)
6.	चाया कोटा	(251)

(स) नहीं जुड़ी हुई एक ग्राम पंचायत की स्थिति : —

मकनपुरा : — (1103) कुल सड़क की लम्बाई 7 कि.मी. जिसमें से केवल 3 किमी. सड़क ग्रेवल है। शेष लम्बाई में सड़क नहीं है।

शेष 65 ग्राम पंचायत मुख्यालय जो कि डामर सड़क से जुड़ी हुई हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य राज्य सड़क नीति के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क हेतु निम्न लक्ष्य प्रस्तावित हैं : —

(अ) 1000 जनसंख्या (1991 जनगणना पर आधारित) से अधिक गांवों को 3 वर्ष में पक्के सड़क से जोड़ना।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(ब) 500 से अधिक जनसंख्या के गांवों को 7 वर्ष में पक्की सड़कों से जोड़ना।

उपरोक्तानुसार बचे हुये पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जावेगा। 500 से कम आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ना राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

दानपुर विधान क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय जो कि डामर सड़क से जुड़े हुये हैं

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या (1991 की जनगणना)
1	2	3
1.	तलवाड़ा	8174
2.	करजी	4558
3.	छींछ	3874
4.	सामरिया	3808
5.	बड़ोदिया	3735
6.	तेजपुर	3693
7.	घोड़ीतेजपुर	3528
8.	छोटी सरवन	3397
9.	नवागांव	3364
10.	सालिया	3287
11.	बोडीगामा	3104
12.	कटियोर	2952
13.	पिण्डारमा	2870
14.	दानपुर	2868
15.	बारीगामा	2802
16.	कलिंजरा	2665
17.	ठीकरिया	2561
18.	बुडवा	2508
19.	पाटन	2492
20.	बोरखेड़ा	2468
21.	फेफर	2463
22.	सुरवानिया	2408
23.	सुन्दनपुर	2181
24.	कटुम्बि	2173
25.	पिपलोद	1958
26.	झुपेल	1925
27.	चौखला	1884
28.	खेरावाड़ा	1831
29.	सागड़ोद	1815
30.	कुशलपुरा	1805
31.	नादिया	1788
32.	इटावा	1778
33.	खजूरी	1628
34.	उम्मेदगढ़ी	1543
35.	गागड़ी	1541
36.	उमराई	1534
37.	लिमथान	1508
38.	नागावाड़ा	1485

1	2	3
39.	झांतला	1456
40.	सुरपुर	1393
41.	भंचडिया	1383
42.	पाडीकलां	1360
43.	सियापुर	1322
44.	मसोटिया	1293
45.	टामटिया	1291
465.	बोरबट	1265
47.	राखो	1216
48.	मोकोद	1088
49.	वीरपुर	1039
50.	जहांपुरा	1034
51.	झरनिया	998
52.	बोरखावर	993
53.	अम्बापुरा	984
54.	केसरपुरा	904
55.	बारी	876
56.	उपला घंटाला	865
57.	बदरेल	820
58.	बापोर	767
59.	कोटड़ा	765
60.	नापला	648
61.	बलवाड़ा	557
62.	करेलिया	549
63.	बरवाड़ा राजिया	427
64.	कुण्डलाकलां	327
65.	खेराखांस	203

वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायत समिति डीडवाना (नागौर) को प्राप्त राशि

8. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार ने अनुदान दिया है? यदि हां, तो एक अप्रेल, 1998 से 30 सितम्बर, 2000 तक कितनी राशि दी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर को भी राशि दी गई? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि दी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि के व्यय करने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कोई दिशा निर्देश जारी किये तथा उनकी पालना इस समिति ने कहां तक की है? जारी किये गये निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशि को पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को भी देनी थी? यदि हां, तो इस समिति में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी राशि

(पंचायती राज मंत्री)

कब-कब देनी थी और कब-कब दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि अभी भी ग्राम पंचायतों के हिस्से की राशि इस समिति में हैं जो पंचायतों को नहीं दी गयी है? यदि हां, तो कौन-कौन सी पंचायतों को कितनी-कितनी राशि कब-कब से और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार की राय में पंचायतों को समय पर राशि नहीं देने के मामले में समिति के कोई अधिकारी दोषी हैं? यदि हां, तो कौन-कौन तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। 1 अप्रेल, 98 से 30 सितम्बर, 2000 तक पंचायती राज संस्थाओं को 1139.00 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया गया है।

(2) जी, हां। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: —

1.	वर्ष 1998-1999	29.26 लाख
2.	वर्ष 1999-2000	36.34 लाख
	योग	**65.60 लाख**

(3) पंचायत राज विभाग के द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 527 दिनांक 20-4-98 एवं पत्र संख्या 403 दिनांक 24-4-99 द्वारा निर्देश जारी किये गये। जिनकी प्रति "अ" और "ब" पर संलग्न है। पंचायत समिति डीडवाना के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3720-3776 दिनांक 18-12-98 के द्वारा इस राशि को व्यय करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई जिसकी प्रति "स" पर संलग्न है।

(4) जी, हां। इस पंचायत समिति में 57 ग्राम पंचायतें व 2 ग्रामदानी गांव हैं। कार्यों की आवश्यकतानुसार तथा राशि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों को राशि हस्तान्तरित करनी होती है। वर्ष 1998-1999 व 1999-2000 के लिये पंचायतों को प्रस्तावित राशि तथा दी गई राशि का विवरण "द" पर संलग्न है।

(5) जी, नहीं। वित्त विभाग द्वारा रुपये 9.78 लाख की राशि जिसके आहरण पर रोक लगाई हुई है, को छोड़कर शेष राशि आवंटित कर दी गई है।

(6) जी नहीं। पंचायतों को राशि पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त होने तथा राज्य सरकार से राशि उपलब्ध होने पर ही हस्तांतरित की जा सकती है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATIRAJ DEPARTMENT

F–184 (16) RDPRD/Acctt/Budget/96-97/527 Jaipur, dated : 20/4/98

Chief Executive Officer & Secretary
Zila Parishad (All Districts)

Block Development Officer
Panchayat Samiti (All Districts)

Sub.: Details of Schemes and Guidelines for Utilisation of Grants under recommendation of Tenth Finance Commission along with utilisation of General Purpose Grant, Maintenance Grant and Matching Grant under SFC recommendation.

For the Utilisation of Grants for Panchayati Raj Institutions under recommendation of Tenth Finance Commission along with Ulisation of General Purpose Grant Maintenance Grant and Matching Grant under SFC recommendation the following five scheme are proposed as detailed below :

(A) Major Development works related to the primary functions of Gram Panchayats :- This scheme will include the following new & additional/alteration works.

1. Panchayat Grah/School Buildings.
2. Boundary Wall and Toilets in Schools.
3. Link/Villalge Roads & cause ways /bus stand.
4. Community Village Hall/Centres. Children's Park and Play Fields.
5. Drinking Water infrastructures.
6. Special works needed for public or primary functions of Gram Panchayats with special approval of RDPRD.

(B) **Site and Services Housing Scheme :-** This scheme will include the following works : –

Under site and service housing scheme, rural housing sites will be developed by providing roads, drainage etc. & services like drinking water, sanitation, electricity etc., including acquiring land & thereafter plots will be made available at suitable prices, developed in a planned way near by villages, for all 'O' sries of society.

(C) **Street Lighting Sanitation & Disposal of Waste Water : –** This scheme will include the following works.

1. Construction of drains :- for street/lanes, of hand pumps, for public stand posts/ground level reservoirs etc.

2. Earth/Murrum (Qyarry Rubbish) filling work :- Where-ever pooling of waste water stands inside villages around Hand Pump/PSP/GLR and on roads/paths and to provide proper slops of streets for proper drainage of waste water.

3. Construction of women complexes :- (of pour flush public sanitary latrines) exclusively for women and girls where-ever water could be arranged for pour flushing and cleaning.

4. Street lighting.

5. Bio gas plants for community for sanitary latrines complexes and other sanitation works.

(D) **Widening and up-keeping of width of streets/paths and roads of village :-** This scheme will include the following works pertaining to widening of streets/paths, roads in a planned way including removing of encroachments for keeping minimum width of 4 meters (13 feet) for streets/paths and 6 meters (20 feet) for roads.

(E) **Maintenance of assets :-** This scheme will include the following repair works of : –

1. Rural Roads.

2 Buildings of Schools/Panchayat Grah.

3. School/Punlic Toilets.

4. Hand Pump Platforms.

5. Drains.

6. Development infrastuctures of Gram Panchayats with special approval of RDPRD.

GUIDE-LINES : –

The following guide lines are proposed for the utilisation of grant :

1. **Distribution pattern of TFC's grant :–**

   a. **District wise distribution :-** To utilise the yearly grant to be made available to this state be distributed district wise as per pattern of equalization recommended by first SFC report para 9.50 and 9.52 on the following basis :

      i. 50% of the grant based on the poor families.

      ii. 40% of the grant based on the 1991 population.

      iii. 10% of the grant on for non–DDP/non–DPAD/non-TAD blocks.

Details of district wise poor families, population and blocks of non-DDP etc., are also given in table 1.15, 1.16 and 1.17 of the SFC's report and para 9.52

   b. **Panchayat samiti wise distribution :—** The total district wise distributed grant (allocation) for each district will further be distributed Panchayat Samiti wise based on 100% allocation on 1991 population of Panchayat Samiti. TFC grant has to be utilised with in 6 month of release otherwise that may be transferred to other Panchayat Samiti in the absence of U.C.

   c. **Scheme wise distribution of Panchayat Samiti wise allocation :–** The total of Panchayat Samiti wise allocation will further be distributed scheme wise as given below :–

Scheme Category	Name of Scheme	Percentage of total of each PS wise allocation
(A)	Major Rural Development works relating to primary function of Gram Panchayat	40%
(B)	Site and Services Housing Scheme	15%
(C)	Street lighting, Sanitation & Disposal of Waste Water	25%
(D)	Widening and up-keeping of with of streets/paths and roads of villages	15%
(E)	Maintenance of Assets	5%
	Total	**100%**

Due to any reasons saving of one scheme will not be utilised for other schemes. Special cases will be referred to RDPRD. Scheme wise accounts will be maintained, 100% funds will be made available for each work in one time.

d. **Transfer of funds from Panchayat Samiti to Gram Panchayats :-** Each Panchayat Samiti will transfer 45% total Panchayat Samiti funds for scheme C, D & E, (100%) based on 1991 population of Gram Panchayasts, to each Gram Panchayats with Scheme wise break up for scheme C, D & E. For schemes A & B funds will be transferred by Panchayat Samiti to those Gram Panchayasts whose works have been sanctioned by issue of administrative and financial sanction (A/F) by Panchayat Samiti and after issue of technical sanction.

2. **Matching Contribution :-** As per the guidelines of GOI Gram Panchayat should be required to provide matching contribution by raising additional resources which are to be at least equal to the TFC grant therefore, taking-up of sanctioned works 10% of sanctioned cost will be deposited by Gram Panchayat as a part

40% amount of sanctioned cost will be raised from own income of Gram Panchayat during rest of 4 years i.e. @ 10% per year minimum. Thus, collected 40% funds of sanctioned cost could be used for the development works in future by Gram Panchayats. at the time of taking-up of senctioned works the funds provided under SFC additional devolution as aid to Gram Panchayat by State for general purpose grant, matching grant, maintenance grant and also 10% of works cost from Gram Panchayat from own income will form 50% matching share of TFC Grant. The Gram Panchayat will also be free to mobiles voluntary labour contribution from users as a part of matching share. The cost of land at prevailing market rate of land made available free of cost for development infrastructures to Gram Panchayats by private persons may also be considered as a part of matching contribution of Gram Panchayats. The matching share for the year from 1996 to 2000 comes in between 42% to 67% & over all the end of four years 53% as given in the table below :-

Flow of funds for matching share to TFC Grant (Rs. in Crs.)

Year	TFC Grant Share	Matching Share for TFC Grant SFC additional Devolution to Gram Panchayat				Gram Panchayat Own	Total Matching Share
		Gen. Purp. Grant	Matching Grant	Maintenance Grant	Sub Total (3+4+5)	Income	(6+7)
1996-97	53.05 (58%)	22.93	6.39	4.59	33.91	10.61 (10%)	44.53 (42%)
1997-98	53.05 (55%)	25.22	7.99	4.59	37.80	10.61	48.41 (45%)
1998-99	53.06 (41%)	27.77	15.95	4.59	48.31	10.61	58.92 (56%)
1999-00	53.05 (33%)	30.55	25.55	4.59	60.69	10.61	71.31 (67%)
Total 1996-00	**212.22** (44%)	**106.47**	**55.88**	**18.36**	**180.71**	**42.44**	**223.43** (53%)

If for want of matching contribution of Gram Panchayats Grant could not be utilised with in six months then grant may be transferred to other Panchayat Samities.

3. **Proposal of Words :-** For each work of schemes proposal will have to be obtained as per provision of P.R. Act 1994 and Chapter-II of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 (RPR Rules - 1996) through Gram Sabha, by calling special meeting of Gram Sabha. A common single work of a scheme may be proposed by more then one Gram Panchayats may be considered by Panchayat Samiti for issue of sanctions. An action plan for the next year may also be prepared showing the priority wise proposal of works. All proposals will be examined by JEN of P.S. for technical feasibility and for estimation. The technical feasibility of proposals for work of schemes will be examined by JE (PS)/AE (Z.P.)/XEN (DRDA)/RDPRD up to the limit of power of technical sanction fixed by SS & IRD Department upto XEN (DRDA) there after cases will referred to RDPRD, other than plants of scheme-B of Housing. The proposal of scheme-B of housing will be sent to Dy. Town Planner, RDPRD directly by AE (Z.P.). If required technical feasibility of proposal could be examined by the next technical authority of Z.P. or RD & PR as the case may be.

4. **No expenditure on payment of salaries and wages of staff :-** No expenditue on payment of salaries and wages of staff will be made from funds allotted for the schemes.

5. **Issue of A/F sanctions :-** All administrative sanctions and financial sanctions shall be issued of technically feasible works, subject to availability of funds so that no work reamains incomplete after one time allotment and subject to availability of matching contribution in the Gram Panchayats for the work –

   a. For the scheme C, D & E for each work A/F sanction will be issued by Gram Panchayats.

b. For the Scheme A & B for each work A/F sanction will be issued by Panchayat Samiti.

6. **Issue of Technical Sanction :-** After issue of A/F sanction the technical sanction will be issued and thereafter execution of works will be taken up. Technical sanction will be issued by JEN (P.S.)/AEN (Z.P.)/XEN (DRDA)/from RDPRD upto the limit power of technical sanction fixed by SS & IRD Department for JRY/EAS works upto XEN (DRDA) thereafter cases will be referred to RDPRD. All plans of scheme-B of Housing will be approved by Dy. Town Planner, RDPRD & there technical sanction will be issued by AEN (Z.P.)/XEN (DRDA)/from RDPRD as the case may be.

For the issue of technical sanction detailed estimates and drawings will be prepared by JEN/AEN of P.S./Z.P. as the case may be within 15 days of issue of A/F sanctions. All estimates and drawings should be based on directions/rates/specification issued by SS & IRD department for JRY/EAS works for items where no specific instrucitons have been issued by RDPRD and all drawing etc., should be understandable by Gram Panchayats.

7. **Excution of Works :-** All works will be got executed through **Gram Panchayats of schme C, D & E & through Panchayat Samiti of scheme A & B,** as per A/F and technical sanctions, as per provision of P.R. Act 1994; Chapter - X of RPR rules - 1996; as per instruciton of RDPRD & as per accounts rules work may also be got executed by Panchayat Samiti through Govt. Department of other authorised agences of Govt. Technical supervision over works will be of JEN/AEN of P.S./Z.p. & XEN DRDA, BDO/CEOs of P.S./Z.P. will also supervise the works. Z.P./PS. will certify that grants released to vaious G.P./P.S. 6 monts. ago has been utilised, failing which grants may be transferred by RDPRD to other Panchayat Samiti.

8 **Physical and Financial Monitoring :-** At district level physical and financial monitoring will be don 'e by CEO with the help of A.O. and will report progress monthly to C.A.O. of RDPRD. CEO will also ensure the timely submission of Ucs/Ccs and audit of Gram Panchayats accounts as per rules.

9. **State Level Monitoring :-** At the state level financial monitoring would be at the level of C.A.O. of RDPRD.

The above details of Schemes and Guidelines bears the concurrence of Finance Department vide ID No. 300/PSF/98 dated 3-2-1998 and concurrence of Planning Department vide ID No. 213/Plan/98 dated 11-3-1998. The funds released under those schemes may be utilised according to above mentioned guideliens.

Sd/–

(M. K. Khanna)
Director & Special Secretary

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

एफ.184 (16) ग्राविप/लेखा/बजट/96-97/403 जयपुर, दिनांक : 24-4-1999

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव
जिला परिषद् (समस्त)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति (समस्त)

विषय : दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत विकास अनुदान के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निदेर्शों में संशोधन।

प्रसंग : इस विभाग के पत्र संख्या एफ. 184 (16) ग्राविप/लेखा/बजट/96-97/527 दिनांक 20–4–98

दसवें वित्त आयोग की अभिशंसा अनुरूप प्राप्त अनुदान के उपयोग के संबंध में इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 184 (16) ग्राविप/लेखा/बजट/ 96-97/527 दिनांक 20–4–98 द्वारा जारी दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हुये निम्नानुसार नये दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. ग्राम पंचायतों को राशि का स्थानान्तरण

दसवें वित्त आयोग की अभिशंसा अनुरुप प्राप्त अनुदान राशि का स्थानान्तरण पंचायत समिति/जिला परिषद के माध्यम से ग्राम पंचायतों को किया जावेगा।

2. 10वें वित्त आयोग अनुदान का तुल्य अंशदान :

दसवें वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप प्राप्त राशि के लिये निम्न मदों में आंवटित राशि को तुल्य अंशदान माना जावेगा।

(क) राज्य वित्त आयोगी अभिशंसा अनुरूप अनुदान (ग्राम पंचायतों के लिये)

1. बहुउद्देशीय अनुदान (जनरल परपज ग्रांट)।
2. संधारण/रखरखाव अनुदान।
3. टी. एफ. सी. तुल्य अंशदान (मेचिंग ग्रांट)।

(ख) भू राजस्व अनुदान—ग्राम पंचायतों के लिये (मद 3604 आयोजना भिन्न)।

उपरोक्त राशि में से टी.एफ.सी. तुल्य अंशदान राशि के अतिरिक्त शेष राशि को इस विभाग द्वारा जिस निर्धारित दर से पंचायत समितियों को आवंटित किया जाता है, उसी दर से ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किया जावेगा।

3. 10वें वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग के तुल्य अंशदान का विवरण:

पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा दसवें वित्त आयोग की अभिशंसा के अन्तर्गत अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग की अभिशंसा के अन्तर्गत टी.एफ.सी. तुल्य अंशदान राशि को स्वीकृत कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किया जावेगा।

4. बहुउद्देशीय एवं रख-रखाव अनुदान का उपयोग :

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप जनरल परपज ग्रांट एवं रखरखाव अनुदान की राशि अनुशंसा में निर्धारित कार्य जैसे पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, गन्दे जल का निकास, नालियों एवं गांवों के अन्दर की सड़कों का निर्माण आदि से संबंधित निर्माण कार्य एवं सम्पत्तियों के रखरखाव संबंधित कार्यों पर ही उपयोग किया जावेगा। (दिनांक 20–4–98 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट योजनाओं पर निर्दिष्ट मात्रा में राशि व्यय करने की अनिवार्यता समाप्त हो जावेगी।)

5. निजी आय/जन सहयोग का उपयोग :

ग्राम पंचायतों की निजी आय अथवा जन सहयोग/भागीदारी से प्राप्त राशि, सामग्री एवं श्रम का उपयोग भी इस योजना में किया जा सकेगा।

6. प्रशासनिक, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय करने पर प्रतिबन्ध :

कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय आदि पर इस योजना की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कार्यों के निर्माण के लिए देय मजदूरी अंश इस प्रतिबन्ध से सबंधित नहीं है।

7. स्वीकृति हेतु कार्यों का चिन्हिकरण :

ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद की आम सभा में पारित प्रस्तावों में से ही चिन्हित कार्यों पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।

8. कार्यों के सम्पादन संबंधी व्यवस्था :

विशिष्ठ योजनायें एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 4 (1) वियोस/जरोया/90/6386-15911 दिनांक 29–7–97 द्वारा कार्यों के **सम्पादन संबंधी व्यवस्था** निर्धारित करने हेतु **ग्राणीण कार्य निर्देशिका-1997** लागू की हुई है, जिसकी प्रतियां सरपंच स्तर तक भिजवाई गई हैं। इस ग्रामीण कार्य निर्देशिका-1997 को निम्न संशोधन के साथ इस कार्यक्रम के कार्यों हेतु लागू किया जाता है।

8.1 उपरोक्त बिन्दू-(7) में चिन्हित कार्यों का निष्पादन इस कार्यक्रम हेतु किया जावेगा।

8.2 ग्रामीण कार्य निर्देशिका-1997 में प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृतियों के सक्षम अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति (1) अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद् (2) प्रशासनिक समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्थान पर प्रशासन, वित्त और कराधान स्थाई समिति, जिला परिषद (3) विशिष्ठ योजनायें एंव एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के स्थान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रतिस्थापित किया जाता है, परन्तु सरपंच, ग्राम पंचातय को प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने की शक्तियां नहीं होगी। सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्थान पर सहायक अभियन्ता, जिला परिषद प्रतिस्थापित किया जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, जिला परिषद/परियोजना अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस योजना की तकनीकी स्वीकृति निर्देशिका में उल्लेखित सीमा अनुरूप जारी करेंगे। निरीक्षण, मूल्यांकन एंव पूर्णता प्रमाण पत्र की जांच भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा निर्देशिका में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप दिया जावेगा। **वित्तीय स्वीकृति की सीमा भी** प्रशासनिक स्वीकृति के सक्षम अधिकारी की शक्तियों की सीमा के अनुरूप होगी परन्तु उपलब्ध बजट की सीमा से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।

8.3 कार्यों के निष्पादन में **सामग्री एवं श्रम घटक का अनुपात** कार्य की आवश्यकता के अनुरूप होगा। यह अनुदान रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नहीं है अतः सामग्री एवं मजदूरी अनुपात 40 : 60 रखना आवश्यक नहीं है।

8.4 ऐसे कार्य ही स्वीकृत किये जायेंगे जो कि **उपलब्ध राशि में पूर्ण हो सके** एवं अधूरा रहने की स्थिति पैदा नहीं हो।

9. कार्यो का निष्पादन :

प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों का निष्पादन राजस्थान पंचायती रूल्स 1996 के अध्याय-10 अनुरूप करवाना होगा। इन नियमों में (181) ठेका पद्धति से कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी गई है। कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायतें रहेगी। पंचायत समिति/जिला परिषद किसी विशेष कार्य को राजकीय विभाग या विभाग की स्वीकृति से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से करवा सकेगी। ग्राम पंचायत द्वारा लिखित में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर पंचायत समिति की आम सभा में प्रस्ताव लेकर निर्माण समिति का गठन करके समिति से कार्य निष्पादित करवाया जा सकेगा परन्तु राशि आहरण एवं व्यय, लेखा नियमानुसार पंचायत समिति द्वारा किया जावेगा। सभी कार्य इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा लेखा-नियमों के अनुरूप करवाये जावेंगे। विभिन्न कार्यों

का तकनीकी पर्यवेक्षण कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता जिला परिषद् तथा परियोजना अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता) डी. आर. डी. ए. द्वारा किया जावेगा। विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियमानुसार कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

10. उपयोगिता प्रमाण-पत्र :

टी. एफ. सी. अनुदान राशि के स्थानान्तरित होने के 6 माह में उपयोग किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वह राशि अन्य पंचायत समिति को उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में स्थानान्तरित की जा सकती है। पंचायत समिति प्रतिमाह की 5 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र द्वारा जिला परिषद् को प्रस्तुत करेगी जिसे जिला परिषद प्रतिमाह की 10 तारीख तक इस विभाग को प्रस्तुत करेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रपत्र: टी.एफ.सी.-3 में भिजवाया जावे।

11. कार्यों की प्राथमिकता एवं अन्य कार्यक्रम के उपलब्ध बजट का उपयोग :

11.1 विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोले जाने संबंधी निर्देश अलग से दिये जा रहे हैं। ऐसी पाठशालाओं के निर्माण को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जावें। दूसरी प्राथमिकता 26 जनवरी, 1999 को ग्राम सभा द्वारा चिन्हिकृत ऐसे कार्यों को दी जावें, जिन वार्डों में किसी भी योजना के कार्य नहीं चल रहे हों। इसी प्रकार से क्रमोन्नत विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जावें।

11.2 किसी भी कार्य के लिए अन्य कार्यक्रमों के बजट को, कार्यक्रमों की शर्तों के अनुरूप, 10वें वित्त आयोग अनुदान से जोड़ा (dovetailing) जा सकता है। इस प्रकार के कार्यों के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में विभिन्न कार्यक्रमों से उपलब्ध करवाई जाने वाली राशि का अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा व्यय का भी अलग-अलग मदवार विवरण रखा जावें।

11.3 सहायता विभाग द्वारा उनके प्रपत्र संख्या एफ. 1(2) (1) सआ/खरीफ/राहत कार्य/98-99/6928-56 दिनांक 19.4.99 द्वारा नवीन विद्यालय भवनों (राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती विद्यालय) एवं क्रमोन्नत विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु अभावग्रस्त क्षेत्रों में श्रमिकों पर होने वाला व्यय सहायता मद से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में उल्लेखित निर्माण कार्यों की स्वीकृति सहायता समिति एवं अन्य प्रावधानों के अनुरूप करवाई जावे तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि श्रम पर व्यय हेतु राशि केवल 30 जून, 1999 तक ही उपलब्ध होगी। अत: स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं आदि पर निर्माण कार्य 30 जून, 1999 से पूर्व करना सुनिश्चित किया जावे।

12. भौतिक एवं वित्तीय मॉनीटरिंग :

जिला स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय मॉनिटरिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता की सहायता से की जावेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को मासिक रिपोर्ट प्रपत्र: टी.एफ.सी.-1 व प्रपत्र: टी.एफ.सी.-2 में प्रतिमाह की 10 तारीख तक भिजवाई जावे। ग्रामीण कार्य निर्देशिका-1997 में उल्लेखित व्यवस्था की पालना की जावे। ग्राम पंचायतों के लेखों का लोकल आडिट फण्ड से लेखा परीक्षण करवाना भी सुनिश्चत करेंगे। पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि नगद नहीं देकर चेक (Account payee only) द्वारा किया जावे। जिसे ग्राम पंचायतें उनके बैंक खातों में जमा करायेगी।

ग्राम पंचायतें प्रतिमाह विषयान्तर्गत प्राप्त राशि के लेखे पंचायत समिति को प्रस्तुत करेगी। इन लेखों में प्रतिमाह विभिन्न कार्यों पर हुए व्यय (क्रय एवं मजदूरी अलग-अलग), बैंक खातो में उपलब्ध राशि, गत माह में इन कार्यों हेतु आहरित राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा बैंक से आहरित राशि के विरुद्ध यदि 20 दिन तक व्यय होना नहीं पाया जाता है तो उसे विशेष कारण के अभाव में अनियमितता माना जावे।

तकनीकी स्वीकृति जारी होने के 15 दिवस के अन्दर ग्राम पंचायतों को कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते समय ही कार्य के पूर्ण होने की अवधि भी निश्चित की जावेगी। उस अवधि में कार्य को पूरा करना अनिवार्य होगा।

विकास अधिकारी इस पत्र की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त संशोधित दिशा-निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 2195/पीएसएफ/99 दिनांक 20–4–99 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

संलग्न : प्रपत्र उपरोक्तानुसार चार

ह०/—
(मनोहर कांत)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

कार्यालय पंचायत समिति, डीडवाना (नागौर)

क्रमांक : 3720-3776 दिनांक : 18–12–98

सरपंच/ग्रामसेवक
ग्राम पंचायत..........(समस्त)

विषय : दसवें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग करने बाबत—

प्रसंग : मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर के पत्र क्रमांक विकास/98/4906-16 दिनांक 7–12–98

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 184 (16) प्रान्तीय/लेखा/बजट/96-97/527 दिनांक 20–4–98 के दिशानिर्देशानुसार दशवें वित्त व राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनी ग्राम पंचायत में करवाये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव निम्नांकित पांच योजनाओं के अनुसार पंचायत समिति कार्यालय में प्रस्तुत करावें ताकि निम्नानुसार स्वीकृतियां जारी की जा सके।

(अ)	ग्राम पंचायतों के प्राथमिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित वृहद कार्य	(-)40%
(ब)	सेवा एवं सुविधा आवासीय योजना	15%
(स)	रोड़ लाईट-स्वच्छता एवं जलमल निस्तारण	25%
(द)	रास्तों एवं सड़कों को चौड़ा करना एवं उसका रख रखाव	15%
(य)	परि सम्पत्तियों का रख रखाव	5%

1. योजना अ व ब, के प्रत्येक कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पंचायत समिति द्वारा जारी की जावेगी जिनके लिए कार्यों के एस्टीमेट प्रस्तावों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
2. योजना के स, द एवं य के प्रत्येक कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां ग्राम पंचायत द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता तकमीने के अनुसार जारी की ज़ावेगी।

3. योजना के प्रत्येक प्रस्ताव पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधान एवं पंचायतराज नियम 1996 के अध्याय द्वितीय के अनुसार ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाकर प्राप्त किये जावें। अर्थात प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होना आवश्यक है।

4. भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को दसवें वित्त आयोग में स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत मैचिंग के रूप में ग्राम पंचायत के द्वारा कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवाना होगा जिसका अलग से खाता खोला जावेगा। मैचिंग राशि का शेष 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के द्वारा आगामी (4) वर्षों में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत के अनुसार जमा कराने होंगे इस प्रकार उक्त एकत्रित की गई 50 प्रतिशत राशि भविष्य में ग्राम पंचायत के द्वारा विकास कार्यों में खर्च की जा सकेगी।

5. मद की उपलब्धता होने पर ही कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जावेगी ताकि कोई कार्य एक बार स्वीकृत होने पर अधूरा न रहे। स्वीकृत कार्यों का निर्माण सरकारी भूमि पर करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में अन्य दिशा निर्देश निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर के पत्र दिनांक 20-4-98 के अनुसार ही लागू होंगे।

ह०/—

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, डीडवाना

कार्यालय पंचायत समिति, डीडवाना (नागौर)

दसवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार वर्ष 98-99 एवं 99-2000 की प्राप्त राशि का वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायतों में हस्तान्तरण निम्नानुसार किया गया

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	वर्ष 98-99 में जो राशि देनी थी	दी गई राशि		वर्ष 99-2000 में जो राशि देनी थी	दी गई राशि दिनांक 20-10-00
			प्रथम किश्त दि. 3-6-99	द्वितीय किश्त दि. 6-7-99		
1	2	3	4	5	6	7
1.	छापरीकलां	37084	37084	—	43390	31712
2.	कोलिया	80957	50000	30957	94723	69231
3.	मौलासर	69556	50000	19556	81383	59481
4.	पालोट	39966	39966	—	46762	34177
5.	लादड़िया	54234	50000	4234	63457	46378
6.	धनकोली	74418	50000	24418	87088	63651
7.	शेरानीआबाद	68032	50000	18032	79600	58177
8.	अलखपुरा	48485	48485	—	56730	41462
9.	दयालपुरा	56936	50000	6936	66617	48688
10.	मामड़ोदा	45341	45341	—	53050	38773
11.	फोगड़ी	44330	44330	—	51868	37909
12.	खोजास	38428	28428	—	44963	32862
13.	डाबड़ा	64403	50000	14403	75354	55074
14.	दाऊदसर	58072	50000	8072	67946	49660
15.	पावा	57545	50000	7545	67330	49210
16.	चौलूखां	53944	50000	3944	63116	46130
17.	कलवाणी	44427	44427	—	51981	37992
18.	दौलतपुरा	51173	50000	1173	59875	43760

1	2	3	4	5	6	7
19.	केराप	65516	50000	15516	77007	56282
20.	खरवालिया	40783	40783	—	47718	34875
21.	बालिया	73684	50000	23684	86214	63011
22.	रसीदपुरा	53320	50000	3320	62387	45600
23.	छोटीखाटू	104477	50000	54477	122245	89345
24.	लोरोलोकलां	48153	48153	—	56341	41178
25.	बींचावा	38581	38581	—	45140	32992
26.	भदलिया	50314	50000	314	58870	43026
27.	सानियां	52364	50000	2364	61268	44780
28.	सूपका	55980	50000	5980	65499	47871
29.	मण्डूकरा	40880	40880	—	47832	34960
30.	पीड़वा	56562	50000	6562	66180	48370
31.	दांदूबासनी	55952	50000	5952	65467	40847
32.	तोषीणा	69002	50000	19002	80735	59007
33.	मावा	56562	50000	6562	66178	48370
34.	सुद्रासन	87883	50000	37883	102827	75154
35.	थेबड़ी	45549	45549	—	53294	38951
36.	सिंगर विटकलां	57504	50000	7504	67282	49175
37.	खरेश	38193	38193	—	44687	32660
38.	बरांगणा	49226	49226	—	58416	52694
39.	बेरीखुर्द	65871	50000	15871	77072	41230
40.	खुनखुना	73933	50000	23933	86505	63225
41.	बेगसर	41753	41753	—	40803	42803
42.	बेड़वा	42252	42252	—	49436	31131

1	2	3	4	5	6	7
43.	आकोदा	45687	45687	—	53456	39318
44.	बांसा	45978	45978	—	53796	39070
45.	निमोद	48873	48873	—	57184	41794
46.	नूंवा	57407	50000	7407	67168	49091
47.	आगून्तां	42085	42085	—	49242	35990
48.	खाखोली	48790	48790	—	57087	41723
49.	डाकीपुरा	46518	46518	—	54428	39780
50.	छापरीखुर्द	52891	50000	2891	61884	45230
51.	सिंघाना	58820	50000	8820	68822	50300
52.	थाणूं	51367	50000	1367	60101	43926
53.	ललासरी	39814	39814	—	46584	34046
54.	दूदोली	41476	41476	—	48529	35468
55.	निम्बीकलां	68268	50000	18268	79876	58379
56.	दीनदारपुरा	51062	50000	1062	59745	43666
57.	बरड़वा	43526	43526	—	50927	37222
58.	ग्रामदानी रायसिंहपुरा		—	—	7342	5366
59.	ग्रामदानी रघुनाथपुरा		—	—	5143	3767
	योग	**29, 26,000**	**19,89,878**	**9,36,122**	**36,34,000**	**26,56,000**

ह०/-
विकास अधिकारी

पुराना किला जैसलमेर की फ्लड लाईटों का रख-रखाव

9. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जैसलमेर में पीले पत्थर से निर्मित 850 वर्ष पुराना किला वर्ल्ड हैरीटेज की श्रेणी में आता है?

(2) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग ने इसके रात्रि में सुन्दरता हेतु 80 लाख की राशि व्यय कर फ्लड लाइटें लगाई है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष विद्युत खर्च हेतु बजट न होने से फ्लड लाईटें बन्द हैं?

(4) क्या यह सही है कि देख-रेख के अभाव में फ्लड लाईट के उपकरण चोरी हो रहे हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि नगर-पालिका जैसलमेर ने इन लाईटों की देखभाल तथा विद्युत चार्ज देने में असमर्थता प्रकट की है?

(6) वर्तमान पर्यटन सीजन में पर्यटन विभाग की फ्लड लाईटें चालू रखने की क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर किले पर कुल राशि 44.45 लाख रुपये व्यय कर फ्लड लाईटें लगाई गई हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। अभी तक चोरी होने की कोई घटना नहीं हुई है एवं इनकी देखभाल की जिम्मेदारी उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के सुपुर्द है।

(5) जी, हां।

(6) राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के कारण वर्तमान में फ्लड लाईटों को चालू रखने की कोई योजना नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

राज्य में बिजली की चोरी एवं छीजत से हानि

10. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत निगम को बिजली की चोरी से प्रतिवर्ष किन-किन जिलों में कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? जिलेवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विद्युत प्रसारण के दौरान कितनी छीजत होती है और इस कारण निगम को कितनी क्षति होती है? निगम बिजली की चोरी एवं छीजत को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिजली की चोरी से होने वाले नुकसान के बारे में पृथक् से आंकलन उपलब्ध नहीं है परन्तु सामान्यतः यह माना जाता है कि 10 से 15 प्रतिशत बिजली चोरी होती है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विद्युत तंत्र में 15-20 प्रतिशत की तकनीकी क्षति हो रही है। वर्ष 1999-2000 में प्रसारण व वितरण तंत्र में 74048.28 लाख युनिट (लगभग 30.54 प्रतिशत अंतरिम) की क्षति आंकी गयी है। उक्त युनिटों पर रुपये 2.25 प्रति युनिट की औसत राजस्व दर से लगभग 1666.08 करोड़ रूपये की क्षति होती है। विद्युत की चोरी एवं छीजत को रोकने हेतु उठाये गये ठोस उपायों का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

विद्युत चोरी, प्रसारण एंव वितरण में छीजत को रोकने हेतु ठोस उपाय निम्न प्रकार से हैं :—

1. विद्युत प्रसारण में उच्च दाब वाली नई विद्युत लाईनें व नये सब-स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव है। प्रसारण एवं वितरण को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक से 600 मिलियन डालर की ऋण सहायता मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त प्रसारण योजनाओं का बूम (BOOM) आधार पर क्रियान्वयन होने का प्रस्ताव है।

2. विभिन्न ग्रिड सब-स्टेशनों पर स्थापित पावर ट्रांसर्फामरों की क्षमता वृद्धि करने के तहत हर वर्ष योजना बनाई जाती है।

3. विद्युत सप्लाई के पावर फैक्टर सुधारने हेतु विभिन्न सब-स्टेशनों पर 778 एमवीएआर केपिसिटर अगले दो वर्षों में लगने का प्रस्ताव है।

4. ऐसे कई क्षेत्र, जिनमें वितरण की लाईनों में छीजत ज्यादा हैं एवं ट्रांसफार्मर जलने की दर ज्यादा वहां एल.टी. लैस तंत्र को प्रयुक्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक या दो पोल की एल.टी. लाईन खींची जा रही है एवं छोटे ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं। इसके अलावा एरियल बंच कन्डक्टर का उपयोग किया जाना भी प्रस्तावित है।

5. विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु स्टेटिक मीटर का प्रयोग, विद्युत कनेक्शनों की सघन सतर्कता जांच एवं ऊर्जा अंकेक्षण को लागू करने जैसे उपाय किये जा रहे हैं।

6. निगम ने बिजली चोरी एवं छीजत को रोकने के लिए प्रत्येक वृत स्तर पर दो-दो सतर्कता दल पदस्थापित हैं इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वृत के सभी खण्डीय एवं उपखण्डीय अधिकारी भी अपने–अपने क्षेत्रों में विद्युत चोरी एवं छीजत रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाते रहते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल (बारां) के चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

11. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल जिला बारां में कार्यरत चिकित्सक को प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थान पर लगा रखा है? यदि हां, तो कब-कब से?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने के लिए विभाग को जनप्रतिनिधियों व आम जनता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों तथा उसके लिए कौन दोषी है?

(3) उक्त चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति किस अधिकारी के द्वारा किस आदेश से गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांगरोल से कोई भी चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(2) जिला कलक्टर, बारां ने आवश्यकतानुसार एक चिकित्सक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा में प्रतिनियुक्ति पर तथा एक चिकित्सक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां ने मौसमी बिमारियों की रोकथाम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोहत में प्रति-नियुक्ति पर लगा रखा था। जन प्रतिनिधियों द्वारा अभिशंषा प्रस्तुत करने पर उक्त प्रतिनियुक्ति निरस्त की गई।

(3) जिला कलक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रतिनियुक्ति निरस्त की जा चुकी है।

राज्य में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु योजना

12. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भी कोई योजना तैयार की है? यदि हां, तो कहां-कहां और गत पांच वर्षों में इससे कितने अल्पसंख्यक लाभान्वित हुए हैं?

(2) क्या सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के कोई मामले गत तीन वर्षों में सरकार के सामने आये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से लक्षित समूह को सस्ती ब्याज दर पर आर्थिक इकाइयों के लिये ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राज्य के समस्त जिलों में अल्पसंख्यकों के उत्थान की योजनाएं तैयार की गई है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के पक्ष में 3 करोड़ रुपये की राज्य गारण्टी प्रदान की गई है। जिसके विरुद्ध माह सितम्बर 2000 तक 123.79 लाख रुपये के ऋण वितरित कर अल्पसंख्यक वर्ग के 343

(समाज कल्याण मंत्री)

अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वृद्ध स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने हेतु दिनांक 19–4-2000 को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम का अलग से गठन किया गया है।

(2) सरकारी नौकरियों में इस प्रकार के भेदभाव का मामला जानकारी में नहीं आया है।

पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा (जयपुर) के विरुद्ध कार्यवाही

13. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायत धिनोई तहसील चौमूं जिला जयपुर में एक सहायक कृषि अधिकारी (जो पूर्व में सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा, जयपुर) ने सरपंच/पंच का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का एजेन्ट/काउन्टिंग एजेन्ट बनकर कार्य किया था? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने किस तिथि को और क्यों? एजेन्ट/काउन्टिंग एजेन्ट हेतु भरे गये फार्मों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहायक कृषि अधिकारी ने उक्त पंचायत चुनाव में काउटिंग एजेन्ट बनकर सक्रिय राजनीति में भाग लिया था? क्या उक्त अधिकारी का उक्त कृत्य नियमानुसार सही है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत और नहीं, तो इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं अब क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(3) क्या यह सही है कि श्री सतीश कुमार मीनोचा, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा (जयपुर) कतिपय अधिकारियों से सांठगांठ कर उक्त अधिकारी के समर्थन में नियमों के विपरीत कार्य कराकर इस प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पंच/सरपंचों के चुनाव सम्पन्न होने के बाद चुनाव अभिकर्ता व गणना अभिकर्ता के द्वारा भरे गये नियुक्ति पत्र लिफाफे में सीलबन्द किये जाते हैं और उन्हें न्यायालय के आदेश पर ही खोला जाता है?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में उक्त दोषी अधिकारी को दण्डित करने हेतु सक्षम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर उक्त बन्द लिफाफे को खुलाकर उक्त भरे गये नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो न्यायालय की कब तक अनुमति प्राप्त कर उक्त एजेन्ट हेतु भरे गये पत्र की प्रति प्राप्त कर ली जावेगी?

(श्री परसराम मोरदिया)

(6) अब उक्त सहायक कृषि अधिकारी को नियमों के विरुद्ध कार्य करने के कारण कब तक निलम्बित कर दिया जावेगा ?

(7) क्या सरकार ने उक्त अधिकारी के उक्त कृत्य की जांच करने हेतु कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों तथा जांच अधिकारी ने अब तक उक्त प्रकरण के क्या-क्या कार्यवाही की है और उसके परिणाम कया रहे हैं? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस चुनाव में भरे गये फार्म की प्रति संलग्न है। इसकी जांच की जानी है कि क्या ये दस्तखत सहायक कृषि अधिकारी के हैं।

(2) दोष सिद्ध होने पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) चुनाव का रिकार्ड जिला कार्यालय में रखा जाता है जो कि दिनांक 30-10-2000 को प्राप्त हुआ है। अतः इसमें विभाग में कोई विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1839 दिनांक 30-10-2000 द्वारा सूचना भेज दी है।

(5) नियमानुसार दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(6) दोषी पाए जाने पर नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(7) जिलाधीश, जयपुर से जो सूचना प्राप्त हुई है उस पर उप निदेशक, कृषि (शष्य), जयपुर खण्ड को जांच हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्त किया जायेगा।

प्ररूप–10

[नियम 70 देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत **घिनोई** के वार्ड सं. **86** से पंच

ग्राम पंचायत **घिनोई** के सरपंच,

निर्वाचन क्षेत्र सं. **36** से पंचायत समिति के सदस्य,

पंचायत समिति/जिला परिषद् .... की निर्वाचन क्षेत्र सं. .... से जिला परिषद् के सदस्य का निर्वाचन,

मैं **पुष्पा देवी** अभ्यर्थी/.................... जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता **रामकिशोर मीणा** ग्राम—**कावरपुरा** को, इसके द्वारा, मतदान केन्द्र सं. .... स्थान **घिनोई** (नाम और पता) पर गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करती हूं।

स्थान – **घिनोई** **पुष्पा देवी शर्मा**

तारीख : **31–1–2000** अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान – **घिनोई** ह०/–

तारीख – **31.1.2000** गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

ह०/–

मेरे समक्ष हस्ताक्षर गणन अभीकर्ता के हस्ताक्षर

ह०/–

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : **घिनोई**

तारीख : **31–1–2000**

विधान सभा क्षेत्र नोहर की सड़क विहीन ग्राम पंचायतें

14. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी पक्की सड़कें हैं तथा कितने गांव सड़कों से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 जनसंख्या से ऊपर के गांवों को योजना के अनुमोदित उपरान्त 3 वर्ष में एवं 1000 से 501 के गांवों को अनुमोदित के 7 वर्ष में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। शेष गांवों का डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) नोहर विधान सभा क्षेत्र में कुल 45 पक्की सड़कें हैं जिनकी कुल लम्बाई 429.75 किमी. है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	राज्य उच्च मार्ग	81.00	किमी
2.	जिला सड़कें	159.40	किमी.
3.	ग्रामीण सड़कें	174.35	किमी.
4.	शहरी सड़कें	15.00	किमी.
	योग	**429.75**	**कि.मी.**

इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 214 गांव हैं जिनमें से 123 गांवों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

नोहर विधान सभा क्षेत्र के सड़क से बिना जुड़े गांवों की सूची

1. 1000 से अधिक आबादी (1991) के गांव

क्र.सं. 1	गांव का नाम 2	जनसंख्या 3	लम्बाई (कि.मी. में) 4	विशेष विवरण 5
1.	पदमपुर (पं.मु.)	2173	7.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
2.	गुडिया (पं.मु.)	2097	7.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
3.	देवासर	1587	9.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
4.	दनियासर (पं.मु.)	1790	10.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
5.	मोटेर (पं.मु.)	1652	12.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
6.	थिराना	1610	5.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
7.	चारनवासी	1585	8.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
8.	धाधूसर (पं.मु.)	1452	14.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
9.	भावलदेसर	1433	7.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
10.	बालासर	1232	6.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत

1	2	3	4	5
11.	मुंसरी	1270	12.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
12.	सीरासर	1253	5.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
13.	किकराली (पं.मु.)	1200	5.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
14.	नेहराना	1169	5.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
15.	खरसंडी	1100	3.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
16.	चान्देरी बड़ी	1086	5.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
17.	राजपुरिया (12 जे.एस.एन)	1063	9.00	कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत
			122.00	

501 से 1000 आबादी (1991) के गांव

1.	धीरदेसर	665	5.00	—
2.	उदासर छोटा	930	10.00	—
3.	बानासर	968	5.00	—
4.	शेखचुलिया	763	3.00	—
5.	कुलचासर	577	5.00	—
6.	स्वरूपदेसर	597	6.00	—
7.	ढाणी लेघा	720	8.00	—
8.	प्रेमपुरा	605	8.00	—
9.	कालासर	813	8.00	—
10.	ढाणी मायला	908	5.00	—
11.	16 के.एन.एन	568	7.00	—
12.	19 जेएसएन (मोधूवाली ढाणी)	532	3.50	—
13.	13 डी.पी.एन	598	1.00	—
14.	बच्चूसर	921	2.00	—
15.	राणीसर	518	2.00	—
16.	ढाणी रायका	743	4.50	—
17.	ढाणी भाभूआन	519	5.00	—
18.	उदासर बडा	654	2.00	—
19.	संगडिया	779	4.00	—
20.	रतूसर	780	4.50	—
21.	जोरावरपुरा	503	3.50	—
22.	भांगूली (पं.मु.)	719	3.00	—
			105.00	

500 से 100 की आबादी (1991) के गांव

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या
1	2	3
1.	2 पी. आर. के. एम.	104
2.	4 पी. आर. के. एम.	121
3.	चान्देरी घाटी	499
4.	मलकासर	323
5.	लूनासर	371
6.	बिज्जासर	410
7.	मेघसिंहपुरा	234
8.	7 आर.पी.एम.	138
9.	6 आर.पी.एम.	459
10.	5 आर.पी.एम.	103
11.	4 आर.पी.एम.	196
12.	17 के.एन.एन.	241
13.	2 जे.एस.एन.	176
14.	3 के.एन.एन.	128
15.	9 के.एन.एन.	136
16.	2 आर.पी.एम.	458
17.	4 बी.के.के.	124
18.	16 जे.एस.एन.	197
19.	24 एन.टी.आर.	231
20.	14 बिराणी	454
21.	27 एन.टी.आर.	159
22.	25 एन.टी.आर.	211

1	2	3
23.	23 एन.टी.आर.	402
24.	22 डी.पी.एन.	466
25.	17 एन.टी.आर.	289
26.	14 डी.पी.एन.	125
27.	15 डी.पी.एन.	194
28.	10 डी.पी.एन.	213
29.	9 डी.पी.एन.	189
30.	2 जी.जी.एम.	184
31.	7 जी.जी.एम.	168
32.	ढाणी चरनाया	429
33.	गंगोई	317
34.	लालाणावास (जैतसरी)	463
35.	मिन कदेसर	294
		35

100 से कम जनसंख्या (1991) के गांव

1.	5 आर.पी.एम.	9
2.	4 आर.पी.एम.	36
3.	9 आर.पी.एम.	78
4.	14 के.एन.एन	59
5.	11 के.एन.एन	47
6.	8 के.एन.एन.	10
7.	5 के.एन.एन.	32
8.	4 के.एन.एन.	32
9.	2 के.एन.एन	14

1	2	3
10.	1 जे.एस.एन.	47
11.	4 जे.एस.एन.	34
12.	8 जे.एस.एन.	17
13.	7 जे.एस.एन.	26
14.	5 जे.एस.एन.	50
15.	5 चारानी बी	13
16.	6 के.एम.एन.	42
17.	10 के.एन.एन.	34
18.	12 जे.एस.एन.	73
19.	12 जे.एस.एन.	12
20.	13 के.एन.एन.	24
21.	3 बी.के.के.	36
22.	28 एन.पी.आर.	97
23.	21 एन.जे.एस.एन.	36
24.	20 जे.एस.एन.	20
25.	18 जे.एस.एन.	27
26.	15 जे.एस.एन.	43
27.	15 जे.एस.एन.बी.	30
28.	2 आर.एस.एम.	8
29.	13 जे.एस.एन.	1
30.	11 एन.टी.आर.ए.	11
31.	15 एन.टी.आर.ए.	32
32.	1 एन.एच.आर.बी.	25
33.	1 एन.एच.आर.ए.	98

1	2	3
34.	1 बी.के.के.	22
35.	2 बी.के.के.	13
36.	25 डी.पी.एन.	6
37.	18 एन.टी.आर.	16
38.	20 डी.पी.एन.	13
39.	18 पी.पी.एन.	7
40.	14 एन.टी.आर.	44
41.	17 डी.पी.एन.	76
42.	12 एन.टी.आर	36
43.	8 बारानी	45
44.	11 जी.जी.एम.	26
45.	12 जी.जी.एम.	18
46.	6 आर.एम.पी.	5
47.	3 आर.एम.जी.	9
48.	1 आर.एम.जी.	15
49.	19 डी.पी.एन.	29
		49

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही में विधि संकाय की संबद्धता

15. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार ने राजकीय महाविद्यालय, सिरोही में विधि कक्षाएं आरम्भ करने के साथ संबद्धता के लिए बार कौंशिल आफ इंडिया को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया था? यदि नहीं, तो राजकीय महाविद्यालय, सिरोही से उत्तीर्ण विधि स्नातकों को सनद् जारी करने पर बार कौंशिल ऑफ राजस्थान द्वारा लगाई गई रोक के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

जी, नहीं। राजकीय महाविद्यालय, सिरोही में विधि संकाय 1984-85 से निरन्तर संचालित है तथा सभी उत्तीर्ण विधि स्नातकों को प्रतिवर्ष निरन्तर राज्य बार समाज कल्याण समाज कल्याण सप्ताह पर व्यय राशि

(उच्च शिक्षा मंत्री)

कौंसिल से सनद् जारी की जाती रही है। इस वर्ष बार कौंसिल द्वारा सनद् जारी करने पर लगाई गई अचानक रोक के कारणों की जानकारी प्राप्त कर तुरन्त प्रभाव से रोक हटवाने की आवश्यक कार्यवाही राज्य स्तर पर की जा रही है।

राज्य के किसानों को विद्युत् आपूर्ति में वृद्धि

16. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वर्तमान में पड़े अकाल को ध्यान में रखकर किसानों को 10-12 घंटे विद्युत् आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत् व्यवस्था विद्युत् प्रसार निगम में जाने के बाद किसानों के ऊपर विद्युत् का अतिरिक्त भार पड़ा है? यदि नहीं, तो कैसे?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत् निगम द्वारा जो बिल गत माह में भेजे हैं, उन बिलों में अतिरिक्त व्यय भार अंकित है? क्या सरकार उसे वापस लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में विद्युत की उपलब्धि को देखते हुए किसानों को 6 से 8 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। निगमों द्वारा विद्युत आपूर्ति करने के कारण वर्तमान में किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी किसानों को पुरानी दरों से ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) गत माह भेजे गये बिलों में नियमानुसार ही राशि अंकित की गई है अतः वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा का रिकार्ड

17. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में यह रिकार्ड रखा जाता है कि किस शल्य चिकित्सक ने कितनी शल्य क्रिया कब-कब की है? यदि हां, तो विभिन्न शल्य विभागाध्यक्षों द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी शल्य चिकित्सा की गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभागाध्यक्षों को शल्य क्रिया करने से छूट मिली हुई है? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि कुछ विभागाध्यक्ष शल्य क्रिया नहीं करते? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, नहीं। किसी शल्य चिकित्सा के विभागाध्यक्ष द्वारा शल्य क्रिया नहीं करने सम्बन्धी कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में विभिन्न शल्य विभागाध्यक्षों द्वारा की गई शल्य चिकित्सा का विवरण

1. नेत्र विभाग आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नेत्र विभाग में गत तीन वर्षों में निम्न शल्य चिकित्सा की गई वर्ष :—

वर्ष 1998	597
वर्ष 1999	642
वर्ष 2000 सितम्बर तक	490

2. सर्जरी विभाग आचार्य एवं विभागाध्यक्ष शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में 1000 (लगभग) एक हजार शल्य क्रिया की गई।

3. न्यूरोसर्जरी विभाग आचार्य एवं विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जरी द्वारा विगत अक्टूबर, 1997 से अक्टूबर, 2000 तक कुल 336 मरीजों की शल्य चिकित्सा की गई है। वर्षवार विवरण निम्न है :—

1. अक्टूबर 1997 से सितम्बर 1998 तक	121
2. अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 तक	110
3. अक्टूबर 1999 से अक्टूबर 2000	105

4. नाक, कान, गला विभाग इस विभाग द्वारा कान, नाक व गला विभाग में दो यूनिट विभागाध्यक्ष के अधिनस्थ है उनमें की गई शल्य क्रिया का तीन वर्ष का रिकार्ड निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मेजर	माईनर	योग
वर्ष 1997	1373	740	2113
वर्ष 1998	1492	1082	2484
वर्ष 1999	1641	1028	2669
वर्ष 2000 सितम्बर तक	830	800	1630

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

5. दन्त विभाग आचार्य एवं विभागाध्यक्ष औरल दन्त चिकित्सा द्वारा गत तीन वर्षों में मेजर सर्जरी 450, माईनर सर्जरी 850

6. यूरोलोजी विभाग आचार्य एवं विभागध्यक्ष यूरोलोजी द्वारा गत तीन वर्षों से निम्न प्रकार शल्य क्रिया की गई।

वर्ष 1997	3115
वर्ष 1998	3005
वर्ष 1999	2998

7. अस्थि विभाग आचार्य एवं विभागाध्यक्ष अस्थि विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में की गई डा. जे.सी.शर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष जो कि दिनांक 31.8.99 को सेवानिवृत हो गये उनके द्वारा 250 शल्य क्रिया की गई 2-डा. सी.एस.शर्मा जो दिनांक 1-9-99 से निरन्तर कार्यरत हैं। उनके द्वारा 372 शल्य क्रिया की गई है।

8. प्लास्टिक सर्जरी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार शल्य क्रिया की गई।

वर्ष 1998	388
वर्ष 1999	392
वर्ष 2000	366

9. सी.टी.सर्जरी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा गत तीन वर्षों में की गई शल्य चिकित्सा :—

वर्ष 1997	87
वर्ष 1998	43
वर्ष 1999	97
वर्ष 2000	132

समाज कल्याण सप्ताह पर व्यय राशि

18. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2000 से 8 अक्टूबर, 2000 तक राज्य के सभी जिलों में "समाज कल्याण" सप्ताह मनाया गया है ?

(2) क्या उक्त कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायकों को शामिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त समारोह में जिलेवार कितनी राशि व्यय हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त व्यय की गई राशि को कौन-कौनसी संस्था या व्यक्तियों ने वहन किया ?

(5) उक्त समारोह के संयोजक कौन-कौन व्यक्ति या संस्था थी? बारां जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कार्यक्रम में जिले के क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रण पत्र प्रेषित किये गये। विधायकों ने अपनी सुविधानुसार कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

(3) समाज कल्याण सप्ताह समारोह के लिये जिले को स्वीकृत प्रावधान एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) समाज कल्याण सप्ताह पर व्यय विभाग द्वारा किया गया, जिन जिलों में अन्य संस्थाओं द्वारा व्यय किया गया है। उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) बारां जिले में आयोजित समाज कल्याण सप्ताह के कार्यक्रमों का दिवसवार विवरण एवं कार्यक्रमों के संयोजकों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

समाज कल्याण सप्ताह के आयोजन पर किये गये व्यय की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटन राशि	व्यय राशि	
			विभाग द्वारा	अन्य संस्था द्वारा
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	2000	2000	–
2.	अलवर	2000	2005	–
3.	बांसवाड़ा	2000	3000	18000
4.	बांरा	2000	3000	–
5.	बाड़मेर	2000	2000	445
6.	भरतपुर	2000	1998	4089
7.	भीलवाड़ा	2000	2000	8400
8.	बीकानेर	2000	1900	–
9.	बूंदी	2000	2000	–
10.	चित्तौड़गढ़	2000	1997	2000
11.	चूरू	2000	2000	–
12.	दौसा	2000	1990	–
13.	धौलपुर	2000	2000	–
14.	डूंगरपुर	2000	2000	–
15.	श्री गंगानगर	2000	1996	–
16.	हनुमानगढ़	2000	2000	2010
17.	जयपुर	12000	12471	–
18.	जैसलमेर	2000	2000	–
19.	जालौर	2000	2000	–
20.	झालावाड़	2000	2000	–
21.	झूंझुनूं	2000	2000	–
22.	जोधपुर	2000	1940	–

1	2	3	4	5
23.	कोटा	2000	4000	—
24.	करौली	2000	1996	—
25.	नागौर	2000	1925	—
26.	पाली	2000	1995	—
27.	राजसमन्द	2000	2000	
28.	सवाई माधोपुर	2000	1935	
29.	सीकर	2000	2200	—
30.	सिरोही	2000	1919	—
31.	टौंक	2000	2000	—
32.	उदयपुर	2000	2000	540

परिशिष्ट "ब"

समाज कल्याण सप्ताह के आयोजन पर किये गये व्यय को वहन करने वाली संस्था/व्यक्तियों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	संस्था का नाम
1	2	3
1.	अजमेर	समाज कल्याण विभाग, हरिजन बस्ती विकास समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला महिला विकास अभिकरण, मूक बधिर विद्यालय, वृद्ध एवं अशक्त गृह, पुष्कर
2.	अलवर	समाज कल्याण विभाग
3.	बांसवाड़ा	समाज कल्याण विभाग, नगर पालिका, लायन्स क्लब, रोटेरी क्लब, नारायण सेवा संस्थान, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्टेडी सेन्टर, आजाद क्लब।
4.	बांरा	समाज कल्याण विभाग, नगर पालिका, महावीर इंटरनेशनल
5.	बाडमेर	समाज कल्याण विभाग, नगर पालिका
6.	भरतपुर	समाज कल्याण विभाग, अन्य संस्थाओं द्वारा
7.	भीलवाड़ा	समाज कल्याण विभाग, नगर परिषद्
8.	बीकानेर	समाज कल्याण विभाग
9.	बूंदी	समाज कल्याण विभाग, समर्पण संस्था
10.	चित्तौड़गढ़	समाज कल्याण विभाग, नगर पालिका, कट्स उपभोक्ता समिति
11.	चूरू	समाज कल्याण विभाग
12.	धौलपुर	समाज कल्याण विभाग
13.	दौसा	समाज कल्याण विभाग, आदर्श सरोज विद्या मन्दिर समिति
14.	डूंगरपुर	समाज कल्याण विभाग
15.	श्रीगंगानगर	समाज कल्याण विभाग
16.	हनुमानगढ़	समाज कल्याण विभाग, रोटेरी क्लब
17.	जयपुर	समाज कल्याण विभाग

1	2	3
18.	जैसलमेर	समाज कल्याण विभाग
19.	जालौर	समाज कल्याण विभाग
20.	झालवाड़	समाज कल्याण विभाग, महिला शिक्षा विहार, गायत्री परिवार
21.	झुंझुनूं	समाज कल्याण विभाग
22.	जोधपुर	समाज कल्याण विभाग, लायन्स क्लब, नेत्रहीन विकास संस्थान
23.	कोटा	समाज कल्याण विभाग, मधु स्मृति बाल महिला कल्याण समिति, मूक-बधिर बाल विद्यालय, करणी नगर, विकास समिति
24.	करौली	समाज कल्याण विभाग, संकट बोध ग्राम संकट
25.	नागौर	समाज कल्याण विभाग
26.	पाली	समाज कल्याण दलित संघ
27.	राजसमन्द	समाज कल्याण विभाग
28.	सवाईमाधोपुर	समाज कल्याण विभाग
29.	सीकर	समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा सेवा संस्थान
30.	सिरोही	समाज कल्याण विभाग, जन चेतना संस्थान, आबू रोड़
31.	टौंक	समाज कल्याण विभाग, मानव धर्म विकलांग सेवार्थ संस्थान
32.	उदयपुर	समाज कल्याण विभाग

परिशिष्ट "स"

समाज कल्याण सप्ताह समारोह-2000

जिला कार्यालय बारां

दिनांक	कार्यक्रम	संयोजक
2 अक्टूबर, 2000	हरिजन कल्याण दिवस 1. प्रभात फेरी/छात्र रैली 2. विचार गोष्ठी 3. खेलकूद प्रतियोगिता	उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बारां अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बारां जिला खेलकूद अधिकारी, बारां
3 अक्टूबर, 2000	अपराधी सुधार दिवस	उप अधीक्षक, जिला कारागृह, बारां
4 अक्टूबर, 2000	बाल दिवस 1. स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता 2. बाल मेला	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारां भरतज्ञान विज्ञान परिषद्, बारां
5 अक्टूबर, 2000	महिला कल्याण दिवस	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, बारां
6 अक्टूबर, 2000	विकलांग एवं वृद्ध कल्याण दिवस	महावीर इन्टरनेशनल डे-केयर सेन्टर, बारां एवं उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बारां
7 अक्टूबर, 2000	जन चेतना दिवस	अरोपा प्रोजेक्ट बारां एवं नेहरू युवा केन्द्र, बारां
8 अक्टूबर, 2000	समापन समारोह	उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बारां

जिला बारां में फसलों में इल्ली प्रकोप

19. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बारां में इस वर्ष फसलों में इल्ली प्रकोप से कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या नुकसान के एवज में भरपाई वास्ते कृषकों को मुआवजा दिया है ?

(3) आगामी रबी की फसल (सरसों) में आरा मक्खी, पेटेड बग तथा तम्बाकू इल्ली बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) बारां जिले में इस वर्ष खरीफ 2000 में लगभग 1,41,100 हैक्टेयर क्षेत्र सोयाबीन की बुवाई की गई। इसमें से लगभग 97,400 हैक्टेयर क्षेत्र इल्ली के प्रकोप से आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है एवं लगभग 18,600 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है।

(2) नहीं दिया है।

(3) सरसों की फसल में आरा मक्खी, पेंटेड बग तथा तम्बाकू इल्ली की प्रभावी रोकथाम हेतु कृषकों को इन कीटों की पहचान एवं नियंत्रण की तकनीकी जानकारी व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से निरन्तर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में पौध संरक्षण रसायनों एवं स्प्रेयर व डस्टर अनुदान पर देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 315 विभागीय डस्टर निःशुल्क किसानों को प्रयोग के लिए उपलब्ध कराये गये हैं।

चौमूं बाईपास (जयपुर) के निर्माण हेतु निविदा

20. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में चौमूं बाईपास निर्माण की निविदा आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु कितनी निविदायें प्राप्त हुईं और क्या उनमें से कोई निविदा स्वीकृत हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब उक्त बाईपास का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों और अब इस कार्य की दुबारा निविदा कब तक आमंत्रित की जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उक्त कार्य, बी.ओ.टी. योजना के तहत किया जाना प्रस्तावित है। निविदायें इसी वित्तीय वर्ष में आमंत्रित किये जाने के प्रयास किये जावेंगे।

गोरा देवी लुहारीवाला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा में विज्ञान संकाय

21. **श्री संजीव बेनीवाल** (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गौरा देवी लुहारीवाला, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादरा क्षेत्र का लड़कियों का एक मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय है?

(2) क्या सरकार उक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भादरा क्षेत्र के इस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहारीवाला (भादरा) में विज्ञान संकाय के पंचम वर्ग गृह विज्ञान एवं कला संकाय का वर्तमान में अध्ययन करवाया जा रहा है। विज्ञान संकाय के अतिरिक्त विषय हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मानदण्ड के तहत अतिरिक्त विषय खोलने के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा।

किसानों को औद्योगिक इकाइयों के अनुरूप पावर कट से मुक्ति

22. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा कतिपय औद्योगिक इकाइयों को माह नवम्बर से अप्रेल की अवधि में पावर कट से मुक्ति दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत तथा किन-किन औद्योगिक इकाइयों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों को भी औद्योगिक इकाइयों के अनुरूप अतिरिक्त राशि लेकर उक्त अवधि के लिए पावर कट से मुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, निम्न औद्योगिक इकाइयों को सामान्य विद्युत दर से 5 प्रतिशत अधिक दर का भुगतान माह, नवम्बर से अप्रेल (छः माह) तक देने पर सामान्यतया उसे बिना पावर कट लगाये (सिवाय ऐसी अवश्यमभावी परिस्थितियों के समय जो विद्युत मंडल/कम्पनी के नियंत्रण में ना हो) विद्युत प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

1. मै एयर लिक्वीड नार्थ इण्डिया प्रा. लि., अलवर।
2. मै. श्री सीमेन्ट लि., ब्यावर।
3. मै. बिनानी सीमेन्ट लि., पिण्डवाड़ा।
4. मै. राज. स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल लि., उदयपुर।

(2) जी नहीं। इस प्रकार की सुविधा किसानों को दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री गंगानगर जिला चिकित्सालय में रिक्त पद

23. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर शहर में किस-किस प्रकार की चिकित्सा सेवा उपलब्ध है?

(2) उक्त चिकित्सालय में कौन-कौन से पद कब-कब से स्वीकृत हैं एवं उनमें से कौन-कौन से कब-कब् से रिक्त हैं?

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) वर्ष 1996, से मार्च, 2000 तक जिला चिकित्सालय में कितनी दवाइयां आई है तथा उनमें से कितनी वितरित की गई हैं और स्टॉक में कितनी उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर में सर्जरी, औषधि बाल रोग, नाक-कान-गला, स्त्री रोग, मनोरोग, दन्त रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, हृदय रोग एवं हड्डी जोड़ से सम्बन्धित बिमारियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नैदानिक सुविधा यथा एक्स-रे, लेबोरेटरी, सोनोग्राफी, ब्लड ट्रान्सफ्यूजन आदि की सुविधा भी उपलब्ध है।

(2) उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची मय रिक्ती की दिनांक के संलग्न है।

(3) वर्ष 1996 से मार्च, 2000 तक जिला चिकित्सालय, श्री गंगानगर में प्राप्त दवाईयां, वितरित की गई दवाईयां तथा स्टाक में उपलब्ध दवाईयों का विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वृद्धावस्था पेंशन नियमों मे संशोधन

24. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशनरों को बजट के अभाव में पेंशन नहीं मिल रही है।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन नियमों में संशोधन कर ऐसा प्रावधान किया है कि जिसके 20 वर्ष से ज्यादा उम्र का लड़का है ऐसे वृद्ध को पेंशन नहीं मिलेगी? क्या उसमें यह भी प्रावधान है कि चाहे लड़का वृद्ध का भरण पोषण ही नहीं करे?

(3) क्या मितव्ययता के नाम पर यह उचित है?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन मामलों में पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है उसमें भुगतान के लिये पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध है।

(2) जी हां। आदेश क्रमांक एफ 1 (16) एफ.डी/रूल्स/93 दिनांक 7-6-2000 द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार परिवार में 20 वर्ष से ज्यादा उम्र का सदस्य होने की स्थिति में आवेदक पेंशन का पात्र नहीं है।

(3) नियमों में संशोधन का मितव्ययता से कोई संबंध नहीं है। आदेश संख्या एफ 1 (16) एफ.डी/रूल्स/93 दिनांक 7 जुलाई, 1999 द्वारा किये गये प्रावधान के दुरुपयोग की शिकायतों के कारण आदेश क्रमांक एफ 1 (16) एफ.डी/रूल्स/93 दिनांक 7 जून, 2000 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(Rules Division)

No. F. 1 (16) FD (Rules)/93 Jaipur, Dated : July 7, 1999

ORDER

Subject : Amendement in the rules governing grant and payment of Old Age and Widow Pension to destitutes.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules, 1974, namely : –

In the said rules –

It the end of existing item (c) of clause (i) of Rule 2 the following shall be inserted.

"or declares that his/her/son/daughter of 20 years of age or over are not supporting them/him her for living and the destitute has no movable and immovable property."

By Order of the Governor,

Sd/-
(M. P. Dixit)
Officer on Special Duty.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(Rules Division)

ORDER

No. F. 1 (16) FD (Rules)/93 Jaipur, Dated : June 7, 2000

Subject : Amendement in the rules governing grant and payment of Old Age and Widow Pension to destitutes.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules, 1974, namely : –

In the said rules –

at the end of existing item (c) of clause (i) of Rule 2 the provision inserted vide Finance Department Order of even number dated 7-7-1999 shall be deleted with effect from 1-6-2000.

By Order of the Governor,

Sd/-
(M. P. Dixit)
Officer on Special Duty.

जिला कोटा में इल्ली प्रकोप

25. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में सोयाबीन की फसल इल्ली प्रकोप से नष्ट हो गई है?

(2) क्या सरकार के स्थानीय अधिकारी इसके लिए कोई जिम्मेदारी रखते हैं जिन्होंनें इल्ली प्रकोप की प्रारम्भिक अवस्था में किसानों को अवगत नहीं कराया? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) उक्त क्षेत्र में फसल नष्ट होने से प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा कहां-कहां किस रूप में सहायता दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सोयाबीन की फसल कुछ क्षेत्रों में नष्ट हुई है।

(2) विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा इल्ली प्रकोप के बारे में क्षेत्र का समय-समय पर सर्वेक्षण कर कीट की अवस्था अनुसार किसानों को समाचार पत्रों के माध्यम से, पम्पलेट वितरित कराकर एवं व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा कीट नियंत्रण के बारे में अवगत कराने हेतु कार्यवाही की गई।

(3) विभाग द्वारा उक्त कीट के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रचार-प्रसार, किसान गोष्ठियां, कीटनाशी रसायनों पर अनुदान, स्प्रेयर डस्टर अनुदान पर उपलब्ध कराये गये तथा प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशी के भुरकाव हेतु 298 डस्टर भी बिना किराये के कृषकों को उपलब्ध कराये गये। विभाग, विश्वविद्यालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों द्वारा काश्तकारों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई और उच्च स्तरीय दल का गठन कर अधिकारियों/कर्मचारियों को कीट प्रकोप के नियंत्रण हेतु लगाया गया। कोटा जिले में रबी फसलों के लिए अतिरिक्त मिनिकिट एवं प्रदर्शन क्रमशः टोकन राशि पर एवं अनुदानित दर पर सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे हैं। किसानों को अनुदान पर पौध संरक्षण यंत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, ताकि रबी फसल में काम में ले सकें।

नीमकाथाना से शाहपुरा की क्षतिग्रस्त सड़क

26. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा नीमकाथाना से वाया चीपलाटा शाहपुरा सड़क का निर्माण हुए कितने वर्ष हो गये तथा निर्माण के बाद इस सड़क की मरम्मत कब कराई गई एवं कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या इस वर्ष अकाल राहत में उक्त सड़क की मरम्मत के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई? यदि हां, तो कितनी एवं स्वीकृत राशि में कितनी राशि का कितना कार्य हुआ?

(श्री मोहन लाल मोदी)

(3) क्या उक्त सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है? क्या सरकार इसकी मरम्मत करवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नीमकाथाना से शाहपुरा वाया चीपलाटा की कुल सड़क लम्बाई 70 कि.मी. है। जिसमें से 54 कि.मी. सीकर जिले में व 16 कि.मी. जयपुर जिले में स्थित है। सीकर जिले के भाग का निर्माण वर्ष 1976-77, 1979-80 व 1989-90 में हुआ। जयपुर जिले के भाग का निर्माण वर्ष 1965-66 व 1989-90 में हुआ। निर्माण के पश्चात् सीकर जिले में वर्ष 1992-93 से 1999-2000 तक सड़क मरम्मत पर राशि 7,91,706/- रुपये व्यय किये गये तथा जयपुर जिले में वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक राशि 15.08 लाख रुपये व्यय किये गये। विभिन्न वर्षों में व्यय की गई राशि का जिलेवार वर्णन परिशिष्ट "क" (सीकर) व परिशिष्ट "ख" (जयपुर) पर अंकित है।

(2) जी हां। इस वर्ष सीकर एवं जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत क्रमशः 12.66 लाख रुपये एवं 4.68 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध सीकर जिले में 10.422 लाख रुपये व्यय कर 25 किमी. सड़क लम्बाई में पटरी मरम्मत तथा 8.00 किमी. सड़क लम्बाई में पेच रिपेयर का कार्य कराया गया। इसी प्रकार जयपुर जिले में 5.53 लाख रुपये व्यय कर 7.0 किमी. लम्बाई में पेच रिपेयर का कार्य किया गया।

(3) उक्त सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। सीकर जिले में कुल 54 किमी. लम्बाई में से 38.00 किमी. तथा 16.0 किमी. जयपुर जिले में पेच रिपेयर द्वारा मरम्मत योग्य है। मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष मार्च, 2001 तक करना प्रस्तावित है। सीकर जिले में शेष 16.0 किमी. लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "क"

नीमकाथाना से शाहपुरा वाया चीपलाटा सड़क की लम्बाई इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में 54-0 किमी. आती है। यह एक ग्रामीण सड़क है। इस सड़क पर मरम्मत कार्यों पर गत 8 वर्षों में व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष	गैर योजना मद में व्यय
1992-93	92949-00
1993-94	134560-00
1994-95	108374-00
1995-96	85847-00
1996-97	369976-00
कुल व्यय रुपये	**791706-00**

इस प्रकार वर्ष 1992-93 से 1999-2000 तक कुल रुपये 791706/- खर्च किये गये।

परिशिष्ट "ख"

वर्षवार खर्चा निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	शाहपुरा अजीतगढ़ सड़क पर व्यय राशि	सम्पर्क सड़क साईवाड़ बाड़ी-जोड़ी पर व्यय राशि
1.	1994-95	–	–
2.	1995-96	29,116/-	1,70,111/-
3.	1996-97	4,22,188/-	3,21,194/-
4.	1997-98	75,399/-	–
5.	1998-99	1,44,753/-	–
6.	1999-2000	3,44,255/-	480/-

उप तहसील मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय

27. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सभी उप तहसील मुख्यालयों पर माध्यमिक पाठशालायें खोल दी गई हैं? यदि नहीं, तो शेष रहे उप तहसील मुख्यालयों पर मिडिल स्कूलों को कब तक माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर कम से कम एक माध्यमिक पाठशाला तो आवश्यक होगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजना बनाना उचित समझती है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्ड की पूर्ती करने वाले विद्यालयों के क्रमोन्नति प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। उप तहसील मुख्यालयों के शेष रहे विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जायेगा।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। न ही ऐसी कोई योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन पर व्यय

28. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सितम्बर, 2000 में जयपुर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में कितने भागीदार हिन्दुस्तान के बाहर के देशों से भाग लेने आये और उनमें किस-किस देश से कितने-कितने उद्यमी थे?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) क्या उक्त सम्मेलन से राजस्थान में पूंजी निवेश की कोई संभावनाएं बढ़ी हैं ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में ?

(3) उक्त सम्मेलन के आयोजन पर राज्य सरकार को कितनी राशि व्यय करनी पड़ी है ?

उत्तर

(1) दिनांक 23-24 सितम्बर, 2000 को जयपुर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन 2000 में संकलित सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान के बाहर के देशों से आये भागीदारों की संख्या-80 थी जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इस सम्मेलन का सीधा उद्देश्य पूंजी निवेश नहीं था, अपितु इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़ना था। फिर भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सम्मेलन से परोक्ष रूप से राजस्थान में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी। लेकिन इसका सही आंकलन किस स्तर से कितना पूंजी निवेश होगा और किस-किस क्षेत्र में होगा, करना सम्भव नहीं है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थान सम्मेलन-2000 में अभी तक (28-10-2000) 56-82 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा इस आयोजन पर राज्य सरकार के वर्तमान आंकलन के आधार पर कुल 160 लाख रुपये राशि व्यय होने की सम्भावना है। अन्तिम आंकड़े सभी भुगतान हो जाने के बाद प्राप्त होंगे।

परिशिष्ट-1

ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर-05
अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन-2000 में भागीदारों का विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	भागीदारों की संख्या
1.	आस्ट्रेलिया	1
2.	बेहरीन	2
3.	ब्राजील	1
4.	कनाडा	1
5.	वॅगकॉग	1
6.	ईरान	1
7.	जापान	1
8.	कीनिया	2
9.	किंगडम आप मोरक्को	1
10.	मलेशिया	1
11.	मियामॉर	1
12.	नेपाल	15
13.	पाकिस्तान	2
14.	कतर	1
15.	सऊदी अरब	1
16.	सिंगापुर	5
17.	दक्षिण अफ्रीका	1
18.	स्वीट्जरलेण्ड	1
19.	थाईलैण्ड	1
20.	यू.एई.	5
21.	यू.के.	5
22.	यू.एस.ए.	30
	योग	**80**

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के चिकित्सालय में टी. बी. चिकित्सक की नियुक्ति

29. **श्रीमती कमला बृजलाल** (सपोटरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा खनिज क्षेत्र हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में मजदूरी करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा टी. बी. की बीमारी होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील में टी. बी. का कोई भी चिकित्सक चिकित्सालय में नहीं है जिससे मजदूरों को भारी परेशानी होती है? गत एक वर्ष में उक्त क्षेत्र में उक्त बीमारी के कितने मरीज आये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार हिण्डौन में टी.बी. चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। खनिज क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में टी.बी. का प्रकोप सामान्य क्षेत्रों से ज्यादा नहीं पाया गया है।

(2) जी, नहीं। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक एक लाख की आबादी पर क्षय रोग की निःशुल्क जांच एवं उपचार हेतु माईक्रोस्कोपी कम ट्रीटमेन्ट केन्द्र स्थापित किया जाता है। इसी के क्रम में सपोटरा तहसील क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किये जाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा को निःशुल्क जांच एवं उपचार केन्द्र बनाया गया है। उक्त केन्द्र के प्रभारी अधिकारी डा. रामस्वरुप मीणा, डा. पूरणमल वर्मा, क्षय रोग नियंत्रक की कारगर संशोधित प्रणाली में प्रशिक्षित है। विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्ष 99 में कुल 27 क्षय रोगी पाये गये।

(3) जी, हां। राज्य सरकार ने क्षय रोग पर प्रभावी काबू पाने के लिये हिण्डौन चिकित्सालय में एक टी.बी. यूनिट स्थापित की है। जिसमें क्षेत्र की लगभग 6.62 लाख जनसंख्या को क्षय रोग के लिये निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण जांच हेतु प्रभावी क्षय निरोधक औषधियां पैशेन्ट वाईज निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राज्य में संचालित पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाएं

30. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास और उन्नति के लिये क्या-क्या योजनाएं बनाई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने उक्त योजनाओं की क्रियान्विति के लिये अब तक क्या-क्या

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

निर्णय लिये हैं? निर्णयों सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में निम्नांकित योजनायें अन्य पिछड़े वर्ग के विकास और उन्नति के लिये बनाई जाकर प्रथम तीन योजनाओं को भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई :—

(i) पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृति

(ii) छात्रावास भवन निर्माण

(iii) आवासीय विद्यालयों का निर्माण

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम का गठन एवं राज्य गारण्टी में अभिवृद्धि।

(2) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(i) भारत सरकार को छात्रवृति भुगतान हेतु वर्तमान एवं आगामी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की सुनिश्चितता के अभाव में योजना क्रियान्वयन नहीं की जा सकी (प्रति संलग्न)

(ii) मेचिंग आधार पर केन्द्रीय एवं राज्यांश की राशि से छात्रावासों का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन। (प्रति संलग्न)

(iii) भारत सरकार के स्तर से आवासीय विद्यालय का निर्माण मेचिंग आधार पर अस्वीकृत। (प्रति संलग्न)

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्थापित (प्रति संलग्न) एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में पूर्वप्रदत्त 2 करोड़ की राज्य गारण्टी में अभिवृद्धि कर 6 करोड़ रुपये की गई। जिसके विरुद्ध चैनेलाईजिंग एजेन्सी राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से माह सितम्बर, 2000 तक 419 इकाइयों हेतु 266.55 लाख रुपये के ऋण वितरित कर दिये गये हैं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

No. F9 (4)(26)/SCH/SWD/97-98/67550 Jaipr, Dated : 30-1-99

Dr. M.S. Ahmed

Joint Secretary,
Ministry of Social Justice & Empowerment,
Government of India,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

Subject : Scheme of Post Martic Scholarship to OBC's for sutdy in India – A New Scheme during Ninth Five Year Plan.

Reference : Your Letter No. 12011/23/97-BCC dated 6-1-98.

Dear Sir,

In the above reference, I am directed to convey the concurrence of the State Government, subject to the following conditions : –

1. The Scheme should be 100% financed by the Govt. of India and,
2. The liability should not be transferred in the State Govt. at the end of the IX Five Year Plan.

Yours Faithfully,
Sd/-
(Manohar Lal)
Secretary to Government,
Social Welfare Department,
Rajasthan, Jaipur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

No. F.9 (4)(26)/SCH/SWD/97-98/3688 Jaipr, Dated : 30-1-99

Joint Secretary,
Govt. of India,
Ministry of Social Justice & Empowerment,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

Sub : New Scheme for the Ninth Five Year Plan-Pre-matric scholarship for other Backward Classes.

Ref. : Our letter No. Nis/S/SWD/98 dated 22-01-98.

Dear Sir,

In the above reference, I am directed to say that the State Government may convey the concurrence, subject to the following conditions :—

1. The scheme be 100% financed by the Govt. of India, and
2. The liability should not be transferred in the State Government at the end of the IX Five Year Plan, & onwards.

Yours faithfully,
Sd/-
(Manohar Lal)
Secretary to Government,
Social Welfare Department,
Rajasthan, Jaipur.

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ-7 (2)(567)विमु/राछा/सकवि/98/69341 जयपुर, दिनांक : 7-11-98

श्री डा. एम.एस. अहमद, संयुक्त सचिव,
भारत सरकार,
मिनिस्ट्री आफ सोशियल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेंट,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय : अन्य पिछड़ी जातियों के बालक बालिका हेतु छात्रावास भवन निर्माण की योजना।
प्रसंग : आपका फैक्स मैसेज क्रमांक 12011/7/97 बी.सी.सी. दिनांक 8-9-98।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपका निजी ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में 30 छात्रावास ओबीसी (विमुक्त एवं घुमन्तु) जाति के संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें से 4 छात्रावास राजकीय भवनों में संचालित हैं। वर्तमान सत्र हेतु 7 छात्रावासों का भवन निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं :—

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रस्तावित राशि		योग
			राज्य हिस्सा	केन्द्र हिस्सा	
1.	बागोर (भीलवाड़ा)	25	9.35	9.35	18.70
2.	जोधपुर (जोधपुर)	25	9.35	9.35	18.70
3.	पाली (बारां)	25	9.35	9.35	18.70
4.	बड़ूपरबतसर (नागौर)	25	9.35	9.35	18.70
5.	रामनगर सोडाला (जयपुर)	25	9.35	9.35	18.70
6.	सोजत (पाली)	25	9.35	9.35	18.70
7.	बीकानेर शहर (बीकोनर)	25	9.35	9.35	18.70
		175	**65.45**	**65.45**	**130.90**

ओबीसी जातियों के छात्रावासों के भवन निर्माण की योजना राज्य सरकार के आयोजना प्रावधानों को मंजूर करने के बाद प्राप्त होने के कारण वर्तमान सत्र 1998-99 में इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान नहीं रखा गया है जिसे आगामी वर्ष में रखा जावेगा।

अतः प्रस्तावों को स्वीकृत कर केन्द्र हिस्से की राशि 65.45 लाख रुपये स्वीकृत कराने का कष्ट करावें।

भवदीय
ह./-
विशिष्ट शासन सचिव,
समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

No. 11015/7/99-BCC
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shasrti Bhawan, New Delhi-110001,

Dated the 21 March, 2000.

To,

The Director and Special Secretary,
Government of Rajasthan,
Department of Social Welfare,
Ambedkar Bhawan, Behind Rajasthan High Court,
B.D. Road, Jaipur-302005. (Rajasthan).

Subject : Residential Schools for OBCs.

Sir,

I am directed to refer to your D.O. letter No. F.8(67)PD/SWD/98 dated 29-2-2000 on the above mentioned subject and to inform that at present the Government of India is not implementing any Scheme for Residential Schools for OBCs.

Yours Faithfully,
Sd/–
(M.P. Dinkar)
Under Secretary to the Government of India.

राजस्थान सरकार

क्रमांक : एफ. 11 (125) आर एण्ड पी/कवि/99 जयपुर, दिनांक : 19-4-2000

राज्यादेश

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु पृथक-पृथक दो निगम यथा "राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड" एवं "राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड" स्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

ह० /-
(इन्द्रजीत खन्ना)
मुख्य सचिव

जल ग्रहण व भू-संरक्षण इकाई दौसा द्वारा करवाये गये कार्यों में अनियमितता

31. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण इकाई, दौसा के जल ग्रहण क्षेत्र निर्झरना जिला दौसा की जल ग्रहण कमेटी धूनी अजयपुरा, चौड़ियावास, सवासा, लखनपुर, बड का पाडा में माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2000 में करवाये गये कार्यों का भुगतान करने से पहले मजदूरों से अंगूठा निशानी खाली मस्टररोल पर करवा लिये गये थे? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में करवाये गये कार्यों के भुगतान का समायोजन फर्जी मजदूरों के नाम दिखाकर कर लिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि अभी भी कुछ मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान करवाये गये भू-संरक्षण कार्यों का भुगतान कार्य की नाप के आधार पर उठाया जाकर मजदूरों को भुगतान प्रतिदिन की हाजिरी के हिसाब से किया गया है।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम थूमडी, दौसा में वर्ष 1997 में बारानी चेतना केन्द्र का निर्माण अध्यक्ष जलग्रहण कमेटी कालीखाड की देख-रेख में ही करवाया गया?

(6) क्या यह भी सही है कि बारानी चेतना केन्द्र में काम ली गई राशि अध्यक्ष जल ग्रहण कमेटी कालीखाड एवं कनिष्ठ अभियन्ता, जल ग्रहण क्षेत्र लाडली के बास (दौसा) एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक खाते से निकलवाकर मजदूरों को भुगतान भी इन्हीं के द्वारा किया गया है?

(7) क्या यह भी सही है कि ग्राम थूमडी में वर्ष 1997 में बारानी चेतना केन्द्र में लगे मजदूरों को पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह सही है कि जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण इकाई दौसा में जल ग्रहण अध्यक्षों एवं संस्था अध्यक्षों के वी.सी. सर्टिफिकेटों एवं खाली कार्य बिलों पर ही हस्ताक्षर करवा लेते थे? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सारे प्रकरणों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। समस्त मजदूरों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

(कृषि मंत्री)

(4) जी, नहीं। मजदूरों से कार्य टास्क के आधारपर करवाया गया है। कार्यों का भुगतान नाप के आधार पर उठाया जाकर टास्क के आधार पर भुगतान सम्बन्धित मजदूरों को किया गया है।

(5) जी, हां।

(6) बारानी चेतना केन्द्र में काम ली गई राशि अध्यक्ष, जलग्रहण कमेटी कालीखाड़ एवं सचिव (क. अभि) के संयुक्त हस्ताक्षरों से अध्यक्ष के नाम चैक जारी करने के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा बैंक से राशि निकलवाकर समस्त मजदूरों का भुगतान अध्यक्ष, जलग्रहण कमेटी-कालीखाड़ द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत थूमड़ी एवं वार्ड पंच के समक्ष किया गया है।

(7) जी, हां, वर्ष 1997 में बारानी चेतना केन्द्र में लगे सभी मजदूरों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

(8) जी, नहीं।

संगरिया से चाईयां (टिब्बी) की क्षतिग्रस्त सड़क

32. श्री आदराम मेघवाल (टीबी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की संगरिया से चाईयां सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार इसकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक (जयपुर-चंडीगढ़) की सड़क भी क्षतिग्रस्त है? क्या उक्त सड़क राजस्थान को पंजाब, हरियाणा से मिलाने वाली मुख्य सड़क है? क्या सरकार इसकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। इस सड़क की कुल लम्बाई 57.5 किमी. है जिसके 26 किमी. में पेंच मरम्मत करा दी गई है, 11.5 किमी. में पेच कार्य इस वित्त वर्ष में करा दिया जायेगा तथा शेष 20 किमी. सेमग्रस्त क्षेत्र में होने से इसकी मरम्मत का कार्य जिले की सेम समस्या के निवारण के साथ कर दिया जायेगा।

(3) जी, हां।

हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक सड़क की लम्बाई 145 किमी. है। जिसमें से 8 किमी. सड़क ग्रेफ के अधीन है शेष 137 किमी. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। इसमें से 109 किमी. सही स्थिति में है। 24.3 किमी. में पेच कार्य प्रगति पर है। इस वित्त वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा। शेष 3.7 किमी. सेम से क्षतिग्रस्त जिसकी मरम्मत जिले की सेम समस्या के निवारण के साथ कर दी जायेगी।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का विवरण)

परिशिष्ट–1

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

"हाथकरघा भवन", चौमूं हाऊस, जयपुर - 302 001

कार्यालय आदेश

क्रमांक :— एफ 1/ /राहाविनि/संस्था/96/ दिनांक : . . . .

उच्च न्यायालय के आदेश डी.बी. सिविल स्पेशल नं. 182/96/एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 3379/92 दिनांक 22–3–96 के तहत श्री शिवचरण शर्मा को दिनांक 6–1–92 से नियमित वेतन श्रृंखला में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री शिवचरण शर्मा को नियमित वेतन श्रृंखला 775-13-840-15-1005-20-1025 में न्यूनतम दर से भुगतान करने के आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	नियमित देय तिथि
1.	श्री शिवचरण शर्मा	12–1–90	6–1–92

श्री शिवचरण शर्मा को 6.1.92 से न्यूनतम वेतन श्रृंखला पर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एस. डी.
प्रबन्धक संचालक

परिशिष्ट-2

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

"हाथकरघा भवन", चौमूं हाऊस, जयपुर - 302001

क्रमांक :−611 दिनांक : 17–5–96

श्री शिवचरण शर्मा,

सहायक,

प्रोसेस हाऊस,

जयपुर।

विषय :— उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत से नियमित वेतन श्रृंखला की एरियर राशि का भुगतान किये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत आपको नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान करते हुए आपके वेतन एरियर की राशि (+) 500/- हर्जे खर्चे के कुल राशि 48,459.00 का भुगतान चैक संख्या 883983/10.5.96 से किया जा रहा है।

संलग्न :— चैक संख्या 883983/10–5–96
राशि 48,459.00

एस.डी.
प्रबन्धक (प्रो. हा.)

परिशिष्ट-3

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., जयपुर।

क्रमांक :- एफ (1) (राहाविनि/संस्था/99/ दिनांक : 17.5.96

कार्यालय आदेश

निगम के प्रोसेस हाऊस में कार्यरत निम्न कर्मचारियों द्वारा दिनांक 4–11–99 को स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन पंत्र प्रस्तुत किये हैं :—

(1) श्री जगदीश चन्द शर्मा, ऑपरेटर
(2) श्री शिवचरण शर्मा, सहायक

उपरोक्त कर्मचारियों की दिनांक 30–11–99 से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार की जाती है तथा इन्हें पांचवे वेतन आयोग के वेतन स्थरीकरण का लाभ 1–8–98 से एवं अन्य राज्य सरकार/निगम द्वारा स्वीकृत लाभ/परिलाभ एवं स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभ का भुगतान नियमानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एस. डी.
अध्यक्ष प्रबन्धक निदेशक

परिशिष्ट-4

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

"हाथकरघा भवन", चौमूं हाऊस, जयपुर।

क्रमांक :— एफ 1/राहाविनि/संस्था/96/ दिनांक : 9–12–99

श्री शिवचरण शर्मा,
पुत्र श्री सूरजमल शर्मा, ग्रा. आभानेरी,
वाया - बांदीकुई, तहसील - बसवा,
जिला - दौसा।

विषय :— स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति पर देय परिलाभों का भुगतान।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप देय लाभ/परिलाभों का भुगतान आपको चैक संख्या 64641 दिनांक 9–12–99 राशि 1,32,213/- संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न :— चैक

एस.डी.
प्रबन्धक (प्रशासन)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या–2 का विवरण)

परिशिष्ट-1

प्रोसेस हाउस बन्द करते समय कर्मचारियों की सूची पद सहित

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री वी.के. भार्गव	प्रबन्धक प्रोसेस हाऊस
2.	श्री आर.के. माथुर	अभियन्ता
3.	श्री जी.आर. भारद्धाज	डाईग मास्टर
4.	श्री सुभाष चन्द लामबा	लेब इन्चार्ज
5.	श्री महेन्द्र सिंह यादव	कलेण्डर सुपरवाईजर
6.	श्री अतुल कुमार भार्गव	फोल्डिग सुपरवाईजर
7.	श्री राजेन्द्र कुमार माथुर	शिफ्ट सुपरवाईजर
8.	श्री देवसिंह परिहार	विद्युत फोरमैन
9.	श्री वी.आर.पाटिल	मैकेनिकल फोरमैन
10.	श्री रामावतार गोयल	लेखालिपिक
11.	श्री संदीप माथुर	कनिष्ठ लिपिक
12.	श्री राजेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक
13.	श्री उमेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक
14.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	आपरेटर
15.	श्री रामबाबू पाल	आपरेटर
16.	श्री रामभरत सिंह	आपरेटर
17.	श्री धन्नाराम जाट	आपरेटर
18.	श्री लालजी उपाध्याय	आपरेटर
19.	श्री महावीर सिंह यादव	आपरेटर
20.	श्री थोमस के.एस.	आपरेटर

1	2	3
21.	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	आपरेटर
22.	श्री राजेन्द्र भण्डारी	आपरेटर
23.	श्री एम. राजेन्द्रन नायर	आपरेटर
24.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा	आपरेटर
25.	श्री श्याम लाल शर्मा	आपरेटर
26.	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार	मैकेनिकल फिटर
27.	श्री गोरधन सिंह	बायलर अटेण्डेन्ट
28.	श्री हजारी सिंह	फायरमैन
29.	श्री हनुमान सिंह	सहायक
30.	श्री विजयप्पन नायर	सहायक
31.	श्री महादेव पांचाल	सहायक
32.	श्री सन्त लाल यादव	सहायक
33.	श्री रामसिंह राठौड़	सहायक
34.	श्री सलीम खां	सहायक
35.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	सहायक
36.	श्री मदन लाल वर्मा	सहायक
37.	श्री प्रभुसिंह	सहायक
38.	श्री घासीलाल शर्मा	सहायक
39.	श्री महेन्द्र बेदी	सहायक
40.	श्री दुर्गाराम जांखड	सहायक
41.	श्री शशिकान्त पारीक	सहायक
42.	श्री के.आई. मथई	सहायक
43.	श्री जैनुलआबदीन	सहायक

1	2	3
44.	श्री रामसिंह मीणा	सहायक
45.	श्री प्रभाती लाल योगी	सहायक
46:	श्री भगवान सहाय मीणा	सहायक
47.	श्री नानूराम रैगर	सहायक
48.	श्री प्रहलाद सिंह	सहायक
49.	श्री शब्बीर अली	सहायक
50.	श्री पुरुषोत्तम नारायण माथुर	सहायक
51.	श्री गोधन सिंह	सहायक
52.	श्री पप्पू लाल बुनकर	सहायक
53:	श्री शिवचरण शर्मा	सहायक
54.	श्री नरोत्तम शरण शर्मा	सहायक
55.	श्री मनोहर सिंह	सहायक
56.	श्री मालुम सिंह	सहायक
57.	श्री नन्द सिंह	चौकीदार
58.	श्री अर्जुन लाल मीणा	चौकीदार
59.	श्री श्रवण लाल रैगर	चश्रेक्र.
60.	श्री धनराज मीणा	चश्रेक्र.
61.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	चश्रेक्र.
62.	श्री कमलेश कुमार	स्वीपर

परिशिष्ट-2

सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को दिये गये लाभ-परिलाभ का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	भुगतान की गयी राशि
1	2	३	4
1.	श्री वी.के. भार्गव	प्रबन्धक प्रो. हाऊस	7,75,220.00
2.	श्री आर.के. माथुर	अभियन्ता	5,11,900.00
3.	श्री नन्द सिंह	चौकीदार	1,16,828.00
4.	श्री रामसिंह राठौड़	सहायक	1,22,851.00
5.	श्री महेन्द्र बेदी	सहायक	1,13,317.00
6.	श्री एन. राजेन्द्रन नायर	आपरेटर	1,13,908.00
7.	श्री के.एस. थोमस	आपरेटर	1,71,695.00
8.	श्री आर. विजप्पन नायर	सहायक	1,14,399.00
9.	श्री महेन्द्र सिंह यादव	सुपरवाईजर	2,77,811.00
10.	श्री लालजी उपाध्याय	आपरेटर	1,65,894.00
11.	श्री महादेव पांचाल	सहायक	1,28,654.00
12.	श्री श्याम लाल शर्मा	आपरेटर	1,47,504.00
13.	श्री प्रभाती लाल योगी	सहायक	1,20,585.00
14.	श्री शब्बीर अली	सहायक	1,16,117.00
15.	श्री नरोत्तम शरण शर्मा	सहायक	1,29,921.00
16.	श्री जैनुलआबदीन	सहायक	1,22,400.00
17.	श्री महावीर सिंह यादव	आपरेटर	1,80,454.00
18.	श्री सुभाष चन्द लाम्बा	लैब इंचार्ज	5,00,295.00
19.	श्री धन्नाराम जाट	आपरेटर	2,27,972.00
20.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा	आपरेटर	1,53,707.00
21.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	सहायक	1,51,914.00
22.	श्री सलीम खां	सहायक	1,52,920.00
23.	श्री जगदीश चन्द शर्मा	आपरेटर	1,83,854.00
24.	श्री सन्तलाल यादव	सहायक	1,51,183.00
25.	श्री शिवचरण शर्मा	सहायक	1,32,213.00

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-4 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11–3–1997 के अनुसार 9 सरकारी अधिकारी एवं 5 उद्यमी वीडा के संगठन में रखे गये।

वीडा संगठन की सूची

1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको	अध्यक्ष
2.	श्री सोहन लाल आई. ए. एस	उपाध्यक्ष
3.	अति. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोन प्रथम, जयपुर	सदस्य
4.	विशिष्ट सचिव (व्यय) वित्त विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	मुख्य नगर नियोजक (एन. सी. आर)सदस्य	
6.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पी. एच. ई. डी.	सदस्य
7.	जोनल मुख्य अभियन्ता, आरएसईबी, अलवर	सदस्य
8.	जिला कलक्टर, अलवर	सदस्य
9.	निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर, भिवाड़ी।	सदस्य

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–5 की सूचना)

राज्य में 31 मार्च, 2000 तक 1946 वृहद/मध्यम एवं 211721 लघु उद्योगों की सूचना जिलेवार निम्न प्रकार है

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	जिला	स्थापित उद्योग	
		वृहद/मध्यम	लघु एवं आर्टीजन
1	2	3	4
1.	अजमेर	78	10983
2.	अलवर	728	16425
3.	बासंवाड़ा	23	6268
4.	बांरा	04	692
5.	भरतपुर	20	6893
6.	भीलवाड़ा	197	11863
7.	बीकानेर	42	7358
8.	बूंदी	13	3377
9.	चूरू	10	4967
10.	दौसा	05	1842
11.	चित्तौड़गढ़	32	5323
12.	धौलपुर	12	1510
13.	डूंगरपुर	04	2279
14.	जयपुर	312	4708
15.	जैसलमेर	01	1899
16.	जालौर	04	3246

1	2	3	4
17.	झालावाड़	07	5584
18.	झुंझुनूं	10	4507
19.	जोधपुर	63	14170
20.	कोटा	53	9504
21.	नागौर	27	12899
22.	पाली	24	7969
23.	राजसमन्द	21	1660
24.	सीकर	10	5666
25.	सिरोही	62	3520
26.	श्रीगंगानगर	24	6641
27.	टोंक	11	6761
28.	उदयपुर	149	13240
29.	सवाई माधोपुर (करोली सहित)	—	5764
30.	बाड़मेर	—	3753
31.	हनुमानगढ़	—	504
	योग	**1946**	**211721**

नोट:— वृहद एवं मध्यम उद्योगों का पंजीयन उद्योग निदेशालय द्वारा नहीं किया जाता है। वृहद एवं मध्यम इकाईयों का औद्योगिक उधमियता ज्ञापन भारत सरकार (आई.ई.एम्स) नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-8 की तालिका)

तालिका संख्या-1

RESION-WISE, DISTRICT-WISE PRODUCTION UNDER MAJOR CROPS

Prod. in tonnes

CROP :	गेहूं					जौ					चना				
Region/Dist.	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
Ajmer	95354	125831	144467	134057	41161	30895	44036	28936	40167	17582	15685	41910	94322	67301	12014
Jaipur	336158	440643	437891	391147	400213	97583	86455	121572	107885	113009	53847	91455	126643	109010	58085
Dausa	287813	312493	232911	319855	309496	14233	10385	12909	12599	9603	22498	13256	27643	53656	20050
Sikar	130704	184083	186999	219710	189196	26133	27704	47588	43086	47533	51865	64956	98785	171043	51919
Jhunjhunu	99586	157013	157895	179320	141818	7856	5549	26678	15326	8815	28811	24854	118092	149686	16522
JAIPUR DIV.	949615	1220063	1160163	1244089	1081884	176700	174129	237683	219063	196542	172706	236431	465485	550696	158590
Alwar	490229	519386	588308	632106	645632	24468	17951	24900	29037	36145	83910	83145	95965	126664	55086
Bharatpur	319084	340130	419435	469773	541411	8774	8277	12913	11075	10216	56523	43065	66474	80140	45502
Dholpur	120925	150326	156794	176455	139835	1942	1512	1537	1725	1678	4575	4020	6484	7265	3924
Swai Madhopur	263690	303324	313746	197926	185096	9788	5449	6171	4736	2021	47129	47086	54445	55736	20105
Karoli	N.A.	N.A.	N.A.	204035	216835	N.A.	N.A.	N.A.	2691	2300	N.A.	N.A.	N.A.	91384	33478
BHARATPUR DIV.	1193928	1313166	1478283	1680295	1728809	44972	33189	45521	49264	52360	192137	177316	223368	361189	158095
Bikaner	65031	74305	74913	115557	99702	363	648	1005	818	727	50215	41368	57001	96411	48738
Churu	10950	22301	61854	48159	60654	429	469	19630	928	1662	84255	62541	309004	183069	316
Ganganagar	565913	569874	660651	756655	813056	7470	7506	9109	13140	16694	63434	71986	109381	97657	44297
Hanumangarh	524148	510641	581510	567162	764163	13552	10849	26406	16173	21916	184585	139714	263327	306345	16582
G.NAGAR DIV.	1166042	1177121	1378928	1487533	1737575	21814	19472	56150	31059	40999	382489	315609	738713	683482	109933
Jodhpur	55270	61638	59010	77690	55060	552	291	447	632	604	4126	1653	12988	3565	489
Jaisalmer	15653	14889	20601	30429	42766	105	22	120	85	127	696	646	1650	2713	3253
Jalore	74171	76152	65461	77345	61666	1533	1061	1336	1565	1157	8690	1091	8043	8966	844

(Prod. in tonnes)

CROP :	गेहूं					जौ					चना				
Region/Dist.	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
Barmer	38396	32673	31218	41287	49112	131	132	86	75	121	1638	272	409	1679	10
Nagour	132401	142362	100530	88584	55037	16770	17076	22303	16929	15428	21506	10267	75631	41082	13085
Pali	153818	152567	185515	125221	98455	10597	6915	7708	7626	5622	25141	23827	56588	24496	9957
Sirohi	74618	70846	68317	58798	28780	3842	2695	3412	3033	2383	3744	1411	5573	7613	1345
JODHPUR DIV.	544327	551127	530652	499354	390876	33530	28192	35412	29945	25442	65541	39167	160882	90114	29075
Kota	178074	252336	257780	312529	318989	3075	2547	1980	1879	1404	12166	9733	6160	10928	7354
Baran	153087	219479	127913	159790	240958	2712	1687	1594	1300	1139	28787	19371	14056	17238	10742
Bundi	282975	379676	396305	384010	269295	5200	3752	3684	3333	1889	21200	13468	13004	17813	7626
Jhalawar	134036	206368	120127	106599	221779	943	1007	818	599	626	27412	25702	41725	46353	50297
Tonk	198974	242106	177724	201716	114307	17279	12442	21797	15252	9801	57090	65176	68448	88623	28740
KOTA DIV.	947146	1299965	1079849	1164644	1165328	29209	21435	29873	22363	14859	146655	133450	143393	180955	104759
Banswara	115680	170191	125493	158511	111822	3550	4265	4187	3944	2827	35389	34258	30388	45388	38164
Dungapur	46981	66153	82375	78219	32114	2225	4491	3629	3422	1967	8895	19619	14145	18742	10946
Udaipur	126009	234072	154976	123316	72816	20471	28175	22130	18388	7362	17457	32075	26342	25257	13792
UDAIPUR DIV.	288670	470416	362844	360046	216752	26246	36931	29946	25754	12156	61741	85952	70875	89387	62902
Bhilwara	175832	383059	314205	196421	148710	32090	41268	42948	30593	12252	33203	52372	74542	35745	10900
Chittorgarh	153848	295368	321127	201084	244684	11108	9976	9235	6420	5523	34148	29119	44990	78563	42610
Rajsamand	73869	71743	74957	46352	17313	14188	13389	15863	11891	5116	1637	1598	2303	3682	1012
BHILWARA DIV.	403549	750170	710289	443857	410707	57386	64633	68046	48904	22891	68988	83089	121835	117990	54522
STATE	5493277	6782028	6701008	6879818	6731931	389857	377981	502631	426352	368249	1090257	1071014	1924551	2073813	677876

तालिका संख्या-2

REGION-WISE, DISTRICT-WISE PRODUCTION UNDER MAJOR CROPS

(Prod. in tonnes)

CROP :	बाजरा					राई व सरसों				
Region/Dist.	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
Ajmer	7029	25978	30373	6045	5922	31811	30096	25377	13797	20422
Jaipur	85197	162389	186049	226633	134909	133580	121468	70027	119251	102500
Dausa	29806	56042	58134	102572	82977	54614	90132	56645	61937	41916
Sikar	107595	170918	145795	168472	149419	43186	50434	29364	45612	36599
Jhunjhunu	94788	122649	116457	225383	57908	68921	93877	78603	123516	112799
JAIPUR DIV.	324415	537976	536808	729105	431135	332112	386007	260016	364113	314236
Alwar	98732	138014	169267	225714	204537	218174	261046	141540	178014	259190
Bharatpur	52064	78841	103290	135465	143124	211527	213712	100631	168628	203454
Dholpur	34425	60579	55964	65744	68089	83129	70182	47808	48852	99801
Swai Madhopur	94002	162988	149030	51160	43525	164280	202153	127076	105464	110345
Karoli	N.A.	N.A.	N.A.	137145	142873	N.A.	N.A.	N.A.	41575	61214
BHARATPUR DIV.	279223	440422	477551	615228	602148	677110	747093	417055	542533	734004
Bikaner	53629	116703	135135	72587	–	15715	24585	34727	22600	32577
Churu	116191	334105	296854	76503	27680	15874	19978	41396	30749	24705
Ganganagar	1678	1684	1552	722	641	271564	311045	275733	187591	249867
Hanumangarh	30267	40207	44679	35797	16150	85543	79559	81988	67899	43594
G.NAGAR DIV.	201765	492699	478190	185609	44471	388696	435167	433544	308839	350743
Jodhpur	89463	230103	239403	13294	36538	71201	68733	72489	99969	67013
Jaisalmer	8251	4719	3156	778	886	14445	14992	18623	45801	58186
Jalore	32554	102063	161393	22989	5940	145063	108195	105078	160561	82275
Barmer	37940	109206	250553	15931	20938	17329	13384	11204	34707	19347
Nagour	156391	320476	273845	191605	133808	134924	120886	140836	139554	113668
Pali	4503	46914	54291	2377	6638	91551	105274	145807	66594	37337

(Prod. in tonnes)

CROP :	बाजरा					राई व सरसों				
Region/Dist.	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
Sirohi	5174	5714	10325	6597	3201	46482	34325	48480	34795	8995
JODHPUR DIV.	334276	819195	992966	253571	207949	520995	465789	542517	581981	386821
Kota	61	3	1	–	55	80918	113187	71195	80991	143569
Baran	642	981	1109	958	562	98908	128639	69459	83356	153093
Bundi	104	254	383	294	155	65386	76054	47063	59922	111692
Jhalawar	52	94	72	38	13	24248	38750	24027	18736	34064
Tonk	15429	22981	21989	15024	12012	127583	137425	104965	117975	169397
KOTA DIV.	16288	24313	23554	16314	12797	397043	494055	316709	360980	611815
Banswara	2	14	19	7	13	86	171	82	91	43
Dungarpur	60	42	27	16	36	124	342	243	339	175
Udaipur	4	12	12	19	9	6038	9402	10474	18043	7203
UDAIPUR DIV.	66	68	58	42	58	6248	9915	10799	18473	7421
Bhilwara	230	417	462	377	295	15540	22486	22486	18600	22244
Chittorgarh	34	22	30	19	4	28947	59763	35489	32135	29471
Rajsamand	52	87	97	63	63	1507	1949	1828	5399	2604
BHILWARA DIV.	316	526	589	459	362	45994	84198	59803	56134	54319
STATE	1156349	2315199	2509716	1800328	1298920	2368198	2622224	2040743	2233053	2459359

तालिका संख्या-3

REGION-WISE, DISTRICT-WISE PRODUCTION UNDER MAJOR CROPS

(Prod. in tonnes)

CROP :	तिल					ग्वार				
Region/Dist.	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
Ajmer	1649	1954	1987	994	417	119	1256	302	214	442
Jaipur	285	549	304	760	36	7692	98019	50185	58149	6933
Dausa	88	411	496	310	1093	1945	8121	8646	7058	10217
Sikar	67	219	132	75	68	64135	98584	60338	29326	12630
Jhunjhunu	8	14	9	7	10	19410	42888	50866	34335	5268
JAIPUR DIV	2097	3147	2928	2146	1624	93301	248868	170337	129082	35490
Alwar	793	905	996	2561	2881	8024	15396	30436	27168	27379
Bharatpur	279	240	449	314	1716	812	1117	4433	3469	5505
Dholpur	116	276	274	146	101	389	531	1586	1678	1825
Swai Madhopur	667	1116	1779	168	396	334	506	3840	1471	6109
Karoli	N.A.	N.A.	N.A.	1437	2039	N.A.	N.A.	N.A.	2784	2855
BHARATPUR DIV	1855	2537	3498	4626	7133	9559	17550	40295	36570	43673
Bikaner	5314	7904	6840	2603	—	13194	14009	28816	5953	10080
Churu	213	478	120	130	83	49698	121530	139962	36561	21658
Ganganagar	242	564	106	32	145	27104	12779	22475	14801	22810
Hanumangarh	178	477	251	90	384	44223	134774	60495	59640	23275
G.NAGAR DIV	5947	9423	7317	2855	612	134219	283092	251748	116955	77823
Jodhpur	2814	21474	11591	130	343	—	38533	36473	3965	6137
Jaisalmer	127	294	204	32	10	1754	1253	3632	4754	10816
Jalore	1745	9835	5670	252	125	1067	11640	39602	111	366
Barmer	708	2148	2196	92	184	19331	18929	73698	12972	2428
Nagour	6917	12426	2696	2089	706	13330	110693	104342	12783	24412
Pali	2916	15913	5096	429	300	7	511	480	22	424

(Prod. in tonnes)

CROP :	तिल					ग्वार				
Region/Dist.	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
Sirohi	2047	5609	6256	512	391	10	2094	2718	61	199
JODHPUR DIV.	17274	67699	33709	3536	2059	35499	183653	260945	34668	44782
Kota	30	82	50	26	24	—	—	—	163	1901
Baran	158	128	105	45	51	—	62	33	—	—
Bundi	481	431	384	853	315	293	287	45	80	2924
Jhalawar	87	137	79	34	35	—	—	—	—	—
Tonk	211	149	155	789	237	778	2927	4900	1546	4409
KOTA DIV.	967	927	773	1747	662	1071	3276	4978	1789	9234
Banswara	19	37	39	14	23	51	26	95	78	189
Dungarpur	32	80	62	34	48	—	428	1001	106	547
Udaipur	723	563	574	816	646	322	2067	2038	—	1593
UDAIPUR DIV.	774	680	675	864	717	373	2521	3134	184	2329
Bhilwara	2716	2079	2522	1017	1719	74	655	1363	18	11338
Chittorgarh	2266	873	1083	876	989	—	6	15	255	6353
Rajsamand	425	420	330	124	135	99	296	738	108	550
BHILWARA DIV.	5407	3372	3935	2017	2843	173	957	2116	381	18241
STATE	34321	87785	52835	17791	15650	274195	739917	733553	319629	231572

तालिका संख्या–2

क्र. सं.	कृषि आदान	वर्ष	भरे गये सैम्पलस	सही पाये गये सैम्पल	गलत/ अमानक पाये गये सैम्पल	अमानक सैम्पलस पर की गई कार्यवाही			
						कारण बताओ नोटिस	एफ. आई. आर दायर	कोर्ट केस दायर	चेतावनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	खाद (उर्वरक)	98-99	3516	3410	106	106	30	50	23
		99-2000	4352	4297	55	55	13	25	6
2.	बीज	98-99	3078	2922	156	156	2	53	94
		99-2000	3258	3213	45	45	–	23	11
3.	कीटनाशक	98-99	1144	1011	133	133	2	119	5
	दवाई	99-2000	1345	1258	87	87	–	79	2

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–9 का विवरण)

वर्षवार विवरण यात्रा भत्ता श्री हरि शंकर गुप्ता वरिष्ठ लिपिक

क्र. सं.	अवधि	कुल राशि
1.	93-94	3923
2.	94-95	4907
3.	95-96	6472
4.	96-97	7038
5.	97-98	6998
6.	98-99	9320
7.	99-2000	5608

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का विवरण)

एनेक्सर–"ए"

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षण केन्द्र (जनरल नर्सिंग)	प्रवेश संख्या
1.	अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	80
2.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर	100
3.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर	100
4.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, उदयपुर	80
5.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर	100
6.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, कोटा	80
7.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	60
8.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगानगर	60
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	40
10.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जोधपुर	40
11.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर	40
12.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	40
13.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा	40
14.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर	40
15.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा	40
		940

एनेक्सर-"बी"

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम (ए.एन.एम.)	प्रवेश क्षमता
1	2	3
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	60
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	60
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	60
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	60
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर	60
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	60

1	2	3
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं	60
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	60
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़	60
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगानगर	60
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	60
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	60
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	60
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर	60
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही	60
16.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	60
17.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	60
18.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	60
19.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा	60
20.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	60
21.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	60
22.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी	60
23.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	60
24.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर	60
25.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	60
26.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा	60
27.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	60
	योग	**1620**

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

तहसील देवगढ़ व भीम के अधीन स्वीकृत उपकेन्द्र/एडपोस्ट/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल हॉस्पिटल में रिक्त पद व रिक्त होने का विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लसानी	मेल नर्स-II	1	22–7–2000
		एल.एच.वी.	1	22–7–2000
		प्रसाविका	1	23–9–2000
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र, ताल	चिकित्सा अधिकारी	1	4–7–2000
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुन्दवा	मेल नर्स-II	1	1991 से
		लेब टेक्नीशियन	1	7/2000
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुआथल	मेलनर्स-2	1	1991 से.
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	8/6/2000 से
		मेलनर्स-2	2	1 पद 8/2000 से व 1 पद 9/81 से
		बी.एच.एस. (मेल)	1	30–9–97
		नेत्र सहायक	1	पद सृजन से
		मलेरिया निरीक्षक	1	29–2–2000
		एम.पी.डब्ल्यू	1	सितम्बर 91 से
		सैक्टर सुपरवाईजर	2	1 पद 31–10–98 सेवानिवृत्ति से 22–7–2000
		वरिष्ठ लिपिक	1	3/99 से
		एम.पी.डब्ल्यू	3	सेवानिवृत्ति से (31–5–98) 31–10–1999 9/2000 से

1	2	3	4	5
तहसील-भीम				
1.	उपकेन्द्र, भारत सिंह	ए.एन.एम.	1	सृजन से
	का गुडा	एम.पी.डब्ल्यू	1	बजट आवंटन नहीं होने के कारण
2.	उपकेन्द्र, भरतवा	ए.एन.एम.	1	यथा
		एम पी डब्ल्यू	1	यथा
3.	उपकेन्द्र, बोरवा	ए.एन.एम.	1	सितम्बर, 98 से
4.	उपकेन्द्र, लाखागुडा	ए.एन.एम.	1	8/2000 से
5.	एडपोस्ट, शेखावास	मलनर्स-II	1	8/2000 से
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छांपली	मेलनर्स-II	2	सितम्बर 91 से 8/2000 से
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,	मेलनर्स-II	1	8/98 से
	बरार	स्टाफनर्स	1	3/99 से
		बी.एच.एस. (मेल)	1	30–11–95 से
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	30–7–97 से
		नेत्र सहायक	1	सृजन से रिक्त
		एस.एम.पी.डब्ल्यू.	2	सृजन से रिक्त सेवानिवृत्ति से रिक्त
		सेक्टर सुपरवाईजर	4	2 पद सृजन से (9/91) 31–1–98 से 31–3–93
		एम.पी.डब्ल्यू.	2	30–4–08 से 31–7–2000 से
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1–6–2000 से
		वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	1–4–99

1	2	3	4	5
		मेलनर्स-I	1	1–9–98
		मेलनर्स-II	2	1–10–98 8/2000
		स्टाफ नर्स	2	पद सृजन से
		एल. एच. वी.	1	8/97
		व. लेब टैक्नीशियन	1	पद सृजन से
		दन्त तकनीशियन	1	सितम्बर, 91 से
		रेड़ियोग्राफर	1	पद स्वीकृत से ही रिक्त
		परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता	1	21–9–91 से
		वरिष्ठ लिपिक	1	1–8–98

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–17 की सूची)

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत नागौर जिले में स्वीकृत प्रकरणों की सूंची

क्र.सं.	रोगी का नाम व पता	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि
1.	श्री दल्लाराम पुत्र कालूराम जाट ग्राम खाखोली, तह. डीडवाना, नागौर	13–6–2000	0.85 लाख
2.	श्री मदन लाल पुत्र धूलाराम ग्राम करासोड, पो. पूणस, तह. डेगाना (नागौर)	4–7–2000	0.40 लाख
3.	श्री रामचन्द्र पुत्र पांचाराम ग्राम् ऊंचायडा, तह. जायल, (नागौर)	11–7–2000	0.50 लाख
4.	श्रीमती नानी देवी पत्नि फूसारा ग्राम हिरासणी, तह. जायल (नागौर)	21–8–2000	0.80 लाख
5.	श्री गणपत पुत्र मूलाराम ग्राम रैण, वाया मेड़ता सिंटी (नागौर)	13–10–2000	0.25 लाख
		योग	**2.80 लाख**

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-23 की सूची)

परिशिष्ट "क"

डामर सड़कों की लम्बाई 31-3-2000 को व सड़कों पर आवंटन 2000-2001

क्र. सं.	जिला	सड़क लम्बाई (कि.मी.) (राष्ट्रीय उच्च मार्ग को छोड़कर)	रखर-खाव के लिये (लाखों में)	पूर्व स्वीकृत कार्यों के हेतु (लाखों में)	नव स्वीकृत कार्यों हेतु (लाखों में)	योग (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	2519	304.00	75.3	–	379.30
2.	अलवर	3171	330.00	337.47	–	667.47
3.	बांसवाड़ा	1486	168.00	70.68	–	238.68
4.	बांरा	967	159.00	202.72	–	361.72
5.	बाड़मेर	3900	308.00	79.20	–	387.20
6.	भरतपुर	1874	258.74	140.06	–	398.80
7.	भीलवाड़ा	2445	244.00	92.20	–	336.20
8.	बीकानेर	2884	313.00	72.17	–	385.17
9.	बूंदी	1149	145.00	112.00	–	257.00
10.	चित्तौड़गढ़	2264	265.00	137.78	–	402.78
11.	चूरू	2490	232.00	97.08	–	329.08
12.	दौसा	1134	158:50	114.11	–	272.61
13.	धौलपुर	978	163.00	51.70	25.00	239.70
14.	डूंगरपुर	1224	134.00	64.63	–	198.63
15.	गंगानगर	2976	273.00	63.50	–	336.50
16.	हनुमानगढ़	2547	200.97	53.90	–	254.87

1	2	3	4	5	6	7
17.	जयपुर	3489	707.29	325.55	—	1032.84
18.	जैसलमेर	2770	103.00	3.50	—	106.50
19.	जालौर	2121	223.00	22.40	—	245.40
20.	झालावाड़	942	154.00	72.80	—	226.80
21.	झुंझुनूं	2048	210.00	275.17	—	485.17
22.	जोधपुर	4348	465.00	163.10	600.00	1228.10
23.	करौली	1218	176.00	88.31	25.00	289.31
24.	कोटा	1382	227.00	113.11	—	340.11
25.	नागौर	3319	403.70	104.30	50.00	558.00
26.	पाली	2864	250.00	88.00	—	338.00
27.	राजसमन्द	1263	123.00	52.40	—	175.40
28.	सवाईमाधोपुर	938	95.00	53.70	—	148.70
29.	सीकर	1835	173.00	255.65	—	428.65
30.	सिरोही	1119	121.00	34.30	—	155.30
31.	टोंक	1365	131.00	128.65	—	259.65
32.	उदयपुर	2841	324.16	114.43	—	438.59
	कुल योग	**67870**	**7542.36**	**3659.87**	**700.00**	**11902.23**

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

QUESTIONAIRE FOR D.P.C. MEETING

GENERAL

1)	Post and scale of pay to which promotion is to be made.	EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL) (Rs. 3000-100-3500-125.–4500)
2)	Service Rules applicable	The Rajasthan Service of Engineers (B & R Branch) Rules, 1954
3)	Composition of the DPC.	1) Chairman RPSC or his nominee 2) Secretary DOP or his nominee 3) Secretary to Govt. PWD Raj., Jaipur 4) Chief Engineer PWD Raj., Jaipur
4)	Date of the Meeting of last D.P.C.	12–7–96
5)	Determination of Vacancies :	
	(1) Previous years actual vacancies, if any, to be shown year wise.	
	(2) Current Vacancies for the year. 97-98	2 Nos.

		Gen.	SC	ST	OBC
(a) Total sanctioned strength	11 Nos.				
i) Permanent			7		
ii) Temporary			1		
iii) Deputation not included in the sanctioned strenght.			3		
(b) Persons already selected (Both) by Direct recruitment and D.P.C.	10 Nos.	Gen.	SC	ST	OBC
(c) Posts unfilled by regularly					

selected persons (a – b)	1 No. Gen. SC ST OBC
Result of one officer in sealed cover.	(–) 1 No.
(d) Consequential vacancies due to (Annexure-B)	1 No.
i) Promotion on higher post.	1 No.
ii) Retirement	1 No.
iii) Deputation posts exceeding one year (only those deputation posts would be taken in which persons have already proceeded on deputation on the date of determination of vacancies.	—
iv) long leave vacancies exceeding a period of one year (list to be attached).	—
v) Any other reasons.	—
NOTE : Attach list of persons due to whom consequential vacancies have occured with likely period of vacancies. (calculation chart with date of occurrence of vacancies).	—
(e) Anticipated vacancies during the year. (Annexure-C)	—
i) Newly sanctioned posts during the year.	—
ii) Included in the budget.	—
iii) As agreed to by Finance Department.	—

(f) Total vacancies for the year of selection (c+d+e)	2 Nos.
6) Number of vacaneles of 'f' above to be filled.	2 Nos. Gen. SC ST OBC
a) Direct recruitment No.	Not prescribed in the rules
b) Promotion	
(i) Merit No.	Not prescribed
(ii) Seniority-cum-herit. No.	2 Nos.
7) Cycle of promotion to be followed by the DPC.	SENIORITY CUM MERIT
8) Reservation as per Roaster :	
a) Scheduled Castes (16% of)	One one eligible candidate calls even in the extended zone consideration.
b) Scheduled Tribes (12% of)	
9) Post(s) from which promotion is to be made.	
a) Designation	ASSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL)
b) Group/Category of posts	ASSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL)
c) Scale(s) of Pay	2200-75-2800-100-4000
10) Qualification/Experience etc. prescribed for promotion.	B.E. (Electrical) or qualification declared equivalent by as govt. with 5 years experience as Assistant Engineer (Elect.) or if Diploma holder from recognised Institute, 15 years service as Asstt. Engineer (Elect.)
11) Details of Direct recruitment made, if any for the year (s)	Gen. SC ST OBC
under consideration of the DPC.	Not applicable

12)	Seniority-Cum-eligibility list of persons (Annexure 'D')	Enclosed
13)	(1) Whether all the required Annual confidential Rools/ Annual Performance Appraisal reports are available? If not, they should be got completed an up dated before convening of DPC meeting.	will be produced at the time of DPC
	(2) Whether aderse remarks in the APAS if any, have been communicated to the concerned and representations against disposed off (Annexure 'E')	—
14)	Mention may be made if there is any Court order of directions relevant to the holding of DPC meeting (Annexure 'F')	
15)	A detailed note one the awards departmental enquiries, Courtcases, punishment, involvement in audit objections/ draft paras and decision there on of the competent authority to initiate departmental proceedings should be mentioned as Annexure III.	Enclosed.
16)	Any other information.	

Sd/–
MEMBER SECRETARY.

परिशिष्ट "ब"

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) का विवरण

क्र.सं.	पद एवं विभाग का नाम	प्रतिनियुक्ति पर रहे अधिकारी का नाम	अवधि	
			दिनांक से	दिनांक तक
1.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) राज. राज्य पुल निर्माण निगम, जयपुर।	1. श्री एस. सी. पुरोहित	25–1–92	12–6–94
		2. श्री के. बी. एल. सेठ	4–8–93	5–10–94
		3. श्री एल. के. शर्मा	7–6–94	17–5–97
		4. श्री जे. के. सोनी	4–10–94	30–9–96
		5. श्री एस. सी. पुरोहित	22–6–96	10–9–96
		6. श्री हेमराज शर्मा	11–9–96	लगातार
		7. श्री प्रदीप सोनी	8–6–98	17–5–99
		8. श्री के. सी. जैन	17–5–99	लगातार
2.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	1. श्री बी. एम. गुप्ता	10–5–95	3–7–95
3.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	1. श्री के.सी. जैन	26–6–96	15–5–99
4.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) राज. ऊर्जा विकास अभिकरण,जयपुर।	1. श्री आर. एस. सक्सैना	31–3–95	1–4–97
		2. श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा	31–3–97	20–5–99
		3. श्री एस. वी. सक्सैना	31–3–99	1–6–2000
		4. श्री बिरदी चन्द	31–3–99	1–6–2000

नोट :— क्र. सं. 2, 3, 4 में अभी कोई भी अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) प्रतिनियुक्ति में नहीं है।

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–28 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. नगर उप खण्ड–ग्यारह जयपुर
अनुभाग-कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि. गांधीनगर अनुभाग प्रथम जयपुर

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत है	पदस्थापन अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री सी. पी. पारीक	क. अभियन्ता	9/98	2 वर्ष
2.	श्री बी. डी. माथुर	स्टोरमुंशी	9/86	14 वर्ष
3.	श्री दामोदर	मैशन	9/86	14 वर्ष
4.	श्री कानाराम	मैशन	9/86	14 वर्ष
5.	श्री श्योबक्श	मैशन	9/86	14 वर्ष
6.	श्री मातादीन	कारपेन्टर	11/89	11 वर्ष
7.	श्री ताराचन्द	पैन्टर	9/86	14 वर्ष
8.	श्री श्रवण	फिटर	9/86	14 वर्ष
9.	श्री ननच्छा	से. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
10.	श्री मोहन	मेट	9/86	14 वर्ष
11.	श्री जगदीश	गोदामी	9/86	14 वर्ष
12.	श्री रामू	बेलदार	9/86	14 वर्ष
13.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	बेलदार	9/86	14 वर्ष
14.	श्री मित्रपाल सिंह	बेलदार	9/86	14 वर्ष
15.	श्री रामप्रसाद	बेलदार	9/86	14 वर्ष
16.	श्री नाथु	बेलदार	9/86	14 वर्ष
17.	श्री रामलाल	बेलदार	9/86	14 वर्ष
18.	श्री रामअवतार	बेलदार	9/86	14 वर्ष
19.	श्री जगदीश पुत्र श्री छीतर	चौकीदार	9/86	14 वर्ष
20.	श्री गोपाल	हरिजन	9/86	14 वर्ष
21.	श्रीमती भोली	कुली	5/89	11 वर्ष

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. नगर उप खण्ड–ग्यारह जयपुर
अनुभाग-कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि. गांधीनगर अनुभाग-II जयपुर

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत है	पदस्थापन अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री बी. बी. शर्मा	क. अभियन्ता	9/97	3 वर्ष
2.	श्री राजकुमार	स्टोर मुंशी	7/88	12 वर्ष
3.	श्री रामस्वरूप	मिस्त्री	1/94	6 वर्ष
4.	श्री नाथुराम	मैशन	8/95	5 वर्ष
5.	श्री जगदीश	फिटर	9/86	14 वर्ष
6.	श्री हुकमचन्द	कारपेन्टर	9/86	14 वर्ष
7.	श्री नाथु	मेट	9/86	14 वर्ष
8.	श्री श्रीनारायण	लु. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
9.	श्री चौथु	लु. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
10.	श्री रामनिवास	पे. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
11.	श्री प्रहलाद	बेलदार	9/86	14 वर्ष
12.	श्री प्रभात	बेलदार	9/86	14 वर्ष
13.	श्री नैनु	बेलदार	9/86	14 वर्ष
14.	श्री बद्री	बेलदार	9/86	14 वर्ष
15.	श्री कालू	बेलदार	9/86	14 वर्ष
16.	श्री गजानन्द	बेलदार	9/86	14 वर्ष
17.	श्रीमती विध्या देवी	कुली	8/89	11 वर्ष
18.	श्री हरिनारायण	हरिजन	9/87	13 वर्ष
19.	श्री पूरण चन्द	बेलदार	7/92	8 वर्ष
20.	श्री रामलाल	बेलदार	6/93	7 वर्ष
21.	श्री कजोड़	बेलदार	10/91	9 वर्ष

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. नगर उप खण्ड–ग्यारह जयपुर
अनुभाग-कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि. गांधीनगर अनुभाग-III जयपुर

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत है	पदस्थापन अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री जे.पी. कमल	क.अभियन्ता	7/99	1 वर्ष
2.	श्री लादूराम	स्टोर मुन्शी	9/86	14 वर्ष
3.	श्री ईश्वर	मैशन	9/86	14 वर्ष
4.	श्री रामनारायण	मैशन	9/86	14 वर्ष
5.	श्री सत्यनारायण	व. कारपेन्टर	9/86	14 वर्ष
6.	श्री प्रहलाद	फिटर	9/86	14 वर्ष
7.	श्री नारायण	से. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
8.	श्री रामेश्वर	से. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
9.	श्री लल्लू	पे. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
10.	श्री लक्ष्मण	चौकीदार	9/86	14 वर्ष
11.	श्री सोहन लाल	चौकीदार	9/86	14 वर्ष
12.	श्री गोपाल	बेलदार	9/86	14 वर्ष
13.	श्री किशोर	बेलदार	9/86	14 वर्ष
14.	श्री महादेव	बेलदार	9/86	14 वर्ष
15.	श्री मनोज	बेलदार	9/86	14 वर्ष
16.	श्री लालखां	बेलदार	9/86	14 वर्ष
17.	श्री मांगीलाल	बेलदार	9/86	14 वर्ष
18.	श्री रामस्वरूप	बेलदार	9/86	14 वर्ष
19.	श्री श्योपाल	बेलदार	4/92	8 वर्ष
20.	श्री बन्शी	बेलदार	6/87	13 वर्ष

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. नगर उप खण्ड-ग्याहर जयपुर
अनुभाग-कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि. गांधीनगर अनुभाग-IV जयपुर

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत है	पदस्थापन अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री आर. एस. शर्मा	क.अभियन्ता	9/98	2 वर्ष
2.	श्री राजबिहारी	स्टोर मुंशी	9/86	14 वर्ष
3.	श्री भंवरलाल	मिस्त्री	9/86	14 वर्ष
4.	श्री लादूराम	मैशन	9/86	14 वर्ष
5.	श्री गंगासहाय	कारपेन्टर	9/86	14 वर्ष
6.	श्री सरफू	लुहार	9/86	14 वर्ष
7.	श्री भगवान सहाय	फिटर	9/86	14 वर्ष
8.	श्री रेखा	से. हैल्पर	9/86	14 वर्ष
9.	श्री ओम प्रकाश	से. हैल्पर	6/89	11 वर्ष
10.	श्री ग्यारसा	चौकीदार	9/86	14 वर्ष
11.	श्रीमती बिरधी	कुली	9/86	14 वर्ष
12.	श्रीमती तीजा/श्री तुलसा	कुली	9/86	14 वर्ष
13.	श्रीमती तीजा/मन्ना	कुली	9/86	14 वर्ष
14.	श्री भोला	बेलदार	9/86	14 वर्ष
15.	श्री पांचू पुत्र गणेश	बेलदार	9/86	14 वर्ष
16.	श्री प्रभु	बेलदार	9/86	14 वर्ष
17.	श्री पांचूलाल/रामविलास	बेलदार	9/86	14 वर्ष
18.	श्री श्योराम	बेलदार	9/86	14 वर्ष
19.	श्री सन्तोष कुमार	बेलदार	9/86	14 वर्ष
20.	श्रीमती भूली	कुली	3/92	8 वर्ष
21.	श्री नैनूराम	बेलदार	3/92	8 वर्ष
22.	श्री कजोड़	बेलदार	10/91	9 वर्ष
23.	श्री पप्पू	हरिजन	6/95	5 वर्ष

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. नगर उप खण्ड-ग्यारह जयपुर
अनुभाग-कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि. गांधीनगर अनुभाग-IV जयपुर

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत है	पदस्थापन अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री पी. सी. मीणा	क. अभियन्ता	5/98	2 वर्ष
2.	श्री महेश कुमार	स्टोर मुंशी	9/86	14 वर्ष
3.	श्री सुवालाल	वायर मैन	9/86	14 वर्ष
4.	श्री रामचन्द्र	व. इलेक्ट्रीशियन	9/86	14 वर्ष
5.	श्री बद्री	वायरमैन	9/86	14 वर्ष
6.	श्री किशन	वायरमैन	9/86	14 वर्ष
7.	श्री जगदीश	इलेक्ट्रीशियन	9/86	14 वर्ष
8.	श्री रामराज	वायरमैन	9/86	14 वर्ष
9.	श्री महेश	इलेक्ट्रीशियन	9/86	14 वर्ष
10.	श्री शंकर	बेलदार	9/86	14 वर्ष
11.	श्री रामपाल	बेलदार	9/86	14 वर्ष
12.	श्री बद्री	बेलदार	9/86	14 वर्ष
13.	श्री भगवान	बेलदार	9/86	14 वर्ष
14.	श्री रामसहाय	बेलदार	9/86	14 वर्ष
15.	श्री प्रहलाद	बेलदार	9/86	14 वर्ष
16.	श्री मूल्या	बेलदार	9/86	14 वर्ष
17.	श्री मोहन	बेलदार	9/86	14 वर्ष
18.	श्री ओमप्रकाश	बेलदार	9/86	14 वर्ष
19.	श्री राजू	बेलदार	9/86	14 वर्ष
20.	श्री नन्दकिशोर	बेलदार	9/86	14 वर्ष
21.	श्री रामचन्द्र	हैल्पर	3/95	5 वर्ष

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

तहसील सपोटरा के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद	
		व. अ.	अध्यापक
1	2	3	4
1.	रा. मा. वि., मिझौरा	01	—
2.	रा. सी. मा. वि., बड़ौदा गजराजपाल	01	—
3.	रा. उ. प्रा. वि., गुरदह	—	01
4.	रा. उ. प्रा. वि., अरौरा	—	01
5.	रा. उ. प्रा. वि., हरनगर	—	01
6.	रा. उ. प्रा. वि., कसेड	—	01
7.	रा. बा. उ. प्रा. वि., गैरई	—	01
8.	रा. उ. प्रा. वि., निंदर	—	01
9.	रा. उ. प्रा. वि., धोरेंटा	—	01
10.	रा. उ. प्रा. वि., पांचौली	—	01
11.	रा. बा. उ. वि., कुडगांव	—	01
12.	रा. उ. प्रा. वि., भनाखुर	—	01
13.	रा. उ. प्रा. वि., कनावता	—	01
14.	रा. उ. प्रा. वि., अमरावड	—	01
15.	रा. उ. प्रा. वि., काचरौदा	—	01
16.	रा. उ. प्रा. वि., जटवाड़ी	—	01
17.	रा. उ. प्रा. वि., मांगेपुरा	—	01
18.	रा. उ. प्रा. वि., राप्रावि., गोपालपुरा	—	01

1	2	3	4
19.	रा. उ. प्रा. वि., गड़ी का गांव	—	01
20.	रा. उ. प्रा. वि., चोरगाम	—	01
21.	रा. उ. प्रा. वि., कैमूखरी	—	01
22.	रा. उ. प्रा. वि., चिरचिड़ी	—	01
23.	रा. उ. प्रा. वि., बरूला	—	01
24.	रा. उ. प्रा. वि., भोपारा	—	01
25.	रा. उ. प्रा. वि., भरपुरा	—	01
	योग : —	**02**	**23**

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद				
		व्याख्याता	व.अ.	अध्यापक	शा. शिक्षक	
					II ग्रेड	III ग्रेड
1.	रा. उ. मा. वि. सपोटरा	01	—	—	—	—
2.	रा. उ. मा. वि. बडोदागजरराजपाल	04	—	—	01	—
3.	रा. उ. मा. वि. कुडगांव	01	—	—	—	—
4.	रा. उ. मा. वि. सपोटरा	01	—	—	—	—
5.	रा. मा. वि. चौड़ागांव	—	02	—	—	—
6.	रा. मा. वि. मिझोरा	—	01	—	—	—
7.	रा. मा. वि. अंडूदा	—	01	—	—	01
8.	रा. मा. वि. सैमरदाअस्थल	—	01	—	—	—
9.	रा. मा. वि. नारोलीडांग	—	02	02	—	—
10.	रा. मा. वि. अमरगढडांग	—	—	—	—	01
11.	रा. मा. वि. रोधई	—	01	—	—	—
		07	**08**	**02**	**01**	**02**

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

श्री ओ. पी. मालानी, संयुक्त निदेशक का पदस्थापन विवरण

1.	ड्राईंग अनुदेशक	19-7-65 से 30-5-70	पोलिटेक्नीक, अजमेर
2.	-"-	31-5-70 से 30-6-73	पोलिटेक्नीक, उदयपुर
3.	-"-	1-7-73 से 18-8-75	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
4.	-"-	19-8-75 से 21-10-80	पोलिटेक्नीक, अजमेर
5.	अधीक्षक, आई.टी.आई.	22-10-80 से 7-3-81	आई.टी.आई., आबू रोड
6.	" " " "	8-3-81 से 11-11-82	-"- गुलाबपुरा
7.	" " " "	12-11-82 से 5-6-86	-"- बूंदी
8.	" " " "	6-6-86 से 23-5-88	-"- अलवर
9.	" " " "	24-5-88 से 25-8-88	-"- कुशलगढ़
10.	" " " "	26-8-88 से 15-6-90	-"- जहाजपुर
11.	" " " "	16-6-90 से 6-8-91	-"- भीलवाड़ा
12.	प्रधानाचार्य, आई.टी.आई.	7-8-91 से 7-7-93	-"- अजमेर
13.	" " " "	8-7-93 से 11-7-95	-"- उदयपुर
14.	उपनिदेशक प्रशिक्षण	12-7-95 से 21-9-95	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
15.	" " " "	22-9-95 से 6-4-98	उप-निदेशक कार्यालय, उदयपुर
16.	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	7-4-98 से 28-9-98	संयुक्त निदेशक कार्यालय, जयपुर
17.	" " " " " "	30-9-98 से 15-5-99	निदेशालय, जोधपुर
18.	" " " " " "	17-5-99 से लगातार	संयुक्त निदेशक कार्यालय, जयपुर

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या–38 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के विद्युतीकृत/अविद्युतिकृत गॉवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
विद्युतीकृत ग्राम		
1.	केशरपुरा	24/3/206
2.	पाडला	24/3/205
3.	तलवाड़ा	24/3/12
4.	खडदेव	208
5.	नाथपुरा खुर्द	230
6.	पागड़ी	223
7.	भटपुरा	224
8.	कल्याणपुरा	253
9.	खाण्डिया देव	209
10.	लोधा जागीर	201
11.	नवाटापरा	222
12.	सालरापाडा	225
13.	खोडी पीपली	229
14.	देवगढ़	228
15.	बदरेलखुर्द	226
16.	बदरेल जागीर	225
17.	रतनपुरा कलिया	256
18.	बखतपुरा	227
19.	श्यामपुरा	207
20.	खांदु	219
21.	अबापुरा	218
22.	ठीकरिया	216
23.	झरनिया	311
24.	जसवंतपुरा	258
25.	हिम्मतपुरा	314
26.	सेमला पाड़ा	316

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
27.	सुनन्दनपुर	68
28.	बडलिया,	69
29.	उमराई	70
30.	गामदा	261
31.	नवारेखा	268
32.	सेमला खेड़ा	317
33.	अमरपुरा	220
34.	कलीयारी	310
35.	आनन्दपुरा	309
36.	बोरिया	215
37.	कुलर खेड़ी	213
38.	पचोर	323
39.	खेड़ी कचरिया	322
40.	नाथपुरा कलां	321
41.	चांदा डूंगरी	24/3/315
42.	फलासवाली	320
43.	जेठ	319
44.	नवाटापरा देवरी	318
45.	वीरपुर	262
46.	मेडिया डिडौर	265
47.	मेडिया कटारा	263
48.	मेदिया मइडा	266
49.	महेशपुरा	297
50.	घोड़ा	305
51.	छापरिया	306
52.	सकरवट	303
53.	बडलीपाड़ा	301
54.	भरतलिया	293

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
55.	नालदा	267
56.	काला नला	264
57.	रूपारेल	304
58.	साकडी नाल	300
59.	रामगढ़	302
60.	सुरवानिया	299
61.	बडली पाड़ा	282
62.	लाली आडा	270
63.	बोर खाबर	271
64.	खालपुरा	293
65.	डेटकिया छोटा	286
66.	डोरिया की रेल	269
67.	भूतपाड़ा	272
68.	रानगी	280
69.	गढा	279
70.	सालिया	273
71.	बरवारा राजीया	288
72.	डेटकिया बड़ा	284
73.	डाबरी का माल	285
74.	बरवारा मछार	289
75.	नवला पाड़ा	281
76.	तेजपुर	045
77.	घोड़ी	44
78.	डोगरा	46
79.	चांद रोड़	137
80.	अमरगन	138
81.	नागाखली	24/3/133
82.	कुटम्बी	134
83.	बारी	131
84.	खानपुरा	140
85.	आडीभीत	194
86.	सरवन	192

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
87.	झुबा	180
88.	बागपुरा	181
89.	कुण्डलीपाड़ा	135
90.	सातरा आडा	183
91.	खंटडिया	179
92.	मूलिया	136
93.	भाटिया	182
94.	फैफर	191
95.	डेरी	193
96.	नादिया	324
97.	दानपुर	189
98.	पीपली पाड़ा	190
99.	मानपुरी	188
100.	राखनी	184
101.	टामटिया	187
102.	गोपालपुरी	175
103.	उमरी पाड़ा	177
104.	मरगली	176
105.	लम्बी सादड़	163
106.	अम्बावाज	164
107.	कडछी	186
108.	हरनाथपुरा	165
109.	रूजिमा	166
110.	मोकामपुरा	168
111.	डेटकिया	169
112.	अम्बापाड़ा	185
113.	झांझीयामाल	173
114.	बागतालाब	174
115.	कालासेस	139
116.	महुपीखेडी	178
117.	कुण्डल	143
118.	जोडमिया	146

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
119.	मकनारा	144
120.	बाडा	147
121.	कोइवाव	148
122.	कदवाली	153
123.	कागवा	161
124.	दौलतपुरा	24/3/149
125.	उबापान	142
126.	छायनबड़ी	151
127.	छायन छोटी	162
128.	जहांपुरा	170
129.	जूना खेड़ा	155
130.	गढ़	172
131.	नवाखेड़ा	159
132.	नेगडीया	156
133.	भागीडेरी	160
134.	रेटीया	152
135.	रूजडी पाड़ा	167
136.	सरती खेड़ा	157
137.	सातरूडिया	158
138.	सूरजपुरा	154
139.	तिलगारी	141
140.	गोरकामहुडा	150
141.	हिरियागढ़ी	171
142.	बोडीगया	24/4/119
143.	जल्दा	120
144.	पाटन	121
145.	शम्भुपुरा	122
146.	पिडारमा	118
147.	खाररवा	117
148.	छीछ	123
149.	चोखला	130
150.	चिरोला	127

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
151.	बाराला	131
152.	बालावाड़ा	132
153.	कातरिया	133
154.	रेगनिया	134
155.	नया पाडरिया	217
156.	जूना पादरिया	204
157.	नागावाडा	205
158.	घाटीगढा	206
159.	राखो	136
160.	हमीरपुरा बड़ा	128
161.	पीपलोद	129
162.	करजी	211
163.	सेवना	210
164.	बुडवा	208
165.	बाडीगामा	212
166.	नाल	213
167.	छेबरी कालू	207
168.	सोगेता	24/3/3
169.	मसोटिया	8
170.	सुरपुर	22
171.	भीलवन	19
172.	शाहपुरा	20
173.	पठानपुरा	23
174.	भगतपुरा	21
175.	बनाला	24
176.	माकोद	62
177.	तेजपुर	25
178.	झांतला	63
179.	पदमनाथ का गड़ा	27
180.	पानीवाला गड़ा	26
181.	ठीकरिया	104
182.	भडारिया	10

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
183.	भवानपुरा	106
184.	भापोर	110
185.	छत्रसालपुर	233
186.	ओधरजी का पाड़ा	103
187.	बोरवट	93
188.	बोदला	101
189.	पलोदरा	102
190.	अमरपुरा	91
191.	टमटिया	92
192.	चन्द्रवीरगढ़	94
193.	सामडोद	96
194.	मलवासा	95
195.	पाडीकलां	97
196.	सियापुर	100
197.	सालीया	98
198.	पाडीखुर्द	200
199.	नाविधा	99
200.	लीमथान	239
201.	सुरवानिया	241
202.	जगता रावत का पारडा	242
203.	गाउवापाडा	243
204.	सामरिया	244
205.	नवागांव	234
206.	सगवाडिया	237
207.	डामरवास	235
208.	बस्सी	238
209.	सींगपुरा	232
210.	झुपेल	247
211.	गरनावट	24/3/246
212.	सांगा	245
213.	गंणाऊ	251
214.	नाल	250
215.	भोजिया कलां	248
216.	पनियाला	236
217.	खेरडा बड़ा	29
218.	गागरी	28
219.	चीब	31
220.	कटीयोर	30
221.	गामड़ी	72
222.	कुण्डला खुर्द	204
223.	लक्ष्मणगढ़ ऊर्फ झरी	57
224.	हाट खेड़ा	58
225.	उपला घटाला	59
226.	आमली खेड़ा	32
227.	कुण्डाला कलां	117
228.	नाचा कोटा	53
229.	काकनसेजा	56
230.	पाडला गणेशी लाल	82
231.	बरोडा	118
232.	आला पृथ्वीगढ़	55
233.	बोर तालाब	115
234.	फतेहपुरा	114

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
235.	सरवरपुरा	113
236.	कडेलिया	116
237.	समाईपुरा	111
238.	भवडीया	74
239.	चोबीसो का पारड़ा	71
240.	दशहरा	73
241.	कुशलपुरा	2
242.	मोमला	1
243.	पाटीखान	11
244.	हिंगोलिया गडा	10
245.	सामगड़ा	9
246.	उम्मदगढ़ी	24/4/115
247.	बड़ोदिया	124
248.	पचोरपाड़ा	126
249.	पाडलिया	125
250.	इटाउवा	209
251.	कलीजरा	203
252.	धोला खेरिया	214
253.	ढेबरी देवा	216

अविद्युतिकृत गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1.	रघुनाथपुरा	24/3/254
2.	बडलिया	217 ×
3.	रूपपुरा	313
4.	फतेहपुरा	257
5.	टगो पीपली	260
6.	बरोडा	214
7.	जगुपुरा	212
8.	लालू पाडा	211
9.	संगेसरी	308
10.	धवडा दरा	307
11.	देवका	298
12.	बगेरी हरेग	294
13.	बगेरी चरपोला	291 ×
14.	बगेरी मईटा	296
15.	खेड़ा	283 ×
16.	भवानपुरा	274
17.	रनीबनी	249
18.	रतनपुरा गलीया	276
19.	सज्जनगढ़	278
20.	छप्पर	275 ×
21.	छानी महुडी	277
22.	बरवारा भैरूजी	292 ×
23.	भेलिया तालाब	290
24.	महुडी पाडा	287
25.	केलवानी	145
26.	केवलपुरा	105
27.	लीमखोरा	109
28.	खारवाली	231
29.	सूरजी पाड़ा	252
30.	भीमगढ़	54
31.	बोर खेड़ा	203
32.	परवा महुडा	112

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
33.	सेमलिया	202
34.	मंगलिया खोटा	312
35.	मानपुरा	221
36.	भोजिया खुर्द	259
37.	बोरखेड़ा	203
38.	डूंगरी	24/4/220
39.	बोर तलाई	215
40.	पांडेटा	219×
41.	हमीरपुरा छोटा	218
डूब क्षेत्र में आने वाले अविद्युतिकृत गांव		
42.	लोधागरिया	24/3/210
43.	गगरवा	43
44.	कानपुरी	47
45.	खानपुरा	124
46.	मेतासुला	42
47.	खजुरी	40
48.	खालडा	37
49.	कुताबाडी	41
50	कोटडा	52
51.	झामलिया	39
52.	सियारी	38
53.	खेरडी	36
54.	बगडा	35
55.	पारडा	34
56.	रामगढ़	33

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
57.	ठिकरिया	48
58.	छलियावाद	49
59.	दाना रवारी	132
60.	पटी नागरा	50
61.	पांवलवासा	119
62.	छोटा माला	120
63.	बडीमाली	121
64.	जीवा का पारडा	122
65.	वाक	123
66.	मुहडीपाडा	125
67.	मुन्द्रीपाडा	126
68.	छापरिया	129
69.	लालपुरा	130
70.	रेल	195
71.	सजवानिया	128
72.	बीलडीया	127
73.	नामला	196
74.	माला	200
75.	किका पडा	197
76.	तालाब	198
77.	चिताब	199
78.	बिलाखा	51

× चिन्हित ग्राम वर्ष 2000-2001 में विद्युतीककरण हेतु प्रस्तावित।

परिशिष्ट-18

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-39 का विवरण)

(ग्रामीण व शहरी) विद्युत दरों में अन्तर की विद्युत श्रेणियां एवं विवरण
(1-11-99 से प्रभावी)

श्रेणी	शहरी दर प्रति यूनिट	ग्रामीण दर प्रति यूनिट	प्रतिमाह न्यूनतम राशि	
			शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5
घरेलू	प्रथम 50 यूनिट प्रति माह रु. 1.55 50 यूनिट से अधिक प्रतिमाह रु. 2.20	प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह रु. 1.55 50 यूनिट से अधिक प्रतिमाह रु. 2.20 (नोट - 10 प्रतिशत की छूट)।	40 यूनिट की राशि।	25 यूनिट की राशि।
अघरेलू	प्रथम 100 यूनिट प्रति माह रु. 2.64 100 यूनिट से अधिक प्रतिमाह 3.04	प्रथम 100 यूनिट प्रति माह रु. 2.64 100 यूनिट से अधिक प्रतिमाह 3.04	40 यूनिट की राशि।	(अ) 15 यूनिट की राशि 0.5 किवा-भार तक। (ब) 25 यूनिट की राशि 0.5 किवा-भार से 1.0 किवा तक। (स) 40 यूनिट की राशि 1.0 किवा से अधिक (प्रति किलोवाट)।
कृषि श्रेणी (मोटर्ड)	(अ) रु. 1.10 प्रति यूनिट (1.1.95 से पूर्व के उपभोक्ता) (ब) रु. 1.40 प्रति यूनिट (1.1.95 के बाद के उपभोक्ता)।	(अ) 70 पैसे प्रति यूनिट। (ब) रु. 1.10 प्रति यूनिट (24 घंटे विद्युत सप्लाई क्षेत्र)।	(अ) 80 यूनिट की राशि प्रति हार्सपावर प्रति माह। (ब) उपरोक्तानुसार।	(अ) 60 यूनिट की राशि प्रति हार्सपावर। (ब) 80 यूनिट की राशि प्रति हार्स पावर।

1	2	3	4	5
पोल्ट्री फार्म	रु. 1.40 प्रति यूनिट।	(अ) रु. 1.10 प्रति यूनिट (ब) रु. 1.40 प्रति यूनिट (24 घंटे सप्लाई क्षेत्र उपभोक्ता)।	107 यूनिट प्रतिमाह प्रति किलोवाट राशि।	(अ) 80 यूनिट प्रतिमाह प्रति किलोवाट राशि (ब) 197 यूनिट प्रति माह प्रति किलोवाट।
कृषि श्रेणी फलैटरेट	रु. 95 प्रति हार्स पावर प्रति माह (1.1.95 के पूर्व के उपभोक्ता) (ब) रु. 120 प्रति हार्सपावर प्रतिमाह (1.1.95 के बाद के उपभोक्ता)।	रु. 60 प्रति हार्स पावर प्रति माह रु. 95 प्रति हार्स पार प्रति माह (उपभोक्ता 24 घंटे सप्लाई क्षेत्र) (ब) रु. 120 प्रति हार्सपावर प्रति माह (उपभोक्ता 24 घंटे सप्लाई क्षेत्र किन्तु 1.1.95 के बाद के उपभोक्ता।	— —	— —

नोट : उक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में विद्युत दरें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान है।

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-40 की सूची)

परिशिष्ट-अ

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., चूरू

1 मार्च 1999 से 31 जुलाई, 2000 तक चूरू जिले में श्रेणीवार, गांववार, पंचायत समिति वार जारी किये गये कृषि कनेक्शन की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	गांवों की संख्या जहां कनेक्शन दिये गये	योजनावार जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या				
			सामान्य	नर्सरी	अनु. जाति	चारा स्कीम तुरंत प्राथमिकता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चूरू	29	32	7	20	1	60
2.	राजगढ़	51	147	30	4	17	198
3.	तारानगर	0	–	–	–	–	–
4.	रतनगढ़	43	61	39	23	19	142
5.	सरदारशहर	79	110	70	22	29	231
6.	श्रीडूंगरगढ़	62	52	181	41	13	287
7.	सुजानगढ़	44	44	60	13	59	176
	कुल	**308**	**446**	**387**	**123**	**138**	**1094**

ह०/–
प्रा. स. अधीक्षण अभि. (पवस)
जोधपुर डिस्कॉम, चूरू

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–46 की सूची)

पंचायत समिति डेगाना में प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1. मन्जू जोधा
2. कितलसर
3. बाजियो की ढाणी
4. हिमतनगर
5. डूडियो की ढाणी (कितलसर)
6. टंकिपुरा
7. रामनिवास
8. चारणावास
9. घाणा
10. किरड़
11. जावा
12. व्यापारी मोहल्ला
14. तामडोली
15. रेवत
16. महियों की ढाणी
17.. गून्दीसर
18. बामणा जागिर
19. नून्द
20. डूकियासर
21. हबचर
22. राईको की ढाणी
23. गूजरों की ढाणी
24. जाखेड़ा
25. राजापुरा
26. कुल्यासनी खुर्द
27. भंवरिया
28. डावोली खारी
29. कवाल
30. महिवासर
31. सोवां की ढाणी
32. काणटो की ढाणी
33. कुल्यासनी कलां
34. रेगर बस्ती माझी
35. साजू
36. दागड़ी
37. दागड़ा
38. आसण
39. चरड़ास
40. भारली
41. धूणा की ढाणी
42. जैतपुरा
43. खुड़ी कलां
44. पण्डवाला
45. जोधड़ास
46. चूड़ियास
47. बेछवास
48. चौखा की ढ़ाणी
49. दूधड़ास
50. भादवासी
51. दूगोर वासा
52. दूगोर अंचला
53. खुड़ी खुर्द
54. रातड़ियो की ढाणी
55. किलको की ढाणी
56. जालसू नानक
57. जालसू नानक (कल्या)
58. सुखबासनी
59. गेमलियास
60. खिन्दास
61. डूडियो की ढाणी

62. खातोलाई
63. आतरोली खुर्द
64. डूगरास
65. निम्बोला पुरोहिता
66. निम्बोला खुर्द
67. देवला मादा
68. बिचपूड़ी
69. चकढाणी
70. सांवलियास
71. बाण्ड की ढाणी
72. करासोडा
73. खियास
74. खारिया कलां
75. खारिया की ढाणी
76. खारिया खुर्द
77. नैणास
78. बाजियो की ढाणी
79. जूनी बछवारी
80. आकेली बी
81. सिधलाल
82. मण्डा की ढाणी
83. निम्बड़ी चान्दावता
84. हरसौर
85. गुलाबपुरा
86. मुण्डेलपुरा
87. लूणियास
88. मेहराणा
89. भवाल चारणा
90. सूरियास
91. निम्वड़ी कलां
92. निम्बड़ी कुठारिया
93. रलियावता
94. काल का बास
95. माण्डल देवा
96. खारोल वास
97. कुमारो की. ढाणी
98. लवादर
99. रामगढ
100. ईड़वा
101. बेड़ास कलां
102. सुदरी
103. उदियास
104. नथावड़ी
105. पूनियास
106. चाचियास
107. कलियास की ढाणी
108. आछोजाई
109. सिरासना (कन्या)
110. सिरासना (छात्र)
111. राणास
112. मोडरिया
113. चम्पा खेड़ी
114. बिखरनिया कलां
115. बिखरनिया खुर्द
116. सुरपुरा
117. ईटावड़ा लाडखानी
118. ईटावड़ा भौजा
119. खानपुरा
120. भूकरो की ढाणी
121. पचरन्डा खुर्द
122. गोठड़ा
123. छाबां की ढाणी
124. पालड़ी कलां

ह०/–
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा
अधिकारी पं. स., डेगाना

पंचायत समिति क्षेत्र डेगाना के अधिनस्थ संचालित

राजीव गांधी पाठशालाओं की सूची

1. गिलवे की ढाणी (साजू)
2. मूल्तानियों की ढाणी (हरसौर)
3. विजारनियों की ढाणी (कितलसर)
4. थलां की ढाणी (पुन्दलौता)
5. राईको की ढाणी (मेवड़ा)
6. गोदारो की ढाणी (बरना)
7. कुमाणानाडा (पूनास)
8. झालरा बेरा की ढाणी (मांझी)
9. रेगरों की ढाणी (गोरेड़ी चांचा)
10. राड़ो की ढाणी (बुटाटी)
11. गिटालो की ढाणी (चौसली)
12. धारोलो की ढाणी (निम्बड़ी कलां)
13. खुन्डीवालों की ढाणी (थाटा)
14. खाखोलाई नाडी की ढाणी (राजोद)
15. खारचिया नाडा का ढाणी (बछंवारा)
16. राड़ो की ढाणी (खुड़ी कलां)
17. गोटिया नाडा (निम्बड़ीचाछावता)
18. मेघवालों की ढाणी (माण्डल जोधा)
19. डूगर की ढाणी (डेगाना गांव)
20. मालियो की ढाणी (तिलानेस)
21. गूजरों की ढाणी (चान्दारूण)
22. दूगोर चिकनास (खैरवा)
23. सुन्दियो की ढाणी (गुणसली)
24. पूनियो की ढाणी (राजलौता)
25. चिकनास (बंवरला)
26. छाबा की डाणी पश्चिम भाग (पासड़ीकलां)
27. बेन्दो की ढाणी (चूई)
28. मेघवालों की ढाणी (चौलियास)
29. जालसू स्टेशन (आतरोली कलां)
30. जोरावरपुरा की ढाणी (ईड़वा)
31. लाड़ियो की ढाणी (पुन्दलौता)
32. पुटियो की ढाणी (कितलसर)
33. गुजरों की ढाणी (डावोली मिठी)
34. नाथी की ढाणी (जाखेड़ा)
35. राईको की ढाणी (जाखेड़ा)
36. कड़वो की ढाणी (लंगोड़)

राजीव गांधी संस्कृत पाठशाला

1. राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला जूवाड़ियो की ढाणी (डेगान गांव)

उपरोक्तानुसार से 36+1 = 37 (सैंतीस) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाऐं संचालित हैं।

ह०/—
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा
अधिकारी पं. स. डेगाना

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-52 की प्रति)

राजस्थान-सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांक : 4 एफ. 139 (5) परा वि/रामापाल/अतिरिक्त/11/99/40043 जयपुर, दि. 11-1-99

आदेश

विभाग में प्राप्त नये प्रस्तावों के अनुसार निम्न विवरण अनुसार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने की स्वीकृति तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जाती है : —

क्र.सं.	नाम जिला	पंचायत समिति	स्वीकृत पाठशालाओं की संख्या
1.	दौसा	दौसा (श्यामलावास भगलाव)	1
		लालसोट (अमरावाद की ब्रह्मपुरी की ढाणी)	1
2.	करौली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् करौली के पत्र संख्या 4803 दिनांक 16-10-99 द्वारा दी गई सूची अनुसार	107
3.	सवाई माधोपुर	खण्डार	24
		सवाई माधोपुर	11
		गंगापुरसिटी	19
		बामनवास	09
			63
4.	जोधपुर	लूणी (ग्राम पंचायत नन्दवान)	01
5.	कोटा	सुल्तानपुर (ग्रा.पं.खेडलीमहाधीश)	01
6.	सिरोही	जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र संख्या 4208 दिनांक 27-10-99 के अनुसार	20

उक्त पाठशालाओं में समयावधि एवं शीतकालीन अवकाशों के दौरान राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं रहेगा।

आज्ञा से
ह०/-
उप शासन सचिव (प्रशा-1)
राज. जयपुर।

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-60 की प्रति)

पर्यटक सहायता बल (टूरिस्ट पुलिस)

पर्यटक सहायता बल पयर्टकों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का समाधान करता है तथा पर्यटकों की असामाजिक तत्त्वों से रक्षा करते हुए राज्य में उनके प्रवास को सुखमय अनुभव के रूप में सुनिश्चित करता है।

पर्यटक सहायता बल के कर्त्तव्य

1. पर्यटक स्थलों पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
2. पर्यटकों को उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए कानूनी कार्यवाही में सहायता करना।
3. प्री-पेड टैक्सी स्टेण्ड पर टैक्सी/ऑटो रिक्शा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पर्यटक क्या करें।

1. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत गाईडों की ही सेवा लें।
2. सुरक्षित भ्रमण हेतु एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एवं बस स्टेण्ड पर स्थित पर्यटक सहायता केन्द्रों से सम्पर्क करें।
3. प्री-पेड ऑटो सुविधा जहां उपलब्ध हो, से ही सेवा प्राप्त करें।
4. भारतीय पर्यटन विकास निगम एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल में ठहरने को ही प्राथमिकता देंवे।
5. पर्यटक स्थलों की सैर के लिये, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पर्यटक भ्रमण सेवा का उपयोग करें।
6. बैंक, अथवा अधिकृत मनी चैन्जर से ही व्यवहार करें एवं प्रमाण पत्र लेवें।
7. दुकानदार से खरीददारी का बिल अवश्य लें एवं यह भी देखें कि बिल पर आर.एस.टी./सी.एस.टी. तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो।
8. यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा रहा है, तो बिल पर भुगतान की जाने वाली राशि शब्दों में अवश्य लिखें।
9. दुकानदार द्वारा दिये गये पार्सल को गन्तव्य स्थान पर भेजने हेतु डाकघर में देने से पूर्व पार्सल को खोल कर स्वयं खरीदे गये सामान का मिलान अवश्य करें।
10. यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी की गई है, तो उसकी सूचना पुलिस नियन्त्रण कक्ष अथवा

नजदीकी पुलिस स्टेशन को अवश्य दें।

11. पेइंग गेस्ट हाउस में ठहरने से पूर्व उसकी प्रमाणिकता की जांच करें।

पर्यटक क्या नहीं करें।

1. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तथा बस अड्डे से अच्छे होटल में ठहरने, शहर का भ्रमण कराने के नाम पर दोस्ती कर ठगी करने वाले व्यक्तियों से बचें।
2. पर्यटक स्थलों के भ्रमण हेतु अनाधिकृत गाईडों की सेवा नहीं लें।
3. पर्यटक स्थल के इर्द-गिर्द बने शोरुमों से खरीददारी करने से बचें व राज्य सरकार की दुकानों से ही खरीददारी करने को प्राथमिकता देवें।
4. भिखारियों तथा पर्यटन स्थलों पर घूमते हुये होकर्स को प्रोत्साहित ना करें।
5. राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं नियन्त्रित विक्रय केन्द्रों से मिलते-जुलते नाम की दुकानों पर खरीददारी करने से बचें।
6. व्यवसाय करने का लालच देकर उधार में वस्तुऐं बेचने वाले दुकानदारों से खरीददारी कदापि ना करें।
7. खरीददारी करते समय गाईड अथवा गाड़ी मालिक की सहायता ना लें तथा उसके द्वारा प्रस्तावित किये गये शोरुम से खरीददारी करने से बचें।
8. टैक्सी एवं रिक्शा आदि में अपना सामान सूना ना छोड़े।
9. क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय यदि स्लिप में कुछ कमी रह जाने से दुकानदार दूसरी स्लिप भरें, तो प्रथम स्लिप को अपने हाथ से नष्ट करें। दोनों स्लिप दुकानदार के पास ना छोड़े।

समस्याऐं, जिनका समाधान पर्यटन सहायता बल द्वारा किया जावेगा

1. पर्यटकों के सामान का चोरी या छीना जाना।
2. पर्यटकों के साथ अनाधिकृत (लपका) व्यक्तियों द्वारा जबरन खरीददारी करवाना या भ्रमण पर ले जाना।
3. रेल व बस का किराया भाड़ा सामान्य दरों से अधिक दरों पर भुगतान।
4. दुकानदार द्वारा नकली सामान बेचना या अधिक दरों पर बेचना या सही सामान दिखाकर नकली वस्तुऐं देना।

5. भिखारियों द्वारा परेशान करने या छीना-झपटी करने पर भिखारियों को दूर करना।
6. रिक्शा, ऑटोरिक्शा या टैक्सी ड्राइवर द्वारा अधिक दरें लेना/बख्शीस (टिप) के लिए मजबूर करना।
7. पर्यटकों को नशीले पदार्थ दे कर लूटना।
8. वीजा/पासपोर्ट चोरी होने पर।

कुछ महत्वपूर्ण टेलीफोन

पर्यटन	
पर्यटन राज्य मंत्री	380795
सचिव पर्यटन	380894
निदेशक, पर्यटन एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.प.वि.नि.	376362
अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन	361486, 370181
सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र	
पर्यटन भवन, जयपुर	365256
पर्यटन कार्यालय, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म नं. 1	315714
पर्यटक कार्यालय, हाथी स्टेण्ड के पास आमेर	530264
पर्यटक सूचना केन्द्र, स्वागत कक्ष, हवाई अड्डा,	721333, 721519
ट्रांसपोर्ट यूनिट (रा.प.वि.नि.)	375466
पुलिस	
पुलिस उप महानिदेशक, जयपुर रेंज	203400
पुलिस अधीक्षक (उत्तर)	203546
पुलिस अधीक्षक (दक्षिण)	202700
पुलिस अधीक्षक (यातायात)	573355
पुलिस अधीक्षक (सी.आई.डी.)	618508
पुलिस नियंत्रण कक्ष	100, 565555
पुलिस थाने	
आमेर	530295
माणक चौक	601366

ब्रह्मपुरी	635356
सिन्धी कैम्प	206201
सुभाष चौक	635840
रामगंज	663676
नाहरगढ़ रोड़	321964
कोतवाली	321444
सांगानेर	721677
जालूपुरा	367588
दुर्घटना पुलिस थाना	568721
महिला पुलिस थाना	314474
अन्य	
एम्बुलेन्स (रोगी वाहन)	102
अग्नि शमन	101
दुर्घटना सहायता	565630
एस. एम. एस. अस्पताल	560291
टेलीफोन पूछताछ	197
रेल्वे पूछताछ	131, 133
हवाई अड्डा	550213
पासपोर्ट कार्यालय	510884
होटल	
गणगौर होटल (रा.प.वि.नि.)	371641-7
तीज होटल (रा.प.वि.नि.)	205482
स्वागतम होटल (रा.प.वि.नि.)	200595
नाहरगढ़ कैफेटेरिया (रा.प.वि.नि.)	320538
ट्यूरिस्ट होटल (रा.प.वि.नि.)	360238

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या–65 का विवरण)

वर्ष 1997-98

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	ग्राम पंचायत का नाम
1.	पुलिया निर्माण दर्रकी	2.73	बाजला
2.	पुलिया निर्माण बहरदा	2.98	बाटवा
3.	पुलिया निर्माण तुरसंगपुरा	2.73	बापौती
4.	पुलिया निर्माण जटवाड़ी	2.05	डिकोलीकला
5.	पुलिया निर्माण भोमपुरा	2.73	औण्ड
6.	पुलिया निर्माण बुगडार	1.05	बुगडार
7.	पुलिया निर्माण टोंटपुरा	1.05	भरतून
8.	पुलिया निर्माण गैलोरकापुरा	1.45	गुरदेह
9.	पुलिया निर्माण ओडच	2.90	ओडच
10.	पुलिया निर्माण नयागांव	1.84	मोंगेपुरा
11.	पुलिया निर्माण दयारामपुरा	1.48	जीरौता
12.	पुलिया निर्माण बीचकी नदी	1.15	बुगडार
13.	पुलिया नाला मकरियापुरा	1.50	पालनपुर
14.	पुलिया निर्माण खनबाडी	2.00	भंगो
15.	पुलिया निर्माण डेराके नालेपर	2.12	पालनपुर
16.	पुलिया निर्माण मरूघटिया के नीचे	2.00	मोठियापुरा
17.	पुलिया निर्माण केसरनदी की धारा	2.15	—"—
18.	पुलिया निर्माण खडी का नाला	1.98	कोटा
19.	पुलिया निर्माण महोली	1.98	महोली
20.	ताली से जगर सड़क निर्माण	21.98	जगर
21.	चिकित्सालय भवन काचरौदा	2.05	काचरौदा
22.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र मीना खिरखिडी	2.82	लूलौज
23.	पशु औषधालय चौड़ागांव	3.62	चौड़ागांव

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	ग्राम पंचायत का नाम
वर्ष 1998-99			
1.	सम्पर्क सड़क निर्माण खरेटा से कोटवास	4.50	खरेटा
2.	ग्रेवल सड़क खुरसटपुरा से खातीपुरा	1.32	जगर
3.	सम्पर्क सड़क हरनगर से पाराशरी	4.00	हरनगर
4.	ग्रेवल रोड कंचनपुर से डाडा	7.00	कंचनपुर डकावली, डाडों, सीलौती
5.	ग्रेवल सड़क मासलपुर रोड से सफ्लूकापुरा	5.00	रूंधपुरा
6.	सम्पर्क सड़क केशवपुरा से भरदई वाया धोडखेड़ा बडागांव	11.00	खूंडा, रूंधपुरा
7.	पुलिया निर्माण गढमोरा जूमूरा	2.00	जमूरा
8.	पुलिया निर्माण शुभनगर गुवरेडो	1.00	गुबरेडा
9.	सम्पर्क सड़क चेनपुर से बाजीदपुर बर्रिया	4.00	चैनपुर बर्रिया
10.	सी.सी. रोड मंडेला से स्कूल तक	2.00	रतियापुरा
11.	पुलिया निर्माण भऊआ से रतियापुरा	1.50	रतियापुरा
12.	सम्पर्क सड़क ग्राम टटवाई से स्कूल तक	2.00	कोटाछाबर
13.	सी.सी.रोड किशोरपुरा पुलिया से गांव पहाड़पुर	2.00	जोड़ली
14.	सड़क निर्माण ग्राम एकट से डूंडीपुरा	15.00	एकंट
15.	रा. मा. वि. खरेटा	1.60	खरेटा
16.	रा. मा. वि. खीपकापुरा	1.60	जगर
17.	प्रा.शाला सफूलपुरा	1.60	रूंधपुरा
18.	रा. मा. वि. कंचनपुरा	1.60	कंचनपुर
19.	उ. प्रा. वि. गुबरेडा	1.60	गुबरेडा
20.	रा. मा. वि. खेडिया	1.60	खेडिया
21.	उ. प्रा. वि. कोटाछावर	1.60	कोटा-छाबर
22.	रा. प्रा. वि. राजौर	1.60	राजौर
23.	सी. मा. वि. सायपुरा	1.60	सायपुर
24.	प्रावि. कोटा महोली	1.60	महोली

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	ग्राम पंचायत का नाम
25.	सीमा वि सायपुर (अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराना)	1.60	सायुपर
26.	परावि तुससंग पुरा बेरवा बस्ती	1.60	बाफोती
27.	प्रावि ऊँचे का पुरा	1.60	अमरगढ़ डांग
28.	राउप्रावि जीरोता	1.60	जीरोता
29.	राउप्रावि कालागुडा	1.60	कालागुंडा
30.	राउप्रावि डिकोली	1.60	डिकोलीकला
31.	प्रावि कन्या सपोटरा	1.60	सपोटरा
32.	प्रावि खिदरपुरु	1.60	भरतून
33.	प्रावि गुरूदेह	1.60	गुरूदेह
34.	प्रावि जटवाडी	1.60	डिकोलीकला
35.	उप्रावि. राहिर	1.60	राहिर
36.	उप्रावि मोनेपुरा	1.60	मोनेपुरा
37.	उप्रावि निभेरा	1.60	निभेरा
38.	रामाव अड्डूदा	1.60	बडोदा
39.	प्रावि खानुपर	1.60	चोडागांव
40.	रामावि रोधई (अपूर्ण को पूर्ण कराना)	1.60	रोघई
41.	प्रावि खेडा (लेदिया)	1.60	लेदिया
42.	आयुर्वेद चिकित्सा भवन बाटदा	2.20	बाटदा
43.	—"— —"— जाखोदा	2.20	जाखोदा
44.	—"— —"— बगीदा	2.20	बगीदा
45.	सम्पर्क सड़क मासलपुर रोड़ सेकसारा	1.50	गुबरेडा
46.	सम्पर्क सड़क कैलादेवी रोड बामनपुर	1.50	करसाई
47.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन मोडसे आगर्री	2.00	रोकड़कला
48.	—"—ताली से खाना का	8.00	डाडा जमूरा
49.	मासलपुर रोड़ से ठाकुर बाबा का स्थान	1.00	चैनपुरगापोली
50.	सम्पर्क सड़क मासलपुर बाबा हकीमपुरा	1.50	खेडिया
51.	—"— —"— कैलादेवी रोडसे काशीपुरा	2.00	करसई
52.	—"— मोहनपुरा से मकनपुर	2.00	रघुवशी

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	ग्राम पंचायत का नाम
53.	—"— —"— मासलपुर रोडसे उम्मेदपुरा	2.00	चेनपुर गाधोली
54.	रास्ता पटाव परमान्या पुरा	0.70	डुकावली
55.	सम्पर्क सड़क गुलर घटा	2.00	गुनेसरा
56.	पुलिया नि. शुभनगर	1.00	गुबरेडा
57.	सीसीरोड बफलपुर	1.00	जहागीरपुर
58.	पुलिया निर्माण लैदार कला	1.85	खेडिया
59.	सीसीरोड काछीपुरा	1.00	सीलोती
60.	सम्पर्क सड़क सोहनपुरा कोडर	2.00	कोडर
61.	पुलिया नि. मनियापुरा कोटाछावर	1.85	कोटा छाबर
62.	सम्पर्क सड़क आकोलपुरा से ससेडी	1.00	ससेडी
63.	पुलिया निर्माण पालनपुर	1.85	पालनपुर
64.	सम्पर्क सडक हाडोली से छीपका पुरा डब्लूबीम	6.15	जगर
65.	पुलिया नि .गोरेनाला	1.85	काचरोदा
66.	पुलिया नि. चीगीपुरा	2.00	बगीदरा
67.	पुलिया निर्माण किराडी रास्तपर	1.85	हाडोती
68.	—"— —"— कीरतपुरा नदी	1.85	गज्जूपुरा
69.	—"— —"— सरपंच की ढाणीवालानाला	1.85	अमरवाड
70.	—"— —"— महाराजपुरा	1.85	महाराजपुरा
71.	—"— —"— कारीतीसरे कोटरी गुरदेह	1.85	गुरुदेह
72.	सम्पर्क सड़क जगडरपुरा	1.50	मोगेपुरा
73.	—"— —"— कानापुरा	1.50	हरिया का मन्दिर
74.	—"— —"— पुलिया थाना के स्कूल तक मण्डरायल	7.00	मण्डरायल

वर्ष 99-2000 में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

ह०/-
अति. कलक्टर (विकास)
करौली

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक प 6(7)प्र.सु/अनु3/96 जयपुर, दिनांक : 7-4-99

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 3 फरवरी, 1996 के क्रम में पूर्व में डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल के गठन के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय की आज्ञा से डांग क्षेत्र यथा जिला सवाई माधोपुर की दो (खण्डार व गंगापुर) धौलपुर की चार (धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी व बसेड़ी) बांस की छः (छबड़ा, शाहबाद, किशनगंज, अन्ता, छीपाबड़ौद व अटरू) झालावाड़ की दो (मनोहर थाना व बकानी), भरतपुर की दो (रूपवास व बयाना), कोटा की एक (इटावा), बूंदी की एक (केशोरायपाटन), करोली की तीन (सपोटरा, हिन्डोन व करोली) पंचायत समितियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है।

1.	मंत्री विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	राज्य मंत्री, वित्त विभाग	"
4.	संसद सदस्य बयाना/सवाई माधोपुर/कोटा/झालावाड़	"
5.	विधान सभा सदस्य, राजाखेड़ा/बाडी/धोलपुर/बयाना/रूपवास/ करौली/गंगापुर/सपोटरा/खण्डार/हिण्डौन/पीपल्दा/केशोरायपाटन/ मनोहरथाना/किशनगंज/छबड़ा	"
6.	जिला प्रमुख, सवाई माधोपुर/करौली/धौलपुर/बारां/झालावाड़ा/ भरतपुर/कोटा/बूंदी	"
7.	मुख्य सचिव, राजस्थान	"
8.	विकास आयुक्त, राजस्थान	"
9.	वित्त सचिव	"
10.	सचिव, कृषि उत्पादन विभाग	"
11.	सचिव, शिक्षा विभाग	"
12.	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	"
13.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	"
14.	सचिव, आयोजना विभाग	"

15.	सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	सदस्य
16.	सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	"
17.	सचिव, पशुपालन विभाग	"
18.	सचिव, वन विभाग	"
19.	सचिव, सिंचाई विभाग	"
20.	सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	"
21.	सचिव, भू-जल विभाग	"
22.	सचिव, वि.यो. एवं ए.ग्रा.वि. विभाग	"
23.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	"
24.	संभागीय आयुक्त संभाग जयपुर/कोटा	"
25.	जिला कलक्टर, स.माधोपुर/करौली/धौलपुर/भरतपुर/बारां/झालावाड़/कोटा/बूंदी	"
26.	विशिष्ठ शासन सचवि, वि.यो. एवं ए.ग्रा.वि. विभाग	सदस्य सचिव

डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल, डांग क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देगा। डांग क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में नयी योजनाओं के लिए भी सुझाव देगा।

डांग क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त होंगे। ऐसे प्रस्ताव डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल की कार्यकारी समिति की बैठक में विचार कर स्वीकृत किये जायेंगे व अनुमोदन हेतु डांग क्षेत्र विकास मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

मण्डल का कार्यकाल डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की निरन्तरता की अवधि तक रहेगा। मण्डल की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जावेगी। मण्डल का मुख्यालय जयपुर होगा लेकिन इसकी बैठक डांग क्षेत्र में किसी भी स्थान पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आयोजित की जा सकेगी।

राज्य स्तर पर विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग का डांग विकास कार्यक्रम के कार्यों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण रहेगा व जिला स्तर पर विकास कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पर्यवेक्षण में कराये जायेंगे तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठकों में इनकी समीक्षा की जायेगी।

आज्ञा से
ह०/-
(बी. एल. वर्मा)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-70 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ (4) स्था/निकावि/97/ दिनांक :

<u>आदेश</u>

विभिन्न विषयों के निम्नलिखित व्याख्याताओं का स्थानान्तरण उनके नाम के आगे अंकित महाविद्यालयों में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :—

क्र.सं. 1	नाम 2	कहां से 3	कहां को 4
1.	श्री अरुण कुमार व्यास अंग्रेजी	राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ नये पद पर।
2.	श्री विकास लाल बैरवा रसायनशास्त्र	राज. महा. प्रतापगढ़	राजकीय महाविद्यालय नोहर की डी.पी. त्रिपाठी से हुए रिक्त पद पर।
3.	श्री लक्ष्मण परमार प्राणीशास्त्र	राजकीय महाविद्यलाय, डूंगरपुर	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर कु. लोगा शरण से हुए रिक्त पद पर।
4.	श्री जिन्दास कुमार गादिया व्यावसायिक प्रशासन	एस.डी. महाविद्यालय ब्यावर	राजकीय महाविद्यालय आबूरोड श्री शबानी सिंह से हुए रिक्त पद पर।

1	2	3	4
5.	श्री एन. के. बंसल एपी.एस.टी.	राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल श्री जी. सी. जैन के स्वेच्छा से सेवानिवृत होने से हुए रिक्त पद पर।
6.	श्रीमती अनुराधा शर्मा अंग्रेजी	रा. महा. अजमेर	राज. हा. केकड़ी श्रीमती उषा कंवर से रिक्त पद पर।

उपरोक्त व्याख्याताओं में से क्र.सं. 1 पर अंकित श्री अरूण कुमार व्यास को छोड़कर शेष सभी व्याख्याताओं को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नियमानुसार देय होगा।

ह०/-
शिक्षा-निदेशक,
राजस्थान, जयपुर।

डा. श्रीमती विनोद गर्ग
प्राचार्य

सं. ध. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक, 132
दिनांक 16-7-98

विषय : — माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत श्री जिन्दास कुमार गादिया, व्याख्याता को कार्यग्रहण करने बाबत।

आदरणीय प्रोफेसर साहिब,

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ : 1(4) स्था/निकासी/97/186 दिनांक 28-4-98 के द्वारा एक आदेश पारित कर छः व्याख्याताओं का स्थानान्तरण किया गया था। जिसमें श्री जिनदास कुमार गादिया का स्थानान्तरण ब्यावर से आबूरोड़ किया गया था परन्तु श्री गादिया द्वारा ऊक्त आदेश को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान, जयपुर के समक्ष चुनौती दी थी, परन्तु अधिकरण द्वारा उनकी अपील सारहीन होने से खारिज कर दी थी। परन्तु श्री गादिया द्वारा अधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में एक स्थगन आदेश भी पारित किया है जिसके संबंध में श्री गादिया ने दिनांक 15.7.98 को प्रातः बिना उच्च न्यायालय की प्रति लिये आगे और मुझे धमकी दी की अगर मैंने उन्हें तुरंत ड्यूटी पर नहीं लिया तो वे मुझे काम नहीं करने देंगे तथा उन्होंने तीन चार व्यक्तियों की मदद से घेराव कर लिया। परन्तु बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति लाने की बात कही। श्री गादिया वापिस सायं करीबन 5.15 बजे उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति लेकर आये जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

माननीय न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष में यह लिखना उचित होगा कि ब्यावर में व्यावसायिक प्रशासन विभाग में व्याख्याताओं की संख्या कार्यभार से एक अधिक थी तथा श्री गादिया का स्थानान्तरण इसी कारण से किया गया था इसलिए उनके स्थान पर किसी अन्य व्याख्याता को लगाने का तो प्रश्न ही नहीं था।

अतः आंपसे निवेदन है कि राजकीय अभिभाषक के जरिये माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति बताने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवा दें या ब्यावर में पद नहीं होने के बावजूद भी श्री गादिया को क्या कार्यपर लिया जावे ? कृपया निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर

संलग्न :—

(1) निर्णय की प्रमाणित प्रति
(2) याचिका का शपथ पत्र
(3) कार्यमुक्त आवेदन

भवदीया
विनोद गर्ग
(डा. श्रीमती विनोद गर्ग)

प्रो. नवरंग लालजी,
निदेशक,
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

No. 133 Dated : 17th July, 1998

Shri Jindas Kumar Gadiya

2/62, Saket Nagar,

Housing Board,

Beawar.

Ref : Your telegrams dated 15.7.98 and 16.7.98.

You have sent two telegrams wherein incorrect and false allegations have been made against me for the reasons best know to you. In the telegrams, you have stated that on 15.7.98 at around 10.40 am. you have given me a copy of the Stay Order of the High Court and had also prayed for joining the duties but I refused to allow you to join the duties and at the same time I had thrown away the order of the High court. Such facts so narrated in this regard are false and incorrect on the face of it in as much as from the bare perusal of the copy of the stay order, it in clear that the same was issued by the High Court Office on 15-7-98 and thus the production of the copy of the said stay order to me at 10.40 am becomes false. In fact, you have pressurised and threatened me to allow you to join duties despite the fact that you were not having a copy of the stay order at 10.40 am and therefore, I requested you for production of the copy of the stay order but even then, you have gheraoed me with the help of 3-4 persons which was totally uncalled for. In the evening, again, you had come to my office at around 5.15 pm when you were having a certified copy of the stay order which was accepted and the matter was then referred to the director for seeking necessary instructions in view of the fact that you were transferred from Beawar to Aburoad on account of th surplus Lecturers at Beawar. Thus it became necessary to seek instructions from the Dirctor on the very next day. However, it seems that you become panic in the matter and, therefore, you have even gone to the extent of making false and incorrect allegations against the Higher Officials without any justified reason. You are, therefore, suggested not to make false and incorrect allegations regarding the matter because

necessary instructions in this regard has been sought from the Director and you would be informed about the same in that respect as and when the matter is referred back with necessary instructions by the Director who is the Competent Authority in that regard. I hope that you will kindly cooperate with us and will not create any unpleasant scene in regard to your transfer matter which may tarnish the image or prestige of the institution and the Office as such, especially when you were transferred in the month of April 1998 but you failed to join your services at Aburoad even before the close of the College on 7th May, 98.

Sd/-
Principal
S. D. Government College
Beawar.

No. 134

Copy to : –

The Director, College Education, Jaipur.

Sd/-
Principal
S. D. Government College
Beawar.

परिशिष्ट-25

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

नवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 को मध्यान्ह पूर्व 11.40 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 से बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2000 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2000	1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000; 2. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000; 3. कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000; एवं 4. राजस्थन नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण **मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे** राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर ऊर्जा मंत्री द्वारा वक्तव्य।
बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2000	राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर चर्चा।

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक : 30 अक्टूबर, 2000

परसराम मदेरणा
पदेन सभापति